Annexure-11

ग्राम पंचायत – बागी, विकास खण्ड–कदौरा, जनपद– जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक 24.09.2023 को ओवरसाईट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा ग्राम पंचायत बागी स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे–

1– श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी, जालौन।
2– श्री मनुलाल, खण्ड विकास अधिकारी, कदौरा।
3– डा0 अटल सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जालौन।
4– डा0 कैलाश बाबू, पशु चिकित्साधिकारी, कदौरा।
5– श्री मनोज वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी, बागी।
6– श्री राजबहादुर, ग्राम प्रधान, बागी।
7– श्री रामप्रकाश व 07 अन्य गोपालक।

1. यह गोवंश–आश्रय–स्थल चारों ओर से जालीदार तारों से घेरा गया है तथा मुख्य द्वार पर गेट लगा हुआ है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल का मुख्य द्वार सड़क के तल से निचले लेवल पर है। प्रवेश द्वार के दायीं ओर 01 कम्पोस्ट पिट बना हुआ था, जो सूखे गोबर से भरा था तथा इस कम्पोस्ट पिट से सटा एक बड़ा–सा गोबर का ढेर था। मौके पर, इस गोबर के ढेर से ट्रॉली में गोबर भरा जा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि निरीक्षण की सूचना प्राप्त होने पर ट्रैक्टर एवं जे0सी0बी0 लगाकर गाड़ी के अन्दर आने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। परिसर का सम्पूर्ण क्षेत्र गोबर की मोटी परत से पटा था। परिसर के कटीले तारों से लगा हुआ जल–जमाव क्षेत्र था, जो कि कीचड़ से परिपूर्ण था (संलग्नक–01)। ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया, कि परिसर का स्तर निचला होने के कारण बरसात के समय आस–पास के क्षेत्र से जल प्रवाह आश्रय–स्थल की तरफ होता है, जिसके कारण जल भराव की समस्या बनी रहती है।
2. यह गोवंश–आश्रय–स्थल लगभग 05 वर्षों से ग्रामसभा द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर संचालित होना बताया गया, जिसमें 04 टिन शेड (टिन शेड–1 : 30.3 मी0 x 5.8 मी0, टिन शेड–2: 30.3 मी0 x 5.8 मी0, टिन शेड–3: 12मी0 x 7.9मी0 व टिन शेड–4: 38.7मी0 x 4मी), 03 चरही (9मी0 x 1.5मी0, 5.75मी0 x 2.67मी0 व 5.9मी0 x 2.8मी0) तथा 05 चरनी (30मी0 x 1मी0, 30मी0 x 1मी0, 11मी0 x 1.5मी0, 36मी0 x 1मी0 व 8.77मी0 x 1.5मी0) पायी गई। परिसर में बीमार एवं अशक्त गोवंशों के लिए टिन शेड–04 के अन्दर ही अलग व्यवस्था की गयी है। इसी टिन–शेड के एक भाग में 03 नवजात गोवंशों को भी रखा गया था। इसमें 01 चरनी ऐसी थी, जिसका ऊपरी तल सपाट होने के कारण उसमें चारा रखने के लिए बिल्कुल भी स्थान नहीं था (संलग्नक–02)। टिन शेड के किनारे बनी नालियां, मूत्र एवं गोबर से भरी थीं, जिससे किसी भी प्रकार के मूत्र एवं दूषित जल की निकासी सम्भव नहीं थी (संलग्नक–03)।

इसके अतिरिक्त, टिन शेड के नीचे गोबरयुक्त कीचड होना, गोवंशों के खड़े होने में बाधक है।

3. इस गोवंश–आश्रय–स्थल के आस–पास कोई आबादी/विद्यालय/अस्पताल या अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नहीं है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में कुल 08 गोपालक (श्री रामप्रकाश, श्री नन्दु, श्री लल्लू, श्री राधा, श्री जस्सू, श्री शिवकुमार, श्री शंकर एवं श्री तुलसीराम) कार्यरत हैं, जिनको प्रतिमाह रू0 6000/– वेतन के रूप में दिया जाता है। ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि गोपालकों में 05 गोपालक दिन में व 03 गोपालक रात में ड्यूटी करते हैं। ग्रामीणों ने शिकायत की कि इन गोपालकों में से 03 गोपालक, ग्राम प्रधान के सगे रिश्तेदार हैं। गोवंश–आश्रय–स्थल में समर्सिबल पम्प, चारा मशीन, सोलर पैनल तथा विद्युत की व्यवस्था उपलब्ध है।
4. गणना पंजिका के अनुसार, इस गोवंश स्थल में कुल 247 गोवंश हैं, जिनमें 114 नर, 118 मादा, 07 बछड़ा एवं 08 बछिया हैं (संलग्नक–04)। निरीक्षण के दौरान गोवंश–आश्रय–स्थल में 220 गोवंशों की टैगिंग पाई गई, 35 गोवंशों के कान में छेद है परन्तु टैग नही व शेष 03 गोवंशों के कान में न तो टैग था और न ही छेद था अर्थात कुल 258 गोवंश मौके पर पाए गये। ग्राम प्रधान या ग्राम विकास अधिकारी, गणना पंजिका से अधिक संख्या में मौके पर गोवंशों की उपलब्धता को स्पष्ट नही कर सके । टैगिंग पंजिका में कुल 248 गोवंशों की टैगिंग का विवरण ही अंकित है, परन्तु दिनांक का कॉलम बने होने के बावजूद उस पर टैगिंग का दिनांक अंकित नहीं है (संलग्नक–05)।
5. निरीक्षण के दौरान गोवंश–आश्रय–स्थल में मौजूद गोवंश के स्वास्थ्य में भीषण असमानता पाई गयी। पूर्ण रूप से स्वस्थ, 05 गोवंशों की टैग संख्या– 705650, 333685, 028800, 522723 एवं 837740 का मिलान टैगिंग पंजिका में अंकित संख्याओं से करने पर पाया गया कि इनमें से केवल 02 टैग संख्या ही टैगिंग पंजिका में अंकित है, जिससे यह प्रतीत होता है, कि बाकी के 03 गोवंश इस आश्रय स्थल के नहीं है। बहुसंख्य खराब स्वास्थ वाले गोवंशों से यह भी स्पष्ट होता है, कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल पर गोवंशों को आवश्यक आहार नहीं मिल रहा है।
6. गोवंश–आश्रय–स्थल के चारों ओर गड्ढे पाये गये। अवगत कराया गया कि गोवंश इस परिसर के बाहर न जा सके, इसलिए गड्ढे बनवाये गये ह। अब जब परिसर के चारों तरफ मजबूत जालीदार तारों से घेराव कर दिया गया है तब इन गड्ढों का होना अनावश्यक प्रतीत होता है। निरीक्षण के दौरान 01 अत्यंत कमजोर गोवंश गड्ढे के कीचड़युक्त जल में फंसा हुआ पाया गया, जो अपने प्रयास से निकल नही पा रहा था। कई लोगों के सहयोग से उस गोवंश को गड्ढे से निकाला जा सका (संलग्नक–06)।
7. ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि 02 दिन पूर्व एक गोवंश की मृत्यु हुई है। किसी भी गोवंश को जनसहभागिता योजना के अन्तर्गत स्वयंसेवकों को भरण–पोषण के लिए सुपुर्द नहीं किया गया है। मृत्यु या पोस्टमार्टम से सम्बंधित अभिलेख पशुचिकित्साधिकारी के द्वारा नहीं प्रस्तुत किए गये।

8. पशु चिकित्साधिकारी, कदौरा द्वारा अवगत कराया गया कि उन्होनें दिनांक– 14.07.2023 को कार्यभार ग्रहण किया है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल के पूर्व चिकित्साधिकारी द्वारा उन्हें कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, जिसके कारण प्रस्तुत पंजिका दिनांक– 18.07.2023 से बनायी गयी है, जिसमें दि0–18.07.2023 से 24.09.2023 तक, गोवशों की चिकित्सा का विवरण अंकित है (संलग्नक–07)। पशु चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सभी गोवंशों का एच0एस0 टीकाकरण किया जा चुका था।
9. गोवंश–आश्रय–स्थल में प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध नही है। अवगत कराया गया कि प्राथमिक उपचार किट शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जाएगी। ग्राम प्रधान व पशु चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय पैरावेट की सेवाएं तत्काल ही गोवंश–आश्रय–स्थल में उपलब्ध हो जाती हैं।
10. ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि रू0 800/– प्रति क्विंटल की दर से भूसा स्थानीय किसानों से खरीदा जाता है, परन्तु क्रय के भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। बताया गया कि ग्राम सभा की 08 बीघा जमीन पर नेपियर घास चारे के लिये लगाई गई है, परन्तु चारा उगाने पर हुए व्यय का विवरण अभिलेखो में अंकित नही है। भूसा पंजिका में अलग से कालम होने के बावजूद उनमें हरे चारे की या जनसहभागिता से प्राप्त होने वाले चोकर, आटा, चारे इत्यादि का कोई विवरण अंकित नहीं है। निरीक्षण के दौरान किसी भी चरनी में हरा चारा नहीं पाया गया। 02 बीमार गोवंशों के सामने अलग से रखे गये भूसे में बहुत कम मात्रा में हरा चारा मिला पाया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि गोवंशों को नियमित रूप से हरा चारा नहीं दिया जा रहा है।
11. गोवंश–आश्रय–स्थल में जगह–जगह खुले में पड़े गोबर के ढ़ेर के निस्तारण के सम्बन्ध मे पूछे जाने पर ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि गोबर उठाने के लिए ठेले की व्यवस्था की गई है। गोबर निस्तारण, नीलामी के द्वारा रू0 500/– प्रति ट्राली की दर से किया जाता है, परन्तु इसका कोई विवरण अभिलेखों में दर्ज नही है।
12. प्रस्तुत की गई निरीक्षण पंजिका में दि0–17.07.2023, 23.07.2023, 22.09.2023 एवं 23.09.2023 को किये गये निरीक्षणों का विवरण अंकित है। दि0–22.09.2023 की टिप्पणी में ग्राम प्रधान के द्वारा यह अंकित किया गया है कि तैनात पशु चिकित्सालय स्टापफ ने गोवंश का इलाज किया। इसके अतिरिक्त 08 तिथियों पर भी गोवशों का इलाज किया गया है, परन्तु इसका कोई उल्लेख ग्राम प्रधान द्वारा नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि निरीक्षण से ठीक पूर्व इस निरीक्षण पंजिका को आनन–फानन में बनाया गया है (संलग्नक–08)।
13. गोवंश–आश्रय–स्थल में निरीक्षण के दौरान कोई भी कैश–बुक या खाता–बही उपलब्ध नही कराई गई। बताया गया कि माह–अप्रैल, 2023 से उक्त अभिलेख तैयार नही किए गये हैं।
14. **निष्कर्ष–**इस गोवंश–आश्रय–स्थल तथा इसका रख–रखाव, पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। आश्रय स्थल के टिन–शेड, खुले परिसर, नालियों एवं चरनी के

आसपास नियमित सफाई तथा मूत्र एवं दूषित जल की निकासी की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके साथ ही परिसर में जल भराव की समस्या को दूर करने एवं सपाट बनी हुई चरनी में चारा रखने के लिए मानक के अनुसार पर्याप्त गहराई दिये जाने की आवश्यकता है। आश्रय स्थल से सम्बंधित सभी अभिलेखो को स्थापित प्रकिया के अनुसार अद्यावधिक रखा जाना चाहिए तथा इन्हे गोवंश–आश्रय–स्थल पर ही रखा जाना चाहिए, ताकि निरीक्षण के समय ये निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपलब्ध हो सकें।

(अनन्त कुमार सिंह)
सदस्य, ओवरसाइट कमेटी (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

संलग्नक–01

संलग्नक–02

संलग्नक–03 (क)

संलग्नक–03 (ख)

<u>संलग्नक–04</u>

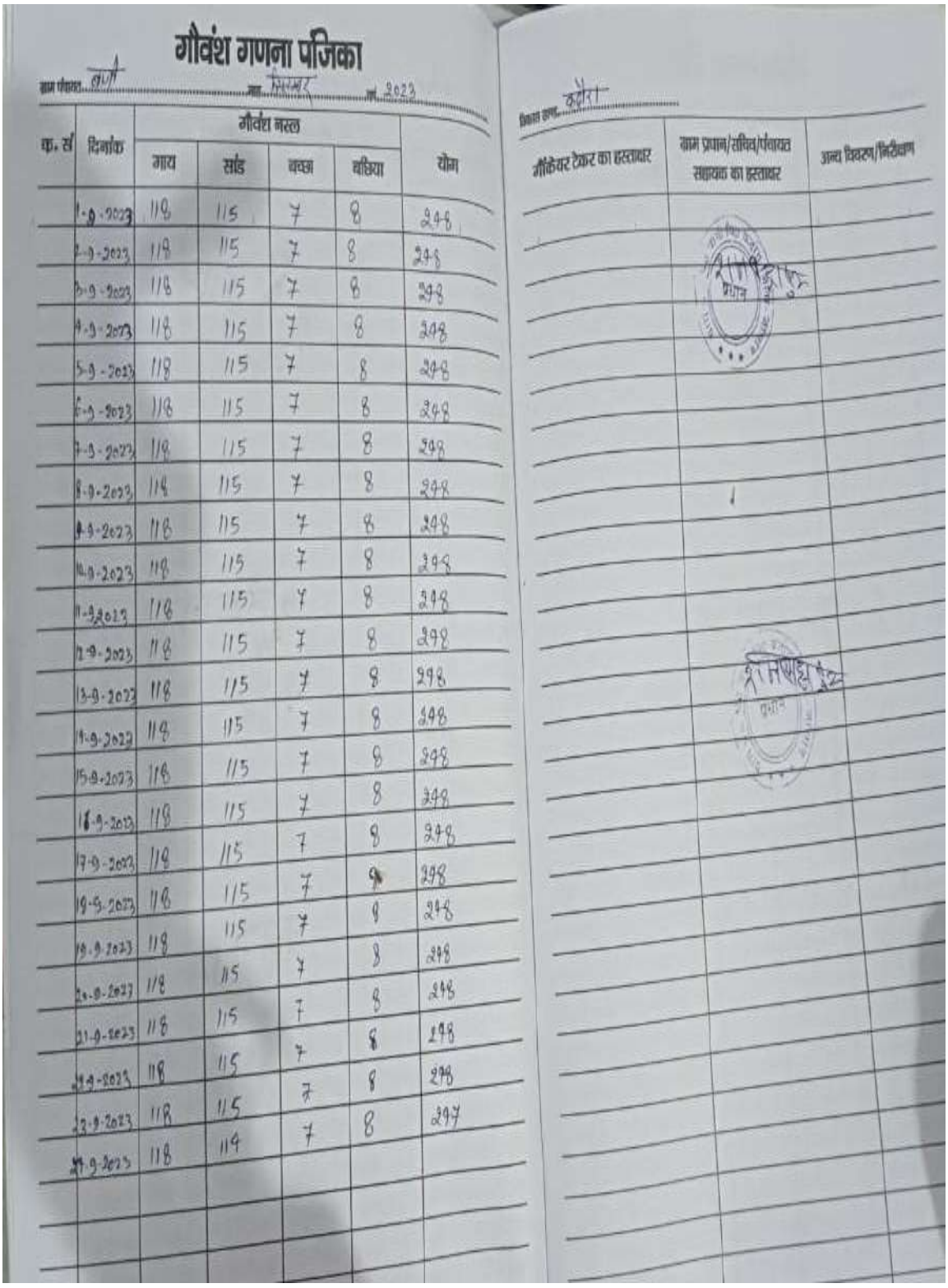

गौवंश गणना पंजिका

ग्राम पंचायत: [illegible] माह: सितम्बर वर्ष: 2023

विकास खण्ड: कठौरा

क्र. सं.	दिनांक	गौवंश नस्ल				योग	गौकेयर टेकर का हस्ताक्षर	ग्राम प्रधान/सचिव/पंचायत सहायक का हस्ताक्षर	अन्य विवरण/निरीक्षण
		गाय	सांड	बच्छा	बछिया				
	1-9-2023	118	115	7	8	248			
	2-9-2023	118	115	7	8	248			
	3-9-2023	118	115	7	8	248			
	4-9-2023	118	115	7	8	248			
	5-9-2023	118	115	7	8	248			
	6-9-2023	118	115	7	8	248			
	7-9-2023	118	115	7	8	248			
	8-9-2023	118	115	7	8	248			
	9-9-2023	118	115	7	8	248			
	10-9-2023	118	115	7	8	248			
	11-9-2023	118	115	7	8	248			
	12-9-2023	118	115	7	8	248			
	13-9-2023	118	115	7	8	248			
	14-9-2023	118	115	7	8	248			
	15-9-2023	118	115	7	8	248			
	16-9-2023	118	115	7	8	248			
	17-9-2023	118	115	7	8	248			
	18-9-2023	118	115	7	8	248			
	19-9-2023	118	115	7	8	248			
	20-9-2023	118	115	7	8	248			
	21-9-2023	118	115	7	8	248			
	22-9-2023	118	115	7	8	248			
	23-9-2023	118	115	7	8	248			
	24-9-2023	118	114	7	8	247			

संलग्नक–05(टैग पंजिका)

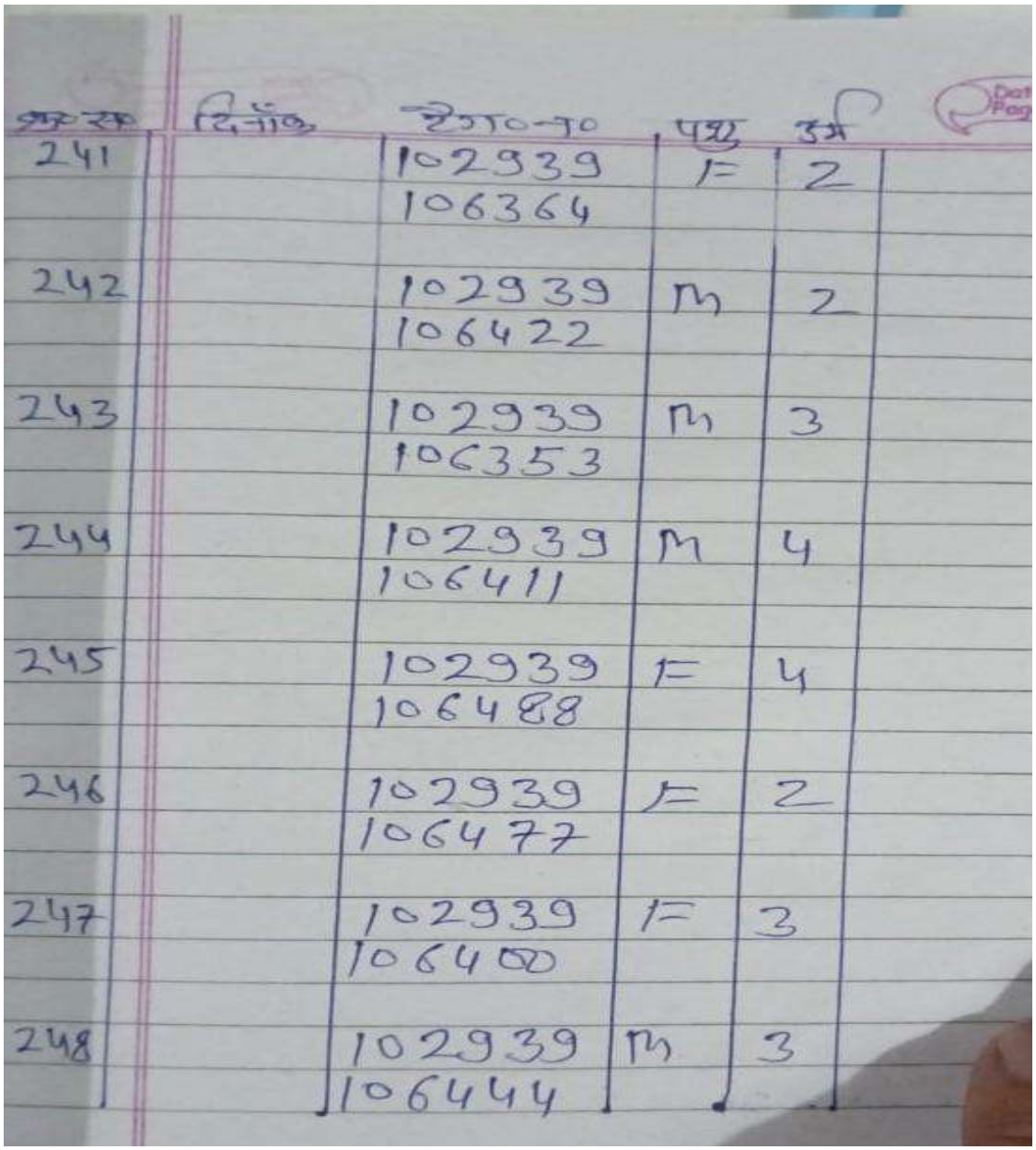

क्र.सं.	दिनांक	टैग नं०	पशु	उम्र
241		102939 106364	F	2
242		102939 106422	M	2
243		102939 106353	M	3
244		102939 106411	M	4
245		102939 106488	F	4
246		102939 106477	F	2
247		102939 106400	F	3
248		102939 106444	M	3

संलग्नक–06

संलग्नक–07 (चिकित्सा पंजिका)

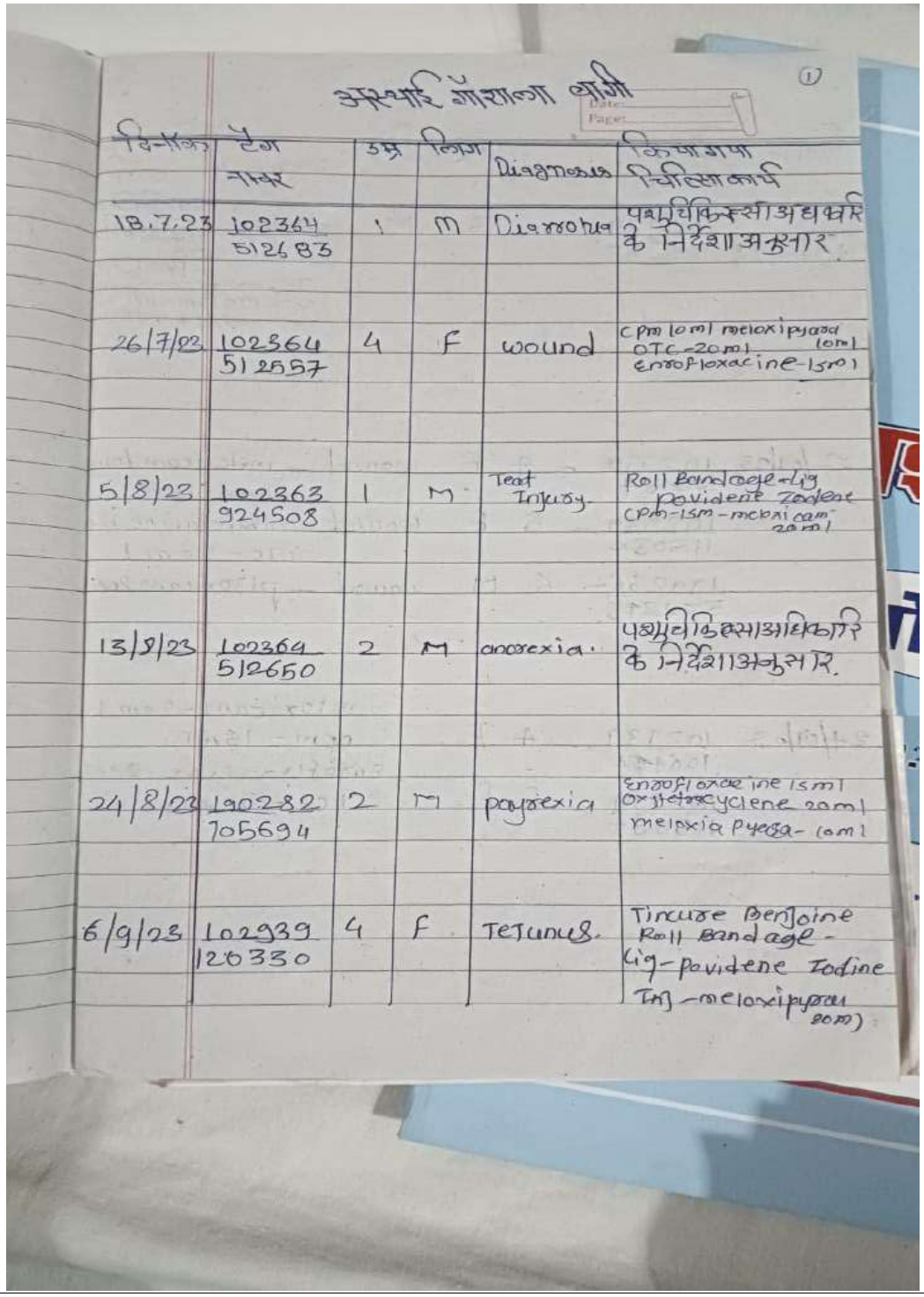

अस्थाई गौशाला ग्राम

दिनांक	टैग नम्बर	उम्र	लिंग	Diagnosis	किया गया चिकित्सा कार्य
18.7.23	102364 512683	1	M	Diarrohea	पशुचिकित्सा अधिकारी के निर्देशानुसार
26/7/23	102364 512557	4	F	wound	CPM 10ml meloxipyara 10ml OTC-20ml Enrofloxacine-15ml
5/8/23	102363 924508	1	M	Teat Injury	Roll Bandage-Lig Povidene Iodine CPM-15m-meloxicam 20ml
13/8/23	102364 512650	2	M	anorexia.	पशुचिकित्सा अधिकारी के निर्देशानुसार.
24/8/23	190282 705694	2	M	pyrexia	Enrofloxacine 15ml Oxytetracyclene 20ml meloxia pyera-10ml
6/9/23	102939 120330	4	F	Tetanus.	Tincure Benjoine Roll Bandage-Lig-Povidene Iodine Inj-meloxipyra 20ml)

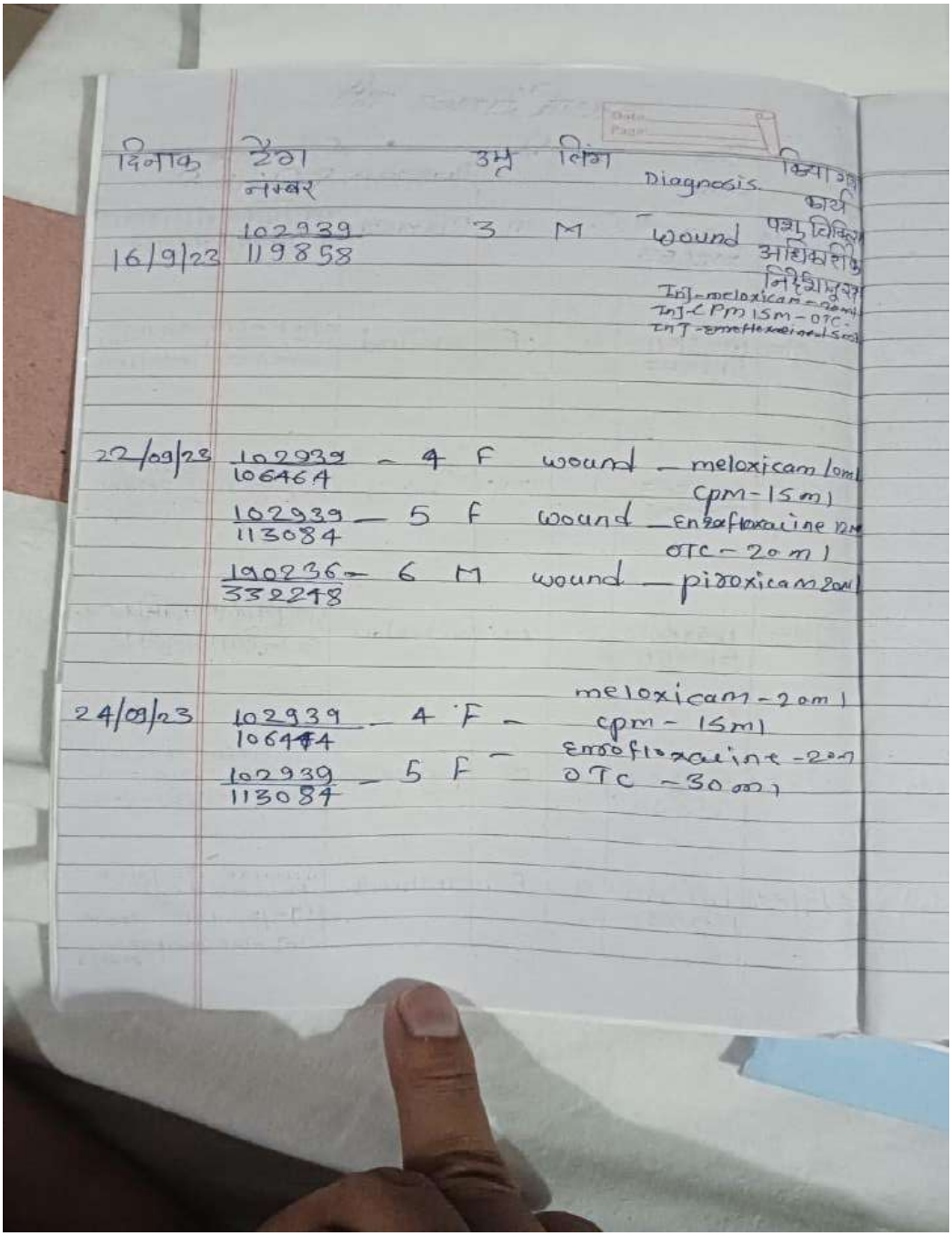

दिनाक	टैग नंबर	उम्र	लिंग	Diagnosis	किया गया कार्य
16/9/23	102939 / 119858	3	M	Wound	पशु चिकित्सा अधिकारी के निर्देशानुसार Inj-meloxicam-20ml, Inj-CPM 15m - OTC, Inj-Enrofloxacin 15ml
22/09/23	102939 / 106464	4	F	wound	meloxicam 10ml, cpm-15ml
	102939 / 113084	5	F	wound	Enrofloxacine 12ml, OTC-20ml
	190236 / 332248	6	M	wound	piroxicam 20ml
24/09/23	102939 / 106444	4	F		meloxicam-20ml, cpm-15ml
	102939 / 113084	5	F		Enrofloxacine-20ml, OTC-30ml

संलग्नक–08 (निरीक्षण पंजिका)

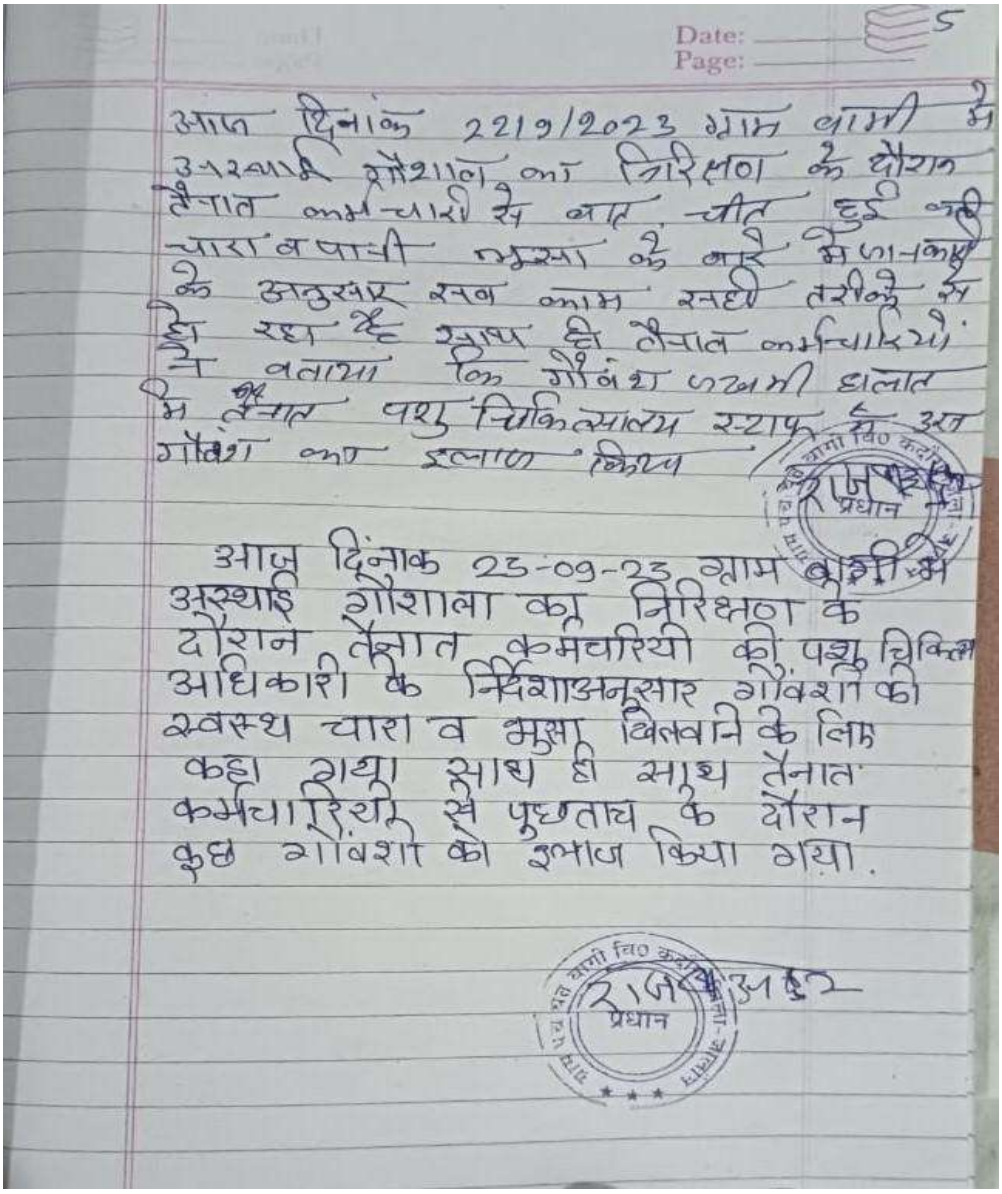

Date:
Page: 5

आज दिनांक 22/9/2023 ग्राम वामी मे
अस्थाई गौशाला का निरिक्षण के दौरान
तैनात कर्मचारी से बात चीत हुई की
चारा व पानी भूसा के बारे मे जानकारी
के अनुसार सब काम सही तरीके से
हो रहा है साथ ही तैनात कर्मचारियों
ने बताया कि गौवंश जख्मी हालात
मे तैनात पशु चिकित्सालय स्टाफ से उन
गौवंश का इलाज किया

प्रधान

आज दिनांक 23-09-23 ग्राम वामी मे
अस्थाई गौशाला का निरिक्षण के
दौरान तैनात कर्मचारियो को पशु चिकित्सा
अधिकारी के निर्देशानुसार गौवंशो को
स्वस्थ चारा व भूसा खिलवाने के लिए
कहा गया साथ ही साथ तैनात
कर्मचारियों से पूछताछ के दौरान
कुछ गौवंशो को इलाज किया गया.

प्रधान

Annexure-12

ग्राम पंचायत –खुटमिली, विकास खण्ड–कदौरा, जनपद– जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक 24.09.2023 को ओवरसाईट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा ग्राम पंचायत–खुटमिली स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे–

1– श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी, जालौन।
2– डा0 अटल सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जालौन।
3– श्री मनुलाल, खण्ड विकास अधिकारी, कदौरा।
3– डा0 कैलाश बाबू, पशु चिकित्साधिकारी, कदौरा।
4– श्री मनोज वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी, खुटमिली।
5– श्री जयराम किशोर, ग्राम प्रधान, खुटमिली।

1. निरीक्षण के लिए पहुॅचने पर गोवंश–आश्रय–स्थल में केवल 08 गोवंश खुली भूमि में उगी घास चरते पाये गये, जिनमें 05 गोवंश की टैगिंग थी और 03 गोवंश बिना टैग के थे। उनके कानों में कोई छेद भी नही था। गोवंशों की संख्या बहुत कम होने के सम्बन्ध में पूछे जाने पर ग्राम प्रधान के द्वारा अवगत कराया गया कि दोपहर में 02 घण्टे के लिए गोवंशों को जंगल में चरने के लिए भेजा जाता है। थोड़ी देर में वे लौट आयेंगे। दोनों गोपालक उन्हीं के साथ गए हुए हैं। वे इस बात को स्पष्ट नहीं कर सके कि यदि सभी गोवंशों को दोपहर में चरने के लिए भेजा जाता है तो ये 08 गोवंश, जिन्हें वे आश्रय–स्थल का मानते हैं, क्यों नहीं चरने गये। मौके पर उपलब्ध टैगिंग वाले 05 गोवंशों में से 04 गोवंशों की टैग संख्या– 105441, 105428, 105430 एवं 105326 का मिलान टैगिंग पंजिका से करने पर पाया गया कि इनमें से कोई भी टैगिंग पंजिका में अंकित नहीं है। टैगिंग वाले 5वें गोवंश के पकड़ में न आने के कारण उसके टैग की संख्या का मिलान नहीं किया जा सका। गोवंशों को चरने के लिए भेजना शासनादेश का उल्लंघन है।

2. टैगिंग पंजिका का रखरखाव भी सही ढ़ंग से नहीं किया गया है। इस पंजिका में दूसरा कालम ''दिनांक'' का है परन्तु टैगिंग के सम्बन्ध में की गयी कुल 52 प्रविष्टियों में से किसी में भी दिनांक अंकित नहीं है और न ही किसी टैगिंग करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर है। साक्ष्य के रूप में टैगिंग पंजिका के प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ की फोटोप्रति संलग्न (संलग्नक–1) की जा रही है। प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा गोवंश को लगाए गये टीकों के संबध कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही चिकित्सा पंजिका में इस विषय में कोई विवरण अंकित पाया गया। उल्लेखनीय है कि इन्हीं चिकित्साधिकारी के क्षेत्र के अन्य गोवंश–आश्रय–स्थलों के निरीक्षण के दौरान इन्होंनें बताया कि एच0एस0 का टीकाकरण इनके कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व कराया गया था और इनके कार्यकाल में अमुक दिनांक को एल0एस0डी0 का टीकाकरण हुआ है। निरीक्षण के दौरान गोवंश–आश्रय–स्थल में कोई भी प्राथमिक उपचार किट नही पाई गयी।
3. यह गोवंश–आश्रय–स्थल लगभग 4–5 वर्षों से ग्राम सभा की भूमि पर संचालित बताया गया। इस गोवंश–आश्रय–स्थल पर 01 टिन शेड (12.5मी x 8मी), 01 चरही (5मी x 3मी), 01 चरनी

(8.3मी x 1.4मी), 01 पक्का खाद गड्ढ़ा (6.7मी x 4मी) व 02 पक्का सोक पिट पाया गया। दोनों सोक पिट में गोमूत्र भरा था, जिसके ऊपर बड़ी संख्या में मच्छरों का वास था। अभिलेखों मे दर्शाये गये गोवंश की तुलना में सोक पिट का आकार बहुत ही छोटा था। ग्राम प्रधान या ग्राम विकास अधिकारी को यह पता नहीं था कि इस गोमूत्र का निस्तारण वे कहां करेंगे। बिना पूर्व नियोजन के पक्के सोक–पिट में गोबर या गोमूत्र का एकत्रीकरण प्रत्यक्ष रूप से प्रदूषणकारी तथा गोवंश एवं मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से बातचीत करने पर यह स्पष्ट हुआ कि गोबर का उपयोग खाद के रूप में ही किया जाता है। जब तक कि गोबर एवं गोमूत्र का कम्पोस्ट से इतर प्रयोग के लिए स्पष्ट कार्ययोजना न बन जाये, तब तक इनके निस्तारण के लिए पक्के गड्ढ़े का निर्माण अनावश्यक व्यय ही कहलायेगा। जब तक ऐसी कोई ठोस योजना नहीं बनती है तब तक कच्चे गड्ढ़ों में ही गोबर, गोमूत्र एवं प्रदूषित जल का निस्तारण किया जाना पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त होगा।

4. चरही के अन्दर जो पानी रखा गया था वह गहरे हरे रंग का था, जो इस बात का द्योतक है कि चरही की सफाई काफी समय से नहीं की गयी है (संलग्नक–2)। इसके दो तरफ गोबर एवं गोमूत्र युक्त कीचड़ था और दो तरफ कीचड़ में ऊँची–ऊँची घास उगी थी। ऊँची हरी घास का होना यह दर्शाता है कि इस चरही का प्रयोग काफी दिनों से गोवंश के पानी पीने के लिए नहीं किया गया है।
5. टिन शेड के अन्दर तथा उसके बाहर चरनी के आसपास की भूमि पर खड़ण्जा लगा है तथा लगभग आधा क्षेत्रफल कच्चा है जिस पर घास उगी है। खड़ण्जा के बीच में नयी नाली का निर्माण किया गया है, जिसकी गुणवत्ता खराब है तथा खड़ण्जा का स्तर नीचा होने के कारण गोमूत्र एवं प्रदूषित जल का इस नाली के माध्यम से बहाव संभव नहीं प्रतीत होता है (संलग्नक–3)। मौके पर यह नाली सूखी पायी गयी
6. इसके अलावा परिसर के एक कोने में अर्द्धनिर्मित भूसाघर की लगभग 6–8 फीट की ऊंची दीवार निर्मित पायी गयी, जिसमें दरार पड़ी थी (संलग्नक–4)। ग्राम प्रधान ने बताया कि आवश्यकता को देखते हुए भूसाघर का निर्माण शुरू किया गया था। दीवार में दरार पड़ने के बाद टी0ए0 के द्वारा उन्हे बताया गया कि बीच में पिलर न डालने के कारण यह दरार आयी है। यह दीवार छत का भार वहन नहीं कर पायेगी। तब से काम बन्द है। ग्राम प्रधान के द्वारा बिना तकनीकी परामर्श एवं सक्षम प्राधिकारी के प्रशासकीय स्वीकृति/अनुमोदन के निर्माण कार्य पर ग्राम सभा की धनराशि व्यय की गयी, परन्तु ग्राम विकास अधिकारी द्वारा इस पर कोई आपत्ति नहीं की गयी। यदि उनके द्वारा ग्राम प्रधान को समय से सही प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही करने की राय दी जाती तो इस गोवंश–आश्रय–स्थल को अब तक भूसाघर की सुविधा उपलब्ध हो जाती। निर्माण कार्य की गुणवत्ता में पायी गयी कमियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि गाम विकास अधिकारी इस गोवंश–आश्रय–स्थल का भ्रमण काफी लम्बे अन्तराल पर करते हैं।
7. परिसर में एक ही टिन शेड है अतः बीमार, अशक्त एवं विकलांग गोवंशों के लिए अलग से रखने की कोई सुविधा उपलब्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

8. सड़क के एक ओर गोवंश–आश्रय–स्थल है और दूसरी ओर आबादी क्षेत्र। बताया गया कि गोवंश स्थल के आस–पास कोई विद्यालय/अस्पताल या अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नहीं।

9. गोवंश–आश्रय–स्थल में समर्सिबल पम्प, सोलर पैनल तथा विद्युत की व्यवस्था उपलब्ध है। चारा काटने की कोई मशीन इस गोवंश–आश्रय–स्थल पर नहीं है। ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि भूसा गोवंश–आश्रय–स्थल के बाहर लगभग 0.5 कि0मी0 दूर ग्राम सभा की भूमि पर संग्रहीत किया जाता है, व समय–समय पर आश्रय स्थल में लाया जाता है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कटाई के समय रू0 800/– प्रति क्विंटल के हिसाब से भूसा खरीदा जाता है, जिसका भुगतान चेक के माध्यम से आपूर्तिकर्ता को किया जाता है, परन्तु उनके द्वारा भूसा खरीदने एवं उसके सापेक्ष किए गए भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये। पूछे जाने पर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इस वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा अब तक कैश–बुक व खाता–बही तैयार ही नही की गई है।

10. ग्राम प्रधान के द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि हरे चारे के लिए दूसरे व्यक्ति की जमीन किराये पर ली गई है, जिसमें हरा चारा बोया गया है परन्तु उनके द्वारा किराये के भुगतान, चारा बोने में हुए व्यय तथा गोवंश को चारा खिलाये जाने के सम्बन्ध में भी कोई अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया। भूसा स्टाक पंजिका में हरे चारे का कालम है, जिसमें चारे की कोई आमद सितम्बर माह में नहीं दिखायी गयी है, जबकि इस समय हरा चारा सुलभ है। भूसा स्टाक पंजिका के सितम्बर माह से संबंधित पृष्ठ की फोटोप्रति संलग्न है (संलग्नक–5)। चरनी में न तो भूसा और न ही हरा चारा का कोई अवशेष देखा जा सका। गोवंश–आश्रय–स्थल का मार्ग, चरनी व शेड आदि को देखने से ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि यहां हाल में भूसा या हरा चारा लाया गया है। यदि ऐसा होता तो उसके अवशेष यत्र–तत्र अवश्य दिखते।

11. निरीक्षण की समाप्ति के समय कथित रूप से चरने गये 44 गोवंशों को लेकर 02 गोपालक (श्री गुद्धन एवं श्री रामबालक) लौटे एवं गिनती करने पर 20 नर एवं 32 मादा, कुल 52 गोवंश पाये गये, जो गणना पंजिका में अकित संख्या के बराबर थी। उल्लेखनीय है कि अभी तक जितने भी गोवंश–आश्रय–स्थल में गोवंश की गणना की गयी वह गणना पंजिका एवं टैगिंग पजिक से भिन्न पायी गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि दिखाने के लिए पूरी संख्या में गोवंश को बाहर से लाया गया है। लेकिन ऐसा करने में भी एक त्रुटि उन्होंनें कर दी जैसा कि दिखावे वाले बनावटी कामों में हमेशा पायी जाती हैं। यद्यपि इन्होनें गणना पंजिका के अनुसार 52 गोवंशों की व्यवस्था तो कर ली, परन्तु नर और मादा की संख्या पंजिका के अनुसार नहीं कर पाये। गणना पंजिका में 28 नर एवं 24 मादा गोवंशों का अंकन है, जबकि मौके पर जिन गोवंशों को जुगाड़ कर लाया गया, उनमें 20 नर एवं 32 मादा पाये गये। चूँकि टैगिंग पंजिका एवं गणना पंजिका सही ढंग से नहीं रखी गयी है। अतः इन पंजिकाओं से मौके पर लाये गये गोवेशों के टैगों का सत्यापन करने की कोई उपादेयता नहीं पायी गयी। गोपालकों द्वारा शिकायत की गई कि उनको पिछले 05 माह से कोई वेतन नही दिया गया है।

12. निरीक्षण के दौरान गणना पंजिका में कई पृष्ठों पर ओवरराईटिंग की हुई पाई गई, जिससे स्पष्ट होता है कि गणना पंजिका से छेड़–छाड़ की गई है। उदाहरण के लिए दिनांक 07.04.2023 को 15 गाय, 30 बछड़े एवं 16 बछिया, कुल 61 गोवंश अंकित थे। दिनांक 08.04.2023 को ''इयर टैगिंग का विवरण'' वाले कालम में ''एक गाय एक बछिया गॉव के लोग ले गये'' अंकित किया गया है। इस प्रकार कुल संख्या 59 उल्लिखित है, किन्तु गायों की संख्या में कटिंग है और यह कटिंग दहाई के स्थान पर है तथा यह कटिंग लगाातार दिनांक 29.04.2023 तक की गयी है (संलग्नक–6)। गायों की संख्या छोड़कर बाकी संख्या सही उल्लिखित है। एक गाय की संख्या घटने से इकाई की संख्या में ही संशोधन की आवश्कता पड़नी चाहिए थी, न कि दहाई के अंक में। इसके अतिरिक्त इयर टैगिंग का विवरण यद्यपि अपेक्षित है, परन्तु नहीं लिखा गया है। गाय एवं बछड़े को भरण–पोषण हेतु किसी स्वयंसेवी को देने के सम्बन्ध में कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि शासनादेशानुसार गोवंश लेने वाले व्यक्ति का नाम, आधार संख्या, बैंक खाता संख्या, बैक का नाम तथा गोवंश की टैग संख्या इत्यादि विस्तार से पंजिका में अंकित करना होता है।

13. मई, 2023 में 01 गाय तथा 02 बछड़ो की मृत्यु होने तथा 04 गायों को गॉव के लोगों द्वारा ले जाये जाने की तिथि उल्लिखित की गयी है तथा पूरे पेज में कटिंग की गयी है (संलग्नक–7)। जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर माह के विवरण में कोई सन्देह उत्पन्न होने वाली कटिंग नहीं है तथा लगातार गोवंशों की संख्या 52 दिखाया जा रहा है। गोवंशों की मृत्यु या उन्हें भरण–पोषण हेतु स्वयंसेवियों को देने से संबंधित तथ्यों की पुष्टि पशुधन प्रसार अधिकारी या पशु चिकित्साधिकारी द्वारा नहीं की गयी, जबकि इन दोनों महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित अभिलेख उनके द्वारा रखा जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि निरीक्षण की सूचना मिलने पर यह पंजिका आनन–फानन में बनायी गयी है और उसमें अंकित तथ्य विश्वसनीय नहीं है।

14. चिकित्सा पंजिका में दिनांक 15.07.2023, 26.08.2023, 03.09.2023 एवं 13.09.2023 को एक–एक गोवंश का इलाज किया जाना अंकित है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल के निरीक्षण पंजिका में भी दिनांक 15.07.2023 को पशुधन प्रसार अधिकारी की निरीक्षण टिप्पणी अंकित है, जिसमें गोवंश के उपचार का उल्लेख किया गया है। इस निरीक्षण टिप्पणी के नीचे पशुधन प्रसार अधिकारी के हस्ताक्षर एवं ग्राम प्रधान के मुहरयुक्त हस्ताक्षर हैं। लेकिन पशुधन प्रसार अधिकारी के द्वारा दिनांक 26.08.2023, 03.09.2023 एवं 13.09.2023 को निरीक्षण पंजिका में कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। दिनांक 05.08.2023 को पशुधन प्रसार अधिकारी ने निरीक्षण पंजिका में हस्ताक्षरयुक्त अपनी टिप्पणी अंकित की है कि "गोवंश–आश्रय–स्थल के कर्मचारी के बोलने से पता चला कि गोवंश को खेत पर चराने के लिए ले गया है"। इस टिप्पणी के नीचे ग्राम प्रधान का मुहरयुक्त हस्ताक्षर है। सोचने योग्य है कि दिनांक 05.08.2023 को जब गोवंश चरने गये थे तो कर्मचारी गोवंश–आश्रय–स्थल पर ही थे और कोई गोवंश आश्रय–स्थल पर नहीं थे, परन्तु आज निरीक्षण के समय गोवंश चरने गये हैं, दोनों कर्मचारी अनुपस्थित हैं और 08 गोवंश आश्रय–स्थल में ही हैं, जिनका टैग, पंजिका से मेल नहीं खाता।

15. इसके अलावा निरीक्षण पंजिका में दिनांक 13.09.2023 को ग्राम प्रधान के मुहरयुक्त हस्ताक्षर के ऊपर यह टिप्पणी उल्लिखित है "आज दिनांक 13.09.2023 अस्थायी गौशाला खुटमली का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान गोशाला कर्मचारी मौके पर नियमित रूप से हमेशा की तरह तैनात मिले। अस्थायी गौशाला में बीमार गोवंश का उपचार भी किया गया और गोवंश को पकड़ने में तैनात कर्मचारियों ने भी मदद की, साथ ही साथ तैनात कर्मचारियों से कहा गया कि नियमित रूप से देखभाल की जाय।"(संलग्नक–8)। इसे पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह टिप्पणी पशुधन प्रसार अधिकारी की ओर से लिखी गयी है, लेकिन इस टिप्पणी पर पशुधन प्रसार अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। उनके द्वारा पूर्व में जो दो टिप्पणियॉ अंकित की गयी हैं, उससे इसकी हस्तलिपि भी भिन्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि निरीक्षण की जानकारी होने पर कर्मचारियो नें अपने अपने हिसाब से अभिलेख तैयार कर लिए हैं, जो वास्तविकता से परे हैं।

16. **निष्कर्ष**–उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह गोवंश–आश्रय–स्थल कियाशील नहीं लगता है। लम्बे समय से चरही का प्रयोग न होना, चरनी में भूसा व हरे चारे का बचा हुआ अंश न होना, आरम्भ में आश्रय–स्थल पर पाये गये गोवंशों की टैगिंग नम्बर का टैगिंग पुस्तिका से मिलान न होना, गोवंश–आश्रय–स्थल पर लाये गये गोवंशों के नर एवं मादा संख्या का पंजिका में अंकित संख्या से मिलान न होना जबकि इस संख्या में दिनांक 28.05.2023 के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मृत एवं स्वयंसेवी गोपालकों को दिए गए गोवंशों का विवरण अंकित न किया जाना, ग्राम्य विकास अधिकारी द्वारा व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों को वित्तीय वर्ष के लगभग 6 माह व्यतीत होने के उपरान्त तैयार न किया जाना, टीकाकरण आदि से संबंधित कोई सूचना पशु चिकित्साधिकारी के द्वारा न दिया जाना आदि आश्रय–स्थल के कियाशील न होने के सशक्त प्रमाण हैं। जिला प्रशासन को इस गोवंश–आश्रय–स्थल को शीघ्रातिशीघ्र वास्तविक रूप में कियाशील करने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

(अनन्त कुमार सिंह)
सदस्य, ओवरसाइट कमेटी, (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

संलग्नक–01(चिकित्सा पंजिका)

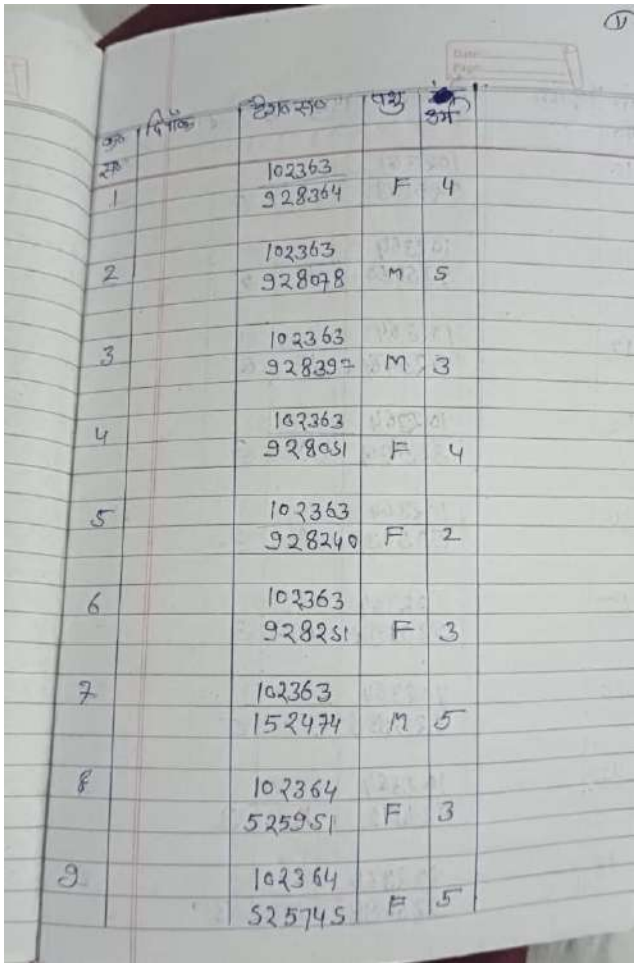

क्र०सं०	दिनांक	टैग०सं०	पशु	उम्र
1		102363 928364	F	4
2		102363 928078	M	5
3		102363 928397	M	3
4		102363 928051	F	4
5		102363 928240	F	2
6		102363 928251	F	3
7		102363 152474	M	5
8		102364 525951	F	3
9		102364 525745	F	5

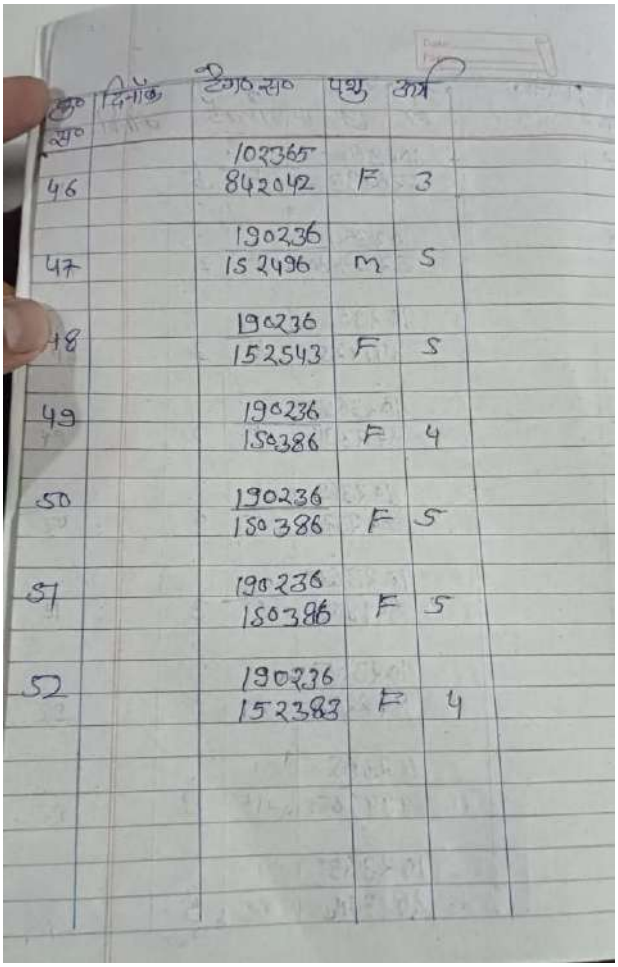

क्र०सं०	दिनांक	टैग०सं०	पशु	उम्र
46		102365 842042	F	3
47		190236 152496	M	5
48		190236 152543	F	5
49		190236 150386	F	4
50		190236 150386	F	5
51		190236 150386	F	5
52		190236 152383	F	4

संलग्नक–02

संलग्नक–03

संलग्नक–04

संलग्नक–05

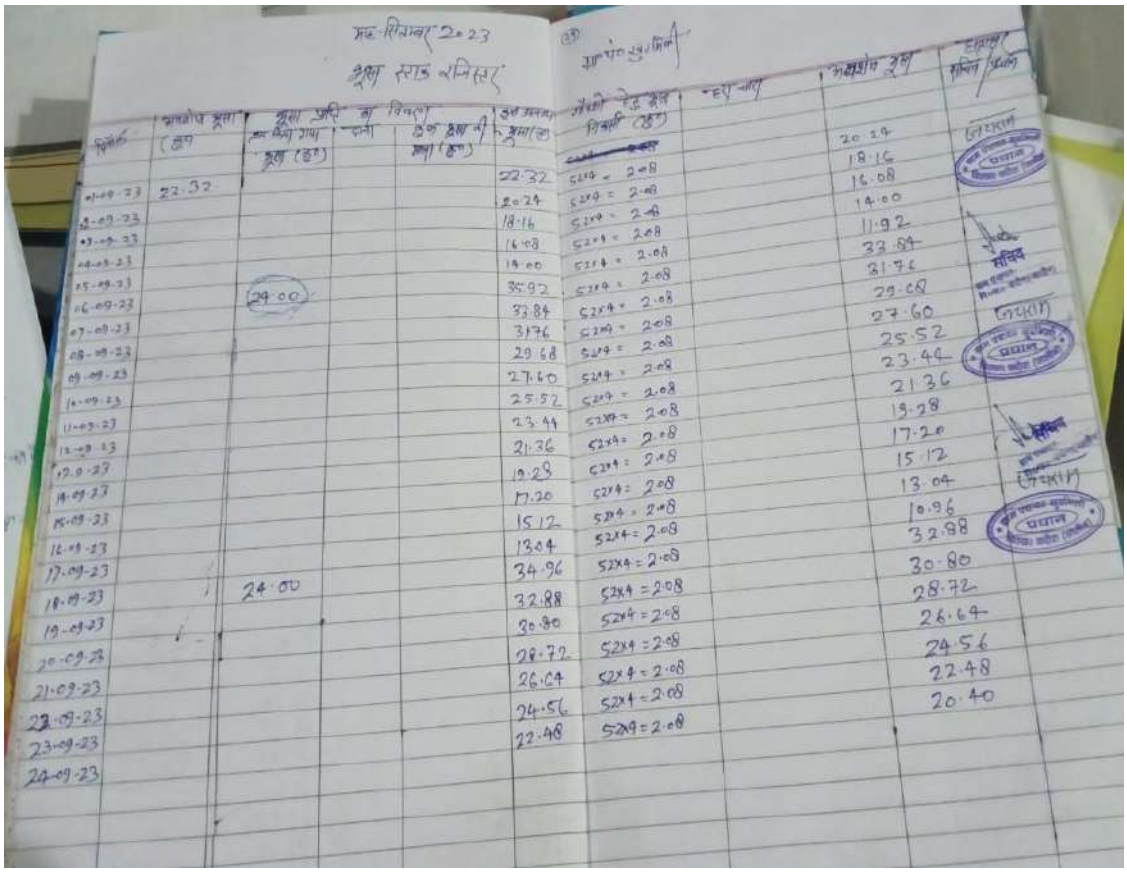

संलग्नक–06

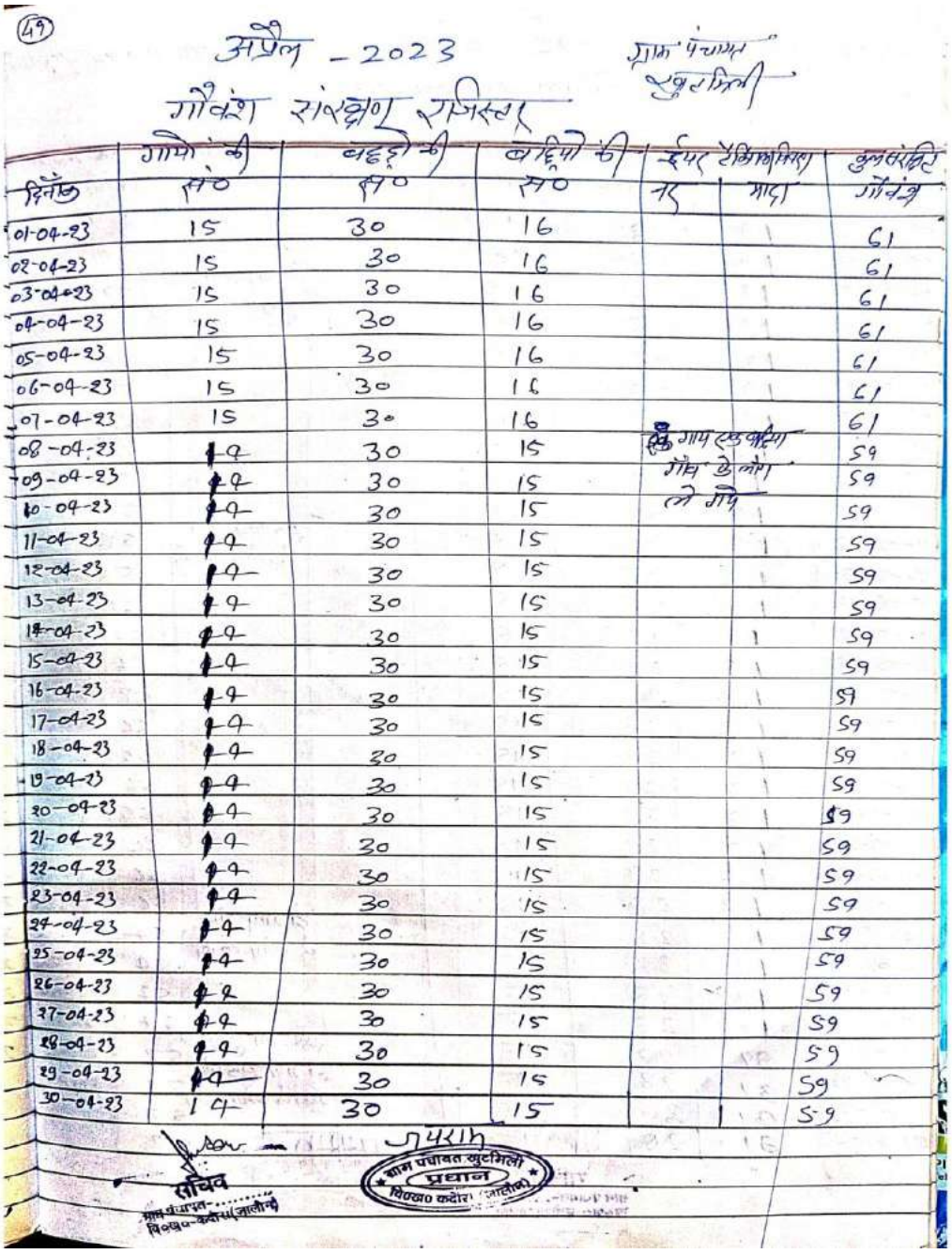

(49)

अप्रैल – 2023

ग्राम पंचायत खुटमिली

गौवंश संरक्षण रजिस्टर

दिनांक	गायों की सं०	बछड़ों की सं०	बछियों की सं०	ईयर टैगिंग नर	ईयर टैगिंग मादा	कुल संरक्षित गौवंश
01-04-23	15	30	16			61
02-04-23	15	30	16			61
03-04-23	15	30	16			61
04-04-23	15	30	16			61
05-04-23	15	30	16			61
06-04-23	15	30	16			61
07-04-23	15	30	16			61
08-04-23	14	30	15	गाय एक बछिया गाँव के लोग ले गये		59
09-04-23	14	30	15			59
10-04-23	14	30	15			59
11-04-23	14	30	15			59
12-04-23	14	30	15			59
13-04-23	14	30	15			59
14-04-23	14	30	15			59
15-04-23	14	30	15			59
16-04-23	14	30	15			59
17-04-23	14	30	15			59
18-04-23	14	30	15			59
19-04-23	14	30	15			59
20-04-23	14	30	15			59
21-04-23	14	30	15			59
22-04-23	14	30	15			59
23-04-23	14	30	15			59
24-04-23	14	30	15			59
25-04-23	14	30	15			59
26-04-23	14	30	15			59
27-04-23	14	30	15			59
28-04-23	14	30	15			59
29-04-23	14	30	15			59
30-04-23	14	30	15			59

सचिव
ग्राम पंचायत........
वि०ख०-कदौरा (जालौन)

जयराम
ग्राम पंचायत खुटमिली
प्रधान
वि०ख० कदौरा (जालौन)

संलग्नक–07

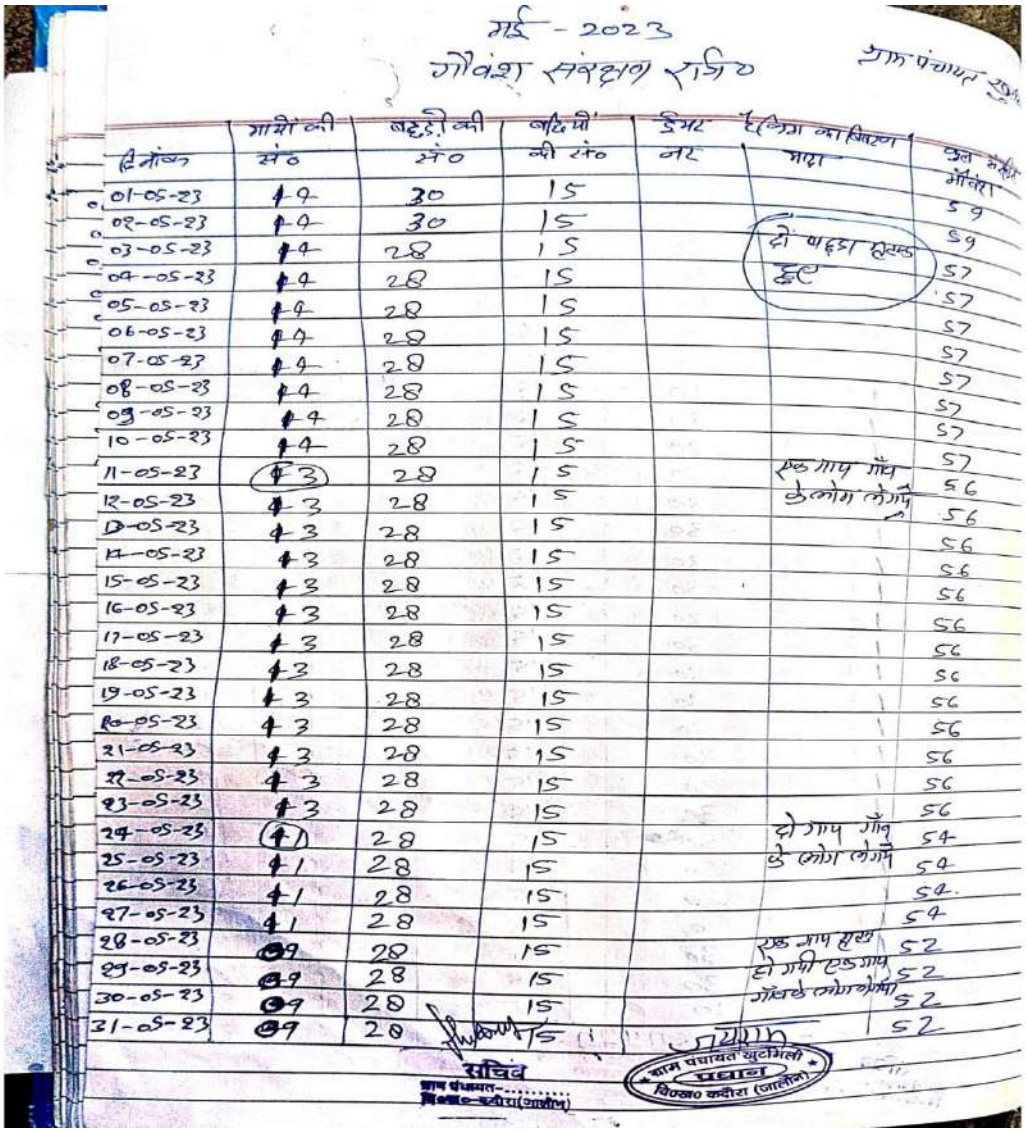

मई - 2023

गौवंश संरक्षण रजि०

ग्राम पंचायत खु...

दिनांक	गायों की सं०	बछड़ों की सं०	बछियों की सं०	टैगिंग का विवरण नर	मादा	कुल गोवंश मौजूद
01-05-23	14	30	15			59
02-05-23	14	30	15			59
03-05-23	14	28	15		दो बछड़ा मृतक हुए	57
04-05-23	14	28	15			57
05-05-23	14	28	15			57
06-05-23	14	28	15			57
07-05-23	14	28	15			57
08-05-23	14	28	15			57
09-05-23	14	28	15			57
10-05-23	14	28	15			57
11-05-23	13	28	15		एक गाय गाँव के लोग ले गए	56
12-05-23	13	28	15			56
13-05-23	13	28	15			56
14-05-23	13	28	15			56
15-05-23	13	28	15			56
16-05-23	13	28	15			56
17-05-23	13	28	15			56
18-05-23	13	28	15			56
19-05-23	13	28	15			56
20-05-23	13	28	15			56
21-05-23	13	28	15			56
22-05-23	13	28	15			56
23-05-23	13	28	15			56
24-05-23	11	28	15		दो गाय गाँव के लोग ले गए	54
25-05-23	11	28	15			54
26-05-23	11	28	15			54
27-05-23	11	28	15			54
28-05-23	09	28	15		एक गाय मृतक हो गयी एक गाय गाँव के लोग ले गए	52
29-05-23	09	28	15			52
30-05-23	09	28	15			52
31-05-23	09	28	15			52

सचिव
ग्राम पंचायत-..........
वि०ख०-कदौरा (जालौन)

प्रधान
ग्राम पंचायत खुटमिली
प्रधान
वि०ख० कदौरा (जालौन)

संलग्नक–08 (निरीक्षण पंजिका)

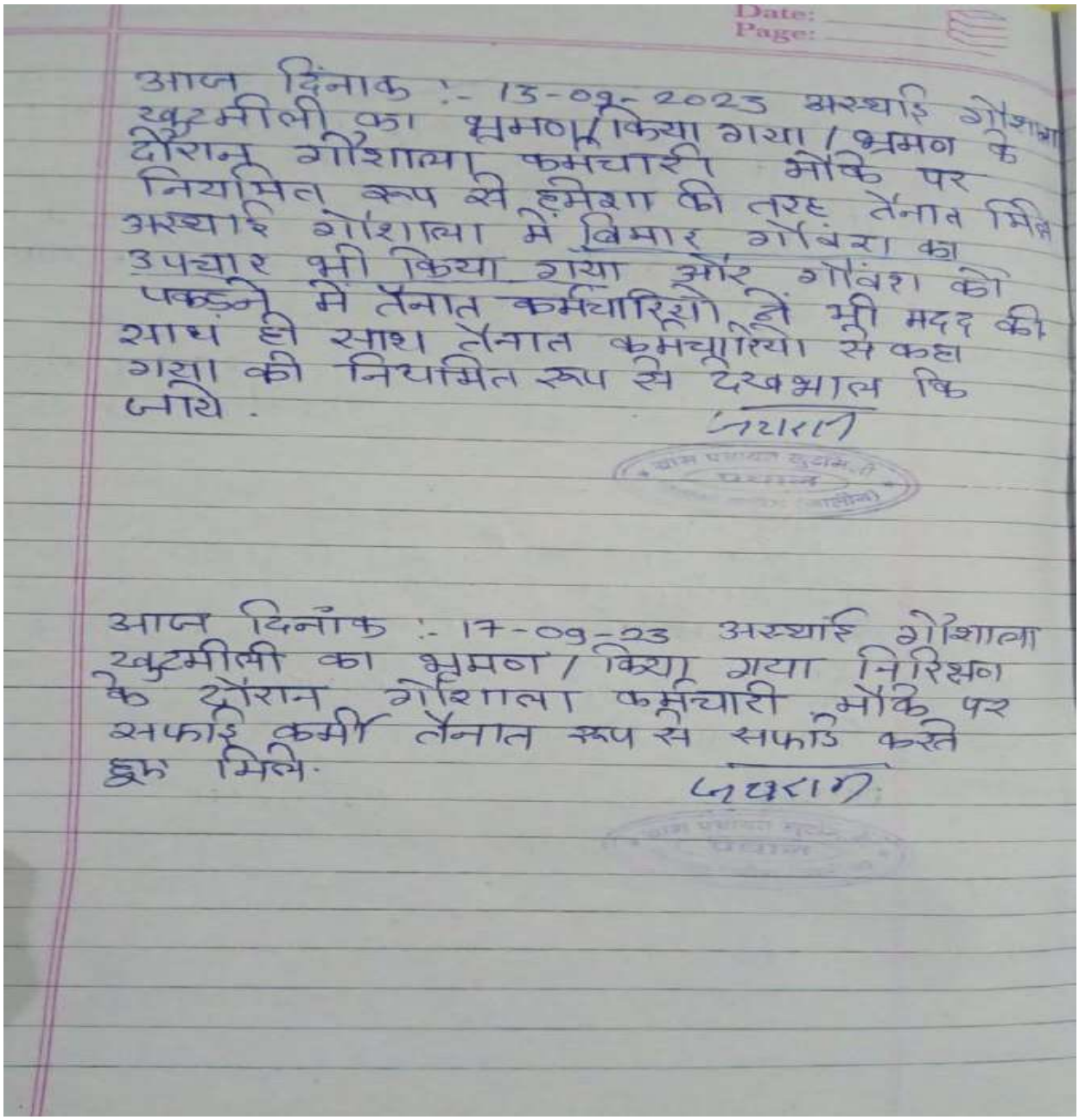

आज दिनांक :- 13-09-2023 अस्थाई गोशाला खुटमीली का भ्रमण/किया गया/भ्रमण के दौरान गौशाला कर्मचारी मौके पर नियमित रूप से हमेशा की तरह तैनात मिले अस्थाई गोशाला में बिमार गौवंश का उपचार भी किया गया और गौवंश को पकड़ने में तैनात कर्मचारियों की भी मदद की साथ ही साथ तैनात कर्मचारियों से कहा गया की नियमित रूप से देखभाल कि जाये.

जयराम

आज दिनांक :- 17-09-23 अस्थाई गोशाला खुटमीली का भ्रमण/किया गया निरिक्षण के दौरान गोशाला कर्मचारी मौके पर सफाई कर्मी तैनात रूप से सफाई करते हुए मिले.

जयराम

Annexure-13

नगर पंचायत– कदौरा, जनपद– जालौन स्थित स्थायी कान्हा गोशाला की निरीक्षण आख्या

दिनांक–24.09.2023 को ओवरसाईट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा नगर–पंचायत कदौरा में कान्हा गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थ–

1– श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी, जालौन।
2– श्री मनुलाल, खण्ड विकास अधिकारी, कदौरा।
3– डा0 अटल सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जालौन।
4– डा0 कैलाश बाबू, पशु चिकित्साधिकारी, कदौरा।
5– श्री वेद प्रकाश, अधिशासी अधिकारी, कदौरा।
6– श्री आदर्श गुप्ता व 08 अन्य गोपालक।

1. यह कान्हा गोशाला वर्ष 2019 से संचालित होना बताया गया। इस गोशाला में गोवंशों के आश्रय के लिए 6 टिन शेड (शेड 1: 22.5मी0 X 7.4मी0, शेड 2: 22 मी0 X 7.4 मी0, शेड 3: 9मी0 X 7.4मी0, शेड 4: 9मी0 X 7.4मी0, शेड 5: 9मी0 X 7.4मी0, शेड 6: 18मी0 X 7.4मी0) तथा उसमें दोनो तरफ से खाने के लिए उपयुक्त 06 चरनी (19.5मी0 X 01मी0, 19 मी0 X 01 मी0, 06मी0 X 01मी0, 06मी0 X 01मी0, 06मी0 X 01मी0 व 15मी0 X 01मी0) हैं। गोवंश परिसर पूर्णतः चारो तरफ दीवारों व प्रवेश द्वार पर पक्के गेट से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त परिसर में 02 चरही (प्रत्येक 5मी0 X 3.2मी0), 01 सोक पिट व 01 पक्का कम्पोस्ट पिट (32मी0 X 6मी0) भी मौजूद है। सर्दी व गर्मी के मौसम से बचाव के लिए कान्हा गोशाला में नर, मादा, दुधारू, बीमार, अशक्त एवं विकलांग गोवंशों के लिए अलग–अलग शेड की व्यवस्था की गई है, परन्तु मौके पर कोई भी गोवंश अपनी सुविधानुसार किसी भी शेड में आ जा रहा था। दो टिन–शेड के बीच की खुली जगहों पर, परिसर के खुले हिस्से में एवं चरही के आस–पास गोबरयुक्त कीचड़ का जमाव पाया गया (संलग्नक 01)।

2. इस कान्हा गोशाला के आस–पास कोई आवासीय क्षेत्र/विद्यालय/अस्पताल या अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल स्थित नही है। गोवंश स्थल पर चारा मशीन, 02 समर्सिबल पम्प व 02 रिक्शा (चारा ढुलाई के लिए) उपलब्ध हैं। चिकित्सक कार्यालय के सामने सोलर लाइट से जलने वाले 02 बल्ब पोल पर स्थित हैं। आश्रय स्थल में विद्युत की व्यवस्था भी है।

3. गोबर का निस्तारण गोवंशों के टिन–शेड के ठीक सामने इंटरलॉकिंग रोड के दूसरी साइड पर बने टिन–शेड में किया जा रहा है। इस टिन–शेड को 1.5– 2.0 फीट उँचाई की दीवारों से घेरा गया है तथा दीवार के ऊपर 5–6 फीट की उँचाई तक जाली के द्वारा घेराव किया गया है। इस टिन–शेड में गोबर का ढेर दीवार की उँचाई से काफी ऊपर तक लगा हुआ था। इसके अतिरिक्त गोबर के छोटे–छोटे ढेर खुले परिसर में भी पाये गये (संलग्नक 02)। बताया गया कि

गोबर का उपयोग किसानों द्वारा खाद के रूप में ही किया जाता है। ऐसी स्थिति में गोबर–निस्तारण की विद्यमान व्यवस्था अवैज्ञानिक एवं प्रदूषणकारी पायी गयी। गोवंश स्थल पर गोमूत्र व दूषित जल की निकासी के लिए नालियां तो बनी है, परन्तु उनकी ढलान ठीक नही होने के कारण दूषित जल एवं मूत्र नाली में ही एकत्र दिखे, जिसके कारण परिसर में बदबू बनी रहती है (संलग्नक 03)। यदि ये सारे गोवंश पूरे दिन आश्रय–स्थल पर रहे तो प्रदूषण की स्थिति भयावह हो जायेगी। प्रदूषित जल एवं मूत्र को एकत्र करने के लिए एक वृत्ताकार गढ्डा खोदकर उसमें ड्रम रखकर सोक–पिट का रूप दिया गया है, जिसे टिन के टुकड़े से ढका गया था। इस सोक–पिट को किसी नाली से नहीं जोड़ा गया है (संलग्नक 04)। टिन के टुकड़े को हटाने पर उक्त स्थिति स्पष्ट हुई। अवगत कराया गया कि पूर्व में सिचांई विभाग के माईनर में जल निकासी की जाती थी। वर्तमान में जल निकासी वहां नही की जाती है। फिर भी बरसात के मौसम में दूषित पानी अभी भी वहां चला जाता है। पर्यावरण की दृष्टि से यह स्थिति ठीक नहीं है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए परिसर में मूत्र एवं प्रदूषित जल के वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

4. गणना पंजिका में इस आश्रय स्थल में 267 गोवंशों की उपस्थिति अंकित है, जबकि टैगिंग पंजिका में 295 गोवंशों की टैगिंग का विवरण अंकित है। गोवंशों के झुंड के गतिमान होने के कारण मौके पर उनकी गिनती के प्रयास में सफलता नहीं मिली एवं टैगिंग की पुष्टि भी नहीं हो सकी। निरीक्षण के दौरान गोवंश–आश्रय–स्थल में मौजूद गोवंश के स्वास्थ्य में भिन्नता पाई गयी। कुछ गोवंश पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, तो कुछ काफी कमजोर। पूर्ण रूप से स्वस्थ, 05 गोवंशों की टैग संख्या– 376881, 917958, 382290, 3593047 एवं 777442 का मिलान टैगिंग पंजिका से करने पर इनमें से केवल 04 टैग संख्या ही टैगिंग पंजिका में अंकित पाये गये।

5. प्रभारी चिकित्सक द्वारा अवगत कराया गया कि गोवंशों को एक वर्ष पूर्व एफ0एम0डी0 का, जून 2023 में एच0एस0 का तथा एक सप्ताह पूर्व ही गोवंशों को एल0एस0डी0 का टीका लगाया गया है, परन्तु उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में इसका कोई विवरण अंकित नही है। माह अक्टूबर, 2023 में गोवंशों के डी–वार्मिंग की योजना बताई गई। प्रभारी चिकित्सक का कार्यालय इस गोवंश–आश्रय–स्थल में ही है। जांच करने पर कार्यालय में उपलब्ध दवाइयों में से कोई कालातीत नहीं पाई गईं। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि यहाँ उपलब्ध स्टॉक पर्याप्त है। यदि इससे अधिक की आवश्यकता पड़ती है तो वे अस्पताल से मंगवा ली जाती हैं। प्रस्तुत की गयी चिकित्सा पंजिका में दि0–19.07.2023 से 24.09.2023 तक की गयी चिकित्सा का विवरण अंकित पाया गया (संलग्नक 05)। निरीक्षण के दौरान एक गोवंश, जो सड़क पर हुई किसी दुर्घटना में बुरी तरह से चोटिल हो गया था, का इलाज एक अलग शेड में किया जा रहा था (संलग्नक 06)।

6. इस कान्हा गोशाला में कुल 09 गोपालक (श्री आदर्श गुप्ता, श्री शिशुपाल, श्री भूपसिंह, श्री रामखेलावन, श्री शंकर, श्री चंकी, श्री अभिषेक, श्री नरेश व श्री वीरू) कार्यरत है, जिनको प्रतिमाह रू0 6000/– वेतन के रूप में दिया जाता है। अवगत कराया गया कि गोवंश को प्रत्येक 5–6 दिन के अन्तराल में स्नान कराया जाता है।

7. अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्येक दिन सुबह में 08.00 बजे सभी गोवंशों को चरने के लिए बाहर भेजा जाता है, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। आश्रय–स्थल में प्रत्येक दिन लगभग 12 क्विंटल भूसा प्रयोग किया जाता है। भूसाघर में कुछ मात्रा में भूसा व 2.5 बोरा चोकर पाया गया। चरनी में मात्र भूसा ही पाया गया। गोवंश को चरने भेजना शासनादेश के प्रतिकूल है।

8. निरीक्षण पुस्तिका प्रस्तुत की गई, जिसमें दिनांक 20.07.2019 से विभिन्न अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण का विवरण उपलब्ध है। दिनांक 09.09.2023 को यह पुस्तिका पूर्ण होने के पश्चात् नई पुस्तिका बनाई गई है।

9. आश्रय स्थल में कुछ वृक्ष लगे हैं, परन्तु काफी ऐसा क्षेत्र उपलब्ध है, जहाँ प्रचुर मात्रा में आक्सीजन प्रदान करने वाले वृक्षों को रोपण किया जा सकता है। परिसर में इतनी भूमि उपलब्ध है कि यदि नियोजित ढंग से उपयोग किया जाय तो प्रदूषण को पूर्णरूप से समाप्त किया जा सकता है। मुख्य प्रवेश द्वार के बायें भाग में जो भूमि खाली पड़ी है उसका उपयोग गोबर के वैज्ञानिक निस्तारण, यथा– कम्पोस्टिंग, वर्मी कल्चर, बायोगैस संयंत्र एवं कण्डा आदि के उपयोग के लिए किया जा सकता है। खाद के अलावा गोबर के वैकल्पिक उपयोग पर भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां संसाधन एवं परिसर दोनों की पर्याप्त उपलब्धता है।

10. **<u>स्थलीय स्तर पर शिकायतें:</u>**

(क) निरीक्षण के समय याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि ने शिकायत की कि डा0 विपिन कुमार सचान, पशु चिकित्साधिकारी, कदौरा द्वारा दिनांक 12.07.2019 को अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत को गोवंशों के भोजन हेतु पौष्टिक आहार, शुद्ध पानी एवं रहने के लिए व्यवस्था के सम्बन्ध में लिखा था। लिखे गये पत्र की प्रति उपलब्ध करायी गयी, इसके बाद पशु चिकित्साधिकारी ने पत्र दिनांक 25.07.2019 में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जालौन को इस गोवंश–आश्रय–स्थल के संचालन में की जा रही अनियमितताओं, यथा–पर्याप्त आहार न देना, हरा चारा न देना, पर्याप्त शेड के अभाव में गोवंशों को कोल्ड एवं हीट स्ट्रोक होना, बारिस में गीले स्थान पर बैठने से संक्रामक बीमारी होना आदि समस्याओं से अवगत कराते हुए यह भी बताया था कि उनके द्वारा 458 गोवंशों की टैगिंग की गयी थी, किन्तु अभिलेखों में केवल 227 गोवंश अंकित है और मृत अथवा बाहर गये गोवंश की टैगिंग का विवरण पुस्तिका में अंकित नहीं है। इन दोनों पत्रों की फोटो प्रतियां जिसे शिकायतकर्ता ने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त किया था, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराते हुए निर्देश दिए गए कि वह इस पर समुचित कार्यवाही करें

एवं वस्तु स्थिति से एक सप्ताह के अन्दर ओवरसाइट कमेटी को भी अवगत करायें। उल्लेखनीय है कि गणना पंजिका में गोवंशों के मृत्यु या सुपुर्दगी में देने का कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है।

(ख) शिकायतकर्ता नें निर्माण कार्यों में हुई अनियमितता की जांच, जो अधीक्षण अभियन्ता एवं मण्डलीय प्राविधिक परीक्षक, झांसी के द्वारा की गयी थी तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त, झांसी मण्डल को उपलब्ध करायी गयी थी, की प्रति प्रस्तुत की। निर्देशित किया गया कि यह कार्यवाही वर्तमान में निरीक्षण का विषय नहीं है, अतः इस सम्बन्ध में वह सक्षम अधिकारी से सम्पर्क करें। उन्होंनें इस गोवश–आश्रय–स्थल से गोवंशों की तस्करी का आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि जितनी संख्या में गोवंशों की टैगिंग है, उससे अधिक गोवंशों का यहाँ होना तथा अनुपस्थित गोवंशों के सम्बन्ध में कोई अभिलेख न होना या स्पष्टीकरण न दिया जाना इस आरोप का परिस्थिति जन्य साक्ष्य है, जिस पर कार्यवाही नहीं हो रही है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि सप्ताह में अपनी भेजी जाने वाली रिपोर्ट में वह इस पहलू पर भी तथ्यात्मक स्थिति प्रस्तुत करें।

(ग) शिकायतकर्ता ने यह आरोप भी लगाया कि गोवंशों के आहार के लिए भूसा की फर्जी खरीद दिखा कर उसके सापेक्ष रू0 2,29,902 का भुगतान दिनांक 08.11.2022 को श्री भरत प्रजापति, जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, के खाते में डालकर सभी सम्बन्धित के द्वारा उसका बन्दरबाँट किया गया है। प्रमाण में उन्होंनें ट्राँजेक्शन का विवरण दिखाया। उन्हें निर्देशित किया गया कि साक्ष्य सहित प्रतिवेदन वह जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दें, क्योंकि यह विषय भी इस निरीक्षण के दायरे में नहीं है। लेकिन यह एक गम्भीर प्रकरण है क्योंकि गोवंशो के आहार के नाम पर मनमानी कर धनराशि अधिकारियों/कर्मचारियों ने निजी हित में प्रयोग किया गया है। स्पष्टीकरण में अधिशासी अधिकारी ने बताया कि ठेकेदार द्वारा भूसे की आपूर्ति बन्द कर दिए जाने पर श्री भरत प्रजापति, जिनका आसपास के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है, ने किसानों से सम्पर्क कर भूसे की आपूर्ति करायी थी और उन किसानों का भुगतान करने के लिए यह धनराशि श्री भरत प्रजापति के खाते में स्थानान्तरित किया गया था। जब उनसे पूछा गया कि इसे किसानों के खाते में सीधे क्यों नहीं दिया गया, तो वह मौन हो गये। जब उनसे पूछा गया कि आज की तारीख में सभी किसानों के पास बैंक के खाते हैं, ऐसी स्थिति में किसानों को दी जाने वाली धनराशि उनके खाते में क्यों स्थानन्तरित नहीं की गयी, इसका उत्तर नहीं दे सके और मौन हो गये। शिकायतकर्ता को परामर्श दिया गया कि प्रक्रिया धन से सम्बन्धित है, अतः वह अपनी शिकायत जिलाधिकारी, जालौन के सम्मुख त्वरित कार्यवाही हेतु रखें।

11. **निष्कर्ष–** यद्यपि इस गोवंश–आश्रय–स्थल के पास पर्याप्त स्थान है एवं पर्याप्त संख्या में गोपालक हैं, अलग प्रकार के गोवंशों के लिए अलग–अलग टिन–शेड भी हैं, परन्तु गोवंश के शेड के अन्दर अलग–अलग रखने की व्यवस्था लागू नहीं है। गोबर, गोमूत्र एवं प्रदूषित जल के निस्तारण की व्यवस्था उपयुक्त नहीं है, जिसके कारण परिसर मे साफ–सफाई एवं पर्यावरण की

स्थिति अच्छी नहीं है। गोवंशों के स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि इनको दिए जाने वाले आहार भी पर्याप्त नहीं हैं, हालाँकि शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए दिन में गोवंशों को चरने के लिए परिसर से बाहर भेजा जाता है। टिन–शेड एवं नालियों की स्लोप ठीक कराकर एवं उपयुक्त आकार के शोक–पिट तैयार कर गोमूत्र एवं प्रदूषित जल को उसमें एकत्र करने एवं वैज्ञानिक ढ़ंग से उसके निस्तारण की आवश्यकता है। गोबर एवं गोमूत्र का खाद से इतर उपयोग करते हुए आश्रय–स्थल को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इन सब कार्यो के लिए इस गोवंश–आश्रय–स्थल के पास पर्याप्त भूमि एवं संसाधन हैं। अभिलेखों के रख–रखाव पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके प्रबन्धन में सुधार के लिए आरम्भ में उच्च स्तर के पर्यवेक्षकीय अधिकारियों द्वारा नियमित पाक्षिक निरीक्षण कराया जाना अपेक्षित है।

(अनन्त कुमार सिंह)
सदस्य, ओवरसाइट कमेटी, (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

संलग्नक–01

संलग्नक–02

संलग्नक–03

संलग्नक–04

<u>**संलग्नक–05**</u>

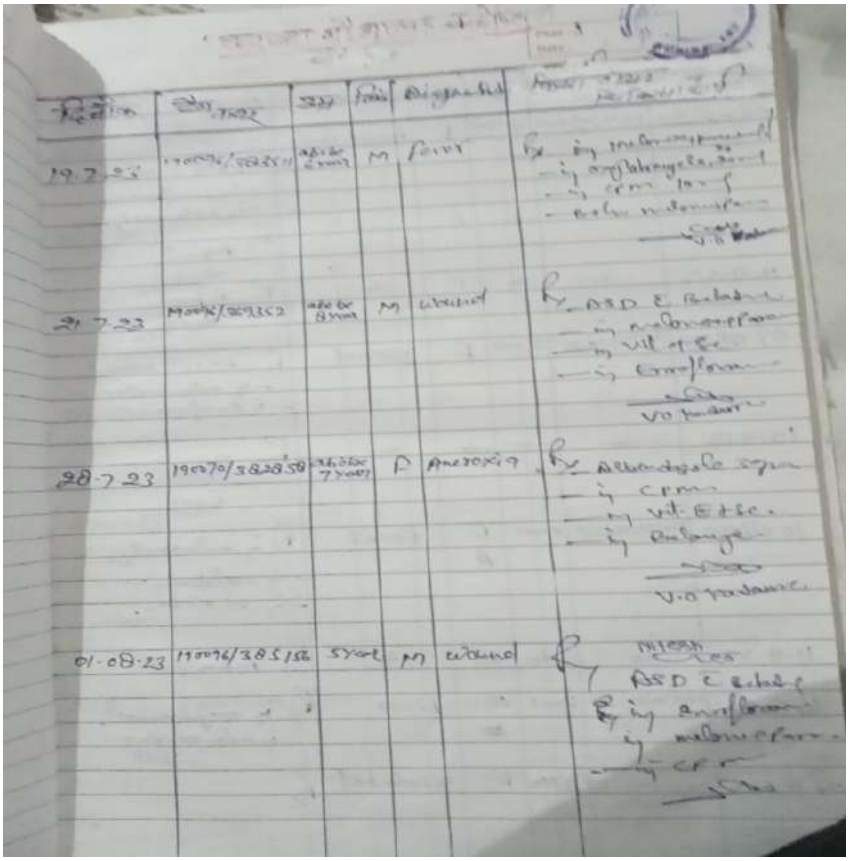

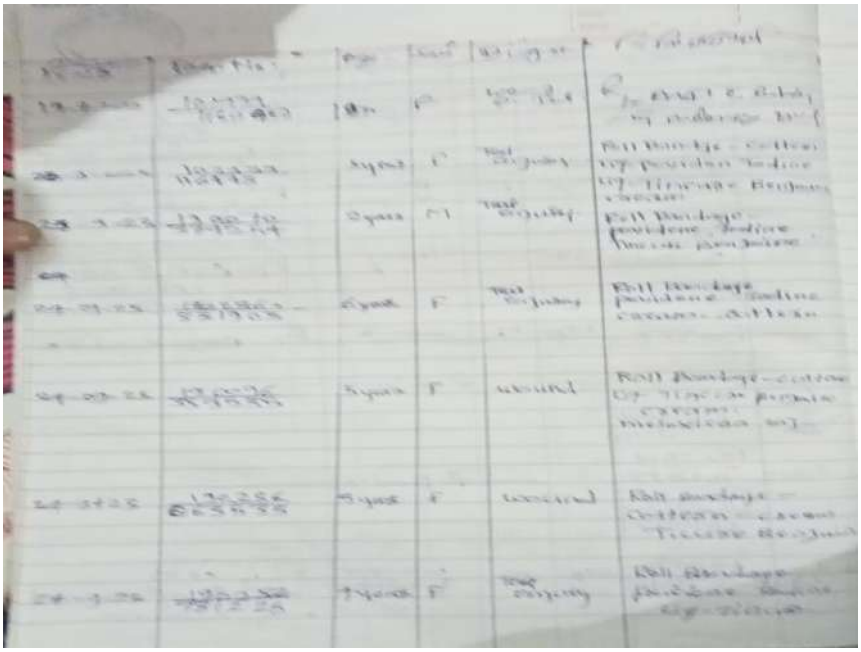

संलग्नक–06

Annexure-14

नगर पालिका परिषद–कालपी, जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक–19.09.2023 को ओवरसाइट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा जनपद–जालौन के अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल नगर पालिका परिषद, कालपी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित है–

1. श्री भीम उपाध्याय, मुख्य विकास अधिकारी, जालौन
2. श्री विशाल यादव, अपर जिलाधिकारी (जल जीवन मिशन)
3. श्री वेद प्रकाश, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कालपी
4. श्री हरि भूषण सिंह, लेखा अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कालपी
5. श्री राम भवन सिंह, राजस्व निरीक्षक, नगर पालिका परिषद, कालपी
6. श्री सुनील कुमार राजपूत, प्रभारी, नगर पालिका परिषद, कालपी

1. बताया गया कि यह अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल नगर पालिका परिषद, कालपी द्वारा वर्ष 2019 से संचालित किया जा रहा है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 01 हेक्टेयर है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 02 टिन–शैड (36.57 मी0 x 6.09 मी0 व 15.24 मी0 x 6.09 मी0) है, जिनमें पड़ंजा बिछा है तथा एक टिन–शैड के बाहर इण्टरलॉकिंग है। गोवंशों के खाने के लिए 05 चरनी बनी है। मुख्य चरनी (15.24 मी0 x 0.60 मी0) दीवार से सटी है (संलग्नक–1) तथा अन्य 04 चरनी (6.09 मी0 x 0.60 मी0, 4.57 मी0 x 0.91 मी0, 9.14 मी0 x 0.91 मी0 व 6.09 मी0 x 0.91 मी0) खुले मैदान में स्थित है, जिससे गोवंशों द्वारा दोनों तरफ से चारा खाया जा सकता है (संलग्नक–2 क एवं ख)। इसके अतिरिक्त 01 भूसा भण्डारण कक्ष (9.14 मी0 x 4.57 मी0), 01 चरही (6.09 मी0 x 4.57 मी0) तथा 05 कम्पोस्ट पिट है, जिनमें से 04 पक्के कम्पोस्ट पिट (प्रत्येक 1.82 मी0 x 1.21 मी0) व एक कच्चा कम्पोस्ट पिट (6.09 मी0 x 6.09 मी0) है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में कोई बायोगैस संयन्त्र तथा वर्मीकम्पोस्टिंग की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। टिन–शैड में साफ–सफाई व्यवस्थित ढ़ग से नहीं की जा रही है। इसकी फर्श पर सूखे गोबर की परत जमी हुई थी। टिन–शेड से सटी हुई ढलानयुक्त नाली है, परंतु चरही तथा चरनी के आस–पास किसी भी प्रकार की नाली व सोकपिट की व्यवस्था नहीं है, जिससे दूषित जल व मूत्र की निकासी हो सके। परिसर के अंदर एक बड़ा कच्चा खुला क्षेत्र है, जिसके एक किनारे पर अत्यधिक जलभराव पाया गया (संलग्नक–3)। इस दूषित जल के निस्तारण के लिये कोई नाली नहीं है। गोवश–आश्रय–स्थल में इस प्रकार का जल जमाव क्षेत्र, गोवंशों एवं स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। इस परिसर में बीमार, बच्चे, अशक्त या विकलांग गोवंशों के लिए अलग टिन–शेड नहीं है, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध एक टिन–शेड के किनारे ही उन्हें अलग से रखा जाता है।
2. इस गोवंश–आश्रय–स्थल के आस–पास आबादी क्षेत्र है, किन्तु कोई विद्यालय/अस्पताल/अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नहीं है। अधिशासी अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि इस अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल को कान्हा गोशाला में परिवर्तित करने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल को दो ओर से जालीदार तारों से व दो ओर से पक्की चहरदीवारी से तथा मुख्य द्वार को पिलर एवं गेट से घेरा गया है।
3. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में सबमर्सिबल पम्प तथा विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है। अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया गया कि परिसर में गोवंशों को स्नान कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। चारा काटने की कोई मशीन व ढुलाई के लिए ठेले की कोई व्यवस्था इस गोवंश–आश्रय–स्थल पर नहीं पाई गई।
4. यहाँ पर गोवंश गणना पंजिका का रख–रखाव वर्ष–2019 से किया जा रहा है। इसके अनुसार वर्तमान में कुल 172 गोवंश यहाँ हैं, जिनमें 85 नर, 34 मादा, 39 बछड़े व 14 बछिया हैं (संलग्नक–4)। पशु चिकित्सा अधिकारी के पास उपलब्ध टैगिंग पंजिका में 198 गोवंशों की टैगिंग का विवरण अंकित है, जिसमें टैगिंग करने की तिथि अंकित नहीं है (संलग्नक–5 क, ख, ग एवं घ)। निरीक्षण के दौरान गणना करने पर 108 गोवंशों के कान में छेद पाया गया, 19 गोवंशों के कान में छेद था, किन्तु टैग नहीं पाया गया तथा 45 गोवंशों में न तो टैगिंग थी और न ही उनके कान में छेद था। गोरक्षा समिति, जालौन के सदस्य निरीक्षण के समय उपस्थित थे, जिनके द्वारा सूचित किया गया कि न तो उक्त समिति की बैठक समयानुसार कराई जा रही है और न ही यहाँ गोवंशों की समुचित देख–रेख की जा

रही है। उन्होंने यह भी बताया कि यहाँ पर गोवंशों की संख्या काफी कम है। निरीक्षण को ध्यान में रखकर घूमने वाले छुट्टा गोवंशों को आज पकड़कर लाया गया है।

5. पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा दिनांक–03.01.2023 को सभी 198 गोवंशों में एच0एस0 का टीका लगवाया गया है। टीकाकरण से सम्बन्धित विवरण टैगिंग पंजिका में ही अनौचारिक रूप से अंकित किया गया है (संलग्नक–5 घ)। प्रस्तुत गोवंश पंजिका व टैगिंग पंजिका में दर्ज की गई प्रविष्टियों में असमानता है। ऐसा प्रतीत होता है कि टैगिंग पंजिका निरीक्षण से तत्काल पूर्व आनन–फानन में तैयार की गई है। गोवंश के बीमार पड़ने पर समय–समय पर किए गए उपचार से सम्बन्धित चिकित्सा पंजिका का रख–रखाव माह–अप्रैल, 2023 से किया जा रहा है, जिसमें दिनांक–19.09.2023 तक 76 बार गोवंशों का उपचार किया जाना अंकित है (संलग्नक–6 क एवं ख)। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में प्राथमिक उपचार किट नहीं पाई गई।

6. अधिशासी अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक–26.03.2019 से दिनांक–24.07.2023 तक कुल 95 गोवंशों की मृत्यु हुई है। इसके अनुसार अप्रैल–2023 में 01 नर व 01 बछड़ा, मई–2023 में 01 गाय, 01 बछिया, 01 बछड़ा तथा जुलाई, 2023 में 02 बछियों का मृत होना अंकित है, परंतु गोवंशों की मृत्यु के कारण का उल्लेख नहीं है (संलग्नक–7)। यह भी अवगत कराया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में कोई दूधारू गोवंश नहीं है और कोई भी गोवंश जनसहभागिता योजना के अन्तर्गत स्वयंसेवकों को भरण–पोषण के लिए सुपुर्द नहीं किया गया है।

7. भूसा पंजिका का रख–रखाव वर्ष–2019 से किया जा रहा है। इस पंजिका में दिनांक–19.09.2023 को कुल 30.50 कुन्तल भूसे व 7.00 कुन्तल हरे चारे की उपलब्धता अंकित है, जिसमें से 6.50 कुन्तल भूसा उपयोग किया गया तथा शेष 24.00 कुन्तल भूसे का संरक्षित होना अंकित है। भूसा भण्डारण कक्ष का निरीक्षण करने पर वहाँ 18 बोरी (प्रत्येक 35–40 कि0ग्रा0) और 14 बोरी (प्रत्येक 25–30 कि0ग्रा0) की उपलब्धता पाई गयी तथा कुछ भूसा, भूसा भण्डारण कक्ष में खुले में पड़ा हुआ पाया गया (संलग्नक–8)। भूसे की मात्रा स्टॉक में उपलब्ध भूसे से कम प्रतीत हुई । भण्डार में हरा चारा नहीं पाया गया। हरे चारे की निकासी का विवरण भी स्टॉक पंजिका में नहीं दर्शाया गया है (संलग्नक–9)। निरीक्षण के समय चरनी में मात्र भूसा (हरा चारा नहीं) रखा हुआ था, जिसे गोवंश खा रहे थे। यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में भूसे व कटे हुए हरे चारे की आपूर्ति ठेकेदारों से प्राप्त की जाती है। उपस्थित भूसा आपूर्तिकर्ता श्री अनुज सैनी द्वारा बताया गया कि भूसे का लगभग रू0 2–2.5 लाख का भुगतान काफी समय से शेष है। पंजिका का अवलोकन तथा अधिकारियों से पूछताछ करने पर यह पाया गया कि धन उपलब्ध होने के बावजूद भूसे का भुगतान नहीं किया गया है।

8. निरीक्षण के दौरान गोवंश–आश्रय–स्थल में मौजूद गोवंशों के स्वास्थ्य में स्पष्ट असमानता पाई गई, कुछ गोवंश स्वस्थ्य दिखे, कुछ गोवंशों का स्वास्थ्य ठीक नहीं था (संलग्नक–10)। निरीक्षण के लिए प्रस्तुत भूसा एवं खरी व चोकर पंजिकाओं के अनुसार दिनांक–01.09.2023 को 164 गोवंशों को 6.5 कुन्तल भूसा, 5 कि0ग्रा0 खरी व 5 कि0ग्रा0 चोकर का आहार उपलब्ध कराया गया । इसी पंजिका में दिनांक–19.09.2023 को 172 गोवंशों के लिए 6.5 कुन्तल भूसा एवं 5 कि0ग्रा0 खरी व 5 कि0ग्रा0 चोकर का उपयोग किया गया। इस प्रकार, प्रति गोवंश 4 कि0ग्रा0 से भी कम भूसा तथा 30 ग्राम से भी कम खरी एवं चोकर का आहार दिया जा रहा है। (संलग्नक–11)। इतने कम आहार पर गोवंश का जीवन संरक्षण संभव नहीं है। गोरक्षा समिति की शिकायत में बल है कि निरीक्षण के लिए आज अतिरिक्त गोवंश लाये गये हैं।

9. अधिशासी अधिकारी द्वारा निरीक्षण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे यह प्रतीत होता है कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण कभी किसी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण एवं उनके दिशा–निर्देश अधिशासी अधिकारी एवं कार्यरत प्रभारी के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। अतः गोवंश–आश्रय–स्थल पर निरीक्षण पंजिका रखी जानी चाहिए एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के उपरान्त अपना तथ्यात्मक मंतव्य/सुझाव निरीक्षण पंजिका में अवश्य अंकित किया जाना चाहिए। उनके द्वारा यह भी देखा जाना चाहिए कि पूर्व में अन्य निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा जो सुझाव दिये गए हैं, उनका पालन हो रहा है या नहीं।

10. निरीक्षण के समय उक्त परिसर मे [redacted] ट्री–गार्ड में कुछ पौधे तथा 3–4 बड़े वृक्ष पाये गये। इस गोवंश–आश्रय–स्थल के पास पर्याप्त खाली भूमि है, जिसमें घास (दूब) लगाया एवं उचित तरीके से वृक्षारोपण किया जा सकता है, जो गोवंशों को गर्मी व धूप से बचाने में सहायक होगा तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी उपयोगी होगा। इस तथा अन्य गोवंश–आश्रय–स्थलों के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है।

11. **निष्कर्ष–** इस गोवंश–आश्रय–स्थल का रख–रखाव एवं प्रबन्धन संतोषजनक नही कहा जा सकता है। गोबर, मूत्र एवं प्रदूषित जल को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र कर, उसके शोधन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था की जानी चाहिए। गोवंश गणना, टैगिंग, चिकित्सा, आहार, निरीक्षण, लेखादि से संबंधित अभिलेखों को स्थापित प्रक्रिया के अनुसार रखा जाना चाहिए तथा इन्हें निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण को सार्थक एवं प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता है। निरीक्षण के समय उपस्थित अपर जिला अधिकारी ने उपयुक्त कमियों को शीघ्र दूर कर इस गोवंश–आश्रय–स्थल के रख–रखाव व प्रबंधन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने का आश्वासन दिया।

(अनन्त कुमार सिंह)
सदस्य, ओवरसाइट कमेटी (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

(एस0वी0एस0 राठौर)
अध्यक्ष, ओवरसाइट कमेटी (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

संलग्नक–1

संलग्नक–2 (क)

संलग्नक–2 (ख)

संलग्नक–3

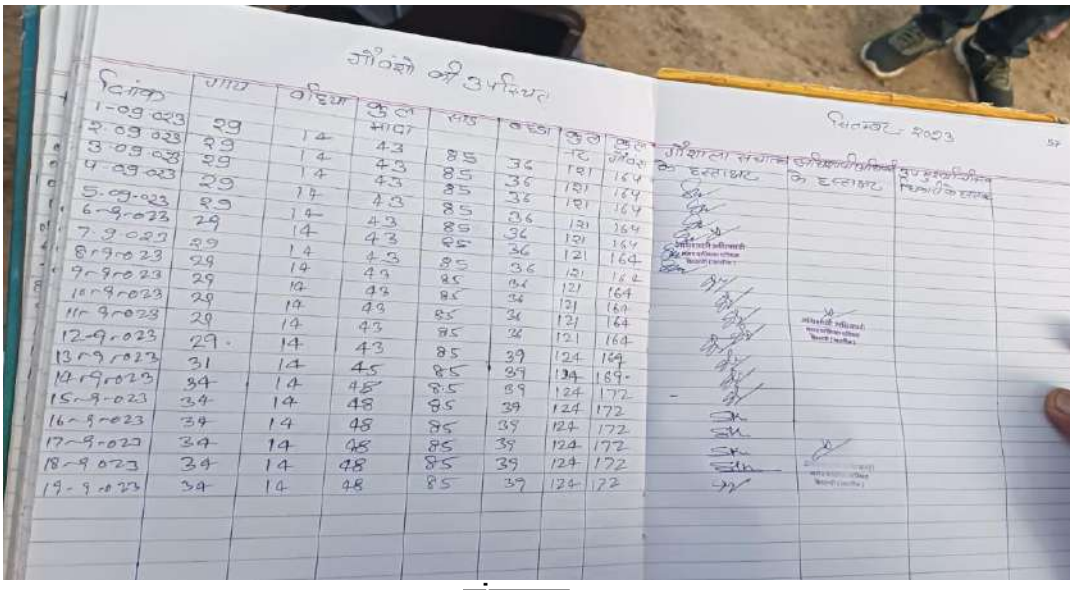

संलग्नक–4

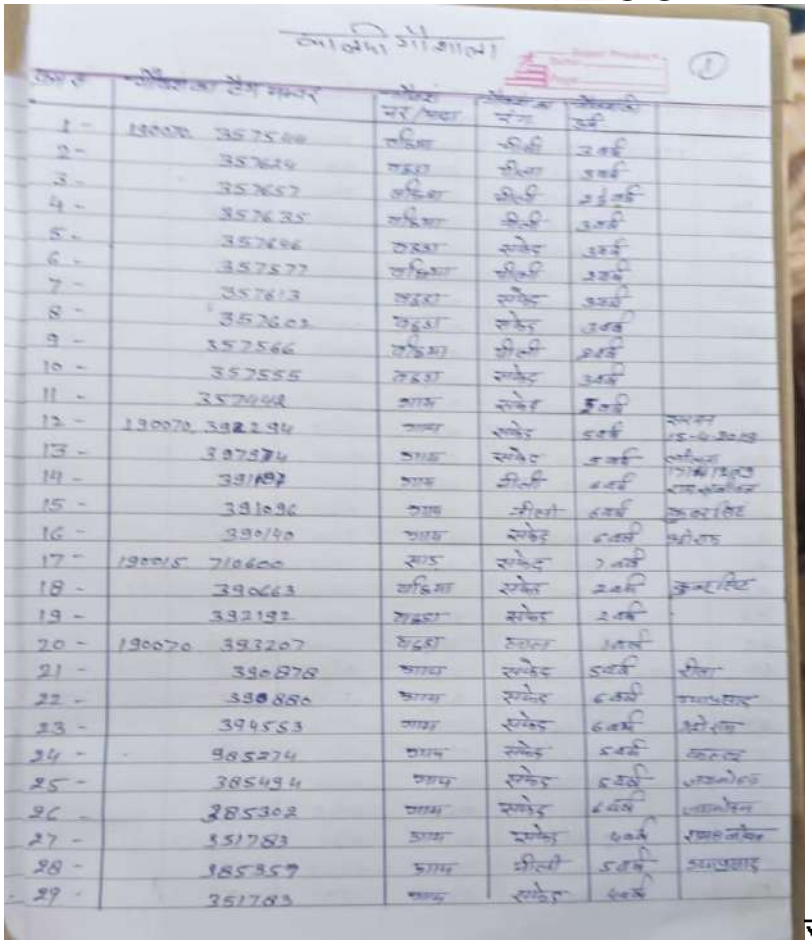

संलग्नक–5(क)

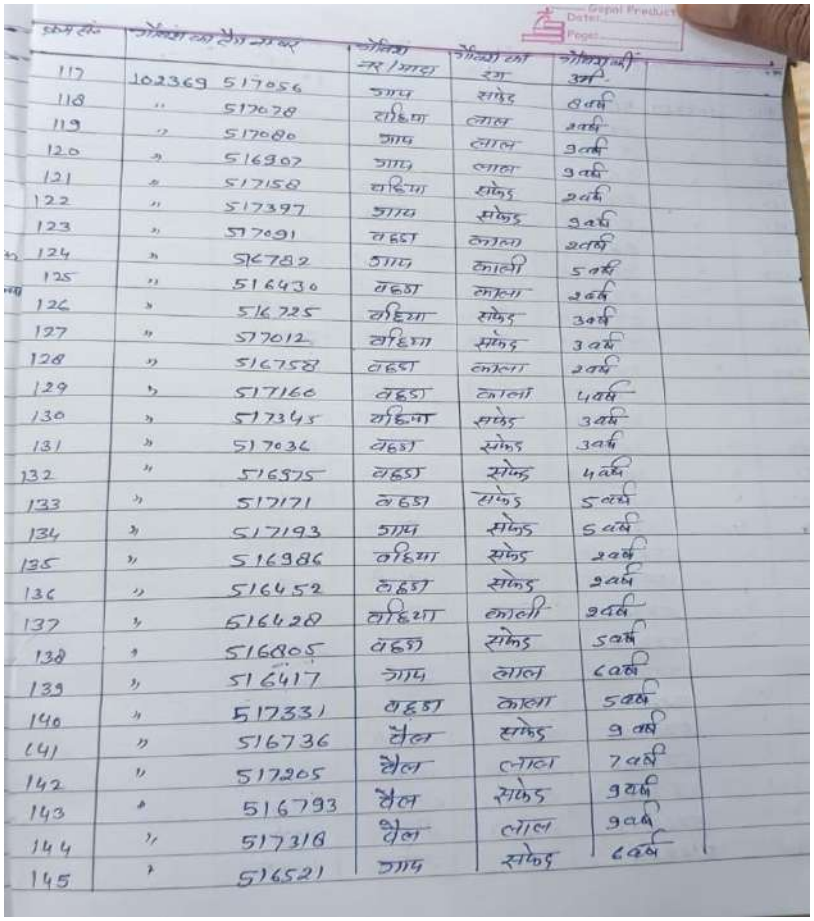

संलग्नक–5 (ख)

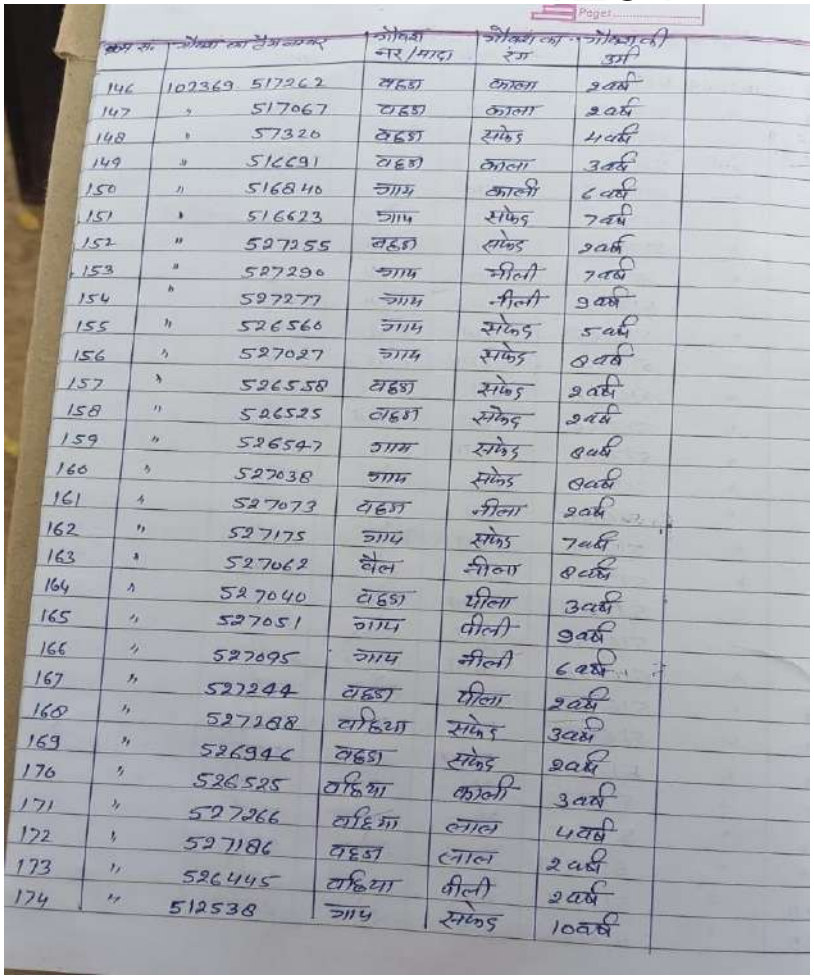

क्रम सं.	गौवंश का टैग नम्बर		गौवंश नर/मादा	गौवंश का रंग	गौवंश की उम्र	
146	102369	517262	बछड़ा	काला	2वर्ष	
147	"	517067	बछड़ा	काला	2वर्ष	
148	"	57320	बछड़ा	सफेद	4वर्ष	
149	"	516691	बछड़ा	काला	3वर्ष	
150	"	516840	गाय	काली	6वर्ष	
151	"	516623	गाय	सफेद	7वर्ष	
152	"	527255	बछड़ा	सफेद	2वर्ष	
153	"	527290	गाय	नीली	7वर्ष	
154	"	527277	गाय	नीली	9वर्ष	
155	"	526560	गाय	सफेद	5वर्ष	
156	"	527027	गाय	सफेद	8वर्ष	
157	"	526558	बछड़ा	सफेद	2वर्ष	
158	"	526525	बछड़ा	सफेद	2वर्ष	
159	"	526547	गाय	सफेद	8वर्ष	
160	"	527038	गाय	सफेद	8वर्ष	
161	"	527073	बछड़ा	नीला	2वर्ष	
162	"	527175	गाय	सफेद	7वर्ष	
163	"	527062	बैल	नीला	8वर्ष	
164	"	527040	बछड़ा	पीला	3वर्ष	
165	"	527051	गाय	पीली	9वर्ष	
166	"	527095	गाय	नीली	6वर्ष	
167	"	527244	बछड़ा	पीला	2वर्ष	
168	"	527288	बछिया	सफेद	3वर्ष	
169	"	526946	बछड़ा	सफेद	2वर्ष	
170	"	526525	बछिया	काली	3वर्ष	
171	"	527266	बछिया	लाल	4वर्ष	
172	"	527186	बछड़ा	लाल	2वर्ष	
173	"	526445	बछिया	पीली	2वर्ष	
174	"	512538	गाय	सफेद	10वर्ष	

संलग्नक–5(ग)

(4)

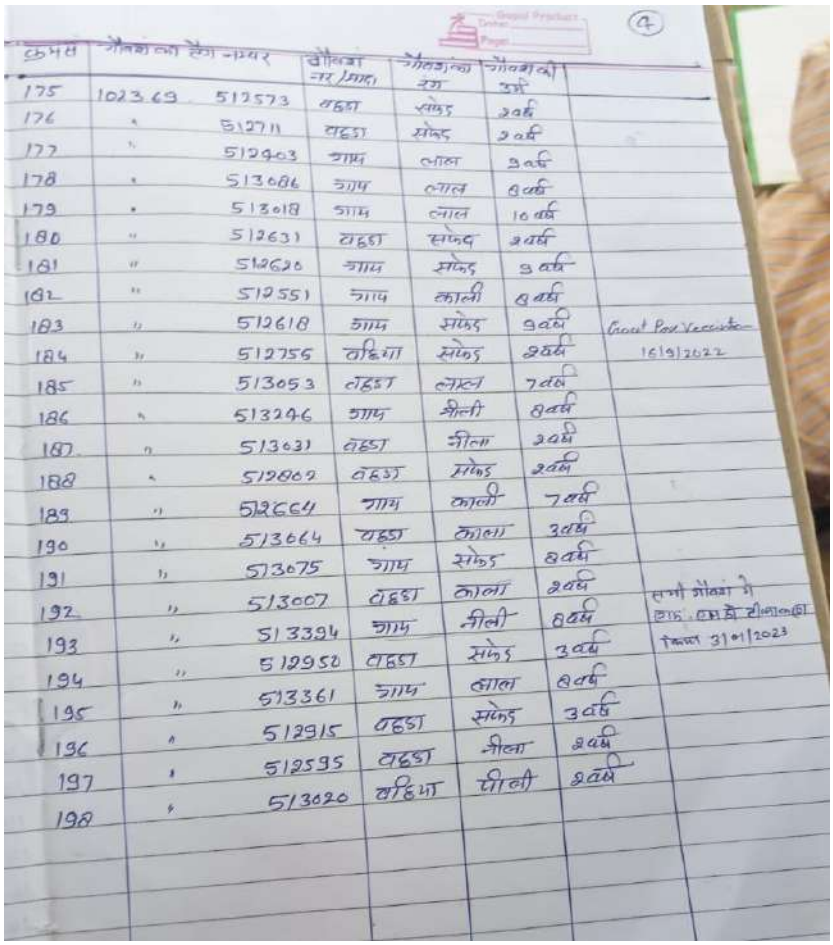

क्रमस	गौवंश का टैग नम्बर		गौवंश नर/मादा	गौवंश का रंग	गौवंश की उम्र	
175	102369	512573	बछड़ा	सफेद	2वर्ष	
176	"	512711	बछड़ा	सफेद	2वर्ष	
177	"	512403	गाय	लाल	9वर्ष	
178	"	513086	गाय	लाल	8वर्ष	
179	"	513018	गाय	लाल	10वर्ष	
180	"	512631	बछड़ा	सफेद	2वर्ष	
181	"	512620	गाय	सफेद	9वर्ष	
182	"	512551	गाय	काली	8वर्ष	
183	"	512618	गाय	सफेद	9वर्ष	Goat Pox Vaccination
184	"	512756	बछिया	सफेद	2वर्ष	16/9/2022
185	"	513053	बछड़ा	लाल	7वर्ष	
186	"	513246	गाय	नीली	8वर्ष	
187	"	513031	बछड़ा	नीला	2वर्ष	
188	"	512809	बछड़ा	सफेद	2वर्ष	
189	"	512664	गाय	काली	7वर्ष	
190	"	513664	बछड़ा	काला	3वर्ष	
191	"	513075	गाय	सफेद	8वर्ष	
192	"	513007	बछड़ा	काला	2वर्ष	सभी गौवंश मे
193	"	513394	गाय	नीली	8वर्ष	एल.एस.डी टीकाकरण
194	"	512950	बछड़ा	सफेद	3वर्ष	किया 31/01/2023
195	"	513361	गाय	लाल	8वर्ष	
196	"	512915	बछड़ा	सफेद	3वर्ष	
197	"	512595	बछड़ा	नीला	2वर्ष	
198	"	513020	बछिया	पीली	2वर्ष	

संलग्नक–5 (घ)

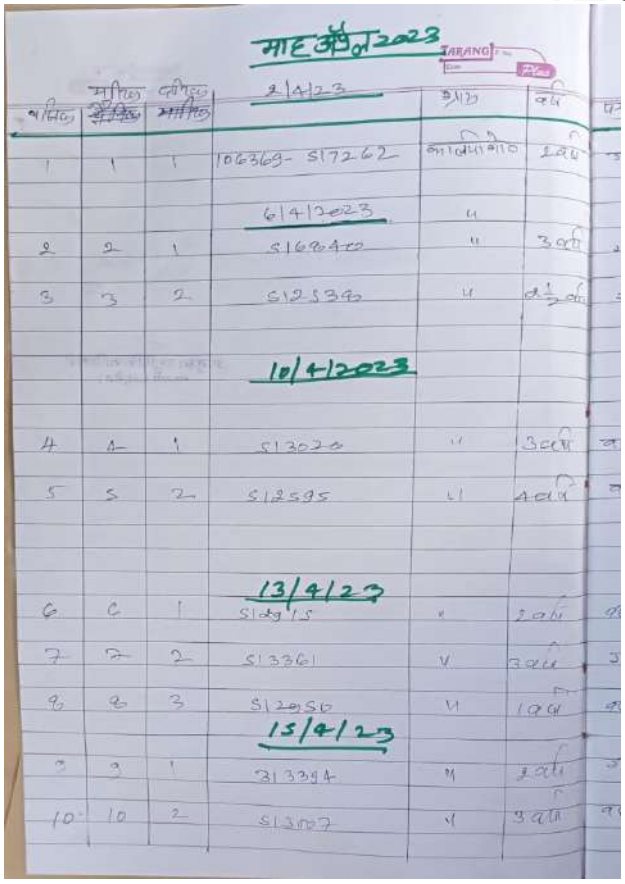

माह अप्रैल 2023

क्रमांक	मासिक क्रमांक	दैनिक क्रमांक	2/4/23	ग्राम	उम्र
1	1	1	106369- 517262	कालापीपल	2 वर्ष
			6/4/2023	"	
2	2	1	516940	"	3 वर्ष
3	3	2	512539	"	2½ वर्ष
			10/4/2023		
4	4	1	513020	"	3 वर्ष
5	5	2	512595	"	4 वर्ष
			13/4/23		
6	6	1	512915	"	2 वर्ष
7	7	2	513361	"	3 वर्ष
8	8	3	512950	"	1 वर्ष
			15/4/23		
9	9	1	313394	"	2 वर्ष
10	10	2	513107	"	3 वर्ष

संलग्नक–6 (क)

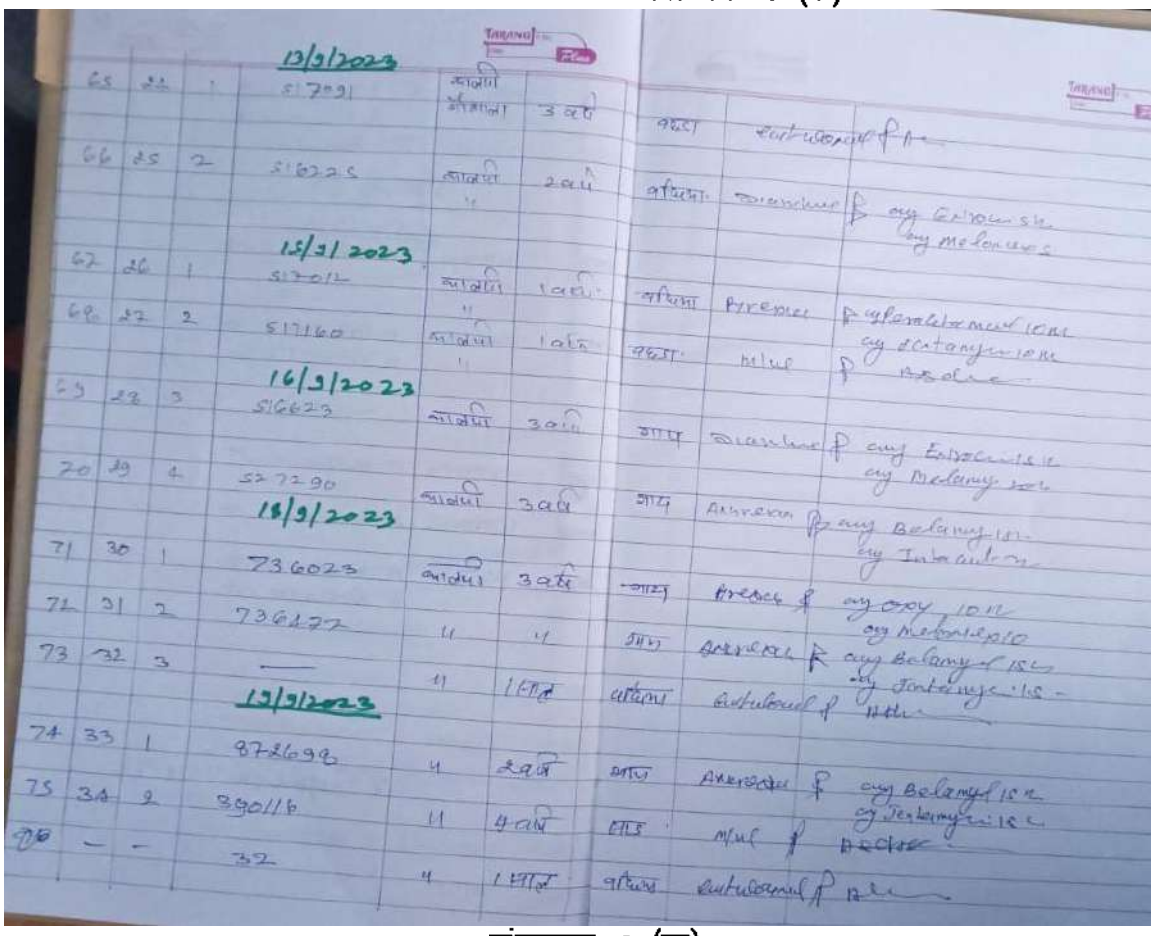

			13/9/2023					
65	24	1	517091	कालापीपल	3 वर्ष	बछड़ा	Enteritis	[illegible]
66	25	2	516225	कालापीपल	2 वर्ष	बछिया	Diarrhoea	inj Enroxil, inj Meloxicam
			15/9/2023					
67	26	1	517012	कालापीपल	1 वर्ष	बछिया	Pyrexia	inj Paracetamol 10ml, inj Oxytetracycline 10ml
68	27	2	517160	कालापीपल	1 वर्ष	बछड़ा	M.L.C.	Bandage
			16/9/2023					
69	28	3	516623	कालापीपल	3 वर्ष	गाय	Diarrhoea	inj Enroxil, inj Meloxicam
70	29	4	527290	कालापीपल	3 वर्ष	गाय	Anorexia	inj Belamyl, inj Intacalcium
			18/9/2023					
71	30	1	736023	कालापीपल	3 वर्ष	गाय	Anorexia	inj Oxy 10ml, inj Meloxicam
72	31	2	736222	"	"	गाय	Anorexia	inj Belamyl, inj Tonophosphan
73	32	3	—	"	1 माह	बछिया	Enteritis	[illegible]
			19/9/2023					
74	33	1	872699	"	2 वर्ष	गाय	Anorexia	inj Belamyl 15ml, inj Tonophosphan 15ml
75	34	2	390116	"	4 वर्ष	सांड	M.L.C.	Bandage
76	—	—	32	"	1 माह	बछिया	Enteritis	[illegible]

संलग्नक–6 (ख)

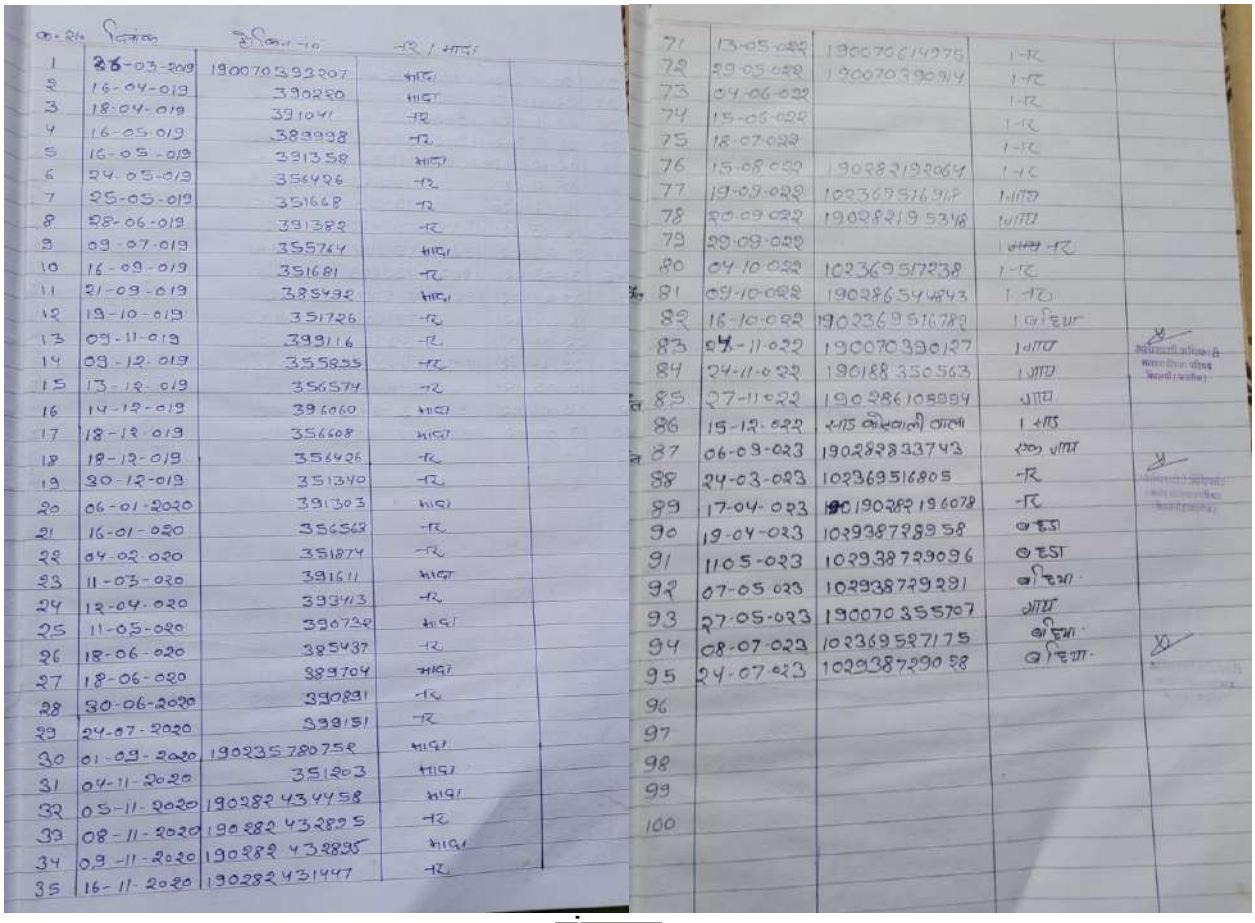

क्र॰ सं॰	दिनांक	टैगिंग नं०	नर / मादा	
1	26-03-2019	190070393207	मादा	
2	16-04-019	390220	मादा	
3	18-04-019	391041	नर	
4	16-05-019	389998	नर	
5	16-05-019	391358	मादा	
6	24-05-019	356426	नर	
7	25-05-019	351668	नर	
8	28-06-019	391382	नर	
9	09-07-019	355764	मादा	
10	16-09-019	351681	नर	
11	21-09-019	385492	मादा	
12	19-10-019	351726	नर	
13	09-11-019	399116	नर	
14	09-12-019	355855	नर	
15	13-12-019	356574	नर	
16	14-12-019	396060	मादा	
17	18-12-019	356608	मादा	
18	18-12-019	356426	नर	
19	30-12-019	351340	नर	
20	06-01-2020	391303	मादा	
21	16-01-020	356563	नर	
22	04-02-020	351874	नर	
23	11-03-020	391611	मादा	
24	12-04-020	393413	नर	
25	11-05-020	390732	मादा	
26	18-06-020	385437	नर	
27	18-06-020	389704	मादा	
28	30-06-2020	390891	नर	
29	24-07-2020	399151	नर	
30	01-09-2020	190235780752	मादा	
31	04-11-2020	351203	मादा	
32	05-11-2020	190282434458	मादा	
33	08-11-2020	190282432895	नर	
34	09-11-2020	190282432895	मादा	
35	16-11-2020	190282431447	नर	

71	13-05-022	190070614975	1-नर	
72	29-05-022	190070390914	1-नर	
73	04-06-022		1-नर	
74	15-06-022		1-नर	
75	18-07-022		1-नर	
76	15-08-022	190282192064	1-नर	
77	19-09-022	102369516918	1-गाय	
78	20-09-022	190282195348	1-गाय	
79	29-09-022		1 नर	
80	04-10-022	102369517238	1-नर	
81	09-10-022	190286544843	1-नर	
82	16-10-022	1902369516782	1 बछिया	
83	24-11-022	190070390127	1 गाय	
84	24-11-022	190188350563	1 गाय	
85	27-11-022	190286108994	गाय	
86	15-12-022	सांड कोसवाली वाला	1 सांड	
87	06-09-023	190282833743	[illegible] गाय	
88	24-03-023	102369516805	नर	
89	17-04-023	190282196078	नर	
90	19-04-023	102938728958	बछड़ा	
91	11-05-023	102938729096	बछड़ा	
92	07-05-023	102938729291	बछिया	
93	27-05-023	190070355707	गाय	
94	08-07-023	102369527175	बछिया	
95	24-07-023	102938729028	बछिया	
96				
97				
98				
99				
100				

संलग्नक–7

संलग्नक–8

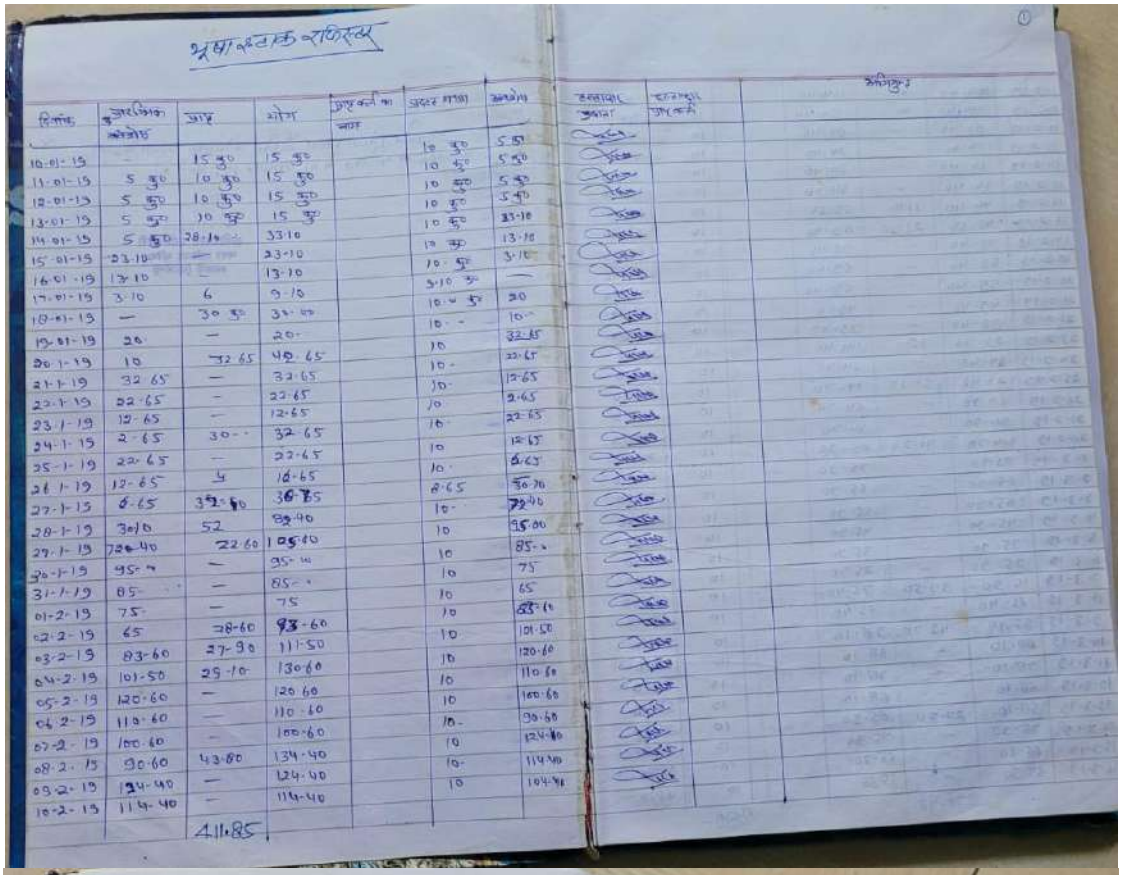

भूसा स्टाक रजिस्टर

दिनांक	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्त	योग	प्राप्तकर्ता का नाम	प्रयुक्त मात्रा	अवशेष	हस्ताक्षर प्रभारी	हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता
					10 कु०	5 कु०		
10-01-19	–	15 कु०	15 कु०		10 कु०	5 कु०		
11-01-19	5 कु०	10 कु०	15 कु०		10 कु०	5 कु०		
12-01-19	5 कु०	10 कु०	15 कु०		10 कु०	5 कु०		
13-01-19	5 कु०	10 कु०	15 कु०		10 कु०	33-10		
14-01-19	5 कु०	28-10	33-10		10 कु०	13-10		
15-01-19	23-10		23-10		10 कु०	3-10		
16-01-19	13-10	–	13-10		3-10 कु०	—		
17-01-19	3-10	6	9-10		10 कु०	20		
18-01-19	—	30 कु०	30-00		10	10		
19-01-19	20	—	20		10	32-65		
20-1-19	10	32-65	42-65		10	22-65		
21-1-19	32-65	—	32-65		10	12-65		
22-1-19	22-65	–	22-65		10	2-65		
23-1-19	12-65	–	12-65		10	22-65		
24-1-19	2-65	30--	32-65		10	12-65		
25-1-19	22-65	—	22-65		10	6-65		
26-1-19	12-65	4	16-65		8-65	30-70		
27-1-19	6-65	32-60	38-85		10	72-40		
28-1-19	30-10	52	82-40		10	95-00		
29-1-19	72-40	22-60	105-40		10	85--		
30-1-19	95--	—	95--		10	75		
31-1-19	85	—	85--		10	65		
01-2-19	75	—	75		10	83-60		
02-2-19	65	28-60	93-60		10	101-50		
03-2-19	83-60	27-90	111-50		10	120-60		
04-2-19	101-50	29-10	130-60		10	110-60		
05-2-19	120-60	—	120-60		10	100-60		
06-2-19	110-60	—	110-60		10	90-60		
07-2-19	100-60	—	100-60		10	124-40		
08-2-19	90-60	43-80	134-40		10	114-40		
09-2-19	124-40	—	124-40		10	104-40		
10-2-19	114-40	—	114-40					
		411-85						

भूसे का स्टाक

सितम्बर 2023

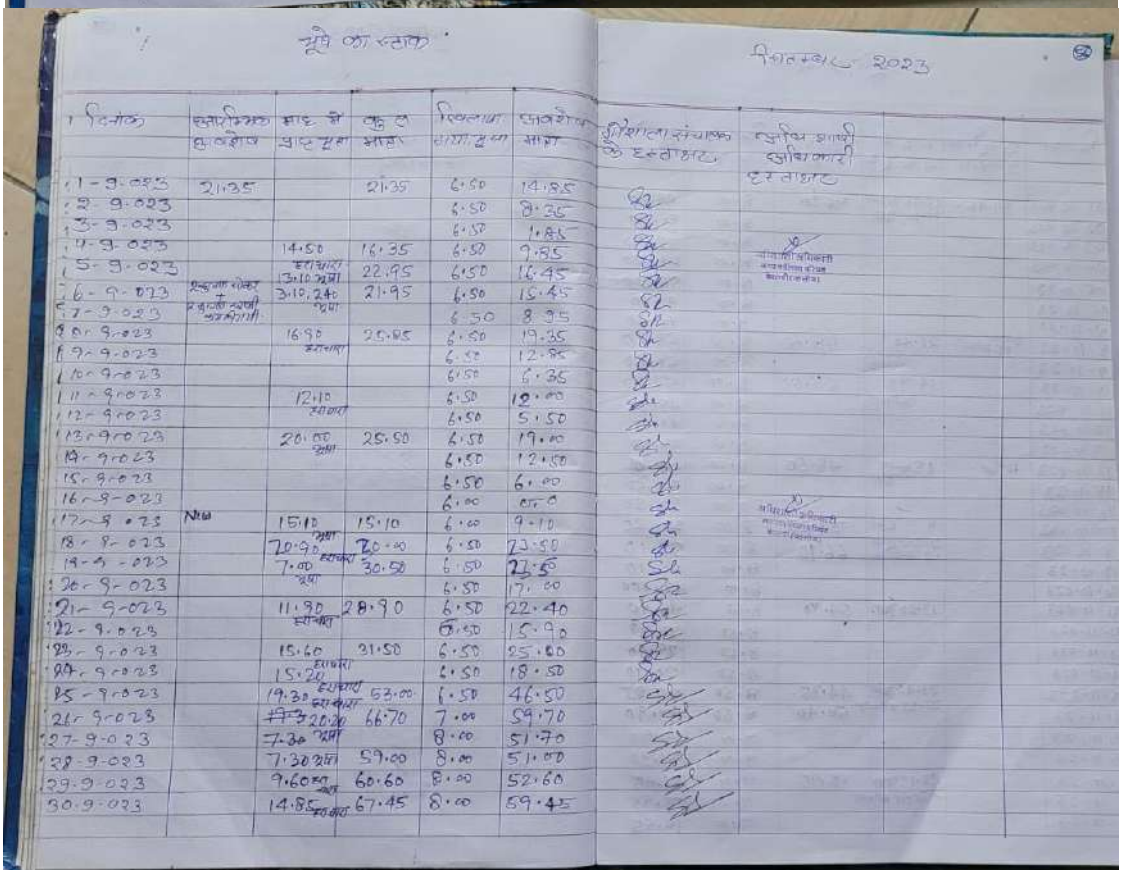

दिनांक	प्रारम्भिक अवशेष	माह में प्राप्त भूसा	कुल माह	खिलाया गया भूसा	अवशेष मात्रा	गौशाला संचालक के हस्ताक्षर	पशु चिकित्साधिकारी हस्ताक्षर
1-9-023	21.35		21.35	6.50	14.85		
2-9-023				6.50	8.35		
3-9-023				6.50	1.85		
4-9-023		14.50	16.35	6.50	9.85		पशु चिकित्साधिकारी
5-9-023		हराचारा 13.10 भूसा	22.95	6.50	16.45		
6-9-023		3.10, 240 भूसा	21.95	6.50	15.45		
7-9-023				6.50	8.95		
8-9-023		16.90 हराचारा	25.85	6.50	19.35		
9-9-023				6.50	12.85		
10-9-023				6.50	6.35		
11-9-023		12.10 हराचारा		6.50	12.00		
12-9-023				6.50	5.50		
13-9-023		20.00 भूसा	25.50	6.50	19.00		
14-9-023				6.50	12.50		
15-9-023				6.50	6.00		
16-9-023				6.00	00.0		
17-9-023	New	15.10 भूसा	15.10	6.00	9.10		पशु चिकित्साधिकारी
18-9-023		20.90 हराचारा	30.00	6.50	23.50		
19-9-023		7.00 भूसा	30.50	6.50	23.50		
20-9-023				6.50	17.00		
21-9-023		11.90 हराचारा	28.90	6.50	22.40		
22-9-023				6.50	15.90		
23-9-023		15.60	31.50	6.50	25.00		
24-9-023		15.20 हराचारा		6.50	18.50		
25-9-023		19.30 हराचारा	53.00	6.50	46.50		
26-9-023		~~19.3~~ 20.20 हराचारा	66.70	7.00	59.70		
27-9-023		7.30 भूसा		8.00	51.70		
28-9-023		7.30 भूसा	59.00	8.00	51.00		
29-9-023		9.60 भूसा	60.60	8.00	52.60		
30-9-023		14.85 हराचारा	67.45	8.00	59.45		

संलग्नक–9

संलग्नक–10

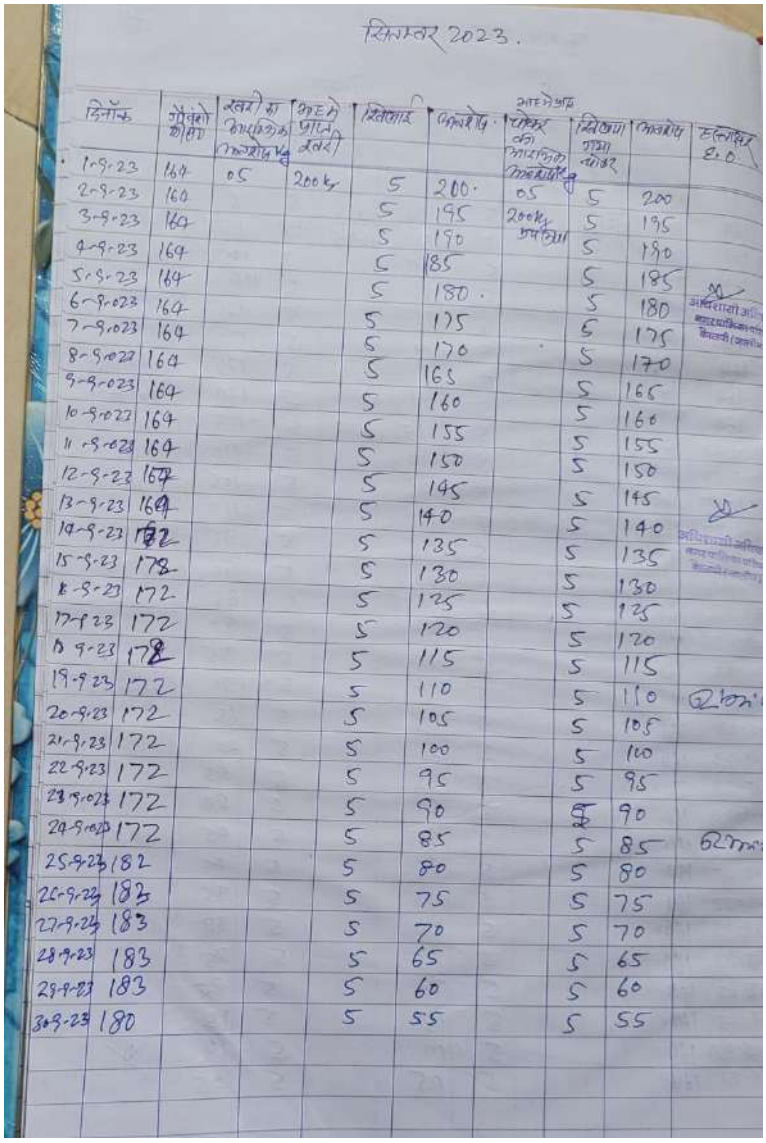

सितम्बर 2023.

दिनांक	गोवंशो की सं.	खली का आरंभिक अवशेष Kg	कहाँ से प्राप्त खली	खिलाई	अवशेष	चोकर का आरंभिक अवशेष Kg	खिलाया गया चोकर	अवशेष	हस्ताक्षर E.O.
1-9-23	164	05	200kg	5	200.	05 200kg उपलब्ध	5	200	
2-9-23	160			5	195		5	195	
3-9-23	164			5	190		5	190	
4-9-23	164			5	185		5	185	
5-9-23	164			5	180.		5	180	[illegible]
6-9-023	164			5	175		5	175	
7-9-023	164			5	170		5	170	
8-9-023	164			5	165		5	165	
9-9-023	164			5	160		5	160	
10-9-023	164			5	155		5	155	
11-9-023	164			5	150		5	150	
12-9-23	164			5	145		5	145	
13-9-23	164			5	140		5	140	[illegible]
14-9-23	172			5	135		5	135	
15-9-23	172			5	130		5	130	
16-9-23	172			5	125		5	125	
17-9-23	172			5	120		5	120	
18-9-23	172			5	115		5	115	
19-9-23	172			5	110		5	110	[illegible]
20-9-23	172			5	105		5	105	
21-9-23	172			5	100		5	100	
22-9-23	172			5	95		5	95	
23-9-023	172			5	90		5	90	
24-9-023	172			5	85		5	85	[illegible]
25-9-23	182			5	80		5	80	
26-9-23	183			5	75		5	75	
27-9-23	183			5	70		5	70	
28-9-23	183			5	65		5	65	
29-9-23	183			5	60		5	60	
30-9-23	180			5	55		5	55	

संलग्नक–11

Annexure-15

ग्राम पंचायत–जीतामऊ, विकासखण्ड–महेबा, जनपद–जालौन, स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक–24.09.2023 को ओवरसाइट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा जनपद–जालौन, विकासखण्ड–महेबा के ग्राम पंचायत–जीतामऊ में स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित है–

1– श्री विपिन, खण्ड विकास अधिकारी, महेबा
2– श्री अमर सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, जीतामऊ
3– श्री बृजकिशोर, पशुधन प्रसार अधिकारी, जीतामऊ
4– डा0 सतीश चन्द्र, पशु चिकित्सा अधिकारी, जीतामऊ
5– श्री कमलकान्त, ग्राम प्रधान, जीतामऊ
6– श्री उदय नारायण, गोपालक
7– श्री शिव सिंह, गोपालक

1–यह गोवंश–आश्रय–स्थल वर्ष 2019 से संचालित होना सूचित किया गया। इसे स्थापित करने के लिए ग्राम सभा से भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 02 बीघा है। वर्तमान में 02 गोपालक कार्यरत है जिनका वेतन रू0 6000/–प्रतिमाह है। यह गोवंश–आश्रय–स्थल चारों ओर से तारों से घेरा गया है तथा एक मुख्य द्वार पर गेट लगा हुआ है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल के आस–पास आबादी/विद्यालय/अस्पताल/अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नहीं है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल की क्षमता 80 गोवंश की है। वर्तमान में इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 13 नर, 35 मादा, 07 बछड़े व 05 बछिया, कुल 60 गोवंश अभिलेखों में दर्ज हैं। निरीक्षण के समय केवल 50 गोवंश ही संरक्षित पाये गये तथा कोई भी गोवंश स्वयंसेवी गोपालकों को पशुपालन को उपलब्ध नहीं कराया गया है। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत गोवंश पंजिका का रखरखाव माह अप्रैल, 2023 से किया जा रहा है, जिसमें 60 गोवंशो का संरक्षित होना पाया गया है। बताया गया कि माह अप्रैल, 2023 से अब तक किसी भी गोवंश की मृत्यु नहीं हुई है, परन्तु 02 गोवंशो की मृत्यु का पंचनामा प्रस्तुत किया गया, जिसमें पशु चिकित्सा अधिकारी एवं पंचो के हस्ताक्षर नही है।

2–पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टैगिंग पंजिका में केवल 25 गोवंश की टैगिंग की गयी तथा अन्य किसी गोवंश में न तो टैगिंग और न ही कान में छेद पाया गया। जबकि टैगिंग पंजिका में 60 गोवंशो की प्रविष्टियां दर्ज है। इस पंजिका में टैगिंग का दिनांक उल्लिखित नही है तथा समस्त प्रविष्टियां एक ही हस्तलिपि में हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रविष्टियां अधूरी व त्रुटिपूर्ण है तथा नियमानुसार नही बनाई गयी है। जिसका पशु चिकित्सक द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका और वह चुप रहे। यह पंजिका तथ्यों को देखें बिना तथा निरीक्षण से तत्काल पूर्व तैयार की गयी है। टीकाकरण पंजिका भी प्रस्तुत नहीं की गयी। टैगिंग पंजिका व टीकाकरण पंजिका पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा मानकों के अनुसार तैयार की जानी चाहिए, जिसमे गोवंशों का उपचार एवं टीकाकरण सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियां उचित प्रारूप में नियमानुसार हो।

3–इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 02 टिन–शेड (24.38 मी0 x 7.62 मी0 व 12.19 मी0 x 3.81 मी0) बने हैं, जिनमें पडंजा बिछा है। एक टिन–शेड नर व मादा गोवंशो के लिये तथा दूसरा टिन–शेड बछड़ों के लिये निर्मित है। पहले टिन–शेड में दीवार से सटी चरनी (22.86 मी0 x 0.76 मी0) तथा दूसरे मे बीचो–बीच चरनी (3.35 मी0 x 0.91 मी0) स्थित है। बीमार, अशक्त, एवं विकलांग गोवंशो के लिए अलग से कक्ष नही बना है। टिन–शेड के बगल में मूत्र एवं अपशिष्ट जल निकासी के लिए कोई नाली नही बनी है, परन्तु एक सोकपिट निर्माणाधीन है। टिन–शेड तथा परिसर की साफ सफाई अच्छी नहीं थी। गोबर खुले में एकत्र किया जा रहा है तथा परिसर के बीचो–बीच जलभराव है। ऐसा प्रतीत होता है कि निरीक्षण की सूचना पर जल्दीबाजी में सफाई की गयी है। गोबर, मूत्र एवं अपशिष्ट जल का व्यवस्थित ढंग से निस्तारण करने से इसका प्रदूषणकारी प्रभाव कम होगा।

4–गोवंश के पेयजल आपूर्ति के लिये एक सबमर्सिबिल पम्प लगा हुआ है तथा एक पक्की हौज (4.57 मी0 x 0. 91 मी0) बनी हुई है। जल के निस्तारण के लिये कोई नाली नहीं बनी है, जिससे जल प्रदूषण की समस्या निरन्तर बनी है। गोवंश को नहलाने की कोई व्यवस्था नही है। उपस्थित गोपालकों ने बताया कि गोवंशो को लगभग 01 कि0मी0 दूर यमुना नदी ले जाकर नहलाया जाता है। यह कथन व्यावहारिक प्रतीत नही होता है। यदि यह कथन सही है तो यमुना जल को प्रदूषित करेगा।

5–इस गोवंश–आश्रय–स्थल में एक कम्पोस्ट पिट (4.57 मी0 x 1.52 मी0) बना हुआ है, जिसमें सूखा गोबर भरा पाया गया तथा ताजा गोबर अन्यत्र परिसर में टीन–शेड के पीछे की ओर फेंका पाया गया। परिसर में कोई कम्पोस्टिंग, वर्मीकम्पोस्टिंग, बायोगैस संयंत्र तथा गोबर एवं मूत्र व अपशिष्ट जल के अन्य उपयोग की कोई व्यवस्था नहीं है, जैसा कि शासनादेश दिनांक–02.01.2019 में निर्देशित किया गया है। कम्पोस्टिंग के लिये गड्ढे बनाकर उसमें गोबर, मूत्र एवं अपशिष्ट जल की नाली जोड़कर कम्पोस्टिंग की जा सकती है, जिससे तैयार खाद की ग्राहता स्थानीय लोगों में अधिक होगी, परन्तु इस दिशा में कोई प्रयास नही किया जा रहा है।

6–बताया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में सभी संसाधनों का उपयोग करते हुये पशुओं का भरण पोषण किया जाता है, परन्तु निरीक्षण के समय कुछ गोवंश स्वस्थ दिखे तथा कुछ काफी दुर्बल दिखे। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें समुचित आहार नहीं दिया जा रहा है। इस गोवंश आश्रय स्थल में एक भूसा भण्डारण कक्ष (6.09 मी0 x 3.04 मी0) है, जिसमें गोवंशो की संख्या के अनुसार भूसा की मात्रा काफी कम पायी गयी है। भूसा पंजिका का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि इस पंजिका में दिनांक–01.04.2023 से दिनांक–05. 09.2023 तक प्रविष्टियां की गई है, जिसमें 1.856 कुन्तल भूसा प्रतिदिन खिलाया जाता है। इसके पश्चात् कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है। ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि पूर्व में इस गोवंश–आश्रय–स्थल के निकट नैपियर घास की बुआई की जाती है, परन्तु निरीक्षण के समय आस–पास कहीं भी नैपियर घास नहीं पायी गयी। इस गोवंश–आश्रय–स्थल पर चारा काटने की मशीन व ढुलाई के लिए ठेले की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

7–सुपुर्दगीकरण पंजिका के अनुसार मात्र एक गाय सुपुर्द की गयी है, जिसमें तिथि अंकित नही है। खाता पंजिका के अवलोकन में यह पाया गया कि यह दिनांक–19.04.2023 को रू0 1,87,214/– की आय तथा इसमें व्यय के उपरान्त दिनांक–30.08.2023 को रू0 47,370/–शेष है इसके पश्चात कोई प्रविष्टि इस पंजिका मे नही है। सूचित किया गया कि पशुधन विभाग से रू0 2,39,170/– तथा ग्राम पंचायत से रू0 60,000/–प्राप्त हुआ है। कैश बुक पंजिका में दिनांक–01.04.2023 से प्रारम्भ होकर दिनांक–30.08.2023 तक दर्ज पाया गया, जिसमें गोवंश के भरण–पोषण से सम्बन्धित आय–व्यय का लेखा–जोखा है। दिनांक–30.08. 2023 के पश्चात् कोई प्रविष्टि इस पंजिका में नहीं है। उपरोक्त पंजिकाओं में प्रविष्टियां नियमानुसार उचित प्रारूप में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।

8–निरीक्षण पंजिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि खण्ड विकास अधिकारी तथा पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण नही किया गया। निरीक्षण पंजिका के अवलोकन में दिनांक–05.09. 2023 के उपरान्त दिनांक–15.09.2023 तक की प्रविष्टि मे 10 लाइनें खाली पायी गयी, जिसके सम्बन्ध में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया जा सका। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान अपना मन्तव्य स्पष्ट एवं लिखित रूप से पंजिका में अंकित करना आवश्यक है, अन्यथा इसका आशय ही विफल हो जायेगा ।

9–परिसर के अन्दर 03 ट्री–गार्ड लगे हैं। यद्यपि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में वृक्षारोपण हेतु काफी स्थान उपलब्ध है। उसके उपरान्त भी परिसर वृक्षारोपण में कोई रूचि नही ली गयी है । परिसर में रोशनी की कोई व्यवस्था नही है।

10–अंततः कमेटी के विचार में इस गोवंश–आश्रय–स्थल मे उचित रखरखाव व प्रबन्धन की अत्यन्त आवश्यकता है।

(एस0वी0एस0 राठौर)
अध्यक्ष, ओवरसाइट कमेटी(एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

ग्राम पंचायत–जीतामऊ, विकासखण्ड–पहेवा, जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल

Annexure-16

ग्राम पंचायत–मड़ैया, विकासखण्ड–महेबा, जनपद जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक–24.09.2023 को ओवरसाइट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा जनपद–जालौन, विकासखण्ड–महेबा के ग्राम पंचायत–मड़ैया में स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित रहे–

1– श्री विपिन, खण्ड विकास अधिकारी, महेबा
2– श्री अमर सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, मड़ैया
3– श्री बृज किशोर, पशुधन प्रसार अधिकारी, मड़ैया
4– डा0 सतीश चन्द्र, पशु चिकित्सा अधिकारी, मड़ैया
5– श्री गोपाल दास, ग्राम प्रधान, मड़ैया
6– श्री राजकिशोर, गोपालक
7– श्री विनोद कुमार, गोपालक
8– श्री रामप्रकाश, गोपालक
9– श्री रामशंकर, गोपालक
10– श्री राम रहीश, गोपालक

1. यह गोवंश–आश्रय–स्थल वर्ष 2021 से संचालित होना सूचित किया गया। इसे स्थापित करने के लिए ग्राम सभा से भूमि उपलब्ध कराई गयी है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 02 एकड़ है। यह गोवंश–आश्रय–स्थल आबादी से लगभग 02 किमी दूर स्थित है, वहॉ तक जाने हेतु रास्ता कच्चा एवं जलभराव/कीचड़ होने के कारण दो पहिया वाहन एवं पैदल चलकर जाना पड़ा। यह गोवंश–आश्रय–स्थल ढलान पर बना है, जिससे जलभराव की समस्या नही है । उपस्थित ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि 02 वर्ष पूर्व यह गोवंश–आश्रय –स्थल गॉव के पास ही संचालित किया जाता था। परिसर के चारों ओर तारों का घिराव है तथा मुख्य द्वार पर गेट लगा है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल के आस–पास आबादी/विद्यालय/अस्पताल/अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नहीं था। वर्तमान में 05 गोपालक कार्यरत है, जिनका वेतन रू0 6000/– प्रतिमाह है । बताया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 105 गोवंशो को संरक्षित किया गया है, जबकि गोवंश पंजिका के अनुसार इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 12 नर, 42 मादा, 03 बछडें व 08 बछिया, कुल 65 गोवंश अभिलेखों में दर्ज हैं। कोई भी गोवंश स्वयंसेवी गोपालकों को पशुपालन को उपलब्ध नहीं कराया गया है । ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत गोवंश पंजिका का रखरखाव माह अप्रैल, 2023 से किया जा रहा है। इसमें उल्लिखित अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 18.09.2023 की है। बताया गया कि माह अप्रैल, 2023 से अब तक किसी भी गोवंश की मृत्यु नहीं हुई हैं। कोई मृत्यु पंजिका प्रस्तुत नही की गई है।
2. पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टैगिंग पंजिका में केवल 70 गोवंशो की टैगिंग अंकित की गयी है परन्तु तात्कालिक गणना के अनुसार 56 गोवंशों में टैगिंग, 14 गोवंशों के कान मे छेद (टैगिंग नही) तथा 35 में टैगिंग अथवा कान में छेद नही पाया गया। उपस्थित सहायकों द्वारा कहा गया कि पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचना दी गयी परन्तु वह कभी टैगिंग के लिये नहीं आये। टैगिंग पंजिका में दर्ज की गयी प्रविष्टियां अधूरी व त्रुटिपूर्ण पायी गयी, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह पंजिका निरीक्षण से तत्काल पूर्व तैयार की गयी है। इस पंजिका में टैगिंग का दिनांक कही भी उल्लिखित नही है जिससे यह प्रविष्टियां अधूरी व त्रुटिपूर्ण है तथा नियमानुसार नही बनाई गयी है । इस पंजिका में समस्त प्रविष्टियां एक ही हस्तलिपि में हैं, सम्बन्धित पशु चिकित्सा अधिकारी इसका कोई उचित कारण नही बता पायें । इससे यह

प्रतीत होता है कि यह पंजिका तथ्यों को देखें बिना तथा निरीक्षण से तत्काल पूर्व तैयार की गयी है। टीकाकरण पंजिका भी प्रस्तुत नहीं की गयी। टीकाकरण पंजिका पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा मानकों के अनुसार तैयार की जानी चाहिए जिसमे गोवंशों का उपचार एवं टीकाकरण सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियां नियमानुसार हो, जिससे उनके स्वास्थ्य पर कोई असर न हो।

3. इस गोवंश–आश्रय–स्थल स्थल में 01 पडंजायुक्त टिन–शेड (25.60 मी0 x 7.31 मी0) हैं, जिसमे चरनी (18.28 मी0 x 1.21 मी0) बीचो–बीच स्थित है, जिससे गोवंशों द्वारा दोनो तरफ से चारा खाया जा सकता है। किन्तु यह गोवंशों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त नही है। बीमार, आशक्त, एवं विकलांग गोवंशो के लिए अलग से चिकित्सा कक्ष एवं उनके रहने के लिए व्यवस्था नही है। टिन–शेड के बगल में मूत्र एवं अपशिष्ट जल निकासी के लिए कोई नाली नही बनी है। टिन–शेड तथा परिसर की साफ सफाई ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि निरीक्षण की सूचना पर जल्दीबाजी में सफाई की गयी है। गोबर, मूत्र एवं अपशिष्ट जल को व्यवस्थित ढंग से निस्तारित करने की व्यवस्था नही हैं।
4. गोवंश के पेयजल आपूर्ति के लिये एक सबमर्सिबिल पम्प लगा हुआ है तथा एक पक्की हौज (4.57 मी0 x 1.52 मी0) बनी हुई है। गोवंश को नहलाने की कोई व्यवस्था नही है, प्रयुक्त जल के निस्तारण के लिये कोई नाली व सोकपिट नहीं बनी है। प्रांगण से अपशिष्ट जल निकट के तालाब में जा रहा है जो कि अनुचित है। यदि गोबर मूत्र एवं अपशिष्ट जल का व्यवस्थित ढंग से निस्तारित किया जाये तो इसका प्रदूषणकारी प्रभाव कम होगा।
5. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में कम्पोस्ट पिट नही है तथा गोबर पिछले कुछ समय से खुले में एकत्र किया जा रहा है। सूचित किया गया कि निर्माण सामग्री प्राप्त हो गयी है और शीघ्र ही कम्पोस्ट पिट का निर्माण किया जायेगा। कम्पोस्टिंग, वर्मीकम्पोस्टिंग, बायोगैस प्लांट एवं गोबर के अन्यथा प्रयोग की कोई अन्य व्यवस्था उपलब्ध नही है, जैसा कि शासनादेश दिनांक–02.01.2019 में निर्देशित किया गया है। कम्पोस्टिंग के लिए गड्ढे बनाकर उसमे गोबर, मूत्र एवं जल अपशिष्ट की नाली जोडकर कम्पोस्टिग की जा सकती है, जिससे तैयार खाद की ग्राह्यता स्थानीय लोगो में अधिक होगी, परन्तु इस दिशा में कोई प्रयास नही किया गया है।
6. बताया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में सभी संसाधनों का उपयोग करते हुये गोवंशो का भरण–पोषण किया जाता है। निरीक्षण के समय अधिकांश गोवंश स्वस्थ दिखे। मौके पर चरही में हरा चारा नहीं पाया गया। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में एक भूसा भण्डारण कक्ष (6.09 मी0 x 6.09 मी0) है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में भूसा उपलब्ध है। भूसा पंजिका का अवलोकन के अनुसार इस पंजिका में प्रविष्टियां दिनांक–01.04.2023 से दिनांक–18.09.2023 तक है, जिसमे 2.32 कुन्तल भूसा प्रतिदिन उपयोग में लाया जाता है। इस गोवंश आश्रय स्थल में चारा काटने की मशीन व ढुलाई के लिए ठेले की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
7. खाता बही पंजिका में अन्तिम प्रविष्टि दिनांक–08.05.2023 रू0 36,045/–की है तथा इसके पश्चात् आय–व्यय की कोई प्रविष्टि दर्ज नही है। कैश बुक प्रस्तुत की गयी, जोकि अव्यवस्थित है। यदि उचित प्रारूप में उपरोक्त पंजिकाओं का रख–रखाव किया जाये तो व्यवस्थित तरीके से प्रबन्धन किया जा सकता है । सुपुर्दगीकरण पंजिका नही प्रस्तुत की गयी। उपरोक्त पंजिकाओं में प्रविष्टियां नियमानुसार उचित प्रारूप में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।
8. निरीक्षण पंजिका के अनुसार मात्र 03 निरीक्षण (दिनांक–01.01.2023, 10.01.2023 व 17.01.2023) किये गये, जिसमे निरीक्षणकर्ता अधिकारी के कोई हस्ताक्षर नही है। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण पंजिका गोवंश–आश्रय–स्थल पर कार्यरत गोपालको के लिए मार्गदर्शक सिद्व हो सकती है। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान अपना

मन्तव्य स्पष्ट एवं लिखित रूप से पंजिका में अंकित करना आवश्यक है, अन्यथा निरीक्षण का आशय ही विफल हो जायेगा।

9. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। काफी मात्रा में गोवंश–आश्रय–स्थल के अन्दर घूम रहे है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में पर्याप्त ट्री–गार्ड उपलब्ध है जिनमें वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, जो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से उपयोगी होगा। परिसर में रोशनी की कोई व्यवस्था उपलब्ध नही है।
10. कमेटी के विचार में इस गोवंश–आश्रय–स्थल का रखरखाव व प्रबन्धन संतोषजनक है, जिसमे कुछ सुधार की आवश्यकता है।

(एस0वी0एस0 राठौर)
अध्यक्ष, ओवरसाइट कमेटी (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

ग्राम पंचायत–मड़ैया, विकासखण्ड–महेबा, जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल

ग्राम पंचायत–मड़ैया, विकासखण्ड–महेबा, जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल

Annexure-17

ग्राम पंचायत–मल्थुआ, विकासखण्ड–महेबा, जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक–24.09.2023 को ओवरसाइट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा जनपद–जालौन, विकासखण्ड–महेबा के ग्राम पंचायत–मल्थुआ में स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित है–

1. श्री विपिन, खण्ड विकास अधिकारी, महेबा
2. श्री अमर सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, मल्थुआ
3. श्री विजय दोहटे, पशुधन प्रसार अधिकारी, मल्थुआ
4. डा0 सतीश चन्द्र, पशु चिकित्सा अधिकारी, मल्थुआ
5. श्री नागेन्द्र, प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान (श्रीमती किरन देवी, ग्राम प्रधान, मल्थुआ)
6. श्री महेन्द्र, गोपालक
7. श्री मुखिया, गोपालक
8. श्री बड़ेलला, गोपालक
9. श्री मानसिंह, गोपालक

1. यह गोवंश–आश्रय–स्थल वर्ष 2019 से संचालित होना सूचित किया गया। यह गोवंश–आश्रय–स्थल ग्राम पंचायत की भूमि पर संचालित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1600 वर्ग मी0 है। परिसर के बाहर अन्य निर्माण कार्य चल रहा है। वर्तमान में 04 गोपालक कार्यरत है, जिनका वेतन रू0 6000/–प्रतिमाह है। यह गोवंश–आश्रय–स्थल चारों ओर से तारों से घेरा गया है तथा मुख्य द्वार पर गेट लगा हुआ है। यह गोवंश–आश्रय–स्थल आबादी के निकट स्थित है, परन्तु आस–पास विद्यालय/अस्पताल/अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नहीं है। बताया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल की क्षमता 82 गोवंश की है, जबकि वर्तमान में 12 नर, 43 मादा, 08 बछडे व 09 बछिया, कुल 72 गोवंश अभिलेखों में दर्ज हैं। कोई भी गोवंश स्वयंसेवी गोपालकों को पशुपालन हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत गोवंश पंजिका का रख–रखाव माह अप्रैल, 2023 से किया जा रहा है। इसमें उल्लिखित अन्तिम प्रविष्टि दिनांक–18.09.2023 की है, जिसमें सभी 72 गोवंशो का संरक्षित होना पाया गया है। बताया गया कि माह अप्रैल, 2023 से अब तक किसी भी गोवंश की मृत्यु नही हुई है, परन्तु 03 गोवंशो की मृत्यु का पंचनामा (दिनांक–30.06.2021, 24.04.2023 व 06.05.2023) अभिलेखों में पाया गया, जिसमे ग्राम विकास अधिकारी एवं पंचो के हस्ताक्षर है, परन्तु पशु चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर नही है।
2. बताया गया कि टैगिंग पंजिका मे दिनांक–19.09.2022 को केवल 22 मादा व 05 नर, कुल 27 गोवंशों की टैगिंग की गयी तथा इसके पश्चात कोई टैगिंग नही की गयी है। परन्तु निरीक्षण के समय मात्र 33 गोवंशों के कान में टैगिंग पायी गयी, 27 गोवंशों के कान में छेद तथा 22 गोवंशो मे न तो टैगिंग और न ही कान मे छेद पाया गया। इस पंजिका मे दर्ज प्रविष्टियां अधूरी व त्रुटिपूर्ण है तथा नियमानुसार नही की गयी है, जिसका पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका और वह चुप रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पंजिका तथ्यों को देखें बिना तथा निरीक्षण की सूचना पर तत्काल तैयार की गयी है। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा 27 गोवंशों का एल0एस0डी0 का टीकाकरण होना बताया गया, परन्तु इस सन्दर्भ में टीकाकरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपरोक्त पंजिकाओं में प्रविष्टियां मानकों के अनुसार तैयार की जानी चाहिए, जिसमे गोवंशों का उपचार एवं टीकाकरण सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियां नियमानुसार हो। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा सूचित किया कि जिलाधिकारी द्वारा वर्षा काल में गोवंश–आश्रय–स्थल का कोई कार्य न करने के लिए आदेशित किया गया है।
3. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 01 टिन–शेड (18 मी0 x 12 मी0) बना हैं, जिनमे पडंजा बिछा है तथा 03 चरनी निर्मित है, जिनमे से 02 चरनी (09 मी0 x 01 मी0 व 07 मी0 x 01 मी0) टिन–शेड के बीचों–बीच तथा एक चरनी (11 मी0 x 02 मी0) खुले मैदान में स्थित है। चरनी में भूसा एवं कटी हुई हरी घास डली हुयी पायी गयी । बीमार, आशक्त एवं विकलांग गोवंशो के लिए अलग से चिकित्सा कक्ष एवं उनके रहने के लिए अलग से शेड नही बना है। टिन–शेड के बगल में मूत्र व अपशिष्ट जल निकासी के लिए कोई व्यवस्था नही है न ही कोई नाली बनी है। वर्तमान में एक सोकपिट निर्माणाधीन है। टिन–शेड तथा परिसर की साफ सफाई अच्छी नही है। गोबर खुले में एकत्र किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि

निरीक्षण की सूचना पर जल्दीबाजी में सफाई की गयी है। यदि गोबर, मूत्र एवं अपशिष्ट जल का व्यवस्थित ढंग से निस्तारण करने से इसका प्रदूषणकारी प्रभाव कम होगा ।

4. गोवंश के पेयजल आपूर्ति के लिये एक सबमर्सिबिल पम्प लगा हुआ है तथा 02 पक्की हौज, 01 निर्मित (काईयुक्त) (3.0 मी0 X 2.5 मी0) व 01 निर्माणाधीन (5 मी0 X 4 मी0) है। जल के निस्तारण के लिये कोई नाली नहीं बनी है, जिससे परिसर के लगभग 20 प्रतिशत हिस्से में जलभराव है। उपस्थित गोपालकों द्वारा बताया गया कि परिसर में गोवंश को नहलाने की कोई व्यवस्था नहीं है।
5. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में एक कम्पोस्ट पिट (7 मी0 X 3 मी0) बना हुआ है, जो गोबररहित है। निरीक्षण के समय सूखा व ताजा गोबर परिसर में खुले में पड़ा पाया गया। परिसर में कम्पोस्टिंग, वर्मीकम्पोस्टिंग, गोबर, मूत्र एवं अपशिष्ट जल के अन्य उपयोग की कोई व्यवस्था नही है, जैसा कि शासनादेश दिनांक–02.01.2019 में निर्देशित किया गया है। गोवंश–आश्रय–स्थल की आय वृद्धि के लिए गड्ढे बनाकर उसमें गोबर एवं मूत्र व अपशिष्ट जल की नाली जोड़कर कम्पोस्टिंग द्वारा कम्पोस्ट खाद तैयार की सकती है, जिससे तैयार खाद की ग्राह्यता स्थानीय लोगों में अधिक होगी, परन्तु इस दिशा में कोई प्रयास नही किया गया है।
6. बताया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में सभी संसाधनों का उपयोग करते हुये पशुओं का भरण–पोषण किया जाता है, परन्तु निरीक्षण के समय कुछ गोवंश स्वस्थ दिखे तथा कुछ काफी दुर्बल दिखे। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हे समुचित आहार नहीं दिया जा रहा है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में भूसा भण्डारण हेतु एक भूसा भण्डारण कक्ष (6.40 मी0 X 4.26 मी0) उपलब्ध है, जिसमे भंडारित भूसे की गुणवत्ता अच्छी नही हैं । बताया गया कि भूसे में बाजरे का भूसा मिलाया गया है। भूसा पंजिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि इस पंजिका में प्रविष्टियां दिनांक 01.04.2023 से प्रारम्भ करके दिनांक 17.09.2023 तक अन्तिम प्रविष्टि की गई है। उक्त तिथि को 20 कुंतल भूसा रू0 840/– प्रति कुन्तल की दर से खरीदा जाना अंकित है। जिसके अनुसार 72 गोवंशों को 2.57 कुन्तल भूसा प्रतिदिन दिया जाता है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि नैपियर घास/बरसीम किराये की जमीन पर बोयी गयी है जिसे गोवंशों को खिलाया जाता है। इसके विपरीत, उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा प्रतिरोध किया गया और बताया गया कि आज पहली बार गोवंशों को हरा चारा दिया गया है। गोवंश–आश्रय–स्थल पर चारा काटने की मशीन व ढुलाई के लिए ठेले की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
7. बताया गया कि अब तक पशुधन विभाग से रू0 3,51,720/– की धनराशि प्राप्त हुई है, जिससे गोवंश–आश्रय–स्थल की देख–रेख व प्रबन्धन का कार्य किया जाता है। लेखा पंजिका व सुपुर्दगीकरण पंजिका प्रस्तुत नही की गई। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त पंजिकाओं में प्रविष्टियां नियमानुसार उचित प्रारूप में की जानी चाहिए, जिससे वर्तमान स्थिति का पता स्पष्ट रूप से लगाया जा सके ।
8. निरीक्षण पंजिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि समस्त निरीक्षण पशुधन प्रसार अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा स्वयं किए गए है। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस गोवंश–आश्रय–स्थल का कोई निरीक्षण नही किया गया। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान अपना मन्तव्य स्पष्ट एवं लिखित रूप से पंजिका में अंकित किया जाना चाहिए, जिससे गोपालकों द्वारा दिए गये सुझाव का अनुपालन किया जा सके।
9. परिसर के अन्दर लगभग 06 सीमेन्टेड ट्री–गार्ड लगे हैं, जिनमे वृक्षारोपण किया गया है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में वृक्षारोपण हेतु काफी स्थान उपलब्ध है, जिसमें वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, जो पर्यावरण की दृष्टि से उपयोगी होगा। निरीक्षण के समय उपस्थित ग्रामवासी श्री अजय पाल सिंह एवं अन्य ग्रामवासी गोवंश–आश्रय–स्थल के संचालन व रख–रखाव से सन्तुष्ट नहीं है। ग्रामवासियों द्वारा यह अनुरोध किया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल की दीवार सीमेन्टेड बनवाई जाए तथा गोवंशो को नियमित रूप से उचित आहार दिया जाए। परिसर में 02 सोलर पैनल लगा हुआ है, जिससे रोशनी की व्यवस्था है।
10. अंततः कमेटी के विचार में इस गोवंश–आश्रय–स्थल मे उचित रखरखाव व प्रबन्धन की अत्यन्त आवश्यकता है, जिसमें कोई रूचि नही ली गयी है ।

(एस0वी0एस0 राठौर)
अध्यक्ष, ओवरसाइट कमेटी (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

ग्राम पंचायत–मल्थुआ, विकासखण्ड–महेबा, जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय स्थल

ग्राम पंचायत–खडगुई, विकासखण्ड-महेबा, जनपद-जालौन स्थित अस्थायी गोवंश– आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक–24.09.2023 को ओवरसाइट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा जनपद–जालौन विकास खण्ड–महेबा के ग्राम पंचायत–खडगुई में स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित है–

1. श्री विपिन, खण्ड विकास अधिकारी, महेबा
2. डा0 सतीश चन्द्र, पशु चिकित्सा अधिकारी, खडगुई
3. श्री विजय दोहटे, पशुधन प्रसार अधिकारी, खडगुई
4. श्री अमर सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, खडगुई
5. श्री पप्पू, प्रतिनिधि ग्राम प्रधान, खडगुई (श्रीमती रजनी देवी, ग्राम प्रधान, खडगुई)
6. श्री हरदीप, गोपालक
7. श्री जीतू, गोपालक

1. यह गोवंश–आश्रय–स्थल वर्ष 2019 से संचालित होना सूचित किया गया है। यह गोवंश–आश्रय–स्थल ग्राम पंचायत की भूमि पर संचालित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग डेढ़ बीघा है। यह गोवंश–आश्रय–स्थल पूर्णतया चारो तरफ दीवारों व प्रवेश द्वार पर पक्के गेट से घिरा हुआ है तथा पूरे परिसर मे पड़जा बिछाया गया है। निरीक्षण के समय इस गोवंश–आश्रय–स्थल के मुख्य द्वार के बाहर अत्यधिक जलभराव/कीचड़ पाया गया, जिससे आवागमन बाधित है। वर्तमान में 02 गोपालक कार्यरत है, जिनका वेतन रू0 6000/–प्रतिमाह है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल के आसपास आबादी/विद्यालय/अस्पताल/अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नहीं है। वर्तमान में इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 09 नर, 37 मादा, 03 बछड़े व 08 बछिया, कुल 57 गोवंश अभिलेखों में दर्ज हैं। निरीक्षण के समय इस गोवंश–आश्रय–स्थल में लगभग 60 गोवंश पाए गए । कोई भी गोवंश स्वयं सेवी गोपालकों को पशुपालन को उपलब्ध नहीं कराया गया है। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत गोवंश पंजिका का रखरखाव माह अप्रैल, 2023 से किया जा रहा है। इसमें उल्लिखित अन्तिम प्रविष्टि दिनांक-17.09.2023 की है, जिसमें 57 गोवंशो का संरक्षित होना पाया गया है। बताया गया कि माह अप्रैल, 2023 से अब तक किसी भी गोवंश की मृत्यु नहीं हुई है।
2. पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टैगिंग पंजिका में कुल 57 गोवंशों मे से मात्र 20 गोवंशों (08 नर व 12 मादा) की प्रविष्टियां है। उपस्थित अन्य किसी गोवंश में न तो टैगिंग और न ही कान में छेद पाया गया। तात्कालिक गणना के अनुसार केवल 39 गोवंशो मे टैगिंग तथा 21 गोवंश बिना टैगिंग के पाये गए। टैगिंग पंजिका में टैगिंग का दिनांक भी उल्लिखित नही है, जिससे प्रतीत होता है कि यह प्रविष्टियां अधूरी, त्रुटिपूर्ण व एक ही हस्तलिपि में लिखित है तथा नियमानुसार नही बनाई गयी है। टैगिंग की इस स्थिति का संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका। टीकाकरण पंजिका भी प्रस्तुत नहीं की गयी। टैगिंग पंजिका के अवलोकन से यह पाया गया कि दिनांक 07.02.2023 में सभी गोवंशों का एल0एस0डी0 टीकाकरण किया गया है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह पंजिका तथ्यों को देखें बिना तथा निरीक्षण से तत्काल पूर्व तैयार की गयीहै। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपरोक्त पंजिका मानकों के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर तैयार की जानी चाहिए, जिसमे गोवंशो का उपचार एवं टीकाकरण सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियां व्यवस्थित तरीके से हो।
3. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 02 टिन–शेड (18 मी0 x 6 मी0 व 15 मी0 x 6 मी0) निर्मित हैं, जिनमे पडंजा बिछा है। एक चरनी (14 मी0 x 1.5 मी0) दीवार से सटी हुई तथा एक चरनी (12 मी0 x 1.5 मी0) में बीचो–बीच स्थित है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि गोवंशो को हरा चारा कभी–कभी दिया जाता है। दोनों टिन–शेड के बगल में मूत्र एवं अपशिष्ट जल निकासी/प्रवाह हेतु नाली की कोई व्यवस्था नहीं है तथा एक सोकपिट निर्माणाधीन है। बीमार, अशक्त, एवं विकलांग गोवंशो के लिए चिकित्सा कक्ष एवं उनके रहने के लिए अलग से कक्ष नही बना है। टिन–शेड व परिसर की साफ सफाई अच्छी नहीं है तथा गोबर खुले में एकत्र किया जा रहा है।
4. गोवंश के पेयजल आपूर्ति के लिये एक सबमर्सिबिल पम्प लगा हुआ है तथा एक पक्की हौज (9 मी0 x 1.5 मी0) बनी हुई है। जल के निस्तारण के लिये कोई नाली नहीं बनी है, जिससे जल प्रदूषण की समस्या निरन्तर बनी है। गोवंश को नहलाने की कोई पृथक व्यवस्था नही है।
5. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में एक निर्माणाधीन कम्पोस्ट पिट (5 मी0 x 3 मी0) है, किन्तु गोबर परिसर में किनारे में एकत्र किया जा रहा है। परिसर में कोई कम्पोस्टिंग, वर्मीकम्पोस्टिंग, बायोगैस संयंत्र तथा गोबर एवं मूत्र के अन्य उपयोग की कोई व्यवस्था नही है जैसा कि शासनादेश दिनांक–02.01.2019 में निर्देशित किया गया है। कम्पोस्टिंग के लिये गढडे बनाकर उसमें गोबर एवं मूत्र व अपशिष्ट जल की नाली

जोड़कर कम्पोस्टिंग की जा सकतीहै, जिससे वैज्ञानिक खाद की ग्राहता स्थानीय लोगों में अधिक होगी। यदि गोबर एवं मूत्र को व्यवस्थित ढंग से निस्तारण किया जाए, तो इसका प्रदूषणकारी प्रभाव कम होगा तथा गोवंश–आश्रय–स्थल की आय में भी वृद्वि होगी।

6. बताया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में सभी संसाधनो का उपयोग करते हुये पशुओं का भरण–पोषण किया जाता है, परन्तु निरीक्षण के समय कुछ गोवंश स्वस्थ तथा कुछ काफी दुर्बल दिखे। ऐसा प्रतीत होता है कि कमजोर गोवंशों समुचित आहार नहीं दिया जा रहा है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में एक भूसा भण्डारण कक्ष (6.70 मी0 x 5.48 मी0) है, जिसमें पर्याप्त मात्रा मे भूसा उपलब्ध है। भूसा पंजिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि इस पंजिका में प्रविष्टियां दिनांक–01.04.2023 से प्रारंभ करके दिनांक–17.09.2023 तक अंतिम प्रविष्टि की गई है जिसमे दिनांक–01.09.2023 को 42.80 कुंतल भूसा रू0 840/– प्रति कुंतल की दर से खरीदना दर्शाया गया है तथा 57 गोवंशों को 2.034 कुन्तल भूसा प्रतिदिन खिलाया जाता है। दिनांक–17.09.2023 के पश्चात इस पंजिका में कोई प्रविष्टि नही की गयी है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि नैपियर घास/बरसीम निजी भूमि पर बोना बताया गया है। गोवंश–आश्रय–स्थल पर चारा काटने की मशीन उपलब्ध नही है।
7. खाताबही पंजिका के अवलोकन से यह पाया गया कि दिनांक–30.08.2023 को रू0 49,140/– की आय–व्यय अंकित है, इसके पश्चात इस पंजिका में कोई प्रविष्टि नही है। सूचित किया गया कि पशुधन विभाग से रू0 2,74,605/– की धनराशि प्राप्त हुई है। ग्राम पंचायत से रू0 60,000/– की धनराशि से गोपालको को भुगतान किया गया है। कैश बुक पंजिका में दिनांक–01.04.2023 से प्रारम्भ होकर दिनांक 01.09.2023 तक की प्रविष्टियां है। जिसमें गोवंश के भरण–पोषण से संबंधित आय–व्यय का लेखा–जोखा है। दिनांक–01.09.2023 के पश्चात इस पंजिका में कोई प्रविष्टि नही है। सुपुर्दगीकरण पंजिका प्रस्तुत नही की गई। उपरोक्त पंजिकाओं में प्रविष्टियां नियमानुसार उचित प्रारूप में संबंधित अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए, जिससे वास्तविक स्थिति का स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सके ।
8. निरीक्षण पंजिका में प्रविष्टियां दिनांक–01.04.2023 से दिनांक–17.09.2023 तक दर्ज है, जिसमे सुझाव नही दिये गये है तथा यह पाया गया कि समस्त निरीक्षण स्वयं ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किये गये है, जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया जा सका। खण्ड विकास अधिकारी/पशु चिकित्सा अधिकारी/अन्य अधिकारी द्वारा इस गोवंश–आश्रय–स्थल का कोई निरीक्षण नही किया गया। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान अपना मन्तव्य स्पष्ट एवं लिखित रूप से पंजिका में अंकित करना आवश्यक है, जिससे द्वारा दिए गए सुझाव का गोपालको द्वारा अनुपालन किया जा सके, अन्यथा निरीक्षण का आशय ही विफल हो जायेगा ।
9. परिसर के अन्दर मात्र 05 सीमेन्टेड ट्री–गार्ड व 03 लोहे के ट्री–गार्ड, कुल 08 ट्री–गार्ड लगे हैं, जिनमे वृक्षारोपण किया गया है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में वृक्षारोपण हेतु काफी स्थान उपलब्ध है, जहॉ पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्षारोपण के लिए कोई प्रयास नही किया गया है नही तो विगत चार वर्षो में काफी वृक्षारोपण हो जाता, जो गोवंशों को गर्मी व धूप से बचाने के लिए तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सहायक होते है। परिसर मे 01 सोलर पैनल लगा हुआ है, जिससे रोशनी की व्यवस्था उपलब्ध है।
10. निरीक्षण के समय उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की गई कि गोवंशो को दिन में छोड दिया जाता है, वह ग्रामवासियों की फसल चर जाते है, जिससे उन्हे अत्यधिक आर्थिक हानि हो रही है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल के संचालन व रख–रखाव से ग्रामवासी संतुष्ट नही है, जिससे उनमें काफी आक्रोश है। समस्त ग्रामवासियों द्वारा यह अनुरोध किया गया कि गोवंश–आश्रय–स्थल की पक्की दीवार बनवाई जाए जिससे गोवंश बाहर न जा सके और गोवंशो को नियमित रूप से उचित आहार दिया जाए जिससे उनकी फसले नष्ट न हो। ग्रामवासियों द्वारा यह भी शिकायत की गई कि पशु चिकित्सा अधिकारी कभी भी इस गोवंश–आश्रय–स्थल में गोवंशों के उपचार के लिए नही आते है।
11. अंततः कमेटी के विचार में इस गोवंश–आश्रय–स्थल मे गोवंशों की उचित देख–भाल, रख-रखाव व प्रबन्धन की अत्यन्त आवश्यकता है।

(एस0वी0एस0 राठौर)
अध्यक्ष, ओवरसाइट कमेटी (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

ग्राम पंचायत–खडगुई, विकासखण्ड–महेवा, जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल

Annexure-19

ग्राम पंचायत- न्यामतपुर, विकासखण्ड- महेबा, जनपद-जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक–24.09.2023 को ओवरसाइट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा जनपद–जालौन, विकासखण्ड–महेबा के ग्राम पंचायत–न्यामतपुर में स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित है।

1. श्री विपिन, खण्ड विकास अधिकारी, महेबा
2. डा0 सतीश चन्द्र, पशु चिकित्सा अधिकारी, न्यामतपुर
3. श्री महेन्द्र कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, न्यामतपुर
4. श्री शोभित कुमार, प्रतिनिधि ग्राम प्रधान, न्यामतपुर (श्री संदीप कुमार, ग्राम प्रधान, न्यामतपुर)
5. श्री लालाराम, गोपालक
6. श्री दीपू, गोपालक
7. श्री पप्पू, गोपालक
8. श्री सुरेश, गोपालक
9. श्री राजू पाल, गोपालक

1. यह गोवंश–आश्रय–स्थल वर्ष 2022 से संचालित होना सूचित किया गया। यह गोवंश–आश्रय–स्थल ग्राम पंचायत की भूमि पर स्थित है, जो लगभग 02 एकड़ में फैला हुआ है। यह गोवंश–आश्रय–स्थल आबादी से लगभग 01 कि0मी0 दूरी पर स्थित है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल के आस–पास आबादी/विद्यालय/अस्पताल/अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नहीं है। गोवंश परिसर एक तरफ तार से तथा बाकी बिना बाउन्ड्री के मैदान में है। टीन–शेड के अतिरिक्त पूरे परिसर मे कच्चा फर्श है। वर्तमान में 05 गोपालक कार्यरत है, जिनका वेतन रू0 6000/– प्रतिमाह है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 13 नर, 155 मादा, 14 बछड़े व 13 बछिया, कुल 195 गोवंश अभिलेखों में दर्ज हैं। बीमार, आशक्त एवं विकलांग गोवंश के लिये अलग कक्ष की व्यवस्था नहीं है। कोई भी गोवंश स्वयंसेवी गोपालकों को पशुपालन को उपलब्ध नहीं कराया गया है। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत गोवंश पंजिका का रख–रखाव माह अगस्त, 2022 से किया जा रहा है। बताया गया कि माह अप्रैल, 2023 से अब तक एक गोवंश की मृत्यु नही हुई है, परन्तु मृत्यु का पंचनामा प्रस्तुत नही किया गया।
2. पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टैगिंग पंजिका में कुल 71 गोवंशो की प्रविष्टियां है, परन्तु तत्कालिक गणना के अनुसार कुल 195 गोवंशों में से केवल 170 गोवंशो में टैगिंग है, 05 गोवंश के कान में छेद है, 10 गोवंश बिना टैगिंग के पाये गए। इस पंजिका में टैगिंग का दिनांक अंकित नहीं है, जिससे प्रतीत होता है कि यह प्रविष्टियां अधूरी, त्रुटिपूर्ण, एक ही हस्तलिपि में लिखित तथा नियमानुसार नही बनाई गयी है। टीकाकरण पंजिका भी प्रस्तुत नहीं की गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि टैगिंग पंजिका तथ्यों को देखें बिना तथा निरीक्षण से तत्काल पूर्व तैयार किया गया है। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपरोक्त पंजिका मानकों के अनुसार तैयार की जानी चाहिए, जिससे गोवंशो का उपचार एवं टीकाकरण सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियां व्यवस्थित तरीके से हो।
3. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में एक टिन–शेड (25 मी0 x 8 मी0) निर्मित है, जिसमे पडंजा बिछा है। गोवंशो की संख्या को देखते हुए टिन–शेड काफी छोटा है । टिन–शेड के बगल में मूत्र एवं अपशिष्ट जल निकासी हेतु नाली की कोई व्यवस्था नही है। दो चरनी (प्रत्येक 9 मी0 x 4 मी0) टिन–शेड के बाहर मैदान मे स्थित है। टिन–शेड व परिसर की साफ सफाई अच्छी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि निरीक्षण की सूचना पर जल्दीबाजी में सफाई की गयी है। यदि गोबर, मूत्र एवं अपशिष्ट जल का व्यवस्थित ढंग से निस्तारण किया जाए, तो इसका प्रदूषणकारी प्रभाव कम होगा। बीमार, आशक्त एवं विकलांग गोवंशो के लिए चिकित्सा कक्ष एवं उनके रहने के लिए अलग से कक्ष की कोई व्यवस्था नही है।
4. गोवंश के पेयजल आपूर्ति के लिये एक सबमर्सिबिल पम्प लगा हुआ है, जिसे ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है तथा एक पक्की हौज (6 मी0 x 4 मी0) बनी हुई है। जल के निस्तारण के लिये कोई नाली नहीं बनी है, जिससे जल प्रदूषण की समस्या निरन्तर बनी रहती है। गोवंश को नहलाने की कोई भी उचित व्यवस्था उपलब्ध नही है। सूचित किया गया कि प्रयुक्त अपशिष्ट जल निकट के नाले में जाता है, जो अन्ततः नून नदी में गिरता है । यह चिन्ताजनक स्थिति है जिसके कारण सहायक नदी एवं मुख्य नदी का जल प्रदूषित हो रहा है।

5. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में कम्पोस्ट पिट नही है तथा गोबर परिसर में खुले में एकत्र किया जा रहा है। परिसर में कम्पोस्टिंग, वर्मीकम्पोस्टिंग, बायोगैस संयंत्र, गोबर एवं मूत्र अन्य उपयोग की कोई व्यवस्था नही है, जैसा कि शासनादेश दिनांक 02.01.2019 में निर्देशित किया गया है। गोवंश–आश्रय–स्थल के आय की वृद्वि के लिए कम्पोस्टिंग के लिये गड्ढे बनाकर उसमें गोबर एवं मूत्र की नाली जोड़कर कम्पोस्ट खाद तैयार की जा सकती है, जिससे तैयार खाद की ग्राह्यता स्थानीय लोगों में अधिक होगी। किन्तु इस दिशा में कोई प्रयास नही किया जा रहा है।
6. बताया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में सभी संसाधनों का उपयोग करते हुये पशुओं का भरण-पोषण किया जाता है तथा उन्हे भूसा, चोकर व हरा–चारा दिया जाता है। निरीक्षण के समय अधिकांश गोवंश स्वस्थ दिखे। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में एक भूसा भण्डारण कक्ष (7.31 मी0 x 4.57 मी0) है, जिसमें पर्याप्त मात्रा मे भूसा उपलब्ध है। भूसा पंजिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि इस पंजिका में प्रविष्टियां दिनांक–01.08.2022 से की गयी है, जिसमे दिनांक–18.09.2023 को 50 कुंतल भूसा अग्रिम क्रय किया गया है । जिसके अनुसार 8.50 कुन्तल भूसा पिछला शेष, 5.50 कुंतल व्यय किया गया हरा चारा, कुल 64 कुंतल भूसा उपलब्ध है। उपलब्ध 64 कुन्तल भूसे मे से, 5.50 कुंतल भूसा एवं 5.50 कुंतल हरा चारा प्रतिदिन सभी गोवंशो को दिया जाता है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि नैपियर घास ग्राम प्रधान की निजी भूमि पर उगाया जाता है। गोवंश–आश्रय–स्थल पर चारा काटने की मशीन व ढुलाई के लिए ठेले की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
7. खाताबही पंजिका के अवलोकन में यह पाया गया कि दिनांक-17.05.2023 को रू0 20,000/- की धनराशि अंकित है तथा इसके पश्चात इस पंजिका मे कोई प्रविष्टि नही है। सूचित किया गया कि इस वित्तीय वर्ष में पशुधन विभाग से रू0 6,92,655/– की धनराशि प्राप्त हुई है। ग्राम पंचायत से प्राप्त रू0 1,50,000/– की धनराशि से गोपालको को भुगतान किया जाता है। कैश बुक पंजिका व सुपुर्दगीकरण पंजिका प्रस्तुत नही की गई। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उपरोक्त पंजिकाओं में प्रविष्टियां नियमानुसार उचित प्रारूप में किया जाना चाहिए, जिससे वर्तमान स्थिति का पता स्पष्ट रूप से लगाया जा सके।
8. निरीक्षण पंजिका में कुल 04 प्रविष्टियां (दिनांक–15.08.2022, 24.08.2022, 29.08.2022 व 18.09.2022) की गई है, जिससे प्रतीत होता है कि समस्त निरीक्षण आख्या व हस्ताक्षर स्वयं पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए है। खण्ड विकास अधिकारी/अन्य अधिकारी द्वारा इस गोवंश–आश्रय–स्थल का कोई निरीक्षण नही किया गया है। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान अपना मन्तव्य स्पष्ट एवं लिखित रूप से पंजिका में अंकित करना आवश्यक है, जिससे निरीक्षण का उद्देश्य पूरा हो सके ।
9. परिसर में न तो वृक्षारोपण करवाया गया है और न ही ट्री–गार्ड लगवाए गये है। यद्यपि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में वृक्षारोपण हेतु परिसर के बाहर काफी स्थान उपलब्ध है जिसमें वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, जो पर्यावरण की दृष्टि से उपयोगी होगा। परिसर में रोशनी की व्यवस्था उपलब्ध नही पाई गयी।
10. अंततः कमेटी के विचार में इस गोवंश–आश्रय–स्थल मे उचित रख-रखाव व प्रबन्धन संतोषजनक न होने के कारण इसके प्रबंधन में अधिक ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।

(एस0वी0एस0 राठौर)
अध्यक्ष, ओवरसाइट कमेटी(एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

ग्राम पंचायत–न्यामतपुर, विकासखण्ड–कोंच, जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल

Annexure-20

ग्राम पंचायत–उरकरा कलां, विकासखण्ड–महेबा, जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक–24.09.2023 को ओवरसाइट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा जनपद–जालौन विकासखण्ड–महेबा के ग्राम पंचायत–उरकरा कलां में स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित है–

1– श्री विपिन, खण्ड विकास अधिकारी, महेबा
2– डा0 बालेंद्र राजपूत, पशु चिकित्सा अधिकारी, उरकरा कलां
3– सुश्री अंजिला पाल, ग्राम विकास अधिकारी, उरकरा कलां
4– श्री शिवदास श्रीवास, ग्राम प्रधान–उरकरा कलां
5– श्री सुखवीर सिंह, ठेकेदार
6– श्री प्रेम सिंह, गोपालक
7– श्री धीरेन्द्र सिंह, गोपालक
8– श्री जय सिंह, गोपालक

1. यह गोवंश–आश्रय–स्थल वर्ष 2022 से संचालित होना सूचित किया गया। यह ग्राम सभा की भूमि पर स्थित है, जो लगभग डेढ़ बीघा में फैला हुआ है। यह गोवंश–आश्रय–स्थल गॉव मे आबादी में स्थित है। गोवंश परिसर के चारों तरफ पक्की दीवार है तथा प्रवेश द्वार पर पक्के गेट से घिरा हुआ है। पूरे परिसर में पड़जा है तथा परिसर की साफ–सफाई संतोषजनक है। वर्तमान में 03 गोपालक कार्यरत है, जिनका वेतन रू0 6000/– प्रतिमाह है। वर्तमान में इस गोवंश स्थल में 15 नर, 32 मादा व 23 बछडे/बछिया, कुल 70 गोवंश अभिलेखों में दर्ज हैं। बीमार, अशक्त एवं विकलांग गोवंश के लिये अलग कक्ष की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत गोवंश पंजिका का रखरखाव माह अप्रैल, 2023 से किया जा रहा है। कोई भी गोवंश स्वयंसेवी गोपालकों को पशुपालन को उपलब्ध नहीं कराया गया है। बताया गया कि दिनांक–30.06.2023 को 02 गोवंश (01 मादा व 01 बछड़ा), दिनांक–30.06.2023 को 01 अन्ना पशु को, दिनांक–08.08.2023 को 03 गोवंश (02 नर व 01 मादा), दिनांक–16.08.2023 को 10 गोवंश (03 नर, 03 मादा व 04 बछड़ा/बछिया) तथा दिनांक–24.08.2023 को 04 गोवंश (03 मादा व 01 बछड़ा) को इस गोवंश–आश्रय–स्थल मे लाया गया है। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत गोवंश पंजिका तथा पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टैगिंग पंजिका के अनुसार, दिनांक–29.06.2023 को 01 नर गोवंश (टैग नंबर– 102370177641) की मृत्यु हुई है, जिसके मृत्यु का पंचनामा उपलब्ध नहीं है। परंतु प्रस्तुत टैगिंग पंजिका में दिनांक–02.01.2023 को एक अन्य मादा गोवंश (टैग नंबर–102370177721) का भी मृत होना अंकित है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रस्तुत गोवंश पंजिका तथा टैगिंग पंजिका में असमानता है, जो सोचनीय है। गोवंशो की मृत्यु के सम्बन्ध में सही तथ्य अंकित नही किये जा रहे है।
2. पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टैगिंग पंजिका में दिनांक–13.08.2022 को कुल 55 गोवंशो की तथा दिनांक–20.08.2023 को 15 गोवंशो की टैगिंग की गई। टैगिंग पंजिका मे अंकित प्रविष्टि व पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा कही गई बातों में असमानता पाई गई, जिसका पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका। टीकाकरण पंजिका भी प्रस्तुत नहीं की गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त पंजिका तथ्यों को देखें बिना तथा निरीक्षण से तत्काल पूर्व तैयार किया गया है। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपरोक्त पंजिका मानकों के अनुसार तैयार की जानी चाहिए, जिसमे गोवंशों का उपचार एवं टीकाकरण सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियां व्यवस्थित तरीके से अंकित हो।
3. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में एक टिन–शेड (24 मी0 × 8 मी0) निर्मित तथा एक टिन–शेड (10 मी0 × 4 मी0) बछड़े/बछियों के लिए निर्माणधीन, कुल 2 टिन–शेड है। निर्मित टिन–शेड के चारों तरफ से हरे बोरे से ढका गया है, जिसमें पडंजा बिछा हुआ है तथा चरनी (24 मी0 × 0.5 मी0) दीवार से सटी हुई बनी है। टिन–शेड व परिसर की साफ–सफाई ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि निरीक्षण की सूचना पर जल्दीबाजी में सफाई की गयी है। टिन–शेड के बगल में मूत्र एवं अपशिष्ट जल निकासी हेतु नाली की कोई व्यवस्था नही है। यदि गोबर, मूत्र एवं अपशिष्ट जल का व्यवस्थित ढंग से निस्तारण किया जाए, तो इसका प्रदूषणकारी प्रभाव कम होगा।

4. गोवंश के पेयजल आपूर्ति के लिये एक सबमर्सिबिल पम्प लगा हुआ है तथा एक पक्की हौज (5 मी0 × 2 मी0) हुई है। जल के निस्तारण के लिये कोई नाली नहीं बनी है, जिससे जल प्रदूषण की समस्या निरन्तर बनी है।
5. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में एक कम्पोस्ट पिट (10 मी0 × 3 मी0) है, जिसमें गोबर डाला जाता है। बताया गया कि ठेकेदार श्री सुखवीर सिंह के द्वारा इस गोवंश–आश्रय–स्थल में निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल की आय वृद्वि के लिए कम्पोस्टिंग, वर्मीकम्पोस्टिंग, बायोगैस संयंत्र एवं गोबर के अन्य प्रयोग की कोई व्यवस्था नही है, जैसा कि शासनादेश दिनांक–02.01.2019 में निर्देशित किया गया है। इस दिशा में कोई प्रयास भी नही किया गया है।
6. बताया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में सभी संसाधनों का उपयोग करते हुये पशुओं का भरण–पोषण किया जाता है तथा उन्हे भूसा, चोकर व हरा–चारा दिया जाता है। निरीक्षण के समय भी अधिकांश गोवंश स्वस्थ दिखे। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में एक भूसा भण्डारण कक्ष (8 मी0 × 5 मी0) निर्मित है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में भूसा उपलब्ध है। एक अन्य भूसा भण्डारण कक्ष (8 मी0 × 5 मी0) निर्माणाधीन है। भूसा पंजिका में प्रविष्टियां दिनांक–01.04.2023 से प्रारंभ होकर दिनांक–24.09.2023 तक है। लगभग 01 कुंतल हरा चारा प्रतिदिन जन सहभागिता से प्राप्त होना सूचित किया गया। दिनांक–24.09.2023 की प्रविष्टि के अनुसार, 2.62 कुंतल भूसा एवं 01 कुंतल हरा चारा प्रतिदिन सभी गोवंशों को खिलाया गया तथा 17.76 कुंतल भूसा व हरा चारा शेष पाया गया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि नैपियर घास/बरसीम किराये की भूमि पर उगायी जाती है। गोवंश–आश्रय–स्थल पर यंत्रीकृत चारा काटने की मशीन उपलब्ध है, जिससे हरा चारा काटा जाता है। भूसा, टेंडर द्वारा रू0 800/– प्रति कुन्तल की दर से तथा आवश्यकता पड़ने पर किसानों से रू0 800/– प्रति कुंतल की दर से खरीदा जाता है।
7. कैश बुक पंजिका अवलोकन में यह पाया गया कि इस पंजिका मे दिनांक–01.04.2023 से दिनांक–01.09.2023 तक ही अंकित है, जिसमें आय–व्यय की सभी प्रविष्टिया अंकित है। सूचित किया गया कि पशुधन विभाग से रू0 1,93,516/– तथा ग्राम पंचायत से रू0 60,000/– की धनराशि प्राप्त हुई है । खाताबही व सुपुर्दगीकरण पंजिकायें प्रस्तुत नहीं की गई। उपरोक्त पंजिकाओं में प्रविष्टियां नियमानुसार उचित प्रारूप में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए, जिससे वर्तमान स्थिति का पता स्पष्ट रूप से लगाया जा सके।
8. निरीक्षण पंजिका के अनुसार इस गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण दिनांक–20.08.2023 को खण्ड विकास अधिकारी, द्वारा दिनांक–26.05.2023 को पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा तथा दिनांक–08.08.2023 को नोडल अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसमें दिए गए सुझाव निरीक्षण पंजिका में लिखित है। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान अपना मन्तव्य स्पष्ट एवं लिखित रूप से निरीक्षण पंजिका में अंकित करना आवश्यक है, जिससे गोपालकों द्वारा दिए गए सुझाव का अनुपालन किया जा सके अन्यथा निरीक्षण का आशय ही विफल हो जायेगा।
9. परिसर के अन्दर वृक्षारोपण करवाया गया है तथा 7–8 ट्री–गार्ड लगवाए गए है, जो कि अपर्याप्त है। यद्यपि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में वृक्षारोपण हेतु परिसर के बाहर काफी स्थान उपलब्ध है, जिसमें वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, जो न केवल पर्यावरण की दृष्टि से उपयोगी होगा वरन् गोवंशो को धूप व गर्मी से बचाने में सहायक होगा। परिसर में रोशनी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
10. निरीक्षण के समय उपस्थित ग्रामवासियों गोवंश–आश्रय–स्थल के संचालन व रख–रखाव से सन्तुष्ट नहीं है। ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि कुछ नर गोवंश, जो अत्यंत आक्रामक है, परिसर की बाउन्ड्री के बाहर चले जाते है। यह सभी व्यवस्थायें आज ही की गई है, जिससे रख–रखाव सही दिख सके। ग्रामवासियों द्वारा अनुरोध किया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल की दीवार ऊंची की जाए तथा गोवंश–आश्रय–स्थल का रख–रखाव व प्रबंधन नियमानुसार व्यवस्थित ढंग से की जाए।
11. कमेटी के विचार में इस गोवंश–आश्रय–स्थल मे उचित रख–रखाव व प्रबन्धन को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

(एस0वी0एस0 राठौर)
अध्यक्ष, ओवरसाइट कमेटी (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

ग्राम पंचायत–उरकरा कलां, विकासखण्ड–महेबा, जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल

Annexure-21

ग्राम पंचायत –मई, विकास खण्ड–रामपुरा, जनपद– जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक 25.09.2023 को ओवरसाईट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा ग्राम पंचायत–मई स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया। जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे–

1– श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी, जालौन।
2–श्री भरत सिंह, सहायक विकास अधिकारी(पंचायत), रामपुरा।
3– डा0 सुरेन्द्र सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी, रामपुरा।
2– श्री कृष्ण कुमार दुबे, पशुधन प्रसार अधिकारी, रामपुरा।
3– श्री रत्नेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, मई।
4– श्रीमती प्रभा देवी, ग्राम प्रधान, मई के प्रतिनिधि।
5– श्री श्याम सिंह व 03 अन्य गोपालक।

1. यह गोवंश–आश्रय–स्थल लगभग 03 वर्ष से ग्राम सभा की भूमि पर संचालित है। इसके आस–पास आबादी क्षेत्र, विद्यालय/अस्पताल या अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नहीं है। इसमें गोवंशो की छाया हेतु 02 टिन शेड (12.1 मी0 x 8.2 मी0 व 12.5 मी0 x 8.5 मी0) बने है जिसकी फर्श खड़ंजे की है। एक शेड के बीच में गोवंशो के दोनों तरफ से चारा खाने के लिए 01 चरनी (11 मी0 x 2 मी0) बनी है। दूसरी चरनी (10 मी0 x 2 मी0) खुले में बनाई गई है। चरनी वाले टिन शेड के बाहर लगभग 6 फीट की चौड़ाई में खड़ंजा लगा हुआ है। शेड एवं बाहर के खड़ंजे पर लगभग 1.0 से 1.5 इंच मोटी गोबर की सूखी परत पाई गई (संलग्नक–1)। स्थल अभाव के कारण परिसर में बीमार, अशक्त एवं विकलांग गोवंशो को अलग से रखने के लिए कोई शेड या अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं है।

2. इसके अतिरिक्त पानी पीने के लिए 02 चरही (3.5 मी0 x 1.9 मी0 व 5 मी0 x 1.8 मी0), 01 पक्का कम्पोस्ट पिट (12.1 मी0 x 8.2 मी0 x 1.25 मी0) तथा 01 वृत्ताकार सोक पिट (1.25 मी0 व्यास, 1.2 मी0 गहराई) बनाये गये हैं। गोबर एवं मूत्र के गडढ़े का निर्माण नया है। जब तक गोबर एवं गोमूत्र के खाद से इतर प्रयोग की व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक पक्के गडढ़े पर्यावरण, गोवंश एवं मानव स्वास्थ्य के लिए अहितकर बने रहेंगे। ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से बातचीत करने पर यह स्पष्ट हुआ कि गोबर का उपयोग खाद के रूप में ही किया जाता है। अतः फिलहाल गोबर एवं गोमूत्र के निस्तारण के लिए पक्के गड्ढे का निर्माण अनावष्यक व्यय ही कहलायेगा। जब तक ऐसी कोई ठोस योजना नही बनती है तब तक कच्चे गड्ढो में ही गोबर, गोमूत्र एवं प्रदूषित जल का निस्तारण किया जाना पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त होगा। गोवंश–आश्रय–स्थल की जालीदार तार से की गई घेराबंदी

के बाहर जो मिट्टी के टीले हैं उनके ग्राम सभा के होने की बात बताई गई। इन्हें तोड़कर समतल करने से इस आश्रय–स्थल को उपयोग हेतु अतिरिक्त भूमि प्राप्त हो सकती है, जिसकी इसे सख्त आवश्यकता है। गोवंश–आश्रय–स्थल में समर्सिबल पम्प तथा विद्युत की व्यवस्था उपलब्ध है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में चारा मशीन उपलब्ध नही पाया गया।

3. ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक–02.06.2021 से पूर्व लगभग 15–20 गोवंश ही थे। उनके खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। नये ग्राम प्रधान के कार्यभार सम्भालने के बाद माह अगस्त, 2021 से गोवंशों को आश्रय–स्थल में रखने की व्यवस्था की गई है। श्री रत्नेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, वर्ष 2021 से ही यहां पर कार्यरत हैं। उन्होंने गोवंश गणना पंजिका प्रस्तुत की जिसमें दिनांक–01.08.2022 से गोवंशों की संख्या तिथिवार अंकित है, जिसे पंचायत सहायक के द्वारा अंकित किया जाना बताया गया है। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि पांचवे कॉलम में लाल स्याही से उनके द्वारा माह की औसत संख्या अंकित की गई है (संलग्नक–2)। जब गोवंशों की संख्या तिथिवार अंकित की जा रही थी तो मासिक औसत अंकित करने का क्या औचित्य था, इसे ग्राम विकास अधिकारी स्पष्ट नही कर सके। उल्लेखनीय है कि अगस्त, 2022 मे तिथिवार अंकित गोवंश संख्या के आधार पर मासिक औसत 102 आता है जबकि ग्राम विकास अधिकारी ने इसे 110 अंकित किया है। इसी प्रकार, माह सितम्बर, 2022 में अंकित गोवंशों की संख्या के आधार पर निकला गया औसत और लाल स्याही से अंकित गोवंशों की औसत संख्या मेल नहीं खाती है। यही स्थिति माह अक्टूबर व नवम्बर की भी है। माह–नवम्बर, 2022 तक नर मादा एवं गोवंशों की संख्या अलग–अलग लिखी जाती थी, परन्तु माह–दिसम्बर, 2022 से मात्र कुल गोवंशों की संख्या अंकित की जा रही है। इस पंजिका में न तो किसी गोवंश की मृत्यु दर्ज है और न ही किसी स्वयंसेवी व्यक्ति को भरण–पोषण हेतु सुपुर्द करने का विवरण।

4. पशुधन प्रसार अधिकारी के पास उपलब्ध टैंगिंग पंजिका में दिनांक–17.12.2020 को पहली बार टैंगिग करना दर्शाया गया है। इस तिथि को 14 मादा एवं 16 नर गोवंशों की टैंगिंग की गई है। पुनः दिनांक–23.02.2021 को 10 मादा एवं 3 नर गोवंशों की टैंगिंग की गई है। इस पंजिका में दिनांक–07.12.2021 तक कुल 50 मादा एवं 28 नर गौवंशों की टैंगिंग अंकित है। अभिलेखों का रख–रखाव ठीक से नहीं किया गया है। कई जगहों पर कटिंग की गई है। टैंगिंग का विवरण एक अन्य पंजिका में भी अंकित दिखाया गया, जिसके अनुसार दिनांक–13.11.2022, 02.12.2022, 20.01.2023, 21.03.2023, 25.08.2023, 05.09.2023 एवं 23.09.2023 को कुल मिलाकर 107 मादा एवं 45 नर गोवंशों की टैंगिंग की गई है एवं कुल 02 गोवंशों की सुपुर्दगी दर्ज की गई है। भरण–पोषण हेतु दिये जाने वाले गोवंश तथा उसे ग्रहण करने वाले व्यक्ति का पूरा

विवरण (आधार संख्या, बैंक का नाम, खाता संख्या, गोवंश की टैंग संख्या आदि) पंजिका मे अंकित किया जाता है, परंतु ऐसी कोई पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी।

5. ग्राम विकास अधिकारी ने अवगत कराया कि माह–मार्च, 2023 के महीने में 150 गोवंश थे, जिन्हें चरने के लिए बाहर छोड़ दिया जाता था। उसमें से कुछ लौट कर नहीं आते थे एवं किसी दिन कुछ अधिक संख्या में आ जाते थे, जिसके कारण गोवंशों की संख्या में अंतर आ जाता है। उनका यह कथन अभिलेखों की सच्चाई से बिल्कुल परे है। स्टॉक पंजिका में माह मार्च, 2023 में पूरे महीने (31 दिन) गोवंश के संख्या 150 अंकित की गई है। माह अप्रैल, 2023 में भी पूरे महीने यह संख्या 130 अंकित की गई है (संलग्नक 3) और माह मई, 2023 से लगातार यह संख्या 110 अंकित की जा रही है। इतना ही नही टैगिंग पंजिका के अनुसार दिनांक–17.01.2023 तक कुल टैग किए गए गोवंशों की संख्या केवल 142 थी जबकि स्टॉक पंजिका में इस तिथि को 160 गोवंश दर्शाये गये हैं।

6. आश्रय–स्थल पर रखी गई निरीक्षण पुस्तिका में दिनांक–20.01.2023 को श्री कृष्ण कुमार दुबे, पशुधन प्रसार अधिकारी की निरीक्षण टिप्पणी दर्ज है, जिसमें 102 गोवंशों के संरक्षित होने का उल्लेख है। जबकि गणना पंजिका एवं भूसा स्टॉक रजिस्टर में इसी तिथि को 150 गोवंशों की उपलब्धता दर्शायी गई है। निरीक्षण पुस्तिका में दिनांक–15.02.2023 को श्री भरत सिंह, ए0डी0ओ0 पंचायत के द्वारा अंकित टिप्पणी में 130 गोवंश के संरक्षित होने का उल्लेख है जबकि गणना पंजिका एवं भूसा स्टॉक पंजिका में इस तिथि को 150 गोवंशो को उपस्थित दिखाया गया है। इसके बाद ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) के द्वारा इस आश्रय स्थल का निरीक्षण दिनांक–25.02.2023 को किया गया, जिसमें 130 गोवंशों की उपस्थिति दर्ज की गई है जबकि गणना पंजिका एवं भूसा स्टॉक राजिस्टर में इस तिथि को 150 गोवंश दर्शाये गये है। इस प्रकार गणना रजिस्टर, टैंगिग रजिस्टर एवं भूसा स्टॉक रजिस्टर में समय–समय पर अलग अलग गोवंशों की संख्या अंकित की गई है। जिससे एक मात्र निष्कर्ष यह निकलता है कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल पर अभिलेखों का रख–रखाव ठीक ढंग से नही किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ओवरसाइट कमेटी की निरीक्षण की सूचना प्राप्त होने पर आनन–फानन में सभी संबधित के द्वारा अपने–अपने अभिलेख तैयार किये गये है। नियमित रूप से शासनादेशानुसार अभिलेखों का रख–रखाव नही किया जा रहा है।

7. गणना पंजिका में निरीक्षण के दिनांक को गोवंशों की संख्या 110 अंकित की गई है जबकि मौके पर 107 गोवंश पाये गये। इनमे से 70 मे टैग लगा था, 06 में टैग तो नही था लेकिन कान में छेद था और 31 गोवंश में न तो कान में टैग था और न ही छेद था। अर्थात् कुल 31 गोवंश ऐसे हैं जिनकी टैगिंग नहीं की गई है। पशुधन प्रसार अधिकारी के द्वारा बताया गया कि बरसात के दिनों में टैंगिग करने से गोवंश में घाव

होने का खतरा रहता है। ये 31 गोवंश बरसात के दिनों में आये है। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद इनकी टैंगिग कर दी जायेगी। इनका यह कथन इस कारण से स्वीकार करने योग्य नहीं है कि कई अन्य गोशालाओं में वर्षा ऋतु में टैंगिग करना पाया गया है तथा इस गोवंश–आश्रय–स्थल में भी दिनांक–23.09.2023 को 12 मादा एवं 05 नर गोवंशों की टैंगिग अंकित की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि गणना पंजिका एवं स्टॉक पंजिका के अनुसार माह मई, 2023 के बाद इस आश्रय स्थल में नये गोवंश की कोई आमद अंकित नहीं की गई है। यदि समय से टैंगिग करने की परिपाटी यहां होती तो गार्मियो में इसकी टैंगिग हो जाती।

8. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में कुल 04 गोपालक (श्री श्याम सिंह, श्री लोकेन्द्र, श्री सुनील व श्री छोटे) कार्यरत हैं, जिनको प्रतिमाह रू0 6000/– वेतन के रूप में दिया जाता है। ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि ने अवगत कराया गया कि गोवंश को स्नान कराने के संबन्ध में उन्हें कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है।

9. गोवंश की चिकित्सा के संबन्ध में पशुधन प्रसार अधिकारी ने गोवंश चिकित्सा पंजिका प्रस्तुत की, जिसके अनुसार इस आश्रय स्थल में उनके द्वारा विभिन्न तिथियो पर 07 बार गोवंशों की चिकित्सा की गई है। प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध नहीं पाई गई। पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है जब कि कल भ्रमण के दौरान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा बताया गया था कि उनके द्वारा सभी चिकित्सा अधिकारियों को सभी गोवंश–आश्रय–स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है, ताकि आकस्मिक रूप से बीमार पड़ने वाले गोवंश का तत्काल इलाज हो सके। अपेक्षा की गई कि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से बात कर प्राथमिक किट उपलब्ध कराया जाए।

10. पशु चिकित्सा अधिकारी ने अवगत कराया कि दिनांक–30.05.2023 को कुल 100 गोवंशों का एल0एस0डी0 टीकाकरण किया गया था। 04 माह से छोटे गोवंशों का टीकाकरण नहीं किया जाता है। लम्पी के दौरान लगभग 5–6 गोवंशों की मृत्यु हो गई थी। इसका अंकन किसी पंजिका में नहीं पाया गया। उसके बाद कोई मृत्यु नहीं हुई है। दि0–16.08.2023 को 100 गोवंशों को डी–वार्मिंग की दवा दी गई है, जिसका उल्लेख चिकित्सा पंजिका में किया गया है।

11. दिनांक–01.01.2023 से भूसा स्टॉक की पंजिका बनायी गयी है (संलग्नक 4), इसमे प्रत्येक दिन भूसा, दाना एवं खली की प्राप्ति एवं खपत की जाने वाली मात्र का उल्लेख किया गया है। इसमें दिनांक एवं गोवंश की संख्या के अतिरिक्त दाना, खली प्रतिदिन भूसा, दाना एवं खली के उपयोग की जाने वाली मात्रा अंकित किये जाने के लिए कॉलम बने है। इसमें भूसा का आरम्भिक अवशेष शून्य था। माह जनवरी के दौरान 40 कुंतल भूसा खरीदा गया। मास के दौरान कितना व्यय हुआ, इसे जोड़ा नही गया है और अवशेष मात्रा शून्य लिख दी गयी है। भूसे की दैनिक खपत का योग

करने पर यह मात्रा 77 कुंतल आती है । कोई भी यह स्पष्ट नही कर सके कि यदि स्टॉक में मात्र 40 कुन्तल भूसा था, तो 77 कुन्तल कैसे खर्च किया गया। इसमे अलग से अंकित किया गया है कि हरे चारे में प्रतिदिन 50 कि0ग्रा0 बरसीम की उपलब्धता करायी गयी। ग्राम विकास अधिकारी यह स्पष्ट नही कर सके कि जब भूसा एवं दाना की मात्रा के लिए कॉलम बनाया गया तो हरे चारे के लिए भी एक कॉलम क्यों नही बनाया गया। इसी प्रकार की विसंगति अन्य माहों के अभिलेख में पायी गयी। जिला स्तरीय बैठक में यह बताया गया था कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 0.320 हेक्टेयर नैपियर घास व 0.160 हेक्टेयर बरसीम बोई गई है। परंतु माह अप्रैल से माह सितम्बर तक के स्टॉक रजिस्टर में हरे चारे का कोई उल्लेख अंकित नही है (संलग्नक 5)। पूछताछ में चारा बोये जाने की पुष्टि नहीं हुई है। गोवंश जिस चरनी से खा रहे थे, उसमें भी हरा चारा नहीं था । इससे यह प्रतीत होता है कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में अभिलेखों का रख रखाव ठीक से नहीं किया गया है।

12. ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि किसी भी किसान से भूसा दान के रूप में नहीं मिलता है और यदि मिलता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में, जिसके कारण भूसा विभिन्न किसानों से खरीदा जाता है और उन्हें चेक के द्वारा भुगतान किया जाता है। उनके द्वारा कोई भी पंजिका या अन्य ऐसे अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे यह पता लगे कि कितना भुगतान किस किसान को किया गया है। उन्होने किसानों को किए गए भुगतान के सम्बन्ध में कोष पंजिका प्रस्तुत की जिसमें भुगतान की तिथि एवं राशि तो लिखी गई है परन्तु किस किसान को किस चेक के द्वारा भुगतान किया गया है, इसका उल्लेख नहीं है। ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि ने बताया कि जिस किसान के नाम बियरर चेक काटी जाती है, उनके नाम चेकबुक की स्लिप पर अंकित कर लिये जाते हैं लेकिन निरीक्षण के समय यह चेकबुक प्रस्तुत नहीं की गई। समस्त भुगतान बियरर चेक के माध्यम से किया जाना बताया गया। 05 जून, 2023 के बाद से इस कोष पंजिका में कोई अंकन नहीं किया गया है।

13. ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार अप्रैल माह में प्रतिदिन प्रति गोवंश 2.7 कि0ग्रा0 आहार (भूसा, हरा चारा, दाना खली) दिया जा रहा था जिसे बढ़ाकर दिनांक–01.05.2023 को प्रति गोवंश 03 कि0ग्रा0 कर दिया गया। दिनांक–16.09.2023 को पुनः उसे बढ़ाकर 3.45 कि0ग्रा0 प्रति गोवंश कर दिया गया। यह निर्धारित मानक से बहुत ही कम है। यही कारण है कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल पर गोवंश का स्वस्थ्य अच्छा नही है।

14. **निष्कर्ष–** इस गोवंश आश्रय–स्थल का रख–रखाव एवं प्रबंधन संतोषजनक ढंग से नहीं किया जा रहा है, इसका पर्यावरण पर प्रदूषणकारी प्रभाव पड़ रहा है। आश्रय स्थल के खुले परिसर, टिन शेड के नीचे, चरही एवं चरनी के आस–पास नियमित सफाई किये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त टिन–शेड के किनारे नाली बनाकर उसे

सोक पिट से जोड़ने का कार्य किया जाना चाहिए। सभी अभिलेखों को शासनादेशानुसार अद्यावधिक रखा जाना चाहिए व इन अभिलेखों को आश्रय–स्थल पर ही रखे जाने का कार्य सुनिश्चित हो, जिससे निरीक्षण के दौरान यह अभिलेख निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपलब्ध हो सकें।

(अनन्त कुमार सिंह)
सदस्य, ओवरसाइट कमेटी, (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

संलग्नक–01

संलग्नक–02

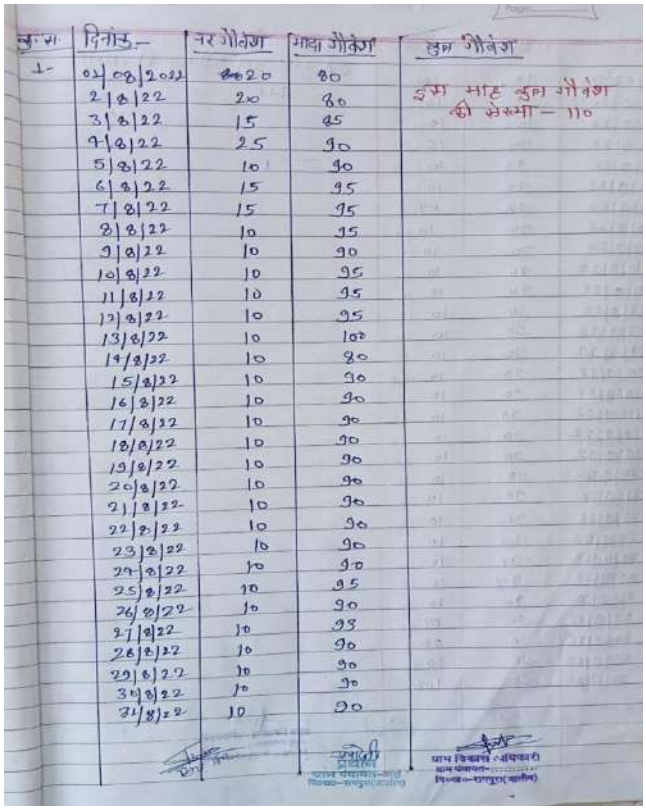

क्र.सं.	दिनांक	नर गौवंश	मादा गौवंश	कुल गौवंश
1-	01/08/2022	~~20~~	80	इस माह कुल गौवंश की संख्या – 110
	2/8/22	20	80	
	3/8/22	15	85	
	4/8/22	25	90	
	5/8/22	10	90	
	6/8/22	15	95	
	7/8/22	15	95	
	8/8/22	10	95	
	9/8/22	10	90	
	10/8/22	10	95	
	11/8/22	10	95	
	12/8/22	10	95	
	13/8/22	10	102	
	14/8/22	10	80	
	15/8/22	10	90	
	16/8/22	10	90	
	17/8/22	10	90	
	18/8/22	10	90	
	19/8/22	10	90	
	20/8/22	10	90	
	21/8/22	10	90	
	22/8/22	10	90	
	23/8/22	10	90	
	24/8/22	10	90	
	25/8/22	10	95	
	26/8/22	10	90	
	27/8/22	10	93	
	28/8/22	10	90	
	29/8/22	10	90	
	30/8/22	10	90	
	31/8/22	10	90	

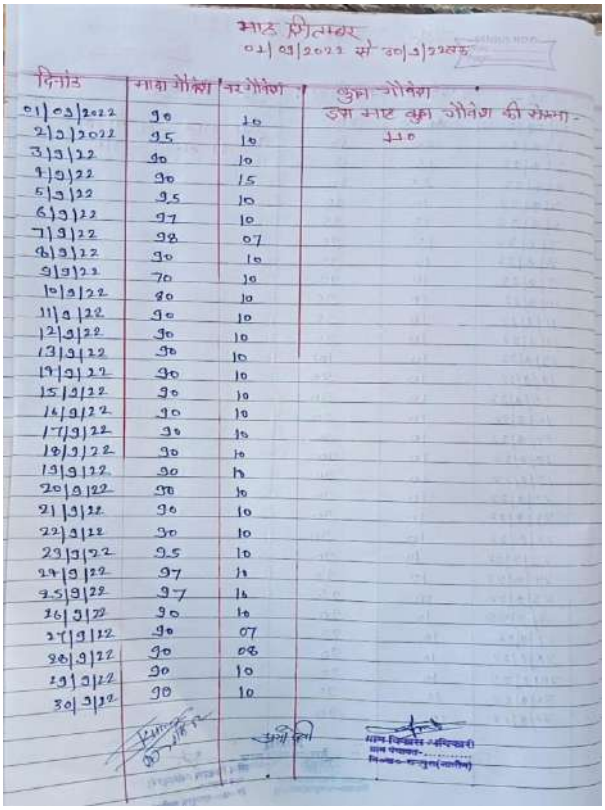

माह सितम्बर
01/09/2022 से 30/9/22तक

दिनांक	मादा गौवंश	नर गौवंश	कुल गौवंश
01/09/2022	90	20	इस माह कुल गौवंश की संख्या – 110
2/9/2022	95	10	
3/9/22	90	10	
4/9/22	90	15	
5/9/22	95	10	
6/9/22	97	10	
7/9/22	98	07	
8/9/22	90	10	
9/9/22	70	10	
10/9/22	80	10	
11/9/22	90	10	
12/9/22	90	10	
13/9/22	90	10	
14/9/22	90	10	
15/9/22	90	10	
16/9/22	90	10	
17/9/22	90	10	
18/9/22	90	10	
19/9/22	90	10	
20/9/22	90	10	
21/9/22	90	10	
22/9/22	90	10	
23/9/22	95	10	
24/9/22	97	11	
25/9/22	97	14	
26/9/22	90	10	
27/9/22	90	07	
28/9/22	90	08	
29/9/22	90	10	
30/9/22	90	10	

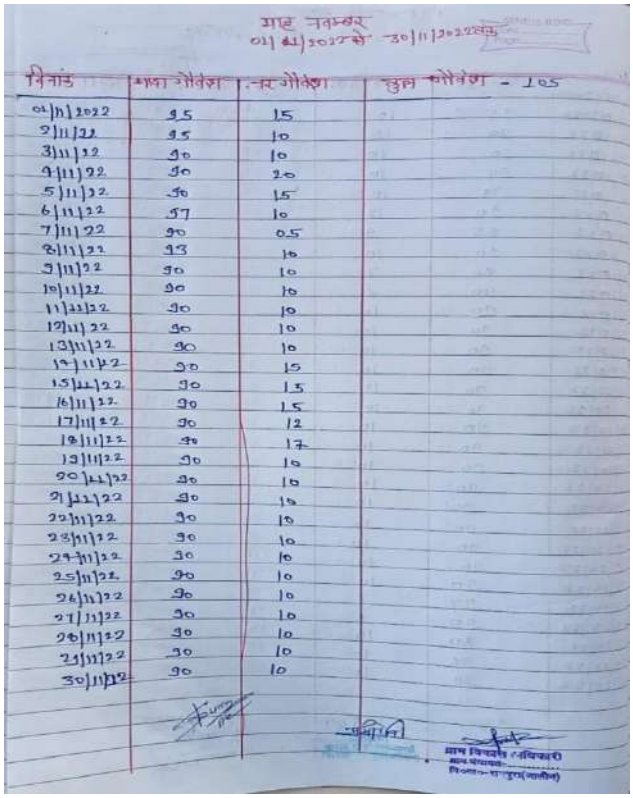

माह नवम्बर
01/11/2022 से 30/11/2022 तक

दिनांक	मादा गौवंश	नर गौवंश	कुल गौवंश - 105
01/11/2022	95	15	
2/11/22	95	10	
3/11/22	90	10	
4/11/22	90	20	
5/11/22	90	15	
6/11/22	97	10	
7/11/22	90	05	
8/11/22	93	10	
9/11/22	90	10	
10/11/22	90	10	
11/11/22	90	10	
12/11/22	90	10	
13/11/22	90	10	
14/11/22	90	15	
15/11/22	90	15	
16/11/22	90	15	
17/11/22	90	12	
18/11/22	90	17	
19/11/22	90	10	
20/11/22	90	10	
21/11/22	90	10	
22/11/22	90	10	
23/11/22	90	10	
24/11/22	90	10	
25/11/22	90	10	
26/11/22	90	10	
27/11/22	90	10	
28/11/22	90	10	
29/11/22	90	10	
30/11/22	90	10	

प्रभारी

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत-
वि०ख०-रामपुरा(जालौन)

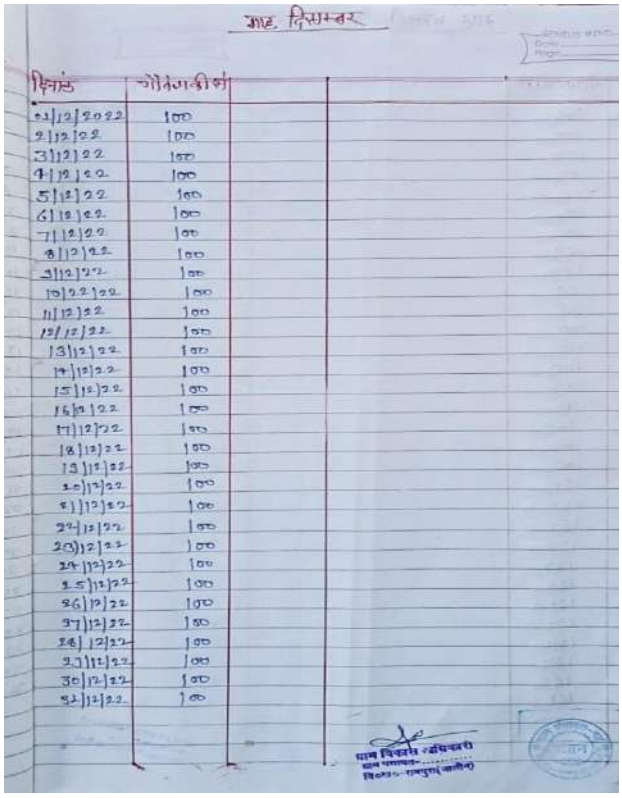

माह दिसम्बर

दिनांक	गौवंश की सं०
01/12/2022	100
2/12/22	100
3/12/22	100
4/12/22	100
5/12/22	100
6/12/22	100
7/12/22	100
8/12/22	100
9/12/22	100
10/12/22	100
11/12/22	100
12/12/22	100
13/12/22	100
14/12/22	100
15/12/22	100
16/12/22	100
17/12/22	100
18/12/22	100
19/12/22	100
20/12/22	100
21/12/22	100
22/12/22	100
23/12/22	100
24/12/22	100
25/12/22	100
26/12/22	100
27/12/22	100
28/12/22	100
29/12/22	100
30/12/22	100
31/12/22	100

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत-
वि०ख०-रामपुरा(जालौन)

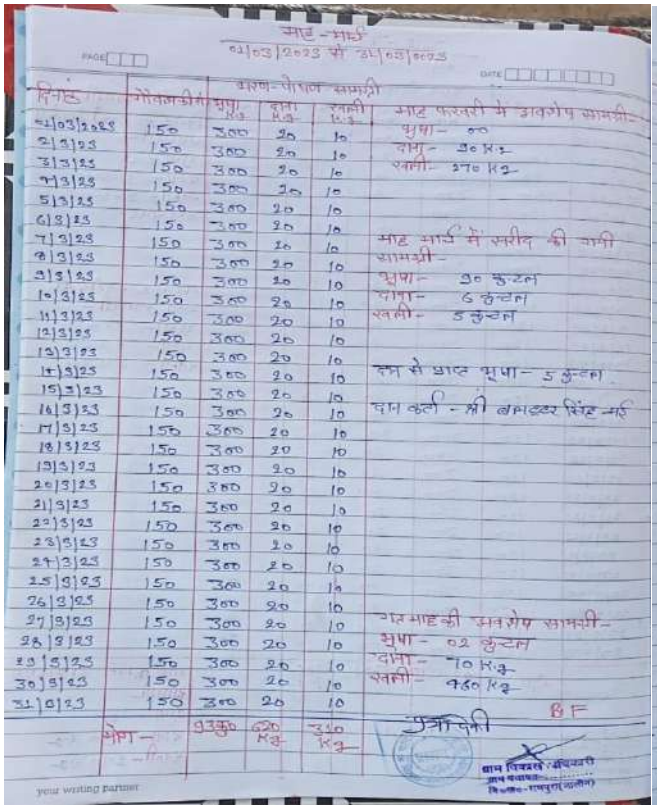

संलग्नक–3

माह - मार्च
01/03/2023 से 31/03/2023

दिनांक	गौवंश की सं०	भरण-पोषण सामग्री भूसा Kg	दाना Kg	खली Kg
01/03/2023	150	300	20	10
2/3/23	150	300	20	10
3/3/23	150	300	20	10
4/3/23	150	300	20	10
5/3/23	150	300	20	10
6/3/23	150	300	20	10
7/3/23	150	300	20	10
8/3/23	150	300	20	10
9/3/23	150	300	20	10
10/3/23	150	300	20	10
11/3/23	150	300	20	10
12/3/23	150	300	20	10
13/3/23	150	300	20	10
14/3/23	150	300	20	10
15/3/23	150	300	20	10
16/3/23	150	300	20	10
17/3/23	150	300	20	10
18/3/23	150	300	20	10
19/3/23	150	300	20	10
20/3/23	150	300	20	10
21/3/23	150	300	20	10
22/3/23	150	300	20	10
23/3/23	150	300	20	10
24/3/23	150	300	20	10
25/3/23	150	300	20	10
26/3/23	150	300	20	10
27/3/23	150	300	20	10
28/3/23	150	300	20	10
29/3/23	150	300	20	10
30/3/23	150	300	20	10
31/3/23	150	300	20	10
योग –		93कु0	620 Kg	310 Kg

माह फरवरी में अवशेष सामग्री–
भूसा – 00
दाना – 30 Kg
खली – 270 Kg

माह मार्च में खरीद की गयी सामग्री–
भूसा – 90 कुन्तल
दाना – 6 कुन्तल
खली – 5 कुन्तल

दान से प्राप्त भूसा – 5 कुन्तल
दान कर्ता – श्री बलभद्र सिंह भाई

गत माह की अवशेष सामग्री–
भूसा – 02 कुन्तल
दाना – 70 Kg
खली – 460 Kg

BF

प्रभारी

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत-
वि०ख०-रामपुरा(जालौन)

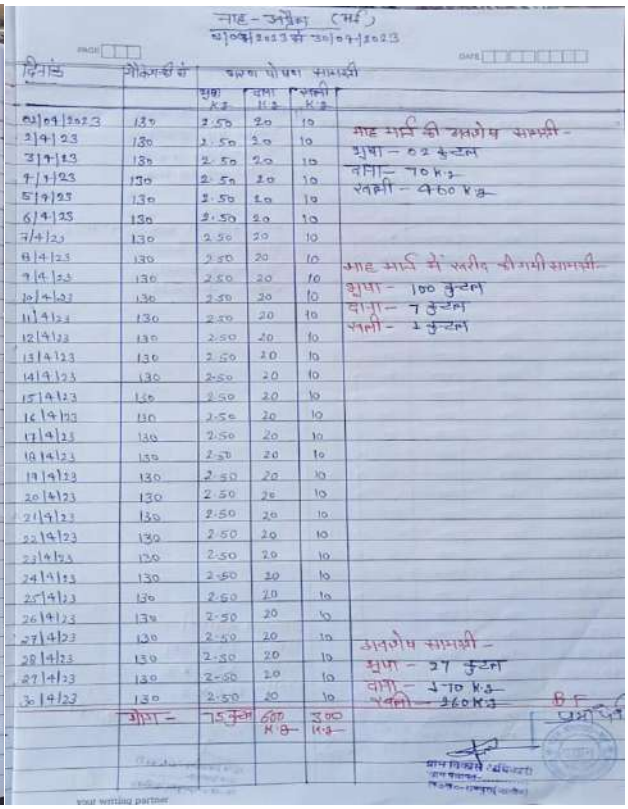

माह - अप्रैल (मई)
01/04/2023 से 30/04/2023

दिनांक	गौवंशों की सं०	भरण पोषण सामग्री भूसा Kg	दाना Kg	खली Kg
01/04/2023	130	2.50	20	10
2/4/23	130	2.50	20	10
3/4/23	130	2.50	20	10
4/4/23	130	2.50	20	10
5/4/23	130	2.50	20	10
6/4/23	130	2.50	20	10
7/4/23	130	2.50	20	10
8/4/23	130	2.50	20	10
9/4/23	130	2.50	20	10
10/4/23	130	2.50	20	10
11/4/23	130	2.50	20	10
12/4/23	130	2.50	20	10
13/4/23	130	2.50	20	10
14/4/23	130	2.50	20	10
15/4/23	130	2.50	20	10
16/4/23	130	2.50	20	10
17/4/23	130	2.50	20	10
18/4/23	130	2.50	20	10
19/4/23	130	2.50	20	10
20/4/23	130	2.50	20	10
21/4/23	130	2.50	20	10
22/4/23	130	2.50	20	10
23/4/23	130	2.50	20	10
24/4/23	130	2.50	20	10
25/4/23	130	2.50	20	10
26/4/23	130	2.50	20	10
27/4/23	130	2.50	20	10
28/4/23	130	2.50	20	10
29/4/23	130	2.50	20	10
30/4/23	130	2.50	20	10
	योग –	75 कुन्तल	600 K.g	300 K.g

माह मार्च की अवशेष सामग्री–
भूसा – 02 कुन्तल
दाना – 70 K.g
खली – 460 K.g

माह मार्च में खरीद की गयी सामग्री–
भूसा – 100 कुन्तल
दाना – 7 कुन्तल
खली – 1 कुन्तल

अवशेष सामग्री –
भूसा – 27 कुन्तल
दाना – 170 K.g
खली – 160 K.g

BF

प्रभारी

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत-
वि०ख०-रामपुरा(जालौन)

संलग्नक–4

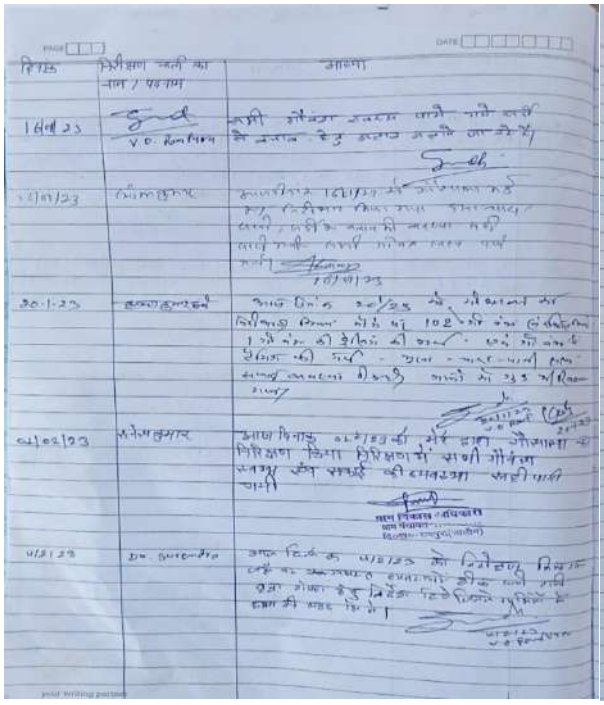

माह - जनवरी (स्टाक)

01/01/2023 से 31/01/2023 तक

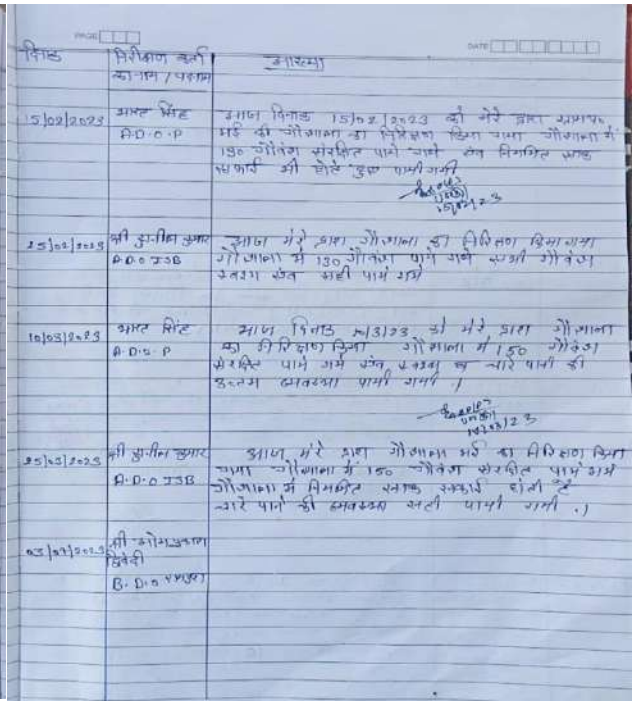

दिनांक	गौवंश की सं.	भूषा Kg	दाना Kg	खली Kg
01/01/2023	100	200	10	10
2/1/23	100	200	10	10
3/1/23	95	200	10	10
4/1/23	110	200	10	10
5/1/23	100	200	10	10
6/1/23	90	200	10	10
7/1/23	100	200	10	10
8/1/23	100	200	10	10
9/1/23	100	200	10	10
10/1/23	100	200	10	10
11/1/23	95	200	10	10
12/1/23	100	200	10	10
13/1/23	100	200	10	10
14/1/23	100	200	10	10
15/1/23	105	200	10	10
16/1/23	105	200	10	10
17/1/23	160	300	20	15
18/1/23	160	300	20	15
19/1/23	160	300	20	15
20/1/23	150	300	20	15
21/1/23	150	300	20	15
22/1/23	150	300	20	15
23/1/23	150	300	20	15
24/1/23	150	300	20	15
25/1/23	150	300	20	15
26/1/23	150	300	20	15
27/1/23	150	300	20	15
28/1/23	150	300	20	15
29/1/23	150	300	20	15
30/1/23	150	300	20	15
31/1/23	150	300	20	15

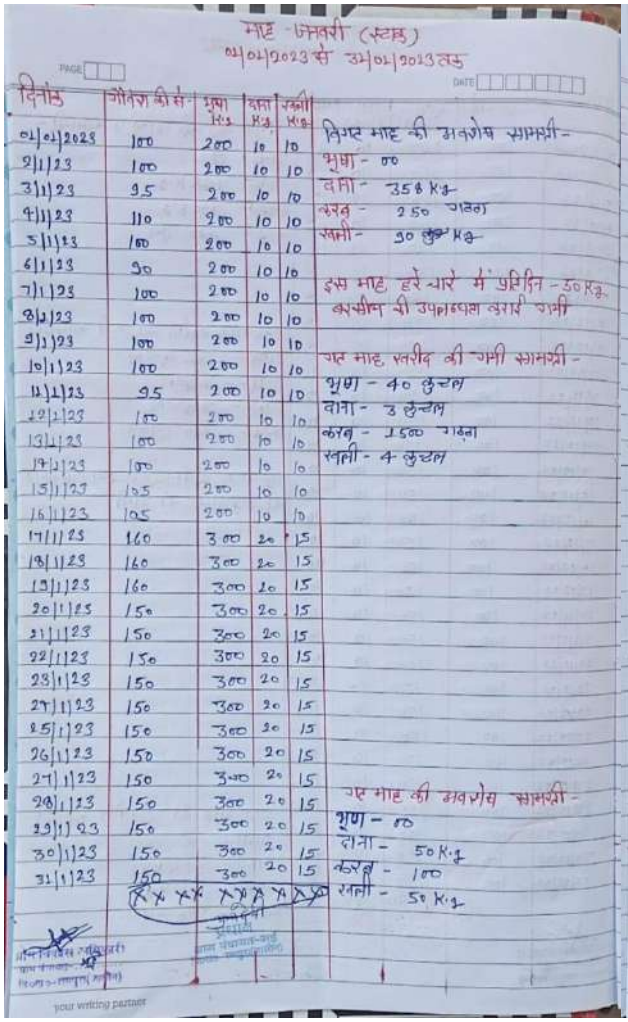

विगत माह की अवशेष सामग्री –
भूषा – 00
दाना – 358 Kg
करब – 250 गट्ठा
खली – 90 Kg

इस माह हरे चारे में प्रतिदिन – 50 Kg बरसीम की उपलब्धता कराई गयी

इस माह खरीद की गयी सामग्री –
भूषा – 40 कुन्टल
दाना – 3 कुन्टल
करब – 1500 गट्ठा
खली – 4 कुन्टल

इस माह की अवशेष सामग्री –
भूषा – 00
दाना – 50 Kg
करब – 100
खली – 50 Kg

ग्राम विकास अधिकारी

माह - फरवरी

01/02/2023 - 28/02/2023

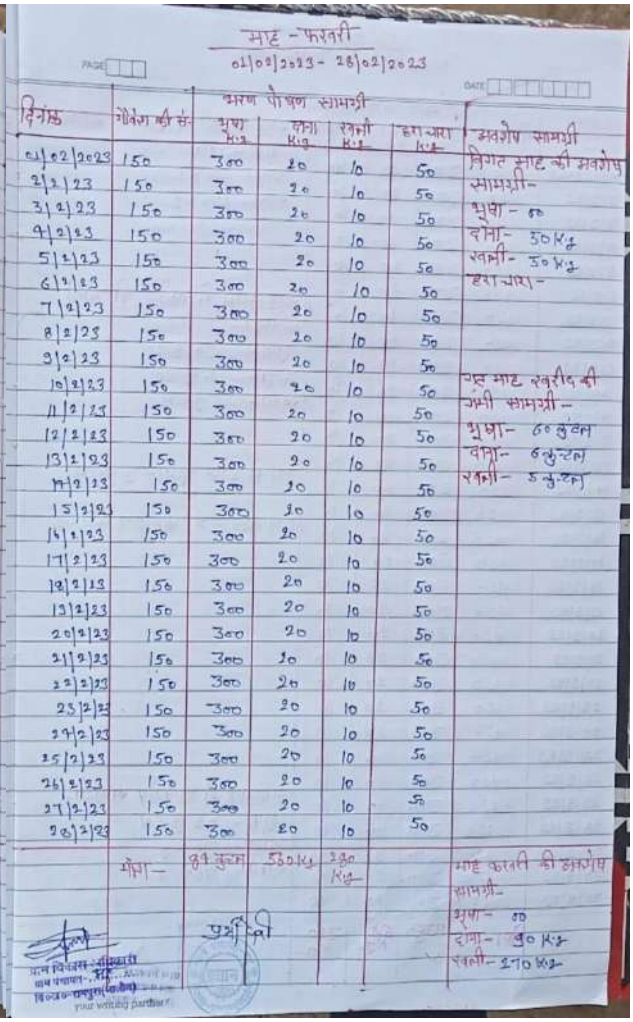

दिनांक	गौवंश की सं.	भरण पोषण सामग्री भूषा Kg	दाना Kg	खली Kg	हरा चारा Kg
01/02/2023	150	300	20	10	50
2/2/23	150	300	20	10	50
3/2/23	150	300	20	10	50
4/2/23	150	300	20	10	50
5/2/23	150	300	20	10	50
6/2/23	150	300	20	10	50
7/2/23	150	300	20	10	50
8/2/23	150	300	20	10	50
9/2/23	150	300	20	10	50
10/2/23	150	300	20	10	50
11/2/23	150	300	20	10	50
12/2/23	150	300	20	10	50
13/2/23	150	300	20	10	50
14/2/23	150	300	20	10	50
15/2/23	150	300	20	10	50
16/2/23	150	300	20	10	50
17/2/23	150	300	20	10	50
18/2/23	150	300	20	10	50
19/2/23	150	300	20	10	50
20/2/23	150	300	20	10	50
21/2/23	150	300	20	10	50
22/2/23	150	300	20	10	50
23/2/23	150	300	20	10	50
24/2/23	150	300	20	10	50
25/2/23	150	300	20	10	50
26/2/23	150	300	20	10	50
27/2/23	150	300	20	10	50
28/2/23	150	300	20	10	50
	योग –	84 कुन्टल	560 Kg	280 Kg	

अवशेष सामग्री

विगत माह की अवशेष सामग्री –
भूषा – 00
दाना – 50 Kg
खली – 50 Kg
हरा चारा –

इस माह खरीद की गयी सामग्री –
भूषा – 60 कुन्टल
दाना – 6 कुन्टल
खली – 5 कुन्टल

माह फरवरी की अवशेष सामग्री –
भूषा – 00
दाना – 90 Kg
खली – 270 Kg

प्रधान

ग्राम विकास अधिकारी

संलग्नक–5

माह- सितम्बर 2023-24

दिनांक	गौवंश की सं.	भरण-पोषण सामग्री भूसा Kg	दाना Kg	खली Kg
01/9/2023	110	300	20	10
2/9/23	110	300	20	10
3/9/23	110	300	20	10
4/9/23	110	300	20	10
5/9/23	110	300	20	10
6/9/23	110	300	20	10
7/9/23	110	300	20	10
8/9/23	110	300	20	10
9/9/23	110	300	20	10
10/9/23	110	300	20	10
11/9/23	110	300	20	10
12/9/23	110	300	20	10
13/9/23	110	300	20	10
14/9/23	110	300	20	10
15/9/23	110	300	20	10
16/9/23	110	350	20	10
17/9/23	110	350	20	10
18/9/23	110	350	20	10
19/9/23	110	350	20	10
20/9/23	110	350	20	10
21/9/23	110	350	20	10
22/9/23	110	350	20	10
23/9/23	110	350	20	10
24/9/23	110	350	20	10
25/09/23	110			

ग्राम विकास अधिकारी

Annexure-22

ग्राम पंचायत – जायघा, विकास खण्ड – रामपुरा, जनपद– जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक 25.09.2023 को ओवरसाईट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा उक्त गोवंश का निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे–

1– श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी, जालौन।
2– श्री भरत सिंह, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), रामपुरा।
3– डा0 सुरेन्द्र सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी, रामपुरा।
4– श्री कृष्ण कुमार दुबे, पशुधन प्रसार अधिकारी, रामपुरा।
5– श्री संतोष वर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी, जायघा।
6– श्री कैलाश सिंह, गोपालक।
7– श्री रमेश सिंह, गोपालक।
8– श्री नर सिंह, गोपालक।

1. यह गोवंश–आश्रय–स्थल लगभग 5–6 वर्षों से ग्राम सभा की उपलब्ध भूमि पर संचालित होना बताया गया, जिसमें 02 टिन शेड (12.5मी0 X 8.5मी0 व 12.3मी0 X 8मी0) एवं इनके अन्दर दोनो तरफ से खाने के लिए उपयुक्त 02 चरनी (12.5मी0 X 1.5मी0 व 12.3मी0 X 1.5मी0) बनी हुई है। गोवंशों के पानी पीने के लिए 02 चरही (8मी0 X 1.7मी0 व 6.5मी0 X 1.5मी0) तथा गोबर निस्तारण के लिए 02 कम्पोस्ट पिट (प्रत्येक 2.5मी0 X 2.5मी0) बने हुए हैं।
2. गोवंश–आश्रय–स्थल में समर्सिबल पम्प, चारा मशीन तथा विद्युत की व्यवस्था उपलब्ध है। परिसर में बीमार, अशक्त एवं विकलांग गोवंशों को रखने के लिए अलग से किसी भी प्रकार के शेड या अन्य कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।
3. इस गोवंश–आश्रय–स्थल से थोड़ी ही दूर पर आबादी क्षेत्र है, किन्तु कोई विद्यालय/अस्पताल या अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नहीं है। आश्रय–स्थल के दूषित जल की निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण परिसर के पश्चिम भाग में कीचड़युक्त जलभराव पाया गया (संलग्नक–01)। इसके किनारे खुले में गोबर का ढ़ेर भी लगा था।
4. गोवंश उपस्थिति पंजिका में माह–फरवरी, 2023 तक नर एवं मादा गोवंशों की सख्या अलग–अलग लिखी गई है, किन्तु उनकी कुल संख्या नहीं लिखी गई है। मार्च, 2023 से नर एवं मादा की संख्या के साथ–साथ कुल गोवंशों की संख्या भी लिखी गई है (संलग्नक–02)। इसमें न तो मृत गोवंशों की संख्या अंकित की गई है और न ही स्वयंसेवकों को दिये गए गोवंशों का विवरण । पशुधन प्रसार अधिकारी के द्वारा रखी गयी सुपुर्दगी पंजिका में 12.04.2022 एवं 13.04.2022 को 15 गाय एवं 01 बछड़ा विभिन्न गोपालकों को दिया जाना दर्शाया गया है। इसमें गोपालक से सम्बन्धित विवरण विधिवत अंकित है (संलग्नक–03)। व्यवस्थित ढ़ंग से

सुपुर्दगी पंजिका रखने वाला अब तक का यह अकेला आश्रय–स्थल है, लेकिन मृत गोवंशों का विवरण इनकी भी किसी पंजिका में अंकित नहीं था।

5. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि टैगिंग पंजिका में दिनांक– 19.10.2019, 16.12.2019 एवं 21.01.2020 को कुल मिलाकर 38 मादा एवं 41 नर गोवंशों की टैगिंग की गई है। इसी विषय पर रखे गए दूसरे टैगिंग पंजिका में दि0– 25.11.2022 से आगे की प्रविष्टि अंकित की गई है, जिसमें 4 तिथियों पर (अन्तिम तिथि 25.08.2023) कुल 69 मादा एवं 52 नर गोवंशों की टैगिंग की गई है (संलग्नक–04)। टैंगिग पंजिका के अनुसार इस गोवंश–आश्रय–स्थल में अब तक कुल 187 गोवंश आये। सुपुर्दगी में दिए गए गोवंशों की संख्या घटाने पर यह संख्या 171 होनी चाहिए, परन्तु गणना पंजिका में मात्र 110 गोवंश अंकित है। निरीक्षण के दौरान परिसर में मौजूद 107 गोवशों में 78 टैग वाले, 20 बिना टैग वाले तथा 09 गोवंश ऐसे थे, जिनके कान में छेद तो था, किन्तु टैग नहीं था। आंकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि या तो मृत गोवंशों की संख्या छिपायी गयी है या इन गोवंशो का व्यापार किया जाता है या अधिक अनुदान प्राप्त करने के लिए संख्या बढ़ाकर दिखायी गयी है।
6. गोवंश–आश्रय–स्थल में गोवंशों के लिए पर्याप्त प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध नही है। पशु चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 22.05.2023 को 75 गोवंशों को एल0एस0डी0 का टीकाकरण किया गया था, जबकि गणना पंजिका के अनुसार 110 गोवंश उपस्थित थे। उन्होने यह भी अवगत कराया कि कुल 16 बछड़े जो कि 04 माह से कम उम्र के थे, उनका टीकाकरण नहीं किया गया था। इस संख्या को घटाने के बावजूद गणना पंजिका के अनुसार 29 गोवंश टीकाकरण से वंचित दिख रहे हैं। दि0– 05.07.2023 को 90 गोवंशों का एच0एस0 का टीकारण किया गया था। दि0– 16.08.2023 को 102 गोवंशों की डी–वार्मिंग हुई थी। पशु चिकित्साधिकारी द्वारा प्रस्तुत आंकड़े अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय प्रतीत होते हैं।
7. भरण–पोषण सामग्री स्टॉक पंजिका, दि0– 01.08.2022 से बनायी गयी है। माह–अगस्त, 2022 में 133.15 क्विंटल भूसे का व्यय दर्शाया गया है। जबकि स्टॉक में पूर्व में 40 क्विंटल भूसा उपलब्ध था व माह के दौरान 90 क्विंटल भूसा क्रय किया गया था। इस प्रकार 130 क्विंटल भूसा ही उपलब्ध था। ऐसी स्थिति में 133.15 क्विंटल भूसे का व्यय सम्भव ही नहीं है (संलग्नक–05)। माह के दौरान 401 किग्रा0 दाना व्यय होना दर्शाया गया है। इसका आरंभिक स्टाक 2 कुंतल एवं माह की प्राप्ति 4 कुंतल दर्शायी गयी है। ऐसी स्थिति में 1.99 कुंतल दाना शेष बचना चाहिए, परन्तु अवशेष स्टॉक शून्य दर्शाया गया है। माह–सितम्बर, 2022 में भूसे का आरंभिक स्टाक शून्य था। माह में 45 क्विंटल भूसा खरीदा गया एवं 30 क्विंटल भूसा दान में प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल भूसे की उपलब्धता 75 क्विंटल थी, लेकिन 112.2 क्विंटल भूसे का व्यय दिखाया गया है, जोकि सम्भव ही नहीं है। इसी प्रकार कुल दाने की उपलब्धता मात्र 05 क्विंटल के सापेक्ष कुल व्यय 06 क्विंटल दर्शाया गया है, जो संभव नहीं था (संलग्नक–06)। इस प्रकार की त्रुटियां अन्य महीनों के स्टॉक अंकन में भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। भूसा

घर में एक पोटली में थोड़ी मात्रा में हरा चारा पाया गया। भरण–पोषण स्टॉक पंजिका या अन्य किसी अभिलेख में हरे चारे का कोई विवरण अंकित नहीं है, जबकि जिलास्तरीय बैठक में अधिकारियों द्वारा 0.16 हे0 नेपियर घास एवं 0.16 हे0 बरसीम की बुआई का विवरण दिया गया है।

8. निरीक्षण के समय भूसा, दाना एवं खली की खरीद एवं उसके सापेक्ष किए गए भुगतान से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि भुगतान चेक से होता है, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा चार्ज में उन्हें कैश–बुक नहीं दिया गया है, अतः वे कैश–बुक या चेक–बुक प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हैं। इसके प्रमाण के रूप में उन्होंनें अपना चार्ज मेमो दिनांक 16.08.2023 प्रस्तुत किया (संलग्नक–07)। इस चार्ज–मेमो में कैश–बुक दिए जाने का उल्लेख कमांक–4 पर है, जो कि इनके तथा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित है।
9. निरीक्षण पंजिका (भ्रमण पंजिका) में अंकित विवरण के अनुसार दि0–10.09.2022 को ए0डी0ओ0 (पंचायत) द्वारा इस आश्रयय–स्थल का भ्रमण किया गया, जिसमें 115 गोवंशों की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित साफ–सफाई के आदेश दिए गए, जब कि उक्त दिनांक को भरण–पोषण पंजिका में अंकित गोवंशों की संख्या 100 है। दिनांक–23.12.2022 को ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 ने अपने निरीक्षण में 115 गोवंशों का ही उल्लेख किया गया है, जबकि उपस्थिति पंजिका में 100 गोवंशों का उल्लेख है। भ्रमण पंजिका में विभिन्न अधिकारियों द्वारा जो निरीक्षण टिप्पणी अंकित की गई वह तिथि के कम में नहीं है (संलग्नक–08) जिससे प्रतीत होता है कि इसे बाद में भरा गया है, हालांकि इस पर अलग–अलग तिथियों में अलग अलग अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं।
10. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में कुल 03 गोपालक (श्री कैलाश सिंह, श्री रमेश सिंह व श्री नर सिंह) कार्यरत हैं, जिनको प्रतिमाह रू0 6000/– वेतन के रूप में दिया जाता है। अवगत कराया गया कि गोवंश को प्रत्येक 4–5 दिन के अन्तराल में स्नान कराया जाता है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल के अधिकांश गोवंश अपेक्षाकृत स्वस्थ थे। (संलग्नक–9)
11. **निष्कर्ष –** इस गोवंश आश्रय–स्थल का रख–रखाव एवं प्रबंधन अन्य आश्रय–स्थल की तुलना में थोड़ा बेहतर है, परन्तु इसे पूर्ण संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में गोबर निस्तारण, मूत्र एवं दूषित जल निकासी तथा अभिलेखो के रखरखाव की व्यवस्था को दुरूस्त करने की आवश्यकता है।

(अनन्त कुमार सिंह)
सदस्य, ओवरसाइट कमेटी, (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

संलग्नक–01

संलग्नक–02

माह - फरवरी
01/02/2023 – 28/02/2023

दिनांक	मादा गोवंश	नर गोवंश
01/02/2023	85	20
02/02/23	85	20
3/2/23	60	20
4/2/23	60	25
5/2/23	60	30
6/2/23	60	30
7/2/23	60	30
8/2/23	60	30
9/2/23	65	30
10/2/23	60	30
11/2/23	60	30
12/2/23	66	30
13/2/23	60	30
14/2/23	60	30
15/2/23	60	30
16/2/23	60	30
17/2/23	60	30
18/2/23	60	30
19/2/23	60	30
20/2/23	60	30
21/2/23	60	30
22/2/23	60	30
23/2/23	60	30
24/2/23	60	30
25/2/23	60	30
26/2/23	60	30
27/2/23	60	30
28/2/23	60	30

जाँचा

माह - सितम्बर

दिनांक	गोवंशों की सं.	नर गोवंश की सं.	कुल गोवंश
01/9/2023	100	10	110
2/9/2023	100	10	110
3/9/2023	100	10	110
4/9/2023	100	10	110
5/9/2023	100	10	110
6/9/2023	100	10	110
7/9/2023	100	10	110
8/9/2023	100	10	110
9/9/2023	100	10	110
10/9/2023	100	10	110
11/9/2023	100	10	110
12/9/2023	100	10	110
13/9/2023	100	10	110
14/9/2023	100	10	110
15/9/2023	100	10	110
16/9/2023	100	10	110
17/9/2023	100	10	110
18/9/2023	100	10	110
19/9/2023	100	10	110
20/9/2023	100	10	110
21/9/2023	100	10	110
22/9/2023	100	10	110
23/9/2023	100	10	110
24/9/2023	100	10	110
25/9/2023	1		

संलग्नक–03

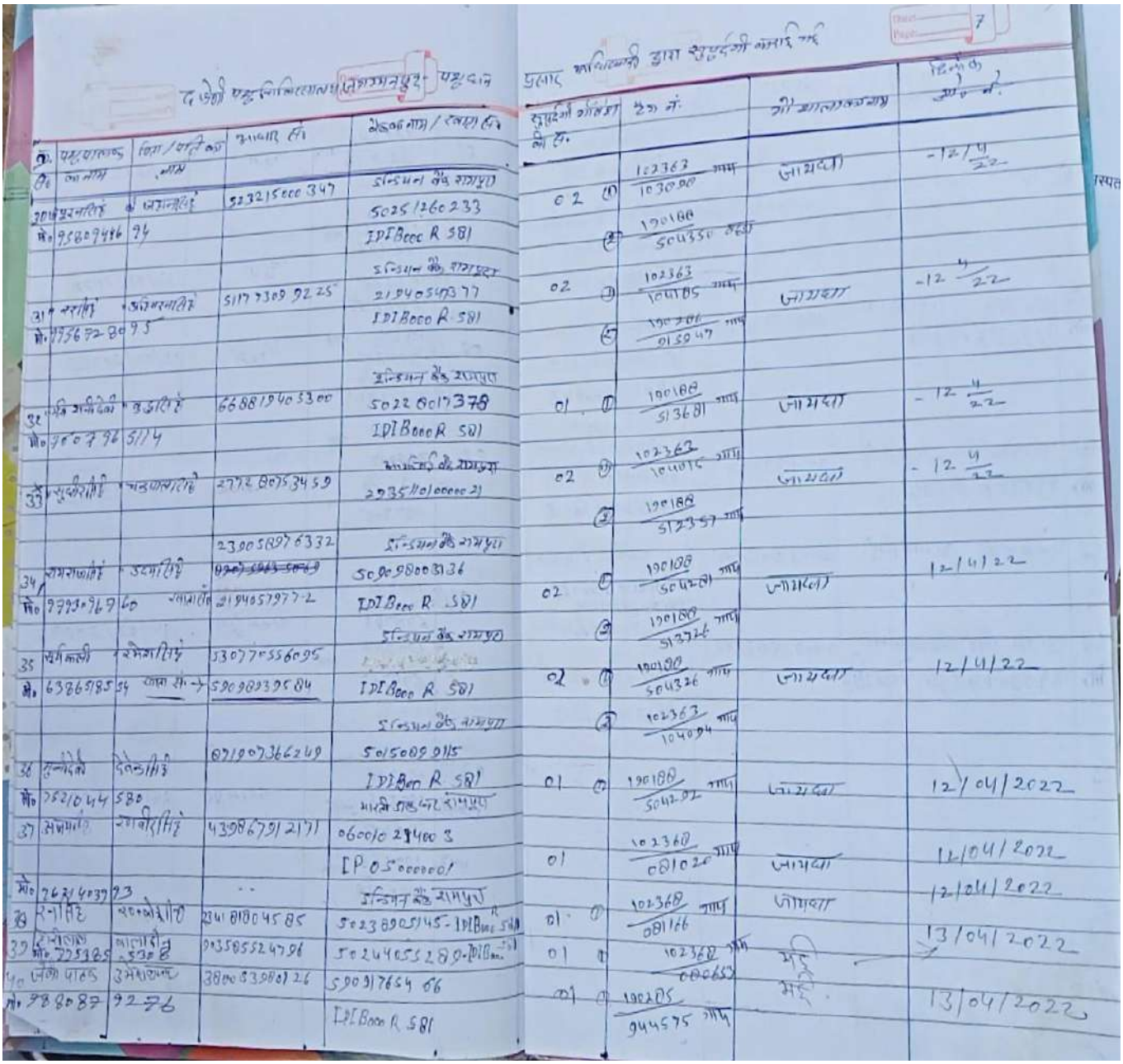

संलग्नक–04

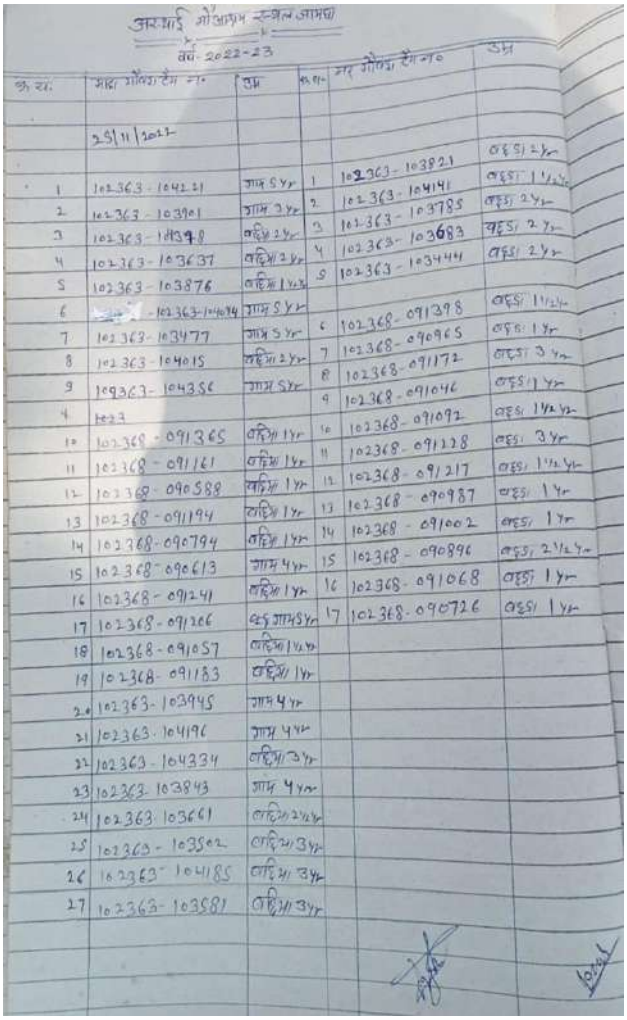

अरमाई गौआश्रय स्थल आमघा

वर्ष 2022-23

क्र.सं.	मादा गौवंश टैग नं.	उम्र	क्र.सं.	नर गौवंश टैग नं.	उम्र
	25/11/2022				
					बछड़ा 2 yr
1	102363-104221	गाय 5 yr	1	102363-103821	बछड़ा 1½ yr
2	102363-103901	गाय 3 yr	2	102363-104141	बछड़ा 2 yr
3	102363-103978	बछिया 2 yr	3	102363-103785	बछड़ा 2 yr
4	102363-103637	बछिया 2 yr	4	102363-103683	बछड़ा 2 yr
5	102363-103876	बछिया 1½ yr	5	102363-103444	
6	102363-104094	गाय 5 yr			बछड़ा 1½ yr
7	102363-103477	गाय 5 yr	6	102368-091378	बछड़ा 1 yr
8	102363-104015	बछिया 2 yr	7	102368-090965	बछड़ा 3 yr
9	102363-104356	गाय 5 yr	8	102368-091172	बछड़ा 1 yr
			9	102368-091046	
4	1023				बछड़ा 1½ yr
10	102368-091365	बछिया 1 yr	10	102368-091092	बछड़ा 3 yr
11	102368-091161	बछिया 1 yr	11	102368-091228	बछड़ा 1½ yr
12	102368-090588	बछिया 1 yr	12	102368-091217	बछड़ा 1 yr
13	102368-091194	बछिया 1 yr	13	102368-090987	बछड़ा 1 yr
14	102368-090794	बछिया 1 yr	14	102368-091002	बछड़ा 2½ yr
15	102368-090613	गाय 4 yr	15	102368-090896	बछड़ा 1 yr
16	102368-091241	बछिया 1 yr	16	102368-091068	बछड़ा 1 yr
17	102368-091266	गाय 5 yr	17	102368-090726	
18	102368-091057	बछिया 1½ yr			
19	102368-091183	बछिया 1 yr			
20	102363-103945	गाय 4 yr			
21	102363-104196	गाय 4 yr			
22	102363-104334	बछिया 3 yr			
23	102363-103843	गाय 4 yr			
24	102363-103661	बछिया 2½ yr			
25	102363-103502	बछिया 3 yr			
26	102363-104185	बछिया 3 yr			
27	102363-103581	बछिया 3 yr			

अरमाई गौआश्रय स्थल आमघा

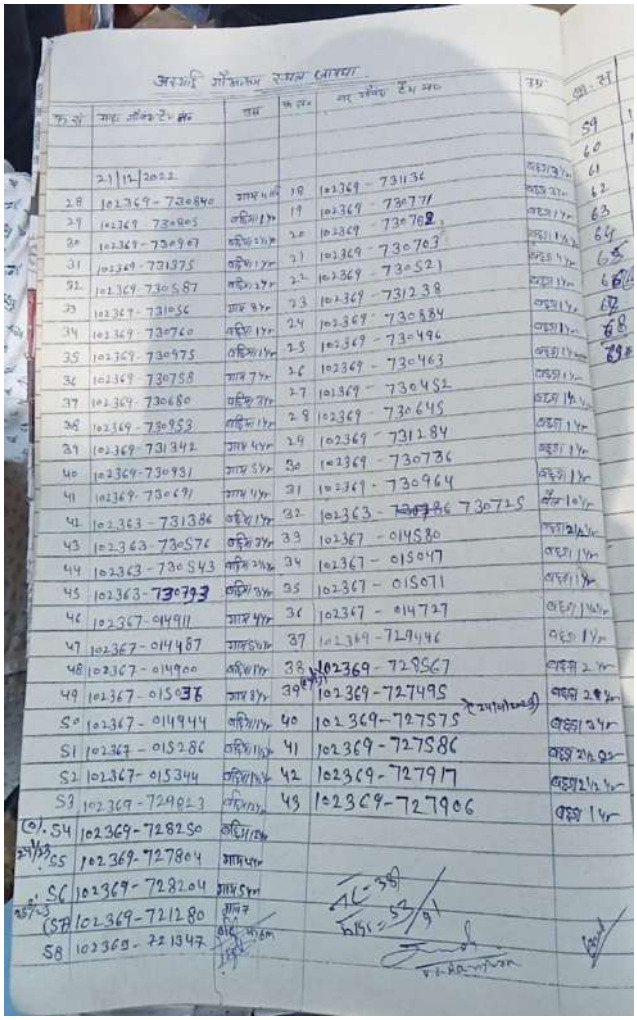

क्र.सं.	मादा गौवंश टैग नं.	उम्र	क्र.सं.	नर गौवंश टैग नं.	उम्र	क्र.सं.
						59
						60
	21/12/2022				बछड़ा 3½ yr	61
28	102369-730840	गाय 4 yr	18	102369-731136	बछड़ा 3 yr	62
29	102369-730805	बछिया 1 yr	19	102369-730771	बछड़ा 1 yr	63
30	102369-730967	बछिया 2½ yr	20	102369-730762	बछड़ा 1½ yr	64
31	102369-731375	बछिया 1 yr	21	102369-730703	बछड़ा 4 yr	65
32	102369-730587	बछिया 2 yr	22	102369-730521	बछड़ा 1 yr	66
33	102369-731056	गाय 8 yr	23	102369-731238	बछड़ा 1 yr	67
34	102369-730760	बछिया 1 yr	24	102369-730884	बछड़ा 1 yr	68
35	102369-730975	बछिया 1 yr	25	102369-730496	बछड़ा 1 yr	69
36	102369-730758	गाय 7 yr	26	102369-730463	बछड़ा 1 yr	
37	102369-730680	बछिया 3 yr	27	102369-730452	बछड़ा 1½ yr	
38	102369-730953	बछिया 1 yr	28	102369-730645	बछड़ा 1 yr	
39	102369-731342	गाय 4 yr	29	102369-731284	बछड़ा 1 yr	
40	102369-730931	गाय 5 yr	30	102369-730736	बछड़ा 1 yr	
41	102369-730691	गाय 4 yr	31	102369-730964	बछड़ा 1 yr	
42	102363-731386	बछिया 1 yr	32	102363-~~730786~~ 730725	बैल 10 yr	
43	102363-730576	बछिया 3 yr	33	102367-014580	बछड़ा 2½ yr	
44	102363-730543	बछिया 2½ yr	34	102367-015047	बछड़ा 1 yr	
45	102363-730793	बछिया 3 yr	35	102367-015071	बछड़ा 1 yr	
46	102367-014911	गाय 4 yr	36	102367-014727	बछड़ा 1½ yr	
47	102367-014487	गाय 5 yr	37	102369-729446	बछड़ा 1 yr	
48	102367-014900	बछिया 1 yr	38	102369-728567	बछड़ा 2 yr	
49	102367-015036	गाय 8 yr	39	102369-727495 (स्थानांतरित)	बछड़ा 2 yr	
50	102367-014944	बछिया 1 yr	40	102369-727575	बछड़ा 2 yr	
51	102367-015286	बछिया 1½ yr	41	102369-727586	बछड़ा 2½ yr	
52	102367-015344	बछिया 1½ yr	42	102369-727917	बछड़ा 2½ yr	
53	102369-729823	बछिया 2 yr	43	102369-727906	बछड़ा 1 yr	
(मृ). 54	102369-728250	बछिया 1½ yr				
24/1/23 55	102369-727804	गाय 4 yr				
56	102369-728204	गाय 5 yr				
25/1/23 57	102369-721280	गाय 7				
58	102369-721347					

AC-38

कुल = 53/9

आदर्श गौशाला

दिनांक 25.8.23

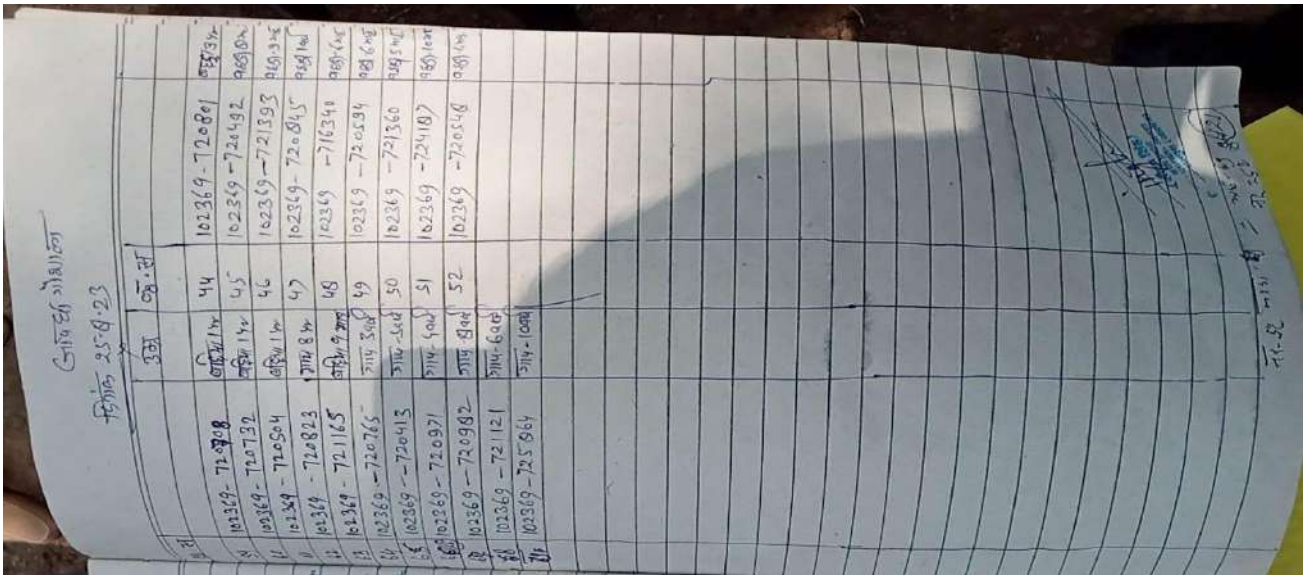

क्र.सं.		उम्र	क्र.सं.		
	102369-720808	बछिया 1 yr	44	102369-720801	बछड़ा 3 yr
59	102369-720732	बछिया 1 yr	45	102369-720492	बछड़ा 8 माह
[illegible]	102369-720504	बछिया 1 yr	46	102369-721393	बछड़ा 3 माह
[illegible]	102369-720823	गाय 8 yr	47	102369-720845	बछड़ा 1 वर्ष
[illegible]	102369-721165	बछिया 9 माह	48	102369-716340	बछड़ा 6 माह
63	102369-720765	गाय 3 वर्ष	49	102369-720594	बछड़ा 6 माह
64	102369-720413	गाय 5 वर्ष	50	102369-721360	बछड़ा 5 माह
65	102369-720971	गाय 4 वर्ष	51	102369-724187	बछड़ा 10 माह
66	102369-720982	गाय 8 वर्ष	52	102369-720548	बछड़ा 4 माह
67	102369-721121	गाय 6 वर्ष			
68	102369-725864	गाय 10 वर्ष			

संलग्नक–05

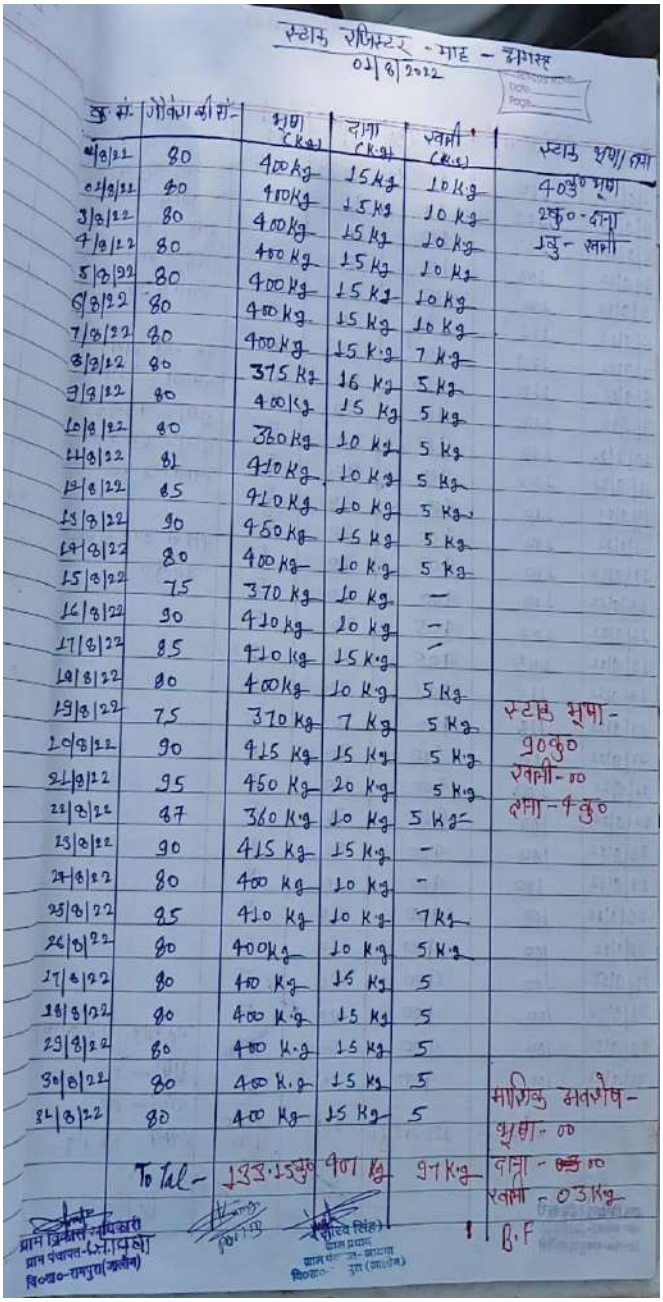

स्टाक रजिस्टर - माह - अगस्त
01/8/2022

क्र.सं.	गोवंश की सं.	भूसा (Kg)	दाना (K.g)	खली (K.g)	स्टाक भूसा/तथा
1/8/22	80	400 Kg	15 Kg	10 K.g	40 कु० भूसा
02/8/22	80	400 Kg	15 Kg	10 Kg	2 कु० - दाना
3/8/22	80	400 Kg	15 Kg	10 Kg	1 कु - खली
4/8/22	80	400 Kg	15 Kg	10 Kg	
5/8/22	80	400 Kg	15 Kg	10 Kg	
6/8/22	80	400 Kg	15 Kg	10 Kg	
7/8/22	80	400 Kg	15 K.g	7 K.g	
8/8/22	80	375 Kg	16 Kg	5 Kg	
9/8/22	80	400 Kg	15 Kg	5 Kg	
10/8/22	80	360 Kg	10 Kg	5 Kg	
11/8/22	81	410 Kg	10 K.g	5 Kg	
12/8/22	85	410 Kg	10 Kg	5 Kg	
13/8/22	90	450 Kg	15 Kg	5 Kg	
14/8/22	80	400 Kg	10 K.g	5 Kg	
15/8/22	75	370 Kg	10 Kg	—	
16/8/22	90	410 Kg	20 Kg	—	
17/8/22	85	410 Kg	15 K.g	—	
18/8/22	80	400 Kg	10 K.g	5 Kg	
19/8/22	75	370 Kg	7 Kg	5 Kg	स्टाक भूसा -
20/8/22	90	415 Kg	15 Kg	5 K.g	90 कु०
21/8/22	95	450 Kg	20 K.g	5 K.g	खली - 00
22/8/22	87	360 K.g	10 Kg	5 Kg	दाना - 4 कु०
23/8/22	90	415 Kg	15 K.g	-	
24/8/22	80	400 Kg	10 Kg	-	
25/8/22	85	410 Kg	10 K.g	7 Kg	
26/8/22	80	400 Kg	10 K.g	5 K.g	
27/8/22	80	400 Kg	15 Kg	5	
28/8/22	80	400 K.g	15 Kg	5	
29/8/22	80	400 K.g	15 Kg	5	
30/8/22	80	400 K.g	15 Kg	5	मासिक अवशेष -
31/8/22	80	400 Kg	15 Kg	5	भूसा - 00
	Total -	133.15 कु०	401 Kg	97 K.g	दाना - 00
					खली - 03 Kg
					B.F

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वि०ख०-रामपुरा (जालौन)
ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, वि०ख०-रामपुरा (जालौन)

संलग्नक–06

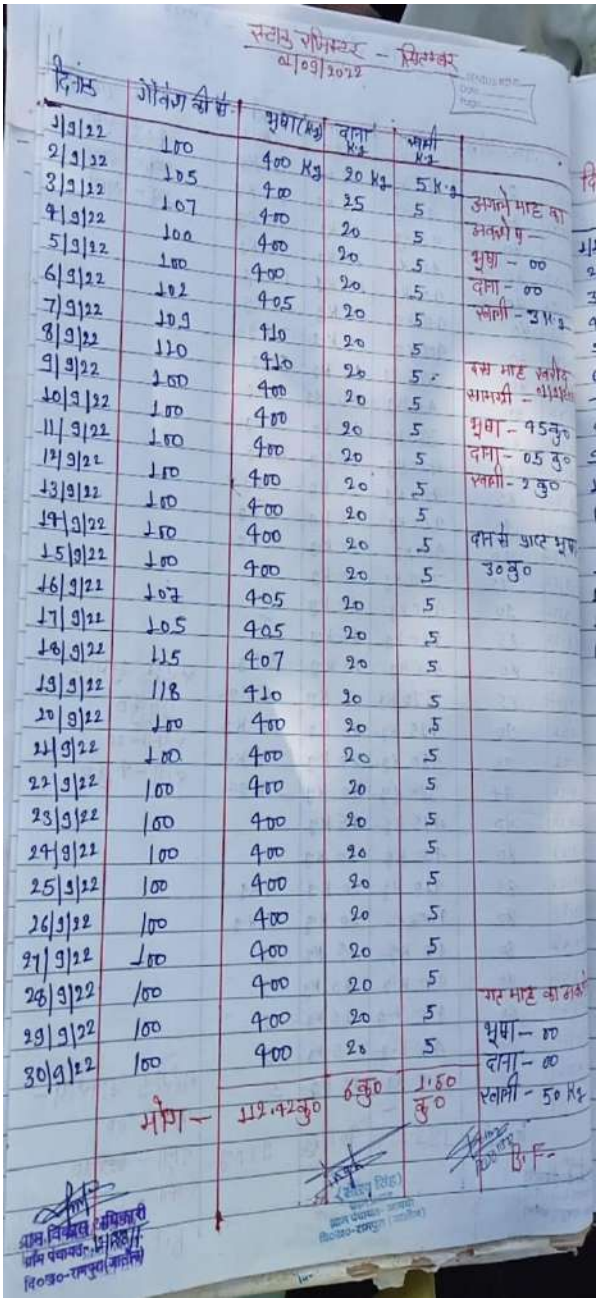

स्टाक रजिस्टर - सितम्बर
01/09/2022

दिनांक	गोवंश की सं.	भूसा (Kg)	दाना Kg	खली Kg	
1/9/22	100	400 Kg	20 Kg	5 K.g	
2/9/22	105	400	25	5	अगले माह का
3/9/22	107	400	20	5	अवशेष -
4/9/22	100	400	20	5	भूसा - 00
5/9/22	100	400	20	5	दाना - 00
6/9/22	102	405	20	5	खली - 3 K.g
7/9/22	109	410	20	5	
8/9/22	110	410	20	5	इस माह खरीद
9/9/22	100	400	20	5	सामग्री -
10/9/22	100	400	20	5	भूसा - 95 कु०
11/9/22	100	400	20	5	दाना - 05 कु०
12/9/22	100	400	20	5	खली - 2 कु०
13/9/22	100	400	20	5	
14/9/22	100	400	20	5	दान से प्राप्त भूसा
15/9/22	100	400	20	5	30 कु०
16/9/22	107	405	20	5	
17/9/22	105	405	20	5	
18/9/22	115	407	20	5	
19/9/22	118	410	20	5	
20/9/22	100	400	20	5	
21/9/22	100	400	20	5	
22/9/22	100	400	20	5	
23/9/22	100	400	20	5	
24/9/22	100	400	20	5	
25/9/22	100	400	20	5	
26/9/22	100	400	20	5	
27/9/22	100	400	20	5	
28/9/22	100	400	20	5	गत माह का अवशेष
29/9/22	100	400	20	5	भूसा - 00
30/9/22	100	400	20	5	दाना - 00
	योग -	112.42 कु०	6 कु०	1.50 कु०	खली - 50 Kg
					B.F.

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वि०ख०-रामपुरा (जालौन)
ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, वि०ख०-रामपुरा (जालौन)

संलग्नक–07

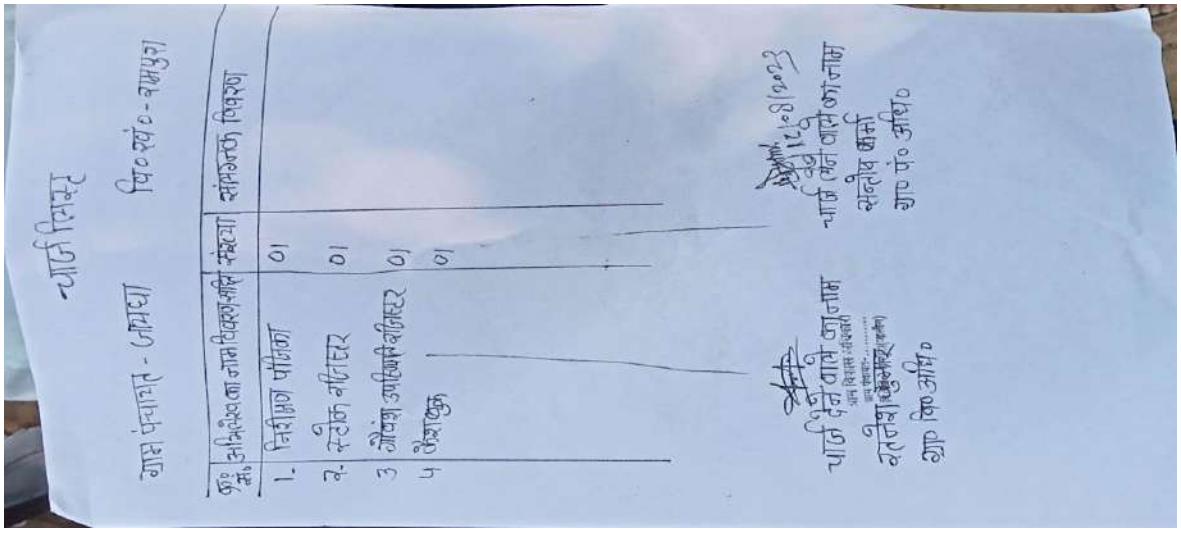

संलग्नक–08

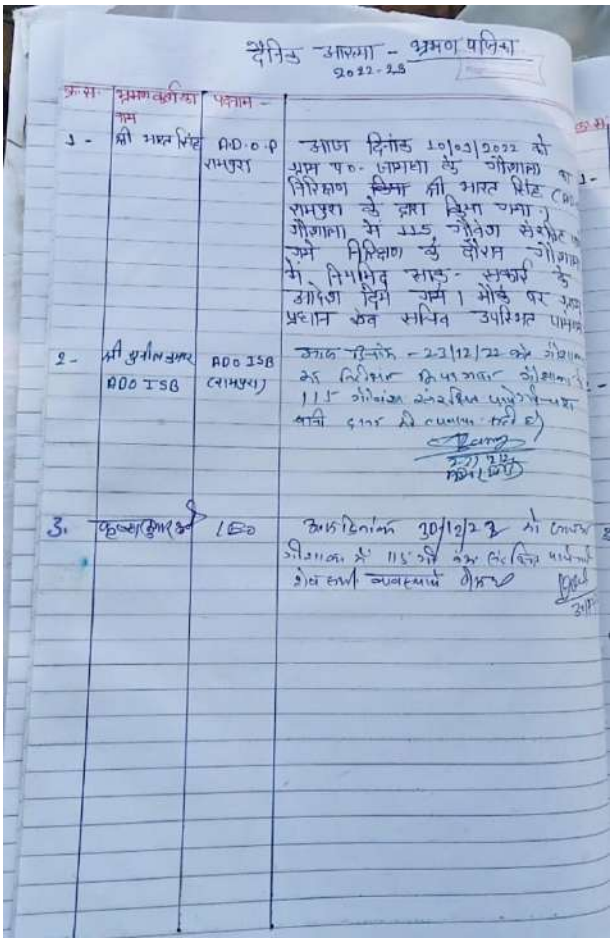

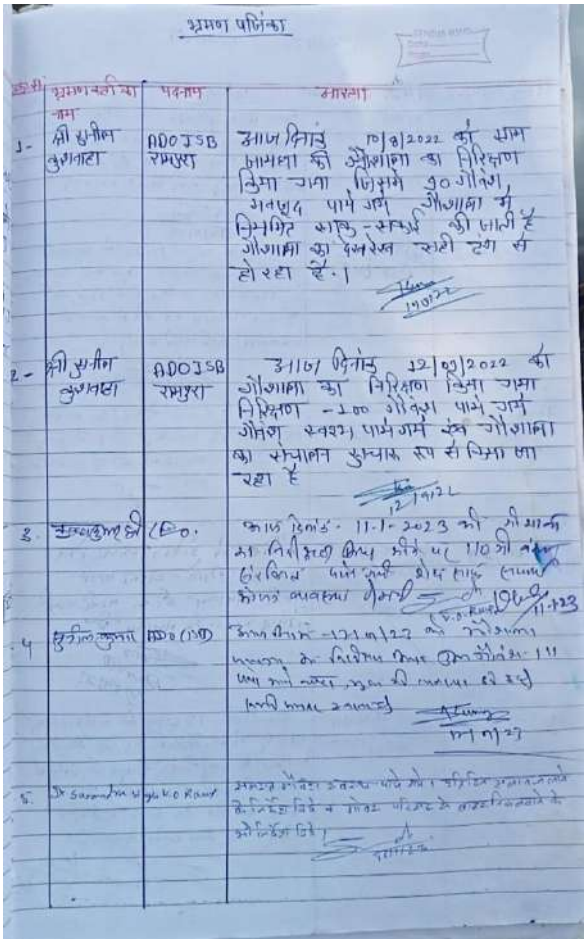

संलग्नक–09

Annexure-23

ग्राम पंचायत – हमीरपुरा, विकास खण्ड – रामपुरा, जनपद– जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक 25.09.2023 को ओवरसाईट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा उक्त गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया जिसमें निम्नलिखित अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित थे–

1– श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी, जालौन।
2–श्री भरत सिंह, सहायक विकास अधिकारी(पंचायत), रामपुरा।
3– डा0 सुरेन्द्र सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी, रामपुरा।
4– श्री कृष्ण कुमार दुबे, पशुधन प्रसार अधिकारी, रामपुरा।
5– श्री रत्नेश सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, हमीरपुरा
6– श्री मुन्ना, गोपालक।
7– श्री प्रमोद, गोपालक।

1. यह गोवंश–आश्रय–स्थल वर्ष 2018 से ग्रामसभा की भूमि पर संचालित होना बताया गया। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 02 टिन शेड (प्रत्येक 12मी0 x 08मी0) बने हैं। जिनका फर्श खड़ंजे का है। इसके अतिरिक्त दोनो तरफ से खाने के लिए उपयुक्त, 03 चरनी (12मी x 1.8मी, 12मी x 1.8मी व 09मी x 1.8मी) तथा पानी पीने के लिए 01 चरही (07मी x 1.8मी) बनी हुई है। गोबर निस्तारण के लिए खाद गड्ढे का निर्माण नही किया गया है। अतः गोबर को परिसर में ही खुले स्थान पर एकत्र किया जा रहा है (संलग्नक–01)। इसके अतिरिक्त अन्य जगहों पर भी गोबर बिखरा हुआ मिला।

2. गोवंश–आश्रय–स्थल में समर्सिबल पम्प तथा विद्युत की व्यवस्था उपलब्ध है। परिसर में बीमार, अशक्त एवं विकलांग गोवंशों को रखने के लिए अलग से किसी भी प्रकार के शेड या अन्य कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

3. इस गोवंश–आश्रय–स्थल के पास आबादी क्षेत्र है, किन्तु कोई भी विद्यालय/अस्पताल या अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नहीं है। मूत्र एवं दूषित जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। टिन–शेड के किनारे नाली का निर्माण न होने के कारण उसके किनारे–किनारे कीचड जमा मिला। गोवंश–आश्रय–स्थल के उत्तरी भाग में मौजूद गड्ढे में पानी भरा हुआ था। इसके अतिरिक्त चरही एवं सोक–पिट के बीच कच्ची नाली होने के कारण, दूषित जल सोक–पिट तक नहीं पहुंच पा रहा था (संलग्नक–02)।

4. ग्राम विकास अधिकारी ने अवगत कराया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख निरीक्षण हेतु उपलब्ध नही है क्योंकि वे ग्राम प्रधान के पास रहते हैं, जो अपने किसी रिश्तेदार के अस्वस्थ होने के कारण एक दिन पूर्व ही बाहर गए हैं। उन्होनें उनसे अभिलेख प्राप्त करने का कोई प्रयास किया हो, ऐसा उनके उत्तर एवं हाव–भाव से प्रतीत नहीं हुआ।

5. टैगिंग पंजिका के अनुसार दिनांक–24.11.2022 से लेकर 23.09.2023 के बीच इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 72 मादा एवं 17 नर गोवंशों की टैगिंग की गई है। गोपालकों ने बताया कि पिछले वर्ष 02 बछड़ों की मृत्यु हुई थी। टैगिंग पंजिका एवं गोपालक के कथन के अनुसार इस गौशाला में 87 गोवंश होने चाहिए थे परन्तु मौके पर 58 गोवंश ही मौजूद मिले। इन 58 गोवंशों में मात्र 47 गोवंशों में टैगिंग पाई गई।

6. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत तैयार की गई टीकाकरण पंजिका की प्रविष्टि के अनुसार दिनांक– 14.09.2023 को इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 60 गोवंशों का एल0एस0डी0 टीकाकरण हुआ है (संलग्नक–03)। दि0– 29.06.2023 को 60 गोवंशों का एच0एस0 टीकाकरण भी हुआ है। इस पंजिका में प्रविष्टियाँ तिथि क्रम में अंकित न होकर अव्यवस्थित ढंग से अंकित हैं, जो कि इसकी वास्तविकता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है (संलग्नक–04)। यह भी बताया गया कि 04 माह से कम उम्र के गोवंशों का टीकाकरण नहीं कराया गया है, लेकिन दि0– 25.08.2023 को 55 गोवंशों की ही डी–वार्मिंग की गई है। यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि दि0–29.06.2023 को यदि 60 से अधिक गोवंश थे तो वे घटकर 25.08.2023 को 55 कैसे हो गये एवं फिर 14.09.2023 को बढ़कर 60 से अधिक कैसे हो गए।

7. गोवंश–आश्रय–स्थल में 02 गोपालक (श्री प्रमोद एवं श्री मुन्ना) कार्यरत हैं, जिनको प्रतिमाह रू0 6000/– वेतन के रूप में दिया जाता है, ऐसा गोपालकों ने बताया। उन्होनें यह भी बताया कि भूसे के स्टॉक हेतु वर्ष में 02 बार भूसा क्रय किया जाता है। पूरे वर्ष में आवश्यकता के अनुसार एक बार रबी की फसलों की कटाई के बाद एवं दूसरी बार बाजरे की कटाई के बाद भूसा खरीदा जाता है। उनके या ग्राम विकास अधिकारी द्वारा यह नहीं बताया गया कि किस दर पर इसे खरीदा जाता है। अवगत कराया गया कि परिसर में 10 वृक्षों का रोपण किया गया है, जिनमें बरगद व पीपल के वृक्ष सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ वृक्ष जीवित पाये गए।

8. ग्राम विकास अधिकारी एवं गोपालकों के द्वारा अवगत कराया गया कि 04 बीघा जमीन रु0 8000/– प्रति बीघा की दर से किसानों से किराए पर लेकर गोवंशों के लिए हरा चारा उगाया गया है। ग्राम प्रधान के द्वारा रु0 20,000/– का भुगतान ग्राम निधि से कर दिया गया

है और बाकी का भुगतान बाद में किया जायेगा। जिला स्तरीय बैठक में इस आश्रय–स्थल के लिए 0.32 हे0 नेपियर घास एवं 0.4 हे0 बरसीम की बुवाई का विवरण दिया गया था। मौके पर कोई चारा मशीन नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि गांव में ही चारा मशीन स्थापित है, वहीं से चारा काटकर यहां लाकर गोवंशों को खिलाया जाता है, परन्तु चरनी में मात्र सूखा भूसा पाया गया । उसमें कोई हरा चारा नहीं था (संलग्नक–05)। भूसा भंडार में भी हरा चारा नहीं था। ग्राम विकास अधिकारी के जवाबों से ऐसा प्रतीत होता है, कि उन्हें इस आश्रय–स्थल से संबंधित कार्यों की जानकारी नहीं है तथा वे इन्हें प्राप्त करने के लिए गंभीर भी नहीं हैं।

9. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में मौजूद गोवंशों का सामान्य स्वास्थ्य अन्य गोवंश–आश्रय–स्थल की तुलना में बेहतर पाया गया। कुछ गोवंश कमजोर भी थे। बड़ी संख्या में गोवंशों के गले में फीता लगा था। ग्रामीणों ने अवगत कराया कि निरीक्षण की दृष्टि से इन्हे आश्रय–स्थल पर ले आया गया है। ये किसानों के निजी गोवंश हैं। पूर्ण रूप से स्वस्थ, 06 गोवंशों की टैग संख्या– 727063, 732221, 520253, 727143, 096222 एवं 726823 का मिलान टैगिंग पंजिका में अंकित संख्याओं से करने पर पाया गया कि इनमें से केवल 04 टैग संख्या ही टैगिंग पंजिका में अंकित है। बाकी के 02 गोवंशों को निरीक्षण से ठीक पूर्व बाहर से लाया गया प्रतीत होता है। मौके पर कुछ गोवंश आश्रय–स्थल से बाहर निकलने का बार–बार प्रयास कर रहे थे, जिन्हें गोपालक रोक रहे थे।

10. **निष्कर्ष**– यह गोवंश–आश्रय–स्थल अन्य की तुलना में अधिक साफ–सुथरा दिखा। गोवंश का स्वास्थ अच्छा था, परन्तु वे आश्रय–स्थल के हैं, इसको लेकर संशय है। पर्यावरण की दृष्टि से इसके प्रबन्धन में सुधार की आवश्यकता है। परिसर में टिन–शेड के किनारे नाली बनाकर सोक पिट से जोड़े जाने एवं खुले में एकत्रित गोबर का खाद के गढ्डे में निस्तारण की व्यवस्था आवश्यक है। अभिलेखों के आभाव में निरीक्षण को अधूरा ही कहा जा सकता है।

(अनन्त कुमार सिंह)
सदस्य, ओवरसाइट कमेटी, (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

संलग्नक–1

संलग्नक–02

संलग्नक—03

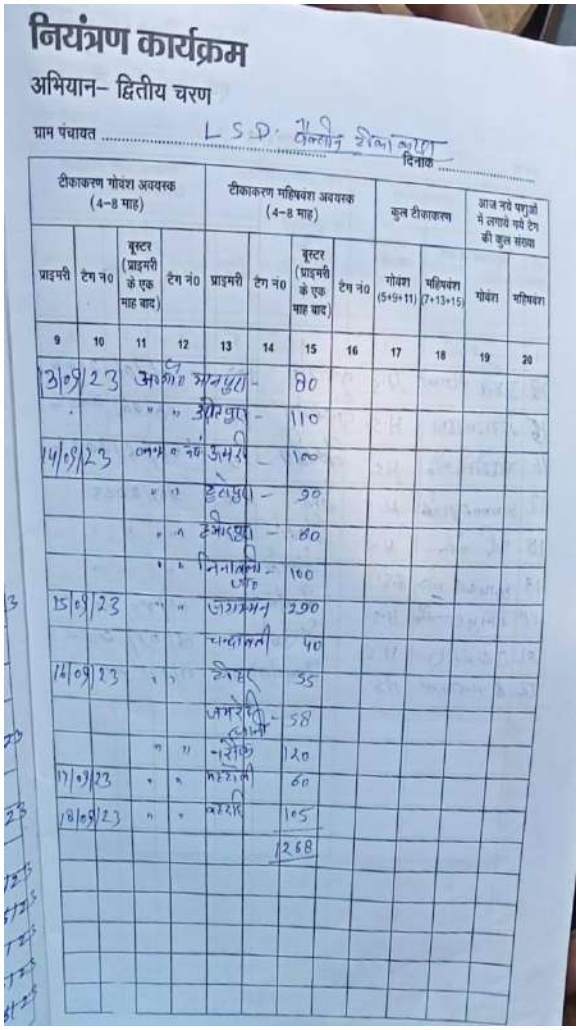

नियंत्रण कार्यक्रम

अभियान– द्वितीय चरण

ग्राम पंचायत .... L.S.D. वैक्सीन टीकाकरण दिनांक ....

टीकाकरण गोवंश अवयस्क (4–8 माह)				टीकाकरण महिषवंश अवयस्क (4–8 माह)				कुल टीकाकरण		आज नये पशुओं में लगाये गये टैग की कुल संख्या	
प्राइमरी	टैग नं0	बूस्टर (प्राइमरी के एक माह बाद)	टैग नं0	प्राइमरी	टैग नं0	बूस्टर (प्राइमरी के एक माह बाद)	टैग नं0	गोवंश (5+9+11)	महिषवंश (7+13+15)	गोवंश	महिषवंश
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13/09/23		अ0 गौ0		मानपुरा –		80					
		"	"	औरपुरा –		110					
14/09/23		अ0 गौ0	नं0	उमरी –		100					
		"	"	डैलपुरा –		90					
		"	"	टमोरपुरा –		80					
		"	"	निनावली ग्रा0 –		100					
15/09/23		"	"	जगम्मन		290					
				चन्दावली		40					
16/09/23		"	"	[illegible]		55					
				जमरेही लाना –		58					
		"	"	नरौल		120					
17/09/23		"	"	महरौली		60					
18/09/23		"	"	महरौली		105					
						1268					

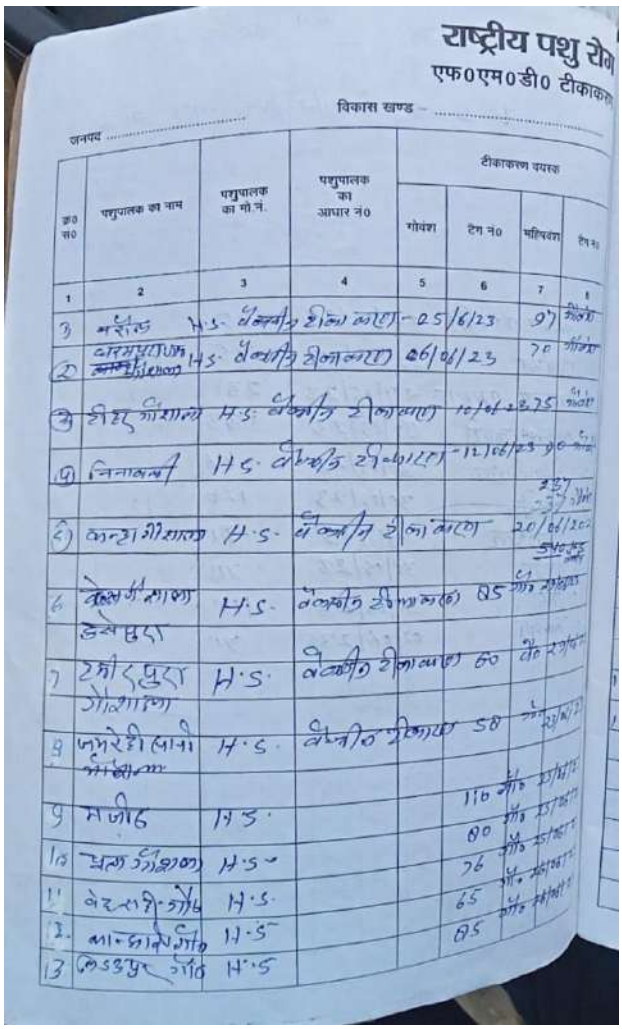

संलग्नक—04

राष्ट्रीय पशु रोग

एफ0एम0डी0 टीकाकरण

जनपद .... विकास खण्ड – ....

क्र0 सं0	पशुपालक का नाम	पशुपालक का मो.नं.	पशुपालक का आधार नं0	टीकाकरण वयस्क			
				गोवंश	टैग नं0	महिषवंश	टैग नं0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नरौल	H.S. वैक्सीन टीकाकरण –		25/6/23		97	गौशाला
2	धरमपुरा गौशाला	H.S. वैक्सीन टीकाकरण		26/06/23		70	गौशाला
3	टीहर गौशाला	H.S. वैक्सीन टीकाकरण		10/06/23		75	गौशाला
4	निनावली	H.S. वैक्सीन टीकाकरण –		12/06/23		90	गौशाला
						237	गौशाला
5	कन्हा गौशाला	H.S. वैक्सीन टीकाकरण				20/06/2023	
6	डैलपुरा गौशाला	H.S. वैक्सीन टीकाकरण				85	गौ0 [illegible]
7	टमोरपुरा गौशाला	H.S. वैक्सीन टीकाकरण				60	गौ0 [illegible]
8	जमरेही लाना गौशाला	H.S. वैक्सीन टीकाकरण				58	गौ0 [illegible]
9	मजीठ	H.S.				110	गौ0 [illegible]
10	[illegible] गौशाला	H.S.				80	गौ0 [illegible]
11	वेदरारी गौ0	H.S.				76	गौ0 [illegible]
12	[illegible] गौ0	H.S.				65	गौ0 [illegible]
13	[illegible] गौ0	H.S.				85	

संलग्नक–05

Annexure-24

ग्राम पंचायत –ईटों, विकास खण्ड – कुठौंद, जनपद– जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक 25.09.2023 को ओवरसाईट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा उक्त गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे–

1– श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी, जालौन।
2– श्री सर्वेश कुमार रवि, खण्ड विकास अधिकारी, कुठौंद ।
3– डा0 रवि कुमार तिवारी, पशु चिकित्साधिकारी, कुठौंद ।
4– श्री चन्द्रभूषण सचान, ग्राम विकास अधिकारी, ईटों
5– श्री बृजेश प्रजापति, ग्राम प्रधान, ईटों
6– श्री बालमुकुन्द व 03 अन्य गोपालक

1. इस गोवंश–आश्रय–स्थल का स्तर सड़क के स्तर से काफी नीचे था। सड़क से नीचे उतरकर भूसाघर के दायीं ओर बांसों की 05 बल्लियां बांधकर, उसको गेट का रूप दिया गया था। मौके पर निरीक्षण दल के पहुँचने पर भी कथित गेट को ग्राम प्रधान द्वारा खोला नहीं गया क्योंकि उन्हें डर था कि गोवंश निकल कर भाग न जाएं। अतः बल्लियों के बीच से ही आश्रय स्थल में प्रवेश किया गया। यह गोवंश–आश्रय–स्थल तीन तरफ से लोहे की जाली से घेरा गया है। भूसा घर की दो दीवारों से सटी हुई खुली चरनी है, जिसके किनारे कीचड़ तथा ईंट के टुकड़ों का बिखराव है (संलग्नक–01)। एक टिन–शेड की फर्श कच्ची एवं कीचड़ से पूरी तरह से भरी थी (संलग्नक–02)। बताया गया कि इसे शीघ्र ही पक्का कराया जाना है, जिसकी बाहरी सीमा पक्की हो गई है, अन्दर में खड़ंजा होना है, जो बारिश से बाधित हो गया है।

2. यह गोवंश–आश्रय–स्थल दि0–15.12.2022 से संचालित है। गोवंशों के लिए 02 टिन शेड (प्रत्येक 12 मी0 x 8 मी0) एवं 02 खुली चरनी (प्रत्येक 15 मी0 x 01 मी0), जिसमें से 01 में एक तरफ से व दूसरी में दोनों तरफ से चारा खाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त 01 चरही (08 मी0 x 01 मी0) एवं 03 कम्पोस्ट पिट बनाए गए हैं। कम्पोस्ट पिट होने के बावजूद, उसमें गोबर कुछ मात्रा में ही था तथा गोबर को सामान्य रूप से खुले में ही डाला जा रहा था। दोनों शेड के नीचे चरनी न बनाकर शेड के बाहर बनाई गई है। शेड के नीचे, चरनी के आस–पास एवं पूरे मैदान में टूटे हुए ईंटों को अव्यवस्थित तरीके से फैलाकर रखा गया था। ईंटों का नुकीला भाग ऊपर की तरफ होने के कारण यह स्पष्ट हो रहा था कि गोवंश इस पर चलने या बैठने की स्थिति में नहीं थे।

3. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में अधिकांश गोवंश कमजोर एवं कुछ चोटिल दिख रहे थे, जिसका कारण कमजोर एवं बीमार गोवंशों के खाने की व्यवस्था अलग से न किया जाना

प्रतीत होता है। आश्रय स्थल के चारों ओर गन्दगी एवं कीचड़ व्याप्त है। गोबर एवं मूत्र का निस्तारण ठीक से नहीं किया जा रहा है, जिसे संलग्नक– 03 में देखा जा सकता है।

4. यह गोवंश–आश्रय–स्थल, निरीक्षण के समय उपलब्ध गोवंशों की संख्या की तुलना में काफी छोटा है। उनके खाने के लिए जो चरनी बनाई गई है, वह अपर्याप्त है। जिसके फलस्वरूप उनके खाने के लिए जो संघर्ष होता होगा, उसके कारण कुछ गोवंश घायल भी दिखे। संलग्नक–04 से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि गोवंशों के खाने के स्थान पर पूरे आश्रय–स्थल में ईटों के टुकड़े इधर–उधर बिखरे पड़े हुए हैं। पूरे परिसर में एक भी टिन शेड या स्थान ऐसा नहीं है, जहां गोवंश बैठकर आराम कर सकें। यह इस आश्रय स्थल के प्रभावी रूप से चलने पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

5. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में समर्सिबल पम्प, चारा मशीन तथा विद्युत की व्यवस्था उपलब्ध है। परिसर में बीमार एवं अशक्त गोवंशों के लिए अलग से किसी भी प्रकार के शेड या अन्य कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। मौके पर 01 गोवंश बीमार अवस्था में मिला, जिसे खुले में ही तिरपाल से ढक कर रखा गया था (संलग्नक–05)। इस गोवंश–आश्रय–स्थल के आस–पास आवासीय क्षेत्र, विद्यालय/अस्पताल या अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नहीं है।

6. ग्राम प्रधान ने अवगत कराया कि दि0– 23.09.2023 को कुछ गोवंश बाहर से आ गए थे, लेकिन गणना पंजिका में अब तक 132 गोवंश ही दिखाए जा रहे हैं (संलग्नक–06)। गणना पंजिका 01 अप्रैल, 2023 से तैयार की गयी है जिसमें इस वित्तीय वर्ष में अलग–अलग तिथियों में 23 गोवंशों की हुई मृत्यु का भी अंकन किया गया है। प्रस्तुत टैगिंग पंजिका में 155 गोवंशों की टैगिंग दिखाई गयी है, परन्तु टैगिंग का दिनांक अंकित नही है (संलग्नक–07)। मृत्यु का कारण 'प्राकृतिक' अंकित किया गया है। टैगिंग पंजिका में गोवंशों की मृत्यु का उल्लेख लाल स्याही से किया गया है, किन्तु मृत्यु का कारण नही अंकित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मृत्यु का कारण पशु चिकित्साधिकारी द्वारा ही पोस्टमार्टम के उपरान्त अंकित किया जाता है। गणना पंजिका एवं टैगिंग पंजिका में अंकित आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि इस आश्रय–स्थल पर जितने गोवंश हैं उन सब की टैगिंग हो चुकी है। निरीक्षण के दौरान परिसर में 125 गोवंश मौजूद थे। इनमें से 65 में ही टैग था, 54 बिना टैग के थे तथा 06 गोवंश ऐसे थे जिनके कान में छेद तो था, परन्तु टैग नहीं था। निरीक्षण पंजिका में दिनांक 14.09.2023 को एडीओ (पंचायत) द्वारा अंकित निरीक्षण टिप्पणी में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया कि उनके निरीक्षण के समय 132 गोवंश पाये गये, सभी की टैगिंग पायी गयी (संलग्नक–08)। प्रश्न यह उठता है कि मात्र 9 दिन पहले सभी गोवंशों में टैगिंग पायी गयी थीं तो आज निरीरक्षण के समय 54 (चौव्वन) गोवंश बिना टैग के क्यों हैं। इन विसंगतियों से यह स्पष्ट हो जाता है

कि अभिलेखों का रख–रखाव सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण को ध्यान में रखकर पंजिकाये तो बना ली गयी है, परन्तु वह जमीनी सच्चाई से मेल नहीं खाती हैं। ग्राम विकास अधिकारी एवं पशु चिकित्साधिकारी यह स्पष्ट नहीं कर सके कि जब यह गोवंश–आश्रय–स्थल 15 दिसम्बर, 2023 से संचालित है, तो पंजिकायें 01.04.2023 से क्यों बनायी गयीं हैं तथा पूर्व के अभिलेख कहाँ हैं।

7. दिनांक– 06.04.2023 को इस गोवंश–आश्रय–स्थल की गणना पंजिका में 152 गोवंशों की उपस्थिति दर्ज की गई है, जबकि ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) के निरीक्षण में 162 गोवंशों की उपस्थिति का उल्लेख है (संलग्नक–09)। दिनांक 19.06.2023 को इस आश्रय–स्थल पर 135 गोवंशों का होना अंकित किया गया है। दिनांक 30.06.2023 को यह संख्या घटकर 111 हो गयी। संरक्षित गोवंश के कम या अधिक होने का स्पष्टीकरण अंकित किए जाने हेतु एक कालम बना हुआ है, जिसमें मृत गोवंशों का उल्लेख किया गया है। अचानक 24 गोवंशों के घटने का कारण 'पंचनामा' अंकित किया गया है। पूछे जाने पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। टैगिंग पजिका में मृत गोवंशों का उल्लेख किया गया है। दिनांक 01.07.2023 को 135 गोवंशों की उपस्थिति दर्ज दिखायी गयी है, लेकिन गोवंशों की संख्या बढ़ने का कोई कारण, सम्बन्धित कालम में अंकित नहीं किया गया है।

8. मौके पर भूसे के स्टॉक को देखने पर भूसे की गुणवत्ता अच्छी नहीं पाई गई। ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि वर्षा ऋतु के दौरान बारिश होने से कुछ भूसा खराब हो गया था। भूसा स्टाक पंजिका में दिनांक 01.04.2023 को 650 कुण्टल भूसा क्रय किया जाना अंकित है जबकि निरीक्षण पंजिका में एडीओ(आईएसबी) के द्वारा इसी तिथि को की गयी निरीक्षण की टिप्पणी में मात्र 600 कुण्टल भूसा क्रया किया जाना तथा उसे भंण्डार में रखा जाना अंकित किया गया है। दिनांक 06.04.2023 को एडीओ(आईएसबी) की निरीक्षण आख्या में 31 कुण्टल भूसा, दान से प्राप्त होने का उल्लेख है तथा 580 कुण्टल भूसा स्टाक में होना अंकित है। जबकि स्टॉक रजिस्टर में दान से प्राप्त भूसा का कोई उल्लेख नहीं है। इसके बावजूद स्टॉक पंजिका में 613.81 कुण्टल भूसा होना अंकित किया गया है। दिनांक 19.05.2023 को बीडीओ, कुठौंद ने अपनी निरीक्षण आख्या में 80 कुण्टल भूसा एवं 2.5 कुण्टल चोकर पाये जाने का उल्लेख किया है, जबकि स्टाक पंजिका में 356.69 कुण्टल भूसा का अवशेष स्टाक दर्शाया गया है। एडीओ(पंचायत) की दिनांक 09.08.2023 की निरीक्षण टिप्पणी में भण्डारण में 70 कुण्टल भूसा होना अंकित किया गया है, जबकि भूसा स्टाक पंजिका में 103.49 कुण्टल भूसा अवशेष दर्शाया गया है। दिनांक 14.09.2023 का एडीओ(पंचायत) द्वारा अंकित की गयी टिप्पणी में निरीक्षण पंजिका में 30 कुण्टल भूसा का स्टाक में पाने का उल्लेख है जबकि भूसा स्टाक पंजिका में 72.89 कुण्टल भूसा होना दर्शाया गया है (संलग्नक–10)। आमतौर पर निरीक्षणकर्ता अधिकारी स्टाक पंजिका देखकर भण्डार में उपलब्ध मात्रा से मोटा–मोटी तौर पर संतुष्ट होने के बाद ही स्टाक

के सम्बन्ध में अपनी निरीक्षण टिप्पणी अंकित करता है, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि विकास खण्ड स्तर के निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के समक्ष कोई और स्टाक पंजिका रखी गयी होगी, जिसको बदलकर हम लोगों के निरीक्षण के समय अलग स्टॉक पंजिका रखी गयी है। गणना पंजिका एवं टैगिंग पंजिका की सत्यता के सम्बन्ध में पूर्व में ही सन्देह व्यक्त किया जा चुका है। एकाउन्ट या कैश–बुक भी नहीं प्रस्तुत किया गया।

9. जिला स्तर पर हुइ बैठक में इस गोवंश–आश्रय–स्थल द्वारा 0.16 हेक्टेयर नैपियर घास एवं 0.08 हेक्टेयर में बरसीम बोये जाने की सूचना दी गयी थी। 01 अप्रैल 2023 से बनायी गयी निरीक्षण पंजिका में 19.05.2023 को 02 बीघा के क्षेत्रफल में एवं दि0– 09.08.2023 को 01 बीघा क्षेत्रफल मे नेपियर घास बोने का उल्लेख है। दिनांक 14.09.2023 की निरीक्षण टिप्पणी में बोये गये नैपियर घास के सूख जाने तथा एक एकड़ में दुबारा बोने का उल्लेख किया गया है। किन्तु मौके पर कोई अभिलेख नहीं प्रस्तुत किया गया, जिसमें हरा चारा उगाने पर हुए व्यय का उल्लेख हो। इसी प्रकार यहाँ तक कि हरा चारा/दाना/चोकर आदि के स्टॉक पंजिका में भी हरे चारे के होने के सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं अंकित है।

10. गोवंश–आश्रय–स्थल में 04 गोपालक (श्री बालमुकुन्द, श्री बजरंग, श्री जन्डैल एवं श्री चित्तर) कार्यरत हैं, जिनको प्रतिमाह रू0 6000/– वेतन के रूप में दिया जाता है।
पशु चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि गोवंश–आश्रय–स्थल में 21.05.2023 को एल0एस0डी0 का टीकाकरण कराया गया है, परन्तु किसी भी पंजिका में टीकाकरण का दिनांक दर्ज नहीं है। आश्रय स्थल में प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत चिकित्सा पंजिका में दि0–09.04.2023 से 25.09.2023 तक अलग–अलग तिथियों को किये गये उपचार का विवरण अंकित है (संलग्नक–11)।

12. निरीक्षण के समय प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के सुसंगत पृष्ठों की फोटो ली गयी थी। निरीक्षण टिप्पणी तैयार करते समय उनमें से कुछ फोटो स्पष्ट नहीं थे, उनकी पुनः फोटो प्राप्त की गयीं। अतः इन अभिलेखों में निरीक्षण की तिथि के बाद की प्रविष्टियां अंकित हैं।

13. **निष्कर्ष**–इस गोवंश–आश्रय–स्थल में गोवंश के बैठने तक की कोई व्यवस्था न होने तथा गेट को स्थायी रूप से बंद रखने के कारण इसका मौके पर संचालित होना पूर्ण रूप से संदिग्ध है। निरीक्षण के समय रख–रखाव एवं प्रबन्धन की जो स्थिति पायी गयी, वह पर्यावरण की दृष्टि से पूर्णतया असंतोषजनक था। टिन–शेड की फर्श को पक्का करने, नई चरनी के निर्माण करने तथा मल एव दूषित जल–निकासी व गोबर का निस्तारण वैज्ञानिक ढंग से निस्तारित करने हेतु आवश्यक अवस्थापना विकसित करने के पश्चात् ही इसे आश्रय–स्थल को संचालित किया जाना चाहिए। यदि गोवंश की संख्या अधिक हो

तो निकट में दूसरा स्थल खोला जाय। अभिलेखों के रख–रखाव पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

(अनन्त कुमार सिंह)
सदस्य, ओवरसाइट कमेटी, (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

संलग्नक–01

संलग्नक–02

संलग्नक– 03

संलग्नक– 04(क)

संलग्नक– 04(ख)

संलग्नक– 05

संलग्नक– 06 (गोवंश गणना पंजिका)

माह सितम्बर वर्ष 2023

क्रमांक	दिनांक	संरक्षित गोवंश			संरक्षित गोवंश कम या अधिक होने का स्पष्ट कारण	हस्ताक्षर
		नर	मादा	योग		
1	1·9·2023	48	84	132		
2	2·9·2023	48	84	132		
3	3·9·2023	48	84	132		
4	4·9·2023	48	84	132		
5	5·9·2023	48	84	132		
6	6·9·2023	48	84	132		
7	7·9·2023	48	84	132		
8	8·9·2023	48	84	132		
9	9·9·2023	48	84	132		
10	10·9·2023	48	84	132		
11	11·9·2023	48	84	132		
12	12·9·2023	48	84	132		
13	13·9·2023	48	84	132		
14	14·9·2023	48	84	132		
15	15·9·2023	48	84	132		
16	16·9·2023	48	84	132		
17	17·9·2023	48	84.	132		
18	18·9·2023	48	84	132		
19	19·9·2023	48	84	132		
20	20·9·2023	48	84	132		
21	21·9·2023	48	84	132		
22	22·9·2023	48	84	132		
23	23·9·2023	48	84	132		
24	24·9·2023	48	84	132		
25	25·9·2023	48	84	132		

संलग्नक– 07(टैगिंग पंजिका)

क्र०	टैग संख्या	नर/मादा	लिंग	उम्र	रिमार्क
122	102362-789536	गाय	सफेद	5 वर्ष	
123	102362 789434	गाय	सफेद	4 वर्ष	
124	102362 789652	सांड	काला	6 वर्ष	
125	102362 - 790086	गाय	काली	4 वर्ष	
126	102362 - 790075	बछिया	सफेद	2 वर्ष	
127	102362 - 789641	गाय	काली	5 वर्ष	
128	102362 - 789832	गाय	सफेद	5 वर्ष	
129	102362 - 789695	बछिया	लाल	3 वर्ष	
130	102362 - 789435	सांड	सफेद	6 वर्ष	
131	102362 - 789413	गाय	सफेद	6 वर्ष	
132	102362 - 789617	बछड़ा	काला	3 वर्ष	
133	102362 - 789620	गाय	सफेद	7 वर्ष	
134	102362 - 789743	बछिया	लाल	2 वर्ष	
135	102362 - 789867	बछिया	पीली	3 वर्ष	
136	102362 - 790087	गाय	सफेद	5 वर्ष	
137	102362 - 790042	बछिया	काली	3 वर्ष	
138	102362 - 789458	बछड़ा	सफेद	3 वर्ष	
139	102362 - 790010	सांड	सफेद	6 वर्ष	
140	102362 - 789960	गाय	काली	5 वर्ष	
141	190076 - 321665	बछड़ा	सफेद	5 वर्ष	
142	190225 - 689255	गाय	काली	5 वर्ष	
143	190225 - 689676	गाय	सफेद	6 वर्ष	
144	190076 26 3512	बछड़ा	काला	5 वर्ष	
145	190076 26 3445	गाय	सफेद	5 वर्ष	
146	190286 - 220206	सांड	सफेद	6 वर्ष	
147	190235-687101	गाय	सफेद	6 वर्ष	
148	190076 26 3727	बछियां	काली	3 वर्ष	
149	190070 321814	बछड़ा	सफेद	2 वर्ष	
150	190286 - 220669	गाय	सफेद	6 वर्ष	
151	190286 - 220257	गाय	लाल	4 वर्ष	
152	190076-311905	बछड़ा	सफेद	3 वर्ष	

क्र०	टैग संख्या	लिंग	रंग	उम्र	रिमार्क
153	102362 - 790166	गाय	सफेद	6 वर्ष	
154	102362 - 789914	बछिया	काली	2 वर्ष	
155	102362 - 789878	गाय	काली	5 वर्ष	

संलग्नक– 08 (निरीक्षण पंजिका)

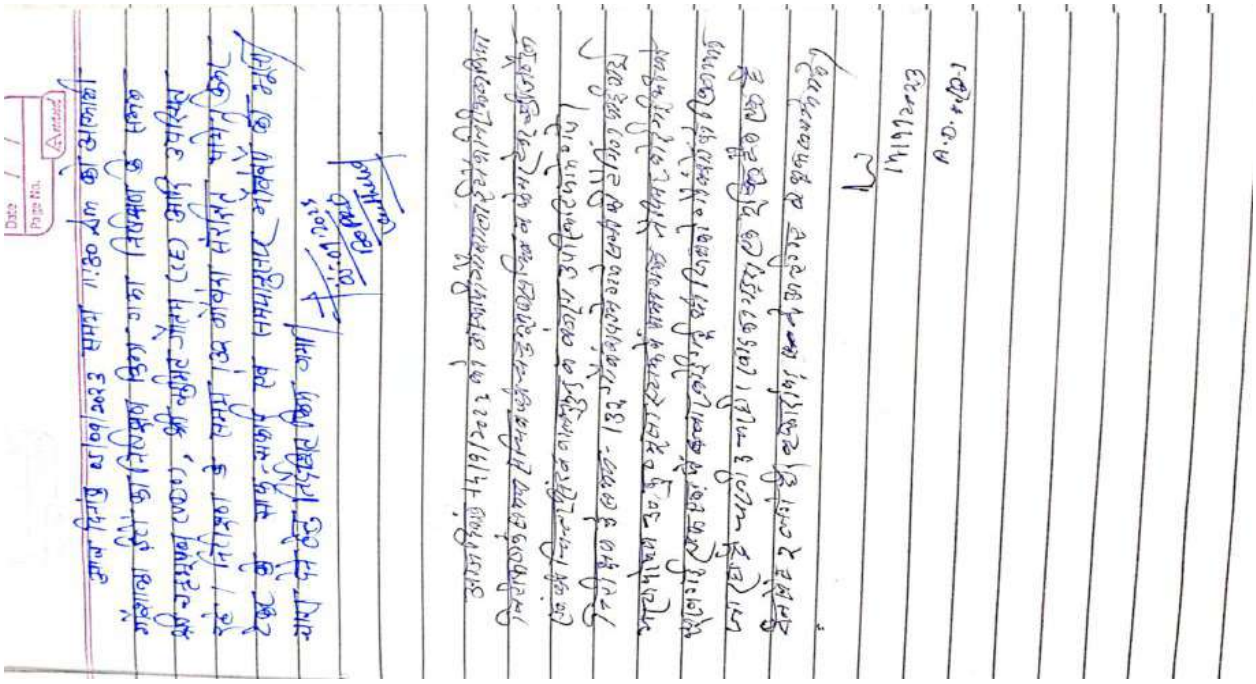

③

Date / /
Page No.

क्रमांक	दिनांक	निरीक्षण की आख्या	अन्य
	06/04/2023	राजकिशोर 06-04-23 को ग्राम पंचायत धीचो में भू-सागर खाता में सम्मिलित होके पंचायत में भ्रमण किया गया। जिस दौरान 31.00 लाख रु. स्वीकृत हुआ। धनस्थानी गौशाला धीचो का भ्रमण का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय गौशाला व्यवस्थापक, केयरटेकर एवं अन्य ग्रामवासी उपस्थित थे। 162 गौवंश उपस्थित मिले। रजिस्टर को चेक किया 580 [illegible] की साफ सफाई हेतु निर्देश दिये गये। व्यवस्थापक को एक नई चरनी निर्माण हेतु कहा गया एवं गायों को हरा चारा हेतु कहा गया।	

(हस्ताक्षर)
APO (MGNREGA)
06/04/2023

संलग्नक– 09 (गणना पंजिका)

माह अप्रैल वर्ष 2023

Date / /
Page No.

क्रमांक	दिनांक	संरक्षित गौवंश नर	मादा	योग	संरक्षित गौवंश कम या अधिक होने का स्पष्ट कारण	हस्ताक्षर ग्राम प्रधान / सचिव
1	1-4-2023	60	95	155		
2	2-4-2023	59	95	154	01 गौवंश मृतक प्राकृतिक	
3	3-4-2023	59	95	154		
4	4-4-2023	59	95	154		
5	5-4-2023	59	93	152	02 गौवंश मृतक प्राकृतिक	
6	6-4-2023	59	93	152		
7	7-4-2023	59	93	152		
8	8-4-2023	59	93	152		
9	9-4-2023	59	93	152		
10	10-4-2023	59	93	152		
11	11-4-2023	59	93	152		
12	12-4-2023	59	93	152		
13	13-4-2023	59	93	152		
14	14-4-2023	59	92	151	01 गौवंश मृतक प्राकृतिक	
15	15-4-2023	59	92	151		
16	16-4-2023	59	92	151		
17	17-4-2023	59	92	151		
18	18-4-2023	59	92	151		
19	19-4-2023	59	92	151		
20	20-4-2023	59	92	151		
21	21-4-2023	59	92	151		
22	22-4-2023	59	92	151		
23	23-4-2023	59	92	151		
24	24-4-2023	59	92	151		
25	25-4-2023	59	92	151		
26	26-4-2023	59	92	151		
27	27-4-2023	59	92	151		
28	28-4-2023	59	92	151		
29	29-4-2023	58	91	149	02 गौवंश मृतक प्राकृतिक	
30	30-4-2023	58	91	149		

प्रधान
ग्राम पंचायत-ईंटों
वि0ख0-कुठौंद (जालौन)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ......
वि0ख0 कुठौन्द / जालौन

योग = 4548x30 = 136440=00

<u>संलग्नक– 10 (क्रय पंजिका)</u>

माह अप्रैल वर्ष 2023

क्रमांक	दिनांक	प्रा० अवशेष कु० में	क्रय किया गया भूसा कु० में	क्रय किये गये भूसे का स्टॉक कु० में	खपत निर्धारित कु० में	अवशेष स्टॉक कु० में	हस्ताक्षर प्रधान
1	1-4-2023	0.65	650.00	650.65	6.20	644.45	
2	2-4-2023				6.16	638.29	
3	3-4-2023				6.16	632.13	
4	4-4-2023				6.16	625.97	
5	5-4-2023				6.08	619.89	
6	6-4-2023				6.08	613.81	
7	7-4-2023				6.08	607.73	ग्राम पंचायत
8	8-4-2023				6.08	601.65	प्रधान
9	9-4-2023				6.08	595.57	
10	10-4-2023				6.08	589.49	
11	11-4-2023				6.08	583.41	
12	12-4-2023				6.08	577.33	ग्राम विकास अधिकारी
13	13-4-2023				6.08	571.25	ग्राम पंचायत इंटों
14	14-4-2023				6.04	565.21	
15	15-4-2023				6.04	559.17	
16	16-4-2023				6.04	553.13	
17	17-4-2023				6.04	547.09	
18	18-4-2023				6.04	541.05	
19	19-4-2023				6.04	535.01	
20	20-4-2023				6.04	528.97	
21	21-4-2023				6.04	522.93	
22	22-4-2023				6.04	516.89	
23	23-4-2023				6.04	510.85	
24	24-4-2023				6.04	504.81	
25	25-4-2023				6.04	498.77	
26	26-4-2023				6.04	492.73	
27	27-4-2023				6.04	486.69	
28	28-4-2023				6.04	480.65	
29	29-4-2023				5.96	474.69	

माह मई वर्ष 2023

क्रमांक	दिनांक	आरम्भिक शेष (रु में)	क्रय किया गया भूसा (रु में)	क्रय किये गये भूसा, कार्टेज (रु में)	दैनिक खपत विवरण (रु में)	अवशेष स्टॉक (रु में)	हस्ताक्षर प्रधान
1	1-5-2023	468-73			5-96	462-77	
2	2-5-2023				5-96	456-81	
3	3-5-2023				5-96	450-85	
4	4-5-2023				5-96	444-89	
5	5-5-2023				5.96	438.93	
6	6-5-2023				5.96	432.97	[illegible]
7	7-5-2023				5-92	427-05	पंचायत [illegible] प्रधान
8	8-5-2023				5-92	421.13	
9	9-5-2023				5-92	415-21	
10	10-5-2023				5.92	409-29	
11	11-5-2023				5.92	403.37	
12	12-5-2023				5-84	397-57	ग्राम विकास अधि.
13	13-5-2023				5-84	391-69	ग्राम पंचायत [illegible]
14	14-5-2023				5-84	385-85	वि0 ख0-[illegible]
15	15-5-2023				5-84	380-01	
16	16-5-2023				5-84	374-17	
17	17-5-2023				5-84	368-33	
18	18-5-2023				5.84	362.49	
19	19-5-2023				5-80	356-69	
20	20-5-2023				5-80	350-89	
21	21-5-2023				5-80	345-09	
22	22-5-2023				5-80	339-29	
23	23-5-2023				5-80	333-49	
24	24-5-2023				5-72	327-77	
25	25-5-2023				5-72	322-05	
26	26-5-2023				5-72	316-33	
27	27-5-2023				5-72	310-61	
28	28-5-2023				5-72	304-89	
29	29-5-2023				5-72	299-17	

निरीक्षण पंजिका

आज दिनांक 19/5/2023 को [illegible] गौशाला इटौं का निरीक्षण किया निरीक्षण के समय [illegible] एवं [illegible] उपस्थित रहे निरीक्षण के समय 195 गौवंश संरक्षित पाये गये [illegible] एवं [illegible] केयर टेकर को सफाई हेतु निर्देश दिये गये।

19/05/2023
BDO Kothand

आज दिनांक 09-08-2023 को अस्थाई गौशाला इटौं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय प्रधान पुत्र श्री भवानी शंकर एवं केयर टेकर उपस्थित रहें। निरीक्षण के समय गौशाला में 133 गौवंश संरक्षित पाये गये। भरण पोषण हेतु 70 कुन्तल भूसा एवं 1 बीघा नेपियर बोई जा चुकी है। उपस्थित केयर टेकरो को साफ सफाई एवं समय से गौवंशो भूसा चारा देने के निर्देश दिये गये।

9/8/2023
A.D.O.(P)

माह अगस्त वर्ष 2023

Page No :
Date : / /

क्र०	दिनांक	प्रा० अवशेष कु० में	क्रय किया गया आटा कु० में	कुल उपलब्ध आटा का स्टॉक कु० में	दैनिक खपत लिपिवार कु०	अवशेष कु०	हस्ताक्षर
1	1·8·23	41·37		41·37	5·32	36·05	
2	2·8·23				5·32	30·73	
3	3·8·23				5·32	25·41	
4	4·8·23				5·32	20·09	
5	5·8·23				5·32	14·77	
6	6·8·23				5·32	9·45	
7	7·8·23				5·32	4·13	
8	8·8·23	110·00		114·13	5·32	108·81	
9	9·8·23				5·32	103·49	
10	10·8·23				5·32	[illegible]	
11	11·8·23				5·32	[illegible]	
12	12·8·23				5·32	[illegible]	
13	13·8·23				5·32	[illegible]	
14	14·8·23				5·32	76·89	
15	15·8·23				5·32	71·57	
16	16·8·23				5·32	66·25	
17	17·8·23				5·32	60·93	
18	18·8·23				5·32	55·61	
19	19·8·23				5·32	50·29	
20	20·8·23				5·32	44·97	
21	21·8·23				5·32	39·65	
22	22·8·23				5·32	34·33	
23	23·8·23				5·28	29·05	
24	24·8·23				5·28	23·77	
25	25·8·23				5·28	18·49	
26	26·8·23				5·28	13·21	
27	27·8·23				5·28	7·93	
28	28·8·23				5·28	2·65	
29	29·8·23	160·00		162·65	5·28	157·37	
30	30·8·23				5·28	152·09	
31	31·8·23				5·28	146·81	

प्रधान
ग्राम पंचायत

माह सितम्बर वर्ष 2023

क्र०	दिनांक	प्रा० अवशेष कु० में	कुल प्राप्त गल्ला रसद कु० में	कुल दिवसों गल्ला स्टॉक कु० में	दैनिक खपत तिथिवार	अवशेष स्टॉक कु० में	हस्ताक्षर प्रधान
1.	1-9-2023	146.81		146.81	5.28	141.53	
2.	2-9-23				5.28	136.25	
3.	3-9-23				5.28	130.97	
4.	4-9-23				5.28	125.69	
5.	5-9-23				5.28	120.41	
6.	6-9-23				5.28	115.13	
7.	7-9-23				5.28	109.85	
8.	8-9-23				5.28	104.57	
9.	9-9-23				5.28	99.29	
10	10-9-23				5.28	94.[illegible]	
11	11-9-23				5.28	88.73	
12	12-9-23				5.28	83.45	
13	13-9-23				5.28	78.17	
14	14-9-23				5.28	72.89	
15	15-9-23				5.28	67.61	
16	16-9-23				5.28	62.33	
17	17-9-23				5.28	57.05	
18	18-9-23				5.28	51.77	
19	19-9-23				5.28	46.49	
20	20-9-23				5.28	41.21	
21	21-9-23				5.28	35.93	
22	22-9-23				5.28	30.65	
23	23-9-23				5.28	25.37	
24	24-9-23				5.28	20.09	
25	25-9-23				5.28	14.81	
26	26-9-23				5.28	9.53	
27	27-9-23				5.28	4.25	
28	28-9-23		145 कु०	149.28	5.28	144.0	
29	29-9-23				5.28	138.72	
30	30-9-23				5.28	133.44	

संलग्नक– 11 (उपचार पंजिका)

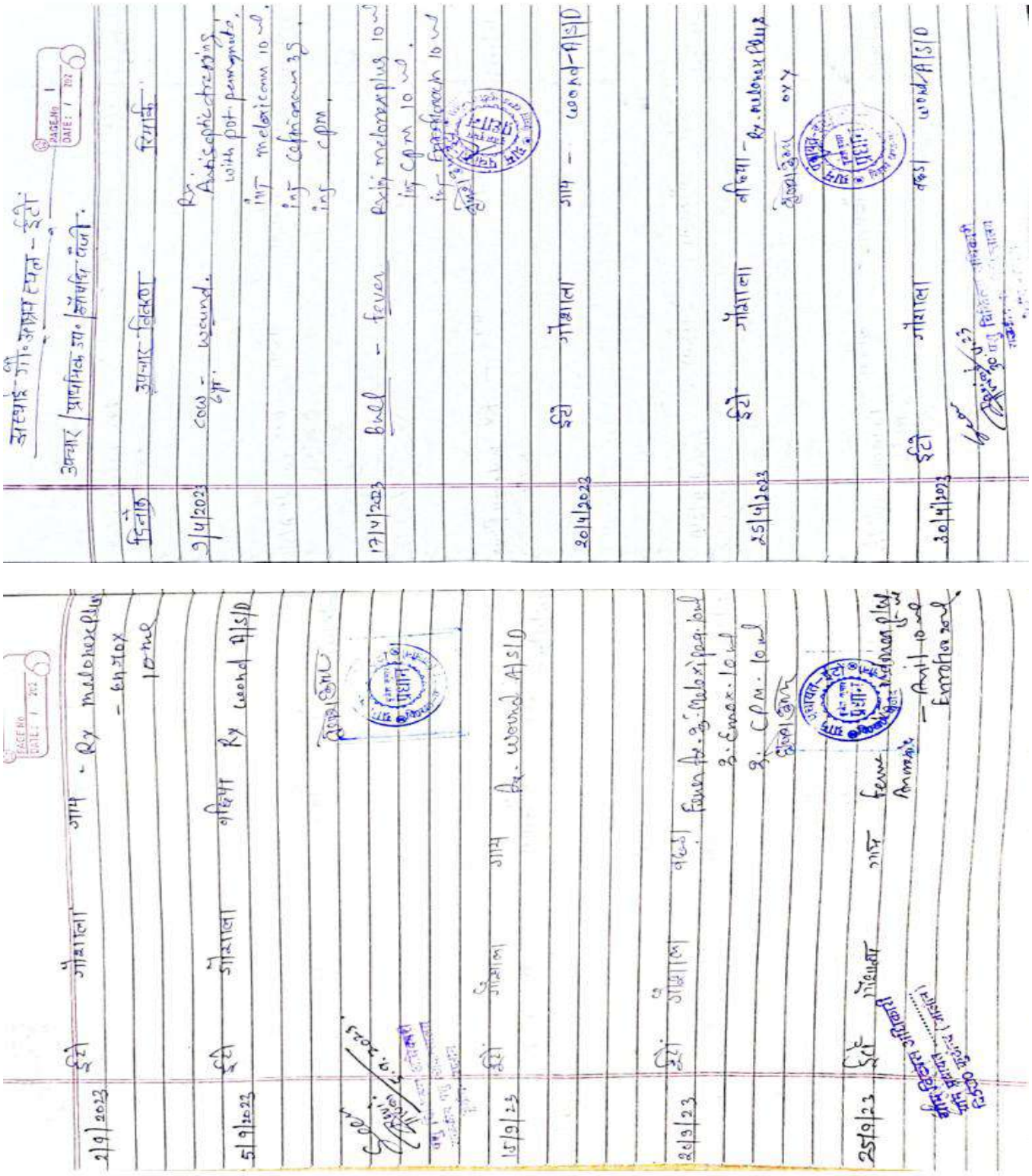

Annexure-25

ग्राम पंचायत –मदारीपुर, विकास खण्ड–कुठौंद, जनपद– जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक 25.09.2023 को ओवरसाईट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा उक्त गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया , जिसमें निम्नलिखित अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित थे–

1– श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी, जालौन।
2– श्री सर्वेश कुमार रवि, खण्ड विकास अधिकारी, कुठौंद।
3– डा0 रवि कुमार तिवारी, पशु चिकित्साधिकारी, कुठौंद।
4– श्री शिवम गुप्ता, ग्राम विकास अधिकारी, मदारीपुर।
5– श्रीमती गंगावती, ग्राम प्रधान, मदारीपुर के प्रतिनिधि।
6– श्री चंदन, गोपालक।
7– श्री वीरू, गोपालक।

1. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में प्रवेश करते ही दाहिनी ओर पश्चिमी बाउण्ड्री से लेकर दक्षिणी बाउण्ड्री तक किनारे–किनारे जल भराव है, जो पास के तालाब से मिला हुआ है। इसके किनारे की भूमि भी कीचड़युक्त है (संलग्नक–01) । आश्रय स्थल में मात्र 01 टिन शेड (13.7 मी0 x 12.2 मी0) है, जिसके फर्श तो खडंजे के बने हुए हैं लेकिन दूषित जल एवं मूत्र की निकासी के लिए कोई नाली नहीं है। गोबर का ढेर, गेट से सीधे जाने वाले खड़ंजे के समीप है। दूषित जल एवं मूत्र की निकासी की नियमित व्यवस्था न होने के कारण वह बहकर निचले स्तर वाली जमीन पर एकत्रित हो रहा है, जिससे आश्रय स्थल के समीप कीचड़ बना रहता है, (संलग्नक–02)। इससे आश्रय स्थल के पास स्थित तालाब भी प्रदूषित हो रहा होगा क्योंकि दोनों का जल स्तर मिला हुआ है। आश्रय स्थल के अन्दर ही कुछ क्षेत्र में अधूरा मन्दिर निर्माण पाया गया जिसमें प्रतिमा खुले में रखी गई है। इसके पीछे एक गाय खड़ी थी, जो बीमार एवं रूग्ण लग रही थी।

2. यह गोवंश–आश्रय–स्थल वर्ष 2019 से ग्रामसभा की लगभग 3000 वर्ग मी0 भूमि पर संचालित है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में दोनों तरफ से खाने के लिए उपयुक्त 02 चरनी (प्रत्येक 12.2 मी0 x 1.5 मी0) एवं 01 चरही (4.5 मी0 x 1.5 मी0) बनायी गई है। चरनी के आस–पास किसी भी प्रकार की नाली का कोई प्राविधान नही है, जिससे दूषित जल व मूत्र की निकासी की जा सके। इसके अतिरिक्त गोबर निस्तारण के लिए 01 कम्पोस्ट पिट (3.4मी0 x 2.4मी0) व मूत्र निस्तारण के लिए 01 सोक पिट (1मी0 x 1मी0) बनाया गया है। कम्पोस्ट पिट पूरी तरह से भर चुका है, अतः गोबर को उसी के बगल में खुले में डाला जा रहा है। गोवंश–आश्रय–स्थल के पूर्वी द्वार के बाहर दोनों साइड में गड्ढों में गोबर एकत्रित था। टिन–शेड के फर्श का स्लोप ऐसा नहीं है कि नाली के माध्यम से दूषित जल एवं मूत्र

का निस्तारण हो सके। खड़ंजे के बाहर खाली भूमि है जो लगभग एक फुट की गहराई में है जिसमें कीचड़ एवं थोड़ा बहुत पानी भी रूका था।

3. गोवंश–आश्रय–स्थल में समर्सिबल पम्प, चारा मशीन, सोलर पैनल तथा विद्युत की व्यवस्था उपलब्ध है। परिसर में बीमार एवं अशक्त गोवंशों को रखने के लिए अलग से किसी भी प्रकार के शेड या अन्य कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल के दक्षिण में परिसर से लगा हुआ आबादी क्षेत्र है, किन्तु कोई भी विद्यालय/अस्पताल या अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नहीं है।

4. गोवंश उपस्थिति पंजिका (संलग्नक–03) दि0–01.04.2023 से बनायी गयी है। उक्त तिथि में 102 गोवंशों का उपस्थित होना दर्ज है। दि0–25.09.2023 को निरीक्षण के समय कुल 99 गोवंशों की उपस्थिति दर्ज है, जिनमें 58 नर एवं 41 मादा गोवंश हैं। इस पंजिका के 'निरीक्षणकर्ता हस्ता0' कॉलम में दि0 06.05.2023 एवं दिनांक 14.09.2023 को 'टैगिंग' किया जाना अंकित किया गया है । टैगिंग पंजिका (संलग्नक–04) में दि0–14.09.2023 तक 44 गोवंशों की टैगिंग किया जाना अंकित है। गोवंश उपस्थिति पंजिका के अनुसार दिनांक 06.05.2023 के बाद केवल 3 गोवंश इस आश्रय–स्थल पर आये हैं। ऐसी स्थिति में पशु चिकित्साधिकारी के द्वारा दिनांक 14.09.2023 को 44 गोवंशों की टैगिंग सम्भव ही नहीं है। उपस्थिति पंजिका में टैगिंग की तिथि दिनांक 06.05.2023 अंकित की गयी है जब कि टैगिंग पंजिका में यह तिथि 06.05.2022 अंकित की गयी है। इस तिथि को 60 गोवंशों का टैगिंग किया जाना टैगिंग पंजिका पर अंकित है। प्रश्न उठता है कि दिनांक 06.05.2023 को इस आश्रय–स्थल पर 99 गोवंश उपस्थित थे तो केवल 60 की टैगिंग क्यों की गयी? यदि किसी कारण से इस तिथि को पूरे गोवेशों की टैगिंग नही हुइ है, तो उसके उपरान्त किसी निकट की अगली तिथि कों इस कार्य को पूरा क्यों नहीं किया जा सका? पशु चिकित्साधिकारी द्वारा इसका कोई संतोषजंनक उत्तर नहीं दिया जा सका। इसी प्रकार उपस्थिति पंजिका में 'निरीक्षणकर्ता हस्ता0' कालम में अलग–अलग तिथियों में 8 गोवंशों की प्राकृतिक मृत्यु तथा 5 गोवंशों का आगमन दर्ज है, जबकि टैगिंग पंजिका में 09 गोवंशों की मृत्यु लाल स्याही से दर्ज है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह दोनों पंजिकायें निरीक्षण से पूर्व आपसी तालमेल से तैयार करने की कोशिश की गयी है, फिर भी उपर्युक्त त्रुटियाँ रह गयी हैं।

5. प्रस्तुत की गयी चिकित्सा पंजिका (संलग्नक–05) में दि0–08.04.2023 से 21.09.2023 तक अलग–अलग तिथियों को किये गये उपचार का विवरण अंकित है। इस पंजिका में दिनांक 01.05.2023 को एक गाय के उपचार का उल्लेख है, जिसे पशु चिकित्साधिकारी ने भी देखकर हस्ताक्षरित किया है, लेकिन पशु चिकित्साधिकारी द्वारा ही इसी तिथि को निरीक्षण पंजिका में अंकित की गयी टिप्पणी में किसी गोवंश के उपचार का उल्लेख नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि उन्होंनें अन्य 03 तिथियों दिनांक 25.07.2023, 05.08.2023 एवं 10.09.2023 को लिखी गयी अपनी निरीक्षण आख्या में गोवंशों के उपचार का उल्लेख किया है। इन तीनों तिथियों में केवल 10.09.2023 को किए गए उपचार का उल्लेख चिकित्सा पजिका में है।

इसमें टीकाकरण का कोई उल्लेख नहीं है। गोवंशों के टीकाकरण कराये जाने की बात तो मौखिक रूप से बतायी गयी, किन्तु इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख पशु चिकित्साधिकारी द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया। जिस प्रकार से टैगिंग का उल्लेख गोवंश उपस्थिति पंजिका मे किया गया है, उस प्रकार का टीकाकरण से सम्बन्धित कोई भी विवरण उस पंजिका मे नहीं है। टीकाकरण के संबंध में पशु चिकित्साधिकारी के स्तर पर एक अलग पंजिका रखी जाती है, परन्तु ऐसी कोई पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी। मौके पर प्राथमिक उपचार किट भी उपलब्ध नहीं था।

6. भूसा स्टॉक पंजिका (संलग्नक–6) दि0– 01.04.2023 से बनाई गई है। इस पंजिका में दिनांक 01.04.2023 को 82 कुण्टल भूसा का स्टॉक होना अंकित है, जिसमें से 102 गोवंशों के लिए 510 किग्रा0 भूसा का व्यय दर्शाया गया है। इस कालम मे अलग स्याही से जोड़ कर बाद में 204 किग्रा0 नैपियर घास की खपत दर्शायी गयी है। इस प्रकार प्रति गोवंश 5 किग्रा0 भूसा एवं 2 किग्रा0 नैपियर घास का आहार देना अंकित किया गया है। अन्य विवरण के कालम में कहीं–कहीं पर दाना का खरीदा जाना अंकित किया गया है, परन्तु उनकी खपत नहीं दर्शाया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं किया जा सका कि भूसा के कालम मे नैपियर घास क्यों लिखा गया है तथा दाना की खपत का विवरण क्यों छोड़ दिया गया है। पुनः यह प्रतीत होता है कि यह अभिलेख निरीक्षण को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है, वरना कोई कारण नही कि जब यह आश्रय–स्थल वर्ष–2019 से संचालित होना बताया गया है, तो पंजिकायें 01.04.2023 से ही क्यों बनायी गई हैं? इस पंजिका में अलग–अलग कालम में अप्रैल, मई एवं जून माह में नेपियर घास को दैनिक खर्च दर्शाया गया। अन्य माहों में नेपियर घास की खपत नहीं अंकित किया गया है। यदि यह पंजिका सामान्य रूप से रखी जाती तो कम से कम अप्रैल माह के बाद नैपियर घास के उपयोग का विवरण भूसे के कॉलम में न अंकित किया जाता। इसके लिए अलग कॉलम बना लिया जाता। जिस प्रकार भूसा और नैपियर घास का खर्च दर्शाया गया है, उसी प्रकार दाने का खर्च भी दर्शाया जाता। यह भी स्पष्ट नहीं किया जा सका कि यदि अप्रैल से जून तक प्रति गोवंश 5 किग्रा0 भूसा एवं 2 किग्रा0 हरा चारा दिया जा रहा था तो उसे घटा कर सितम्बर माह में मात्र 4 किग्रा0 भूसा क्यों कर दिया गया?

7. मौजूद गोवंशों में कुछ गोवंशों का स्वास्थ्य अच्छा था, तो कुछ काफी दुबले–पतले भी थे (संलग्नक–07)। इसका कारण गोवंशों को पर्याप्त मात्रा में आहार न दिया जाना बताया गया। पशु चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जब काफी गोवंश के समूह को एक साथ अपर्याप्त मात्रा में खुले में आहार दिया जाता है तो सबल गोवंश आवश्यकतानुसार पूरा आहार ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद ही निर्बल गोवंश की बारी आती है, जिसके कारण सबल गोवंश का स्वास्थ्य तो ठीक रहता है, परन्तु निर्बल गोवंश धीरे–धीरे दुर्बल होते जाते हैं।

8- इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 02 गोपालक (श्री चंदन व श्री वीरू) कार्यरत है, जिनको प्रतिमाह रू0 6000/– वेतन के रूप में दिया जाता है। अवगत कराया गया कि गोवंश को प्रत्येक 03–04 दिन के अन्तराल में स्नान कराया जाता है।

9. प्रस्तुत निरीक्षण पंजिका (संलग्नक–8) में दि0– 05.12.2021 से दिनांक 10.09.2023 तक अलग–अलग तिथियों में विभिन्न अधिकारियों के द्वारा किये गये निरीक्षणों का अतिसूक्ष्म विवरण अंकित है। इस वित्तीय वर्ष में दिनांक 01.05.2023 से 10.09.2023 के बीच 5 निरीक्षण टिप्पणियाँ अंकित की गयी हैं, जो सभी पशु चिकित्साधिकारी, कुठौंद की है। उन्होंनें दिनांक 25.07.2023 को 01 गोवंश, दिनांक 05.08.2023 को 04 गोवंश एवं दिनांक 10.09.2023 को 01 गोवंश के उपचार का उल्लेख इस पंजिका में किया है, परन्तु चिकित्सा पंजिका में दिनांक 25.07.2023 एवं दिनांक 05.08.2023 को किसी भी गोवंश के उपचार का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके विपरीत पशु चिकित्साधिकारी द्वारा दिनांक 01.05.2023 की निरीक्षण आख्या में किसी गोवंश के बीमार होने या उपचार होने का उल्लेख नहीं है, जबकि चिकित्सा पंजिका में एक गाय के उपचार का उल्लेख है। दि0–25.07.2023 को पशु चिकित्साधिकारी के द्वारा किये गये निरीक्षण में 37 गोवंश पाने का अंकन है जबकि गोवंश गणना पंजिका में उक्त तिथि को 97 गोवंशों की उपस्थिति दर्ज है। इस पंजिका में कई स्थानों पर गोवंश की संख्या जहाँ अंकित है, वहाँ ओवर राइटिंग देखी गयी। इस अभिलेख की भी विश्वसनीयता संदिग्ध है।

10. निरीक्षण के समय कैश–बुक या खाता–बही प्रस्तुत नहीं की गयी। ग्राम विकास अधिकारी ने अवगत कराया कि यह अभिलेख अभी तैयार नहीं हुए हैं। उन्होंनें अवगत कराया कि भूसा आपूर्तिकर्ता को इस वित्तीय वर्ष में भुगतान किया गया है, परन्तु पूछे जाने पर वे यह स्पष्ट नहीं कर सके कि बिना अभिलेखों में अंकन किए किस प्रकार से भूसा, हरा चारा या दाना का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया गया।

11. निरीक्षण के समय प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के सुसंगत पृष्ठों की फोटो ली गयी थी। निरीक्षण टिप्पणी तैयार करते समय उनमें से कुछ फोटो स्पष्ट नहीं थे। उनकी फोटो पुनः जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त की गयी। अतः इन अभिलेखों में निरीक्षण की तिथि के बाद की प्रविष्टियां भी अंकित हैं।

12. इस गोवंश–आश्रय–स्थल का रख–रखाव एवं प्रबन्धन, पर्यावरण की दृष्टि से संतोषजनक नहीं है। खुले में गोबर का एकत्र होना, गो–मूत्र एवं दूषित जल का समीप के तालाब से सीधे मिलना पर्यावरण के लिए चिंताजनक है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल के पास आवासीय क्षेत्र होने के बावजूद पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन हो रहा है। जिला विकास अधिकारी से अपेक्षा की गयी कि वे इस स्थल को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु शीघ्र आवश्यक सभी व्यवस्थायें करायें। यदि तकनीकी कारणों से ऐसा करना सम्भव न हो तो इस गोवंश–आश्रय–स्थल को अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार करना चाहिए। अभिलेखों के

रख–रखाव पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जिला विकास अधिकारी ने शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही कराने का आश्वासन दिया।

(अनन्त कुमार सिंह)
सदस्य, ओवरसाइट कमेटी, (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

संलग्नक–01

संलग्नक–02

संलग्नक–03 (गोवंश उपस्थिति पंजिका)

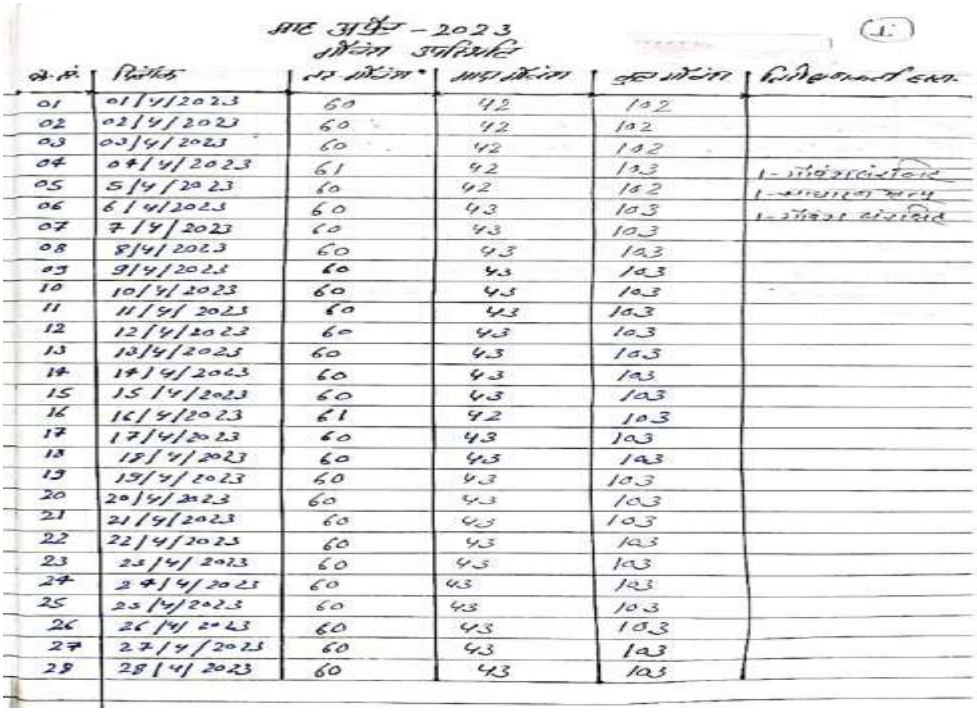

माह अप्रैल - 2023
गोवंश उपस्थिति

(1)

क्र.सं.	दिनांक	नर गोवंश	मादा गोवंश	कुल गोवंश	निरीक्षणकर्ता हस्ता.
01	01/4/2023	60	42	102	
02	02/4/2023	60	42	102	
03	03/4/2023	60	42	102	
04	04/4/2023	61	42	103	[illegible]
05	5/4/2023	60	42	102	[illegible]
06	6/4/2023	60	43	103	[illegible]
07	7/4/2023	60	43	103	
08	8/4/2023	60	43	103	
09	9/4/2023	60	43	103	
10	10/4/2023	60	43	103	
11	11/4/2023	60	43	103	
12	12/4/2023	60	43	103	
13	13/4/2023	60	43	103	
14	14/4/2023	60	43	103	
15	15/4/2023	60	43	103	
16	16/4/2023	61	42	103	
17	17/4/2023	60	43	103	
18	18/4/2023	60	43	103	
19	19/4/2023	60	43	103	
20	20/4/2023	60	43	103	
21	21/4/2023	60	43	103	
22	22/4/2023	60	43	103	
23	23/4/2023	60	43	103	
24	24/4/2023	60	43	103	
25	25/4/2023	60	43	103	
26	26/4/2023	60	43	103	
27	27/4/2023	60	43	103	
28	28/4/2023	60	43	103	

(2)

क्र.सं.	दिनांक	नर गौवंश	मादा गौवंश	कुल गौवंश	निरीक्षणकर्ता हस्त.
					प्राकृतिक मृत्यु
29	29/4/2023	59	43	102	~~गौवंश ग्राम निवार~~
30	30/4/2023	59	42	101	दे.भाल- प्राकृतिक मृत्यु

कुल गौवंश → 3083

कुल योग → 92490

ह० प्रधान

ह० सचिव

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत- सेमरी पुर
वि०ख०-कुठौंद (जालौन)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
वि० ख० कुठौंद

(3)

माह मई - 2023
गौवंश उपस्थिति

क्रमांक	दिनांक	नर गौवंश	मादा गौवंश	कुल गौवंश	निरीक्षणकर्ता ह
01	01/05/23	59	41	100	
02	02/05/23	59	41	100	
03	03/05/23	58	41	99	प्राकृतिक मृत्यु
04	04/05/23	58	41	99	
05	05/05/23	58	41	99	
06	06/05/23	58	41	99	पोषित
07	07/05/23	58	41	99	
08	08/05/23	58	41	99	
09	09/05/23	58	41	99	
10	10/05/23	59	41	100	गौवंश संरक्षित
11	11/05/23	59	41	100	
12	12/05/23	59	41	100	
13	13/05/23	59	41	100	
14	14/05/23	59	41	100	
15	15/05/23	59	41	100	
16	16/05/23	59	41	100	
17	17/05/23	59	41	100	
18	18/05/23	59	41	100	
19	19/05/23	59	41	100	
20	20/05/23	59	41	100	
21	21/05/23	59	41	100	
22	22/05/23	59	41	100	
23	23/05/23	59	41	100	
24	24/05/23	59	41	100	
25	25/05/23	59	41	100	
26	26/05/23	59	41	100	
27	27/05/23	59	41	100	
28	28/05/23	59	41	100	

गोवंश भरण पोषण उपस्थिति रजिस्टर – माह – सितम्बर – 2023 (10)

दिनांक	नर गोवंश	मादा गोवंश	कुल गोवंश	अन्य विवरण
01-9-23	58	41	99	
02-9-23	58	41	99	
03-9-23	58	41	99	
04-9-23	58	41	99	
5-9-23	58	41	99	
6-9-23	58	41	99	
7-9-23	58	41	99	
8-9-2023	58	41	99	
9-9-2023	58	41	99	
10-9-2023	58	41	99	
11-9-2023	58	41	99	
12-9-2023	58	41	99	
13-9-2023	58	41	99	
14-9-2023	58	41	99	[illegible]
15-9-2023	58	41	99	
16-9-2023	58	41	99	
17/9/2023	58	41	99	
18/9/2023	58	41	99	
19/9/2023	58	41	99	
20/9/2023	58	41	99	
21/09/2023	58	41	99	
22/09/2023	58	41	99	
23/09/2023	58	41	99	
24/09/2023	58	41	99	
25/9/2023	58	41	99	
26/9/2023	60	41	101	
27/9/2023	60	41	101	
28/9/2023	60	41	101	

गंगावती
03-गोवंश ...
ग्राम पंचायत-भदारीपुर
वि०ख०-कुठौंद (जालौन)

नाम विकास अधिकारी
पंचायत [illegible]
[illegible] (जालौन)

1/9/23 सितम्बर 2023 (11)

दिनांक	नर गोवंश	मादा गोवंश	कुल गोवंश	अन्य विवरण
29/09/23	60	41	101	
30/09/23	60	41	101	

3079×30=92370=

संलग्नक–4 (टैगिंग पंजिका)

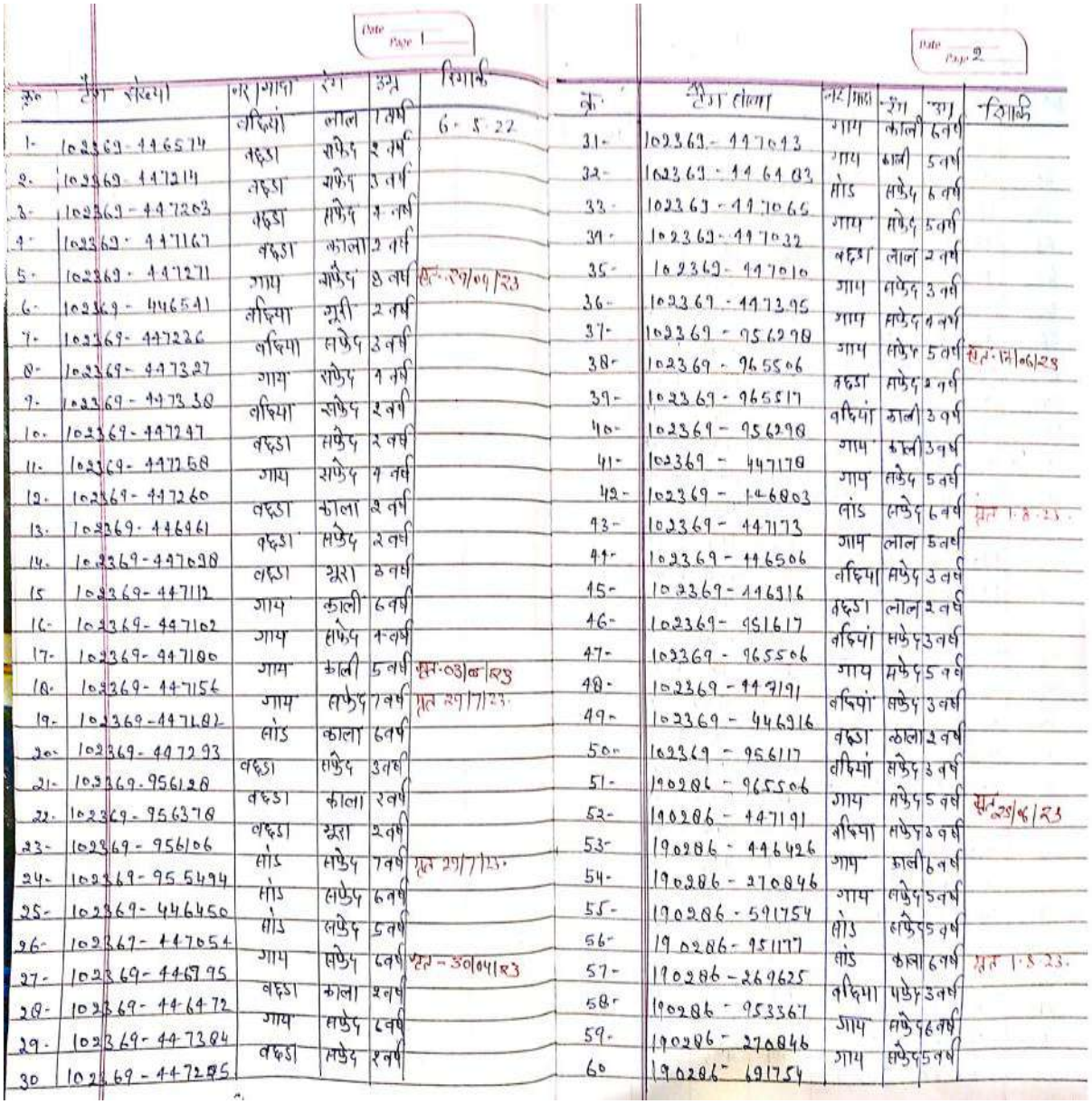

Page 1

क्र०	टैग संख्या	नर/मादा	रंग	उम्र	रिमार्क
1-	102369-446514	बछिया	लाल	1 वर्ष	6-5-22
2-	102369-447214	बछड़ा	सफेद	2 वर्ष	
3-	102369-447263	बछड़ा	सफेद	3 वर्ष	
4-	102369-447167	बछड़ा	काला	2 वर्ष	
5-	102369-447271	गाय	सफेद	8 वर्ष	मृत-29/04/23
6-	102369-446541	बछिया	भूरी	2 वर्ष	
7-	102369-447226	बछिया	सफेद	3 वर्ष	
8-	102369-447327	गाय	सफेद	4 वर्ष	
9-	102369-447338	बछिया	सफेद	2 वर्ष	
10-	102369-447247	बछड़ा	सफेद	2 वर्ष	
11-	102369-447268	गाय	सफेद	4 वर्ष	
12-	102369-447260	बछड़ा	काला	2 वर्ष	
13-	102369-446961	बछड़ा	सफेद	2 वर्ष	
14-	102369-447098	बछड़ा	भूरा	2 वर्ष	
15-	102369-447112	गाय	काली	6 वर्ष	
16-	102369-447102	गाय	सफेद	4 वर्ष	
17-	102369-447100	गाय	काली	5 वर्ष	मृत-03/06/23
18-	102369-447156	गाय	सफेद	7 वर्ष	मृत 29/7/23
19-	102369-447182	सांड	काला	6 वर्ष	
20-	102369-447293	बछड़ा	सफेद	3 वर्ष	
21-	102369-956128	बछड़ा	काला	2 वर्ष	
22-	102369-956378	बछड़ा	भूरा	2 वर्ष	
23-	102369-956106	सांड	सफेद	7 वर्ष	मृत 29/7/23.
24-	102369-955494	सांड	सफेद	6 वर्ष	
25-	102369-446450	सांड	सफेद	5 वर्ष	
26-	102367-447054	गाय	सफेद	6 वर्ष	मृत-30/04/23
27-	102369-446995	बछड़ा	काला	2 वर्ष	
28-	102369-446472	गाय	सफेद	6 वर्ष	
29-	102369-447384	बछड़ा	सफेद	2 वर्ष	
30	102369-447285				

Page 2

क्र०	टैग संख्या	नर/मादा	रंग	उम्र	रिमार्क
31-	102369-447043	गाय	काली	6 वर्ष	
32-	102369-446403	गाय	काली	5 वर्ष	
33-	102369-447065	सांड	सफेद	6 वर्ष	
34-	102369-447032	गाय	सफेद	5 वर्ष	
35-	102369-447010	बछड़ा	लाल	2 वर्ष	
36-	102369-447395	गाय	सफेद	3 वर्ष	
37-	102369-956298	गाय	सफेद	4 वर्ष	
38-	102369-965506	गाय	सफेद	5 वर्ष	मृत-12/06/23
39-	102369-965517	बछड़ा	सफेद	2 वर्ष	
40-	102369-956298	बछिया	काली	3 वर्ष	
41-	102369-447178	गाय	काली	3 वर्ष	
42-	102369-446803	गाय	सफेद	5 वर्ष	
43-	102369-447173	सांड	सफेद	6 वर्ष	मृत 1-8-23.
44-	102369-446506	गाय	लाल	5 वर्ष	
45-	102369-446316	बछिया	सफेद	3 वर्ष	
46-	102369-951617	बछड़ा	लाल	2 वर्ष	
47-	102369-965506	बछिया	सफेद	3 वर्ष	
48-	102369-447191	गाय	सफेद	5 वर्ष	
49-	102369-446916	बछिया	सफेद	3 वर्ष	
50-	102369-956117	बछड़ा	काला	2 वर्ष	
51-	190286-965506	बछिया	सफेद	3 वर्ष	
52-	190286-447191	गाय	सफेद	5 वर्ष	मृत 29/6/23
53-	190286-446426	बछिया	सफेद	3 वर्ष	
54-	190286-270846	गाय	काली	6 वर्ष	
55-	190286-591754	गाय	सफेद	5 वर्ष	
56-	190286-951177	सांड	सफेद	5 वर्ष	
57-	190286-269625	सांड	काला	6 वर्ष	मृत 1-8-23.
58-	190286-953367	बछिया	सफेद	3 वर्ष	
59-	190286-270846	गाय	सफेद	6 वर्ष	
60	190286-691754	गाय	सफेद	5 वर्ष	

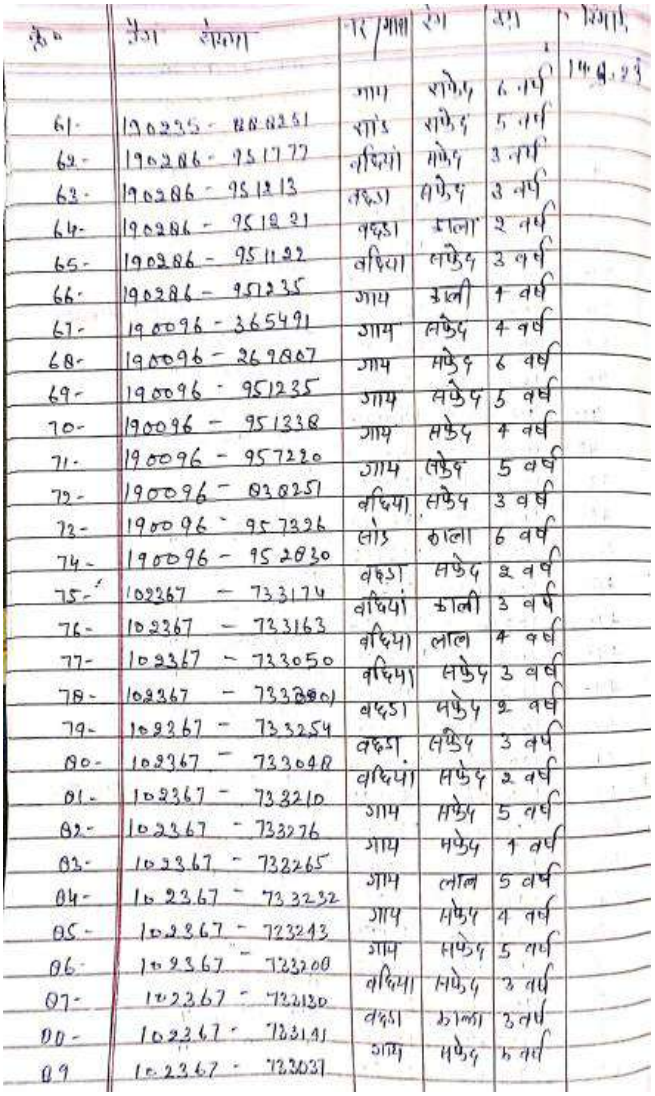

क्र०	टैग संख्या	नर/मादा	रंग	उम्र	विशेष
		गाय	सफेद	6 वर्ष	14.8.23
61-	190235 - 888231	सांड	सफेद	5 वर्ष	
62-	190286 - 951777	बछिया	सफेद	3 वर्ष	
63-	190286 - 951213	बछड़ा	सफेद	3 वर्ष	
64-	190286 - 951221	बछड़ा	काला	2 वर्ष	
65-	190286 - 951122	बछिया	सफेद	3 वर्ष	
66-	190286 - 951235	गाय	काली	4 वर्ष	
67-	190096 - 365491	गाय	सफेद	4 वर्ष	
68-	190096 - 269807	गाय	सफेद	6 वर्ष	
69-	190096 - 951235	गाय	सफेद	5 वर्ष	
70-	190096 - 951338	गाय	सफेद	4 वर्ष	
71-	190096 - 957220	गाय	सफेद	5 वर्ष	
72-	190096 - 838251	बछिया	सफेद	3 वर्ष	
73-	190096 - 957326	सांड	काला	6 वर्ष	
74-	190096 - 952830	बछड़ा	सफेद	2 वर्ष	
75-	102367 - 733174	बछिया	काली	3 वर्ष	
76-	102367 - 733163	बछिया	लाल	4 वर्ष	
77-	102367 - 733050	बछिया	सफेद	3 वर्ष	
78-	102367 - 733801	बछड़ा	सफेद	2 वर्ष	
79-	102367 - 733254	बछड़ा	सफेद	3 वर्ष	
80-	102367 - 733048	बछिया	सफेद	2 वर्ष	
81-	102367 - 733210	गाय	सफेद	5 वर्ष	
82-	102367 - 733276	गाय	सफेद	4 वर्ष	
83-	102367 - 732265	गाय	लाल	5 वर्ष	
84-	102367 - 733232	गाय	सफेद	4 वर्ष	
85-	102367 - 723243	गाय	सफेद	5 वर्ष	
86-	102367 - 723208	बछिया	सफेद	3 वर्ष	
87-	102367 - 722130	बछड़ा	काला	3 वर्ष	
88-	102367 - 723141	गाय	सफेद	6 वर्ष	
89	102367 - 723037				

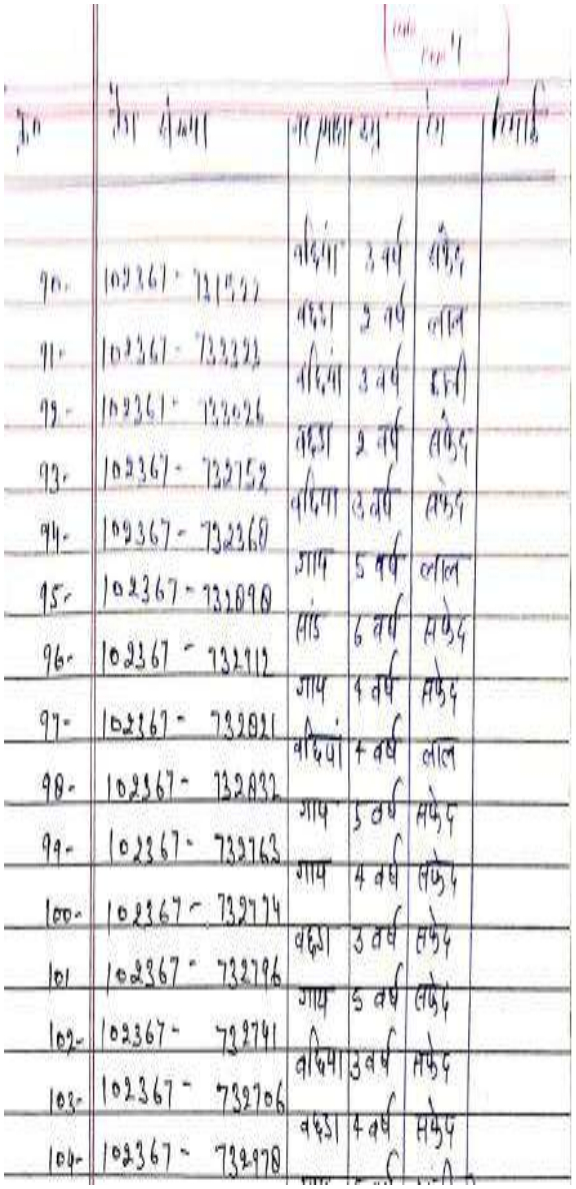

क्र०	टैग संख्या	नर/मादा	उम्र	रंग	विशेष
		बछिया	3 वर्ष	सफेद	
90-	102367 - 732522	बछड़ा	2 वर्ष	लाल	
91-	102367 - 732323	बछिया	3 वर्ष	काली	
92-	102367 - 733026	बछड़ा	2 वर्ष	सफेद	
93-	102367 - 732752	बछिया	3 वर्ष	सफेद	
94-	102367 - 732360	गाय	5 वर्ष	लाल	
95-	102367 - 732090	सांड	6 वर्ष	सफेद	
96-	102367 - 732912	गाय	4 वर्ष	सफेद	
97-	102367 - 732021	बछिया	4 वर्ष	लाल	
98-	102367 - 732832	गाय	5 वर्ष	सफेद	
99-	102367 - 732763	गाय	4 वर्ष	सफेद	
100-	102367 - 732774	बछड़ा	3 वर्ष	सफेद	
101	102367 - 732796	गाय	5 वर्ष	सफेद	
102-	102367 - 732741	बछिया	3 वर्ष	सफेद	
103-	102367 - 732706	बछड़ा	4 वर्ष	सफेद	
104-	102367 - 732978				

संलग्नक– 5 (गोवंश चिकित्सा पंजिका)

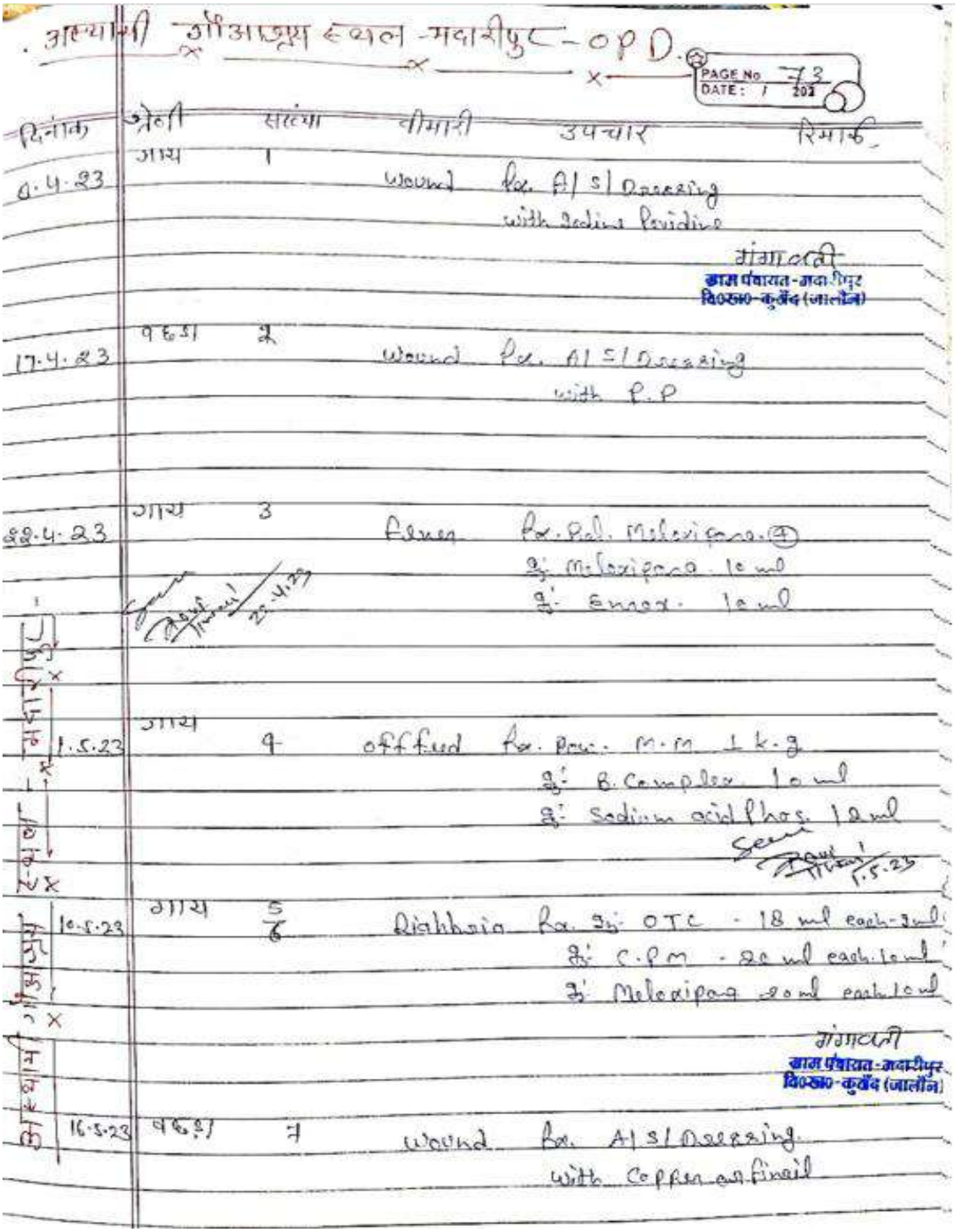

अस्थायी गौआश्रय स्थल मदारीपुर – OPD

PAGE No 73
DATE: / 202

दिनांक	श्रेणी	संख्या	बीमारी	उपचार	रिमार्क
8.4.23	गाय	1	Wound	Rx. A/S/ Dressing with Iodine Povidine	गंगावती ग्राम पंचायत-मदारीपुर वि0ख0-कुठौंद (जालौन)
17.4.23	बछड़ा	2	Wound	Rx. A/S/ Dressing with P.P	
22.4.23	गाय	3	Fever	Rx. Bol. Meloxipara (4) Inj. Meloxipara 10 ml Inj. Enrox 10 ml	(signature) 22.4.23
1.5.23	गाय	4	off feed	Rx. Pow. M.M 1 kg Inj. B. Complex 10 ml Inj. Sodium acid Phos. 12 ml	(signature) 1.5.23
10.5.23	गाय	5, 6	Diarrhoea	Rx. Inj. OTC - 18 ml each-9 ml Inj. C.P.M - 20 ml each 10 ml Inj. Meloxipara 20 ml each 10 ml	गंगावती ग्राम पंचायत-मदारीपुर वि0ख0-कुठौंद (जालौन)
16.5.23	बछड़ा	7	Wound	Rx. A/S/ Dressing with Coppar on finail	

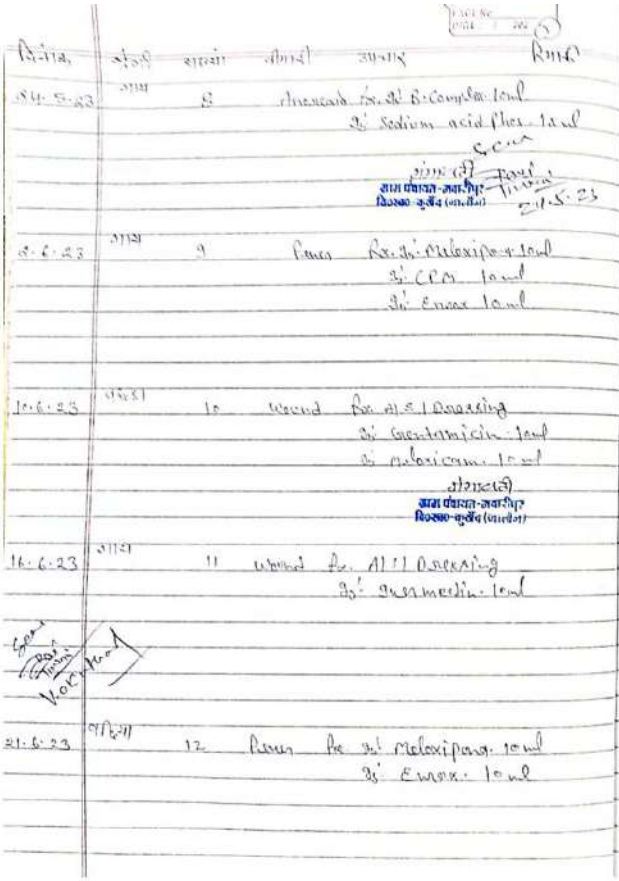

दिनांक	श्रेणी	संख्या	बीमारी	उपचार	रिमार्क
24.5.23	गाय	8	Anaemia	Rx. Inj B-Complex 10ml Inj Sodium acid Phos. 10ml	Sd/- Ravi Tiwari 21.5.23 गंगावती ग्राम पंचायत-जवारीपुर विकास-कुठौंद (जालौन)
8.6.23	गाय	9	Fever	Rx. Inj Meloxipam 10ml Inj CPM 10ml Inj Enrox 10ml	
10.6.23	बछड़ा	10	Wound	Rx. A/S/Dressing Inj Gentamicin 10ml Inj Meloxicam 10ml	गंगावती ग्राम पंचायत-जवारीपुर विकास-कुठौंद (जालौन)
16.6.23	गाय	11	Wound	Rx. A/S/Dressing Inj Ivermectin 10ml	Sd/- Ravi Tiwari VO (Kuthaund)
21.6.23	बछिया	12	Fever	Rx Inj Meloxipam 10ml Inj Enrox 10ml	

दिनांक	श्रेणी	संख्या	बीमारी	उपचार	रिमार्क
25.6.23	बछड़ा	13	Wound	Rx. A/S/D with Sodium Povidine Inj Ivermectin 10ml	गंगावती ग्राम पंचायत-जवारीपुर विकास-कुठौंद (जालौन)
1.7.23	गाय	14	Colic Pain	Rx. Inj Spasdic 10ml Inj Enrox 10ml	
7.7.23	गाय	15	Diarrhoea	Rx. Inj Enrox 10ml Inj Meloxipam 10ml Bol. Oxfendazole (1)	गंगावती ग्राम पंचायत-जवारीपुर विकास-कुठौंद (जालौन)
15.7.23	भैंस	16	Anaemia	Rx. Inj B-complex 10ml Inj Sodium acid Phos. 10ml Inj Gentamicin 10ml	
22.7.23	व(छिया)	17	Wound	Rx. A/S/Dressing Inj Ivermectin 10ml Inj Meloxicam 10ml Bol. Meloxipam (4)	

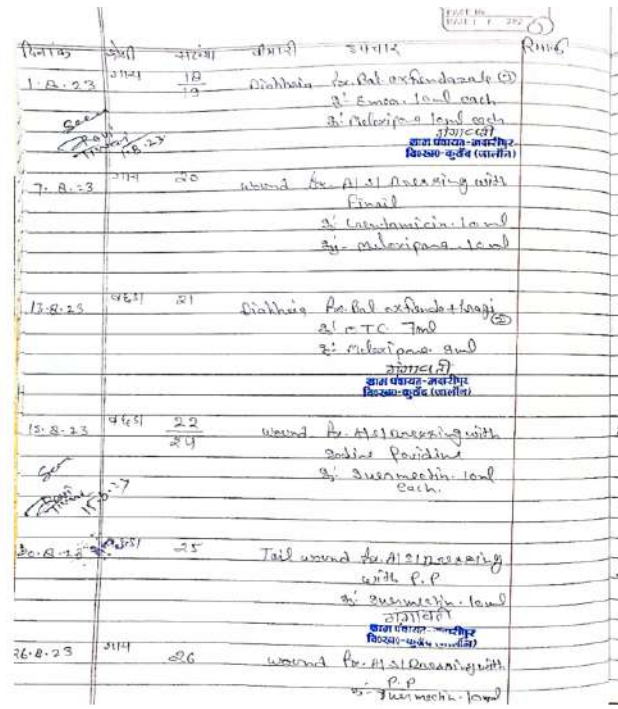

दिनांक	श्रेणी	संख्या	बीमारी	उपचार	रिमार्क
1.8.23	गाय	18/19	Diarrhoea	Rx. Bol. oxfendazole (2) Inj Enrox 10ml each Inj Meloxipam 10ml each	Sd/- Ravi Tiwari 1.8.23 गंगावती ग्राम पंचायत-जवारीपुर विकास-कुठौंद (जालौन)
7.8.23	गाय	20	Wound	Rx. A/S/Dressing with Finail Inj Gentamicin 10ml Inj Meloxipam 10ml	
13.8.23	बछड़ा	21	Diarrhoea	Rx. Bol oxfendazole + tragi (2) Inj OTC 7ml Inj Meloxipam 8ml	गंगावती ग्राम पंचायत-जवारीपुर विकास-कुठौंद (जालौन)
15.8.23	बछड़ा	22/24	Wound	Rx. A/S/Dressing with Sodium Povidine Inj Ivermectin 10ml each.	Sd/- 15.8.23
20.8.23	बछड़ा	25	Tail wound	Rx. A/S/Dressing with P.P Inj Ivermectin 10ml	गंगावती ग्राम पंचायत-जवारीपुर विकास-कुठौंद (जालौन)
26.8.23	गाय	26	Wound	Rx. A/S/Dressing with P.P Inj Ivermectin 10ml	

दिनांक	श्रेणी	संख्या	बीमारी	उपचार	रिमार्क
1.9.23	गाय	27	Tail wound	Rx. A/S/Dressing with Cypermethrin with Finail Inj Ivermectin 10ml	Sd/- Ravi Tiwari गंगावती ग्राम पंचायत-जवारीपुर विकास-कुठौंद (जालौन)
10.9.23	गाय	28/29	Anaemia	Rx. Inj Calcium 10ml each Inj Sodium acid Phos. 10ml Inj B-complex 10ml each	
14.9.23	बछड़ा	30	Fever	Rx. Inj Meloxipam 10ml Inj Gentamicin 10ml Bol. Meloxipam (4)	Sd/- Ravi Tiwari 14.9.23
21.9.23	गाय	31	Diarrhoea	Rx. Inj OTC 10ml Inj Meloxipam 10ml Inj B-Complex 10ml	Sd/- गंगावती ग्राम पंचायत-जवारीपुर विकास-कुठौंद (जालौन)
27.9.23		32	Tail wound	Rx. A/S/Dressing with P.P Inj Ivermectin 10ml	

संलग्नक–6 (भूसा स्टाक पंजिका)

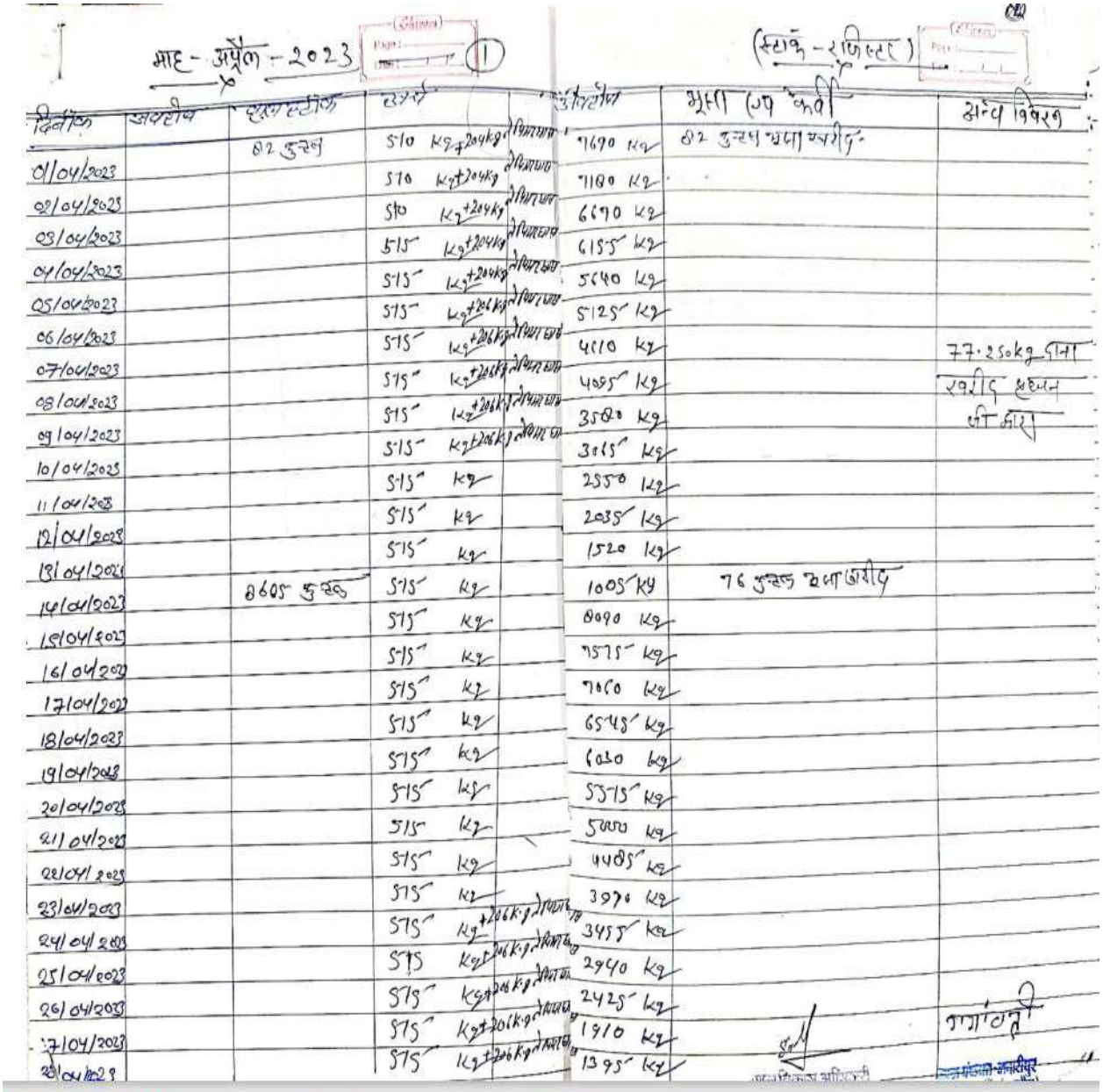

माह - अप्रैल - 2023 (1)

(स्टाक - रजिस्टर)

दिनांक	अवशेष	भूसा स्टॉक	खर्च	अवशेष	भूसा (जो क्रय की)	अन्य विवरण
01/04/2023		82 कुन्तल	510 Kg + 204 kg नेपियर घास	7690 Kg	82 कुन्तल भूसा खरीद	
02/04/2023			510 Kg + 204 kg नेपियर घास	7180 Kg		
03/04/2023			510 Kg + 204 kg नेपियर घास	6670 Kg		
04/04/2023			515 Kg + 204 kg नेपियर घास	6155 Kg		
05/04/2023			515 Kg + 204 kg नेपियर घास	5640 Kg		
06/04/2023			515 Kg + 206 kg नेपियर घास	5125 Kg		
07/04/2023			515 Kg + 206 kg नेपियर घास	4610 Kg		77.250 kg दाना खरीद प्रधान जी द्वारा
08/04/2023			515 Kg + 206 kg नेपियर घास	4095 Kg		
09/04/2023			515 Kg + 206 kg नेपियर घास	3580 Kg		
10/04/2023			515 Kg + 206 kg नेपियर घास	3065 Kg		
11/04/2023			515 Kg	2550 Kg		
12/04/2023			515 Kg	2035 Kg		
13/04/2023			515 Kg	1520 Kg		
14/04/2023		8605 कुन्तल	515 Kg	1005 Kg	76 कुन्तल भूसा खरीद	
15/04/2023			515 Kg	8090 Kg		
16/04/2023			515 Kg	7575 Kg		
17/04/2023			515 Kg	7060 Kg		
18/04/2023			515 Kg	6545 Kg		
19/04/2023			515 Kg	6030 Kg		
20/04/2023			515 Kg	5515 Kg		
21/04/2023			515 Kg	5000 Kg		
22/04/2023			515 Kg	4485 Kg		
23/04/2023			515 Kg	3970 Kg		
24/04/2023			515 Kg + 206 kg नेपियर घास	3455 Kg		
25/04/2023			515 Kg + 206 kg नेपियर घास	2940 Kg		
26/04/2023			515 Kg + 206 kg नेपियर घास	2425 Kg		
27/04/2023			515 Kg + 206 kg नेपियर घास	1910 Kg		
28/04/2023			515 Kg + 206 kg नेपियर घास	1395 Kg		

(हस्ताक्षर) ग्राम विकास अधिकारी — गंगावती, ग्राम पंचायत-ददरीपुर

माह - अप्रैल - 2023 (2)

(स्टाक - रजिस्टर)

दिनांक	अवशेष	भूसा स्टॉक	खर्च	अवशेष		
29/04/2023	1395 कु०	10395 कुन्तल	500 Kg + 204 kg नेपियर घास	9895 K	90 कुन्तल भूसा खरीद प्रधान जी द्वारा	
30/04/2023			500 Kg + 204 kg नेपियर घास	9395 K		

(हस्ताक्षर) ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पं० वि०ख०

गंगावती

ग्राम पंचायत-ददरीपुर वि०ख०-कुठौंद (जालौन)

माह - मई - 2023 ①

दिनांक	अवशेष	कुल प्राप्त	खर्च	अवशेष	भूसा एवं कर्बी	अन्य विवरण
01/05/2023	9395 कुन्तल	9395 कुन्तल	500 Kg + 200kg नेपियर घास	8895 Kg		
02/05/2023			500 Kg + 200kg नेपियर घास	8395 Kg		
03/05/2023			495 Kg + 198kg नेपियर घास	7900 Kg		
04/05/2023			495 Kg + 198kg नेपियर घास	7405 Kg		
05/05/2023			495 Kg + 198kg नेपियर घास	6910 Kg		
06/05/2023			495 Kg + 198kg नेपियर घास	6415 Kg		
07/05/2023			495 Kg + 198 नेपियर घास	5920 Kg		
08/05/2023			495 Kg	5425 Kg		
09/05/2023			500 Kg + 200kg नेपियर घास	4925 Kg		
10/05/2023			500 Kg + 200kg नेपियर घास	4425 Kg		76.500 kg दाना
11/05/2023			500 Kg + 200kg नेपियर घास	3925 Kg		खरीद प्रधान जी द्वारा
12/05/2023			500 Kg + 200kg नेपियर घास	3425 Kg		
13/05/2023			500 Kg + 200kg नेपियर घास	2925 Kg		
14/05/2023			500 Kg + 200kg नेपियर घास	2425 Kg		
15/05/2023			500 Kg + 200kg नेपियर घास	1925 Kg		
16/05/2023			500 Kg	1425 Kg		200 kg नेपियर घास
17/05/2023			500 Kg	925 Kg	88 कुन्तल भूसा खरीद	200 kg नेपियर घास
18/05/2023		9725 कुन्तल	500 Kg	9225 Kg		200 kg नेपियर घास
19/05/2023			500 Kg	8725 Kg		200 kg नेपियर घास
20/05/2023			500 Kg	8225 Kg		200 kg नेपियर घास
21/05/2023			500 Kg	7725 Kg		200 kg नेपियर घास
22/05/2023			500 Kg	7225 Kg		200 kg नेपियर घास
23/5/23			500 Kg	6725 Kg		200 kg नेपियर घास
24/5/23			500 Kg	6225 Kg		200 kg नेपियर घास
25/5/23			500 Kg	5725 Kg		200 kg नेपियर घास
26/5/23			500 Kg	5225 Kg		200 kg नेपियर घास
27/5/23			500 Kg	4725 Kg		200 kg नेपियर घास
28/5/23			500 Kg	4225 Kg		

ग्राम विकास अधिकारी
गंगावती
ग्राम पंचायत

गोवंश भरण पोषण माह जून 2023 — स्टॉक रजिस्टर ⑤

दिनांक	अवशेष	कुल प्राप्त	खर्च भूसा	अवशेष	भूसा / कर्बी खरीद	अन्य विवरण	
1/6/23	2725 कुन्तल	2725 कुन्तल	495 Kg	2230 Kg		198 नेपियर घास	
2/6/23			495 Kg	1735 Kg		198 K.g नेपियर घास	
3/6/23			495 Kg	1240 Kg	92 कुन्तल भूसा खरीद।	198 K.g " "	
4/6/23		10440 कुन्तल	495 Kg	9945 Kg		198 K.g " " "	
5/6/23			495 Kg	9450 Kg		198 K.g " " "	
6/6/23			495 Kg	8955 Kg		198 K.g नेपियर घास	
7/6/23			495 Kg	8460 Kg		198 K.g " "	
8/6/23			495 Kg	7965 Kg		198 K.g " " "	
9/6/23			495 Kg	7470 Kg		198 K.g " " "	
10/6/23			495 Kg	6975 Kg		198 K.g " " "	
11/6/23			495 Kg	6480 Kg		198 K.g " " "	
12/6/23			495 Kg	5985 Kg		198 K.g " " "	
13/6/23			495 Kg	5490 Kg		198 K.g " " "	
14/6/23			495 Kg	4995 Kg		198 K.g " " "	74 - kg दाना
15/6/23			495 Kg	4500 Kg		198 K.g " " "	खरीद प्रधान
16/6/23			490 Kg	4010 Kg		198 K.g " " "	जी द्वारा
17/6/23			490 Kg	3520 Kg		196 K.g " " "	
18/6/23			490 Kg	3030 Kg		196 K.g " " "	
19/6/23			490 Kg	2540 Kg		196 K.g " " "	
20/6/23			490 Kg	2050 Kg		196 K.g " " "	
21/6/23			490 Kg	1560 Kg		196 K.g " " "	
22/6/23			490 Kg	1070 Kg	09 कुन्तल भूसा खरीद	196 K.g " " "	
23/6/23		9970 कुन्तल	490 Kg	9480 Kg		196 K.g " " "	
24/6/23			485 Kg	8995 Kg		194 K.g " " "	
25/6/23			485 Kg	8510 Kg		194 K.g नेपियर घास	
26/6/23			485 Kg	8025 Kg		194 K.g " " "	
27/6/23			485 Kg	7540 Kg			
28/6/23			485 Kg	7055 Kg			

गंगावती
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत

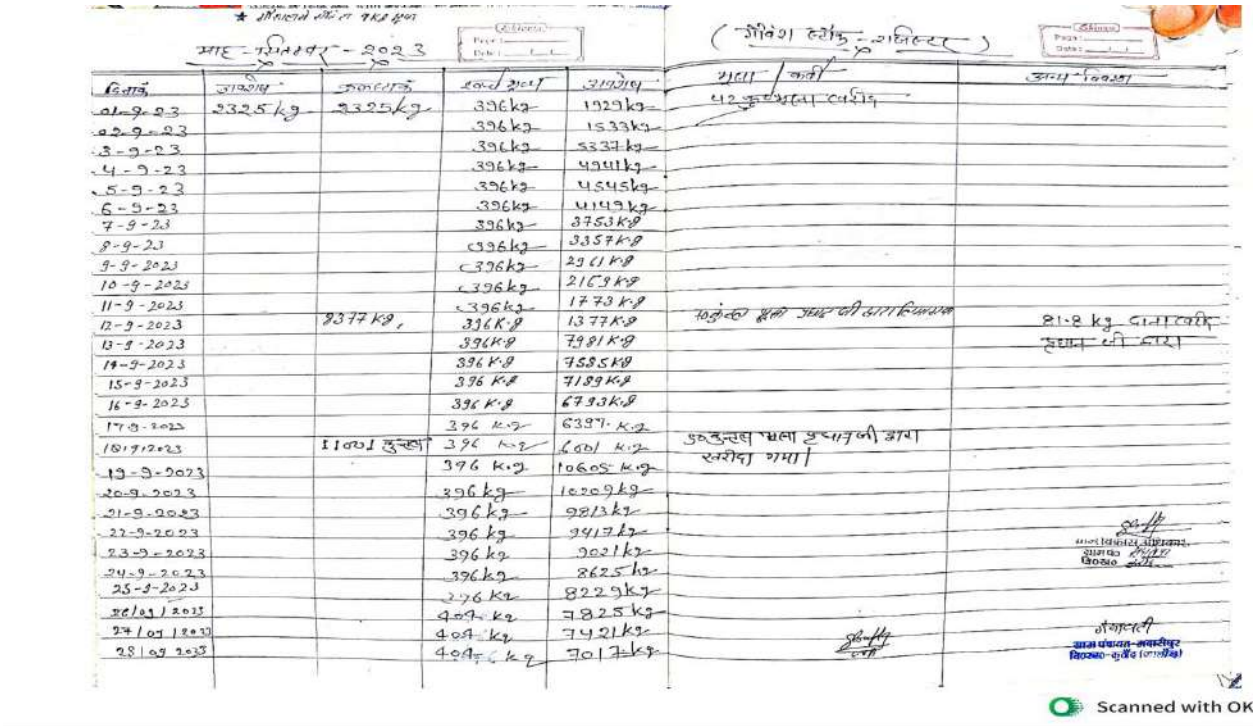

★ गौशाला में स्टॉक 9 kg भूसा

माह – सितम्बर – 2023

(गौवंश स्टॉक – रजिस्टर)

दिनांक	अवशेष	प्राप्त	खर्च भूसा	अवशेष	भूसा / कटी	अन्य विवरण
01-9-23	2325 kg	2325 kg	396 kg	1929 kg	42 कुन्टल भूसा खरीद	
02-9-23			396 kg	1533 kg		
3-9-23			396 kg	5337 kg		
4-9-23			396 kg	4941 kg		
5-9-23			396 kg	4545 kg		
6-9-23			396 kg	4149 kg		
7-9-23			396 kg	3753 kg		
8-9-23			396 kg	3357 kg		
9-9-2023			396 kg	2961 kg		
10-9-2023			396 kg	2169 kg		
11-9-2023			396 kg	1773 kg		
12-9-2023		8377 kg	396 kg	1377 kg	70 कुन्टल भूसा प्रधान जी द्वारा [illegible]	81.8 kg दाना खरीद प्रधान जी द्वारा
13-9-2023			396 kg	7981 kg		
14-9-2023			396 kg	7585 kg		
15-9-2023			396 kg	7189 kg		
16-9-2023			396 kg	6793 kg		
17-9-2023			396 kg	6397 kg		
18/9/2023		11001 कुन्टल	396 kg	6001 kg	50 कुन्टल भूसा प्रधान जी द्वारा खरीदा गया।	
19-9-2023			396 kg	10605 kg		
20-9-2023			396 kg	10209 kg		
21-9-2023			396 kg	9813 kg		
22-9-2023			396 kg	9417 kg		
23-9-2023			396 kg	9021 kg		
24-9-2023			396 kg	8625 kg		
25-9-2023			396 kg	8229 kg		
26/09/2023			404 kg	7825 kg		
27/09/2023			404 kg	7421 kg		
28/09/2023			404 kg	7017 kg		

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पं० [illegible], वि०ख० [illegible]

गंगावती, ग्राम पंचायत-मवासीपुर, वि०ख०-कुठौंद (जालौन)

Scanned with OK

माह – सितम्बर – 2023

गौवंश – स्टॉक – रजिस्टर (10)

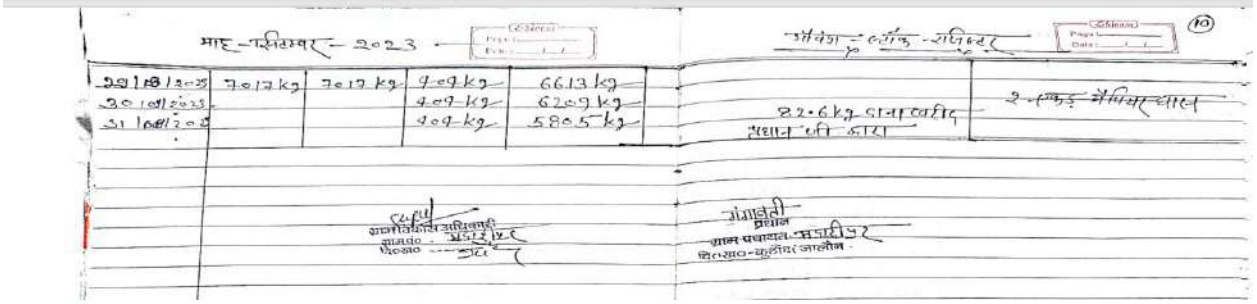

दिनांक	अवशेष	प्राप्त	खर्च भूसा	अवशेष	भूसा / कटी	अन्य विवरण
29/09/2023	7017 kg	7017 kg	404 kg	6613 kg		2 एकड़ मैथिया घास
30/09/2023			404 kg	6209 kg	82.6 kg दाना खरीद प्रधान जी द्वारा	
31/09/2023			404 kg	5805 kg		

ग्राम विकास अधिकारी, ग्रामपं० – मवासीपुर, वि०ख० – कुठौंद

गंगावती, प्रधान, ग्राम पंचायत-मवासीपुर, वि०ख०-कुठौंद जालौन

संलग्नक–07

संलग्नक–08(निरीक्षण पंजिका)

आज दिनांक 05-12-2021 को ग्राम मदारीपुर (मे भाराही) मे गौवंश निरीक्षण किया [illegible] समय कुछ गौवंश स्थानों पर चारा पानी व रहने का अभाव को [illegible] साफ किये गये है गौशाला मे [illegible] की व्यवस्था उचित है

J. B.D.O
05-12-2021

05-12-2021

आज दिनांक 10.9.2023 को मदारीपुर-Aवाड़ का निरीक्षण एवं समस्त 39 गौवंशो का स्वास्थ्य परीक्षण एवं कृमिनाशक दवा वितरण की गई एक बीमार गौवंश का उपचार किया गया।

10.9.2023.

पशु चिकित्सा अधिकारी
[illegible]
[illegible]

आज दिनांक 15/7/23 को [illegible] मदारीपुर का निरीक्षण किया गया सभी गौवंशो का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। एक बीमार गौवंश का उपचार किया गया। [illegible] 37 गौवंश उपलब्ध मिले। [illegible] निर्देश प्रदान किये गये।

V.O. Kuthond, 15/7/23

दिनांक 5/8/23 को गौशाला-मदारीपुर मे उपस्थित 37 समस्त गौवंशों का स्वास्थ्य परीक्षण कि[illegible] 4 कमजोर गौवंश हेतु दवा वितरण एवं उपचार कि[illegible]

5.8.23

पशु चिकित्सा अधिकारी
[illegible]
[illegible]

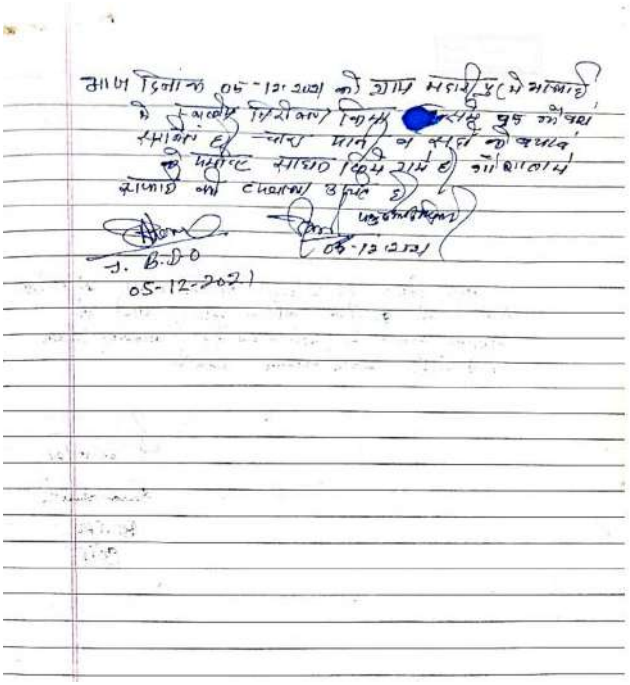

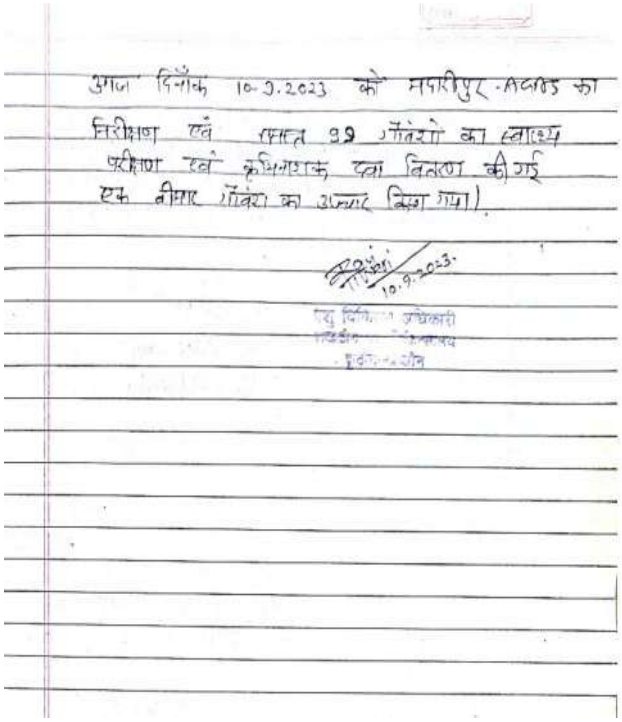

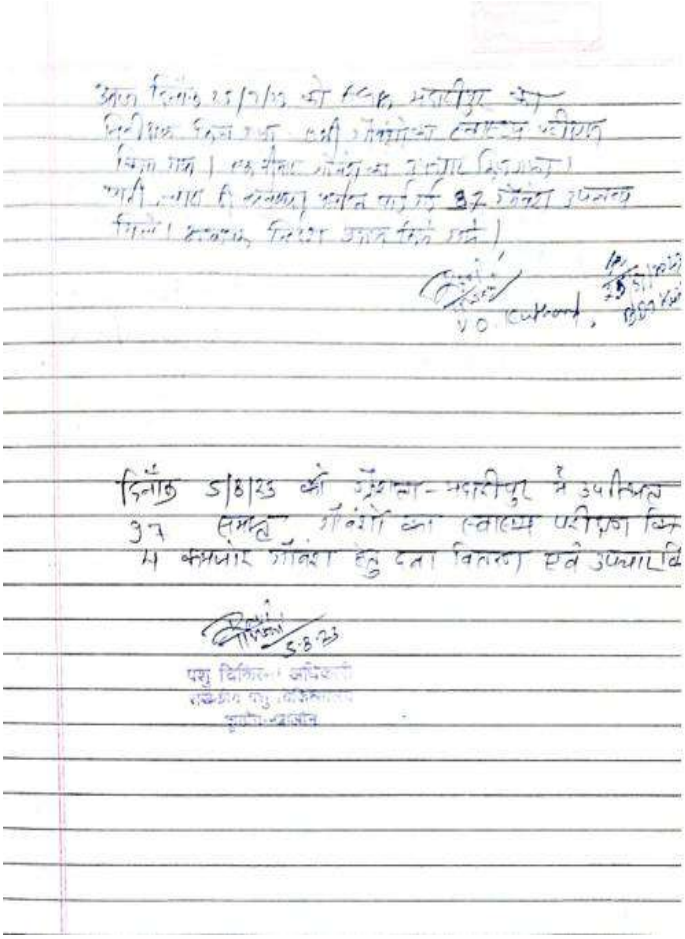

Annexure-26

ग्राम पंचायत–बस्तेपुर, विकास खण्ड–कुठौंद, जनपद– जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक 25.09.2023 को ओवरसाईट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे–

1– श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी, जालौन।
2– श्री सर्वेश कुमार रवि, खण्ड विकास अधिकारी, कुठौंद ।
3– डा0 रवि कुमार तिवारी, पशु चिकित्साधिकारी, कुठौंद।
4– श्री वेद प्रकाश, ग्राम विकास अधिकारी, बस्तेपुर।
5– श्रीमती पुष्पा देवी, ग्राम प्रधान, बस्तेपुर के प्रतिनिधि।
6– श्री दिर्विजय सिंह, गोपालक।
7– श्री राम सिंह, गोपालक।

1. गोवंश–आश्रय–स्थल के चारों ओर किनारे–किनारे बरसात का एवं पानी के टैंक से निकलने वाला पानी भरा था, जिससे वहाँ की जमीन कीचड़युक्त हो गयी थी (संलग्नक–01)। गोवंश–आश्रय–स्थल के टिन शेड के बगल में दूषित जल एवं मूत्र की निकासी हेतु नाली का निर्माण कराया गया है, परन्तु मूत्र का निस्तारण ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टिन शेड के फर्श का स्लोप नाली की तरफ नहीं बनाया गया है (संलग्नक–02)। गोवंश–आश्रय–स्थल से निकलने वाले गोबर के निस्तारण की व्यवस्था भी समुचित नहीं है। गोबर को मुख्य मार्ग के तरफ गेट के बगल में जलभराव के समीप एकत्रित किया जा रहा था (संलग्नक–03), जबकि परिसर की जालीदार घेराबंदी के बाहर 02 पक्के कम्पोस्ट पिट बनाए गए हैं। बताया गया कि गोबर का उपयोग खाद के रूप में ही किया जाता है। ऐसी स्थिति में पक्के पिट का निर्माण उपयोगी नहीं है। जब तक गोबर का खाद से इतर वैकल्पिक उपयोग की व्यवस्था न हो, तब तक कच्चे कम्पोस्ट पिट में ही गोबर का निस्तारण करना पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उचित होगा।

2. यह गोवंश–आश्रय–स्थल मुख्य सड़क के किनारे स्थित है। इसका वर्ष 2019–20 से ग्रामसभा की भूमि पर संचालित होना बताया गया। आश्रय स्थल में 02 टिन शेड (प्रत्येक 12मी0 X 08मी0), 01 चरही (3.65मी0 X 2.43मी0), दोनों तरफ से खाने के लिए उपयुक्त 02 चरनी (प्रत्येक 7.9मी0 X 1.2मी0) टिन शेड के अन्दर एवं 01 चरनी (4.96मी0 X 1. 5मी0) अलग से बनी हुई है। इसके अतिरिक्त 02 पक्के कम्पोस्ट पिट एवं 02 पक्के सोक पिट बनाए गए हैं। पूरे आश्रय स्थल का फर्श खड़ंजे का है।

3. गोवंश–आश्रय–स्थल में समर्सिबल पम्प, गोबर ढुलाई के लिए ठेला तथा विद्युत की व्यवस्था उपलब्ध है। परिसर में बीमार एवं अशक्त गोवंशों को रखने के लिए अलग से किसी भी प्रकार के शेड या अन्य कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल के आस–पास आवासीय क्षेत्र, विद्यालय/अस्पताल या अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नहीं है।

4. प्रस्तुत की गयी गोवंश गणना पंजिका (संलग्नक– 4) दिनांक 01.04.2023 से बनायी गयी है इसमें निरीक्षण की तिथि को गोवंश–आश्रय–स्थल पर 66 गोवंश की उपस्थिति दर्ज है, जिनमें 28 नर तथा 42 मादा गोवंश हैं। इसमें विभिन्न तिथियों को 15 गोवंशों की प्राकृतिक मृत्यु का उल्लेख ''गोवंश कम या अधिक होने का कारण'' कालम में किया गया है । टैगिंग पंजिका (संलग्नक–5) में दिनांक लिखने का कोई कालम नहीं है, जबकि इसका पहला कालम ही दिनांक का होता है। बाद में ''टैग नं0'' वाले कालम में ही दि0–06.04.2023 अंकित करते हुए 28 गोवंशों का टैगिंग किया जाना दर्शाया गया है। इसी प्रकार से दिनांक 10.04.2023 को 28 गोवंशों का टैगिंग का उल्लेख दर्शाया गया है। पुनः दिनांक 18.04.2023 को 27 गोवंशों का टैगिंग किया जाना दर्शाया गया है। इस प्रकार, इस वित्तीय वर्ष में कुल 83 गोवंशों की टैगिंग किया जाना अंकित है। इस बात को पशु चिकित्साधिकारी स्पष्ट नहीं कर सके कि जब इस आश्रय–स्थल पर दिनांक 01.04.2023 को केवल 80 गोवंश थे, जिनमें से दो की मृत्यु 18.04.2023 से पूर्व हो गयी, अर्थात् कुल 78 गोवंश ही बचे थे, तो उनके द्वारा 83 गोवंशों की टैगिंग उक्त तीन तिथियों पर कैसे की गयी? यह आश्रय–स्थल वर्ष 2019 से संचालित है, अतः यह भी संभव नहीं है कि विगत चार वर्षों में किसी भी गोवंश की टैगिंग न हुई हो और दि0– 01.04.2023 को उपस्थित सभी 80 गोवंशों की टैगिंग करने की आवश्यकता पड़े।

5. इस आश्रय–स्थल पर दिनांक 01.04.2023 के बाद 80 गोवंशों में से एक की मृत्यु दिनांक 10.04.2023 को तथा दूसरे की मृत्यु दिनांक 14.04.2023 को हुई, जिसका उल्लेख टैगिंग पंजिका में भी क्रमशः क्रमांक 80 एवं 75 पर अंकित है। टैगिंग पंजिका में इन गोवंशों की टैगिंग दिनांक 18.04.2023 को किया जाना दर्शाया गया है, जो संभव ही नहीं था। 'टैगिंग सीरियल नम्बर' के कालम में मृत्यु का दिनांक, 'टैग नम्बर' के कालम में टैगिंग का दिनांक, आश्रय–स्थल पर उपलब्ध गोवंशों से अधिक संख्या में टैगिंग दर्शाया जाना तथा पूर्व के 4 वर्षो में किसी भी गोवंश का टैगिंग न किया जाना बिना किसी दुविधा के यह यह प्रमाणित करता है कि यह टैगिंग पंजिका निरीक्षण के लिए तैयार की गयी है, न कि सामान्य रूप से जिस प्रकार से इसे रखा जाना चाहिए। उल्लेखलनीय है कि गणना पंजिका में 15 गोवंशों की मृत्यु दर्शायी गयी है जबकि टैगिंग पंजिका में 17 गोवंशों की मृत्यु लाल स्याही में दर्ज है।

6. बताया गया कि दिनांक– 06.06.2023 को एच0एस0 एवं दिनांक 22.08.2023 को एल0एस0डी0 का टीकाकरण तथा दिनांक 11.08.2023 को डी–वार्मिंग किया गया है, परन्तु इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि यह अभिलेख पशु चिकित्साधिकारी स्तर पर नियमित रूप से रखा जाता है। प्रस्तुत की गयी चिकित्सा पंजिका (संलग्नक–6) दिनांक 08.06.2023 से तैयार की गयी है, जिसमें दिनांक 17.07.2023 से 23.09.2023 के बीच विभिन्न 13 तिथियों पर गोवंशों के किये गये उपचार का विवरण अंकित किया गया है। इस पंजिका में दिनांक 15.07.2023 को किसी गोवंश का उपचार किया जाना अंकित नहीं है, जबकि निरीक्षण पंजिका में 1 बीमार गोवंश के उपचार का उल्लेख किया गया है। मौके पर गोवंशों के प्राथमिक उपचार हेतु उपचार किट नहीं पाया गया।

7. प्रस्तुत की गयी भूसा स्टाक पंजिका (संलग्नक– 7) दिनांक 01.04.2023 से बनायी गयी है। ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि के द्वारा अवगत कराया गया कि गोवंशों के हरे चारे की व्यवस्था हेतु किसानों से साढ़े चार बीघा जमीन रु0 7000/– बीघा की दर से बलकट (किराये) पर ली गई है, जिसमें नेपियर घास उगाई गई है एवं 1.5 बीघा जमीन में ज्वार बोया गया है। यह मात्र एक सीजन के लिए है। हरा चारा उगाने पर होने वाले व्यय का भुगतान ग्राम सभा निधि से किया जाता है। जिला–स्तरीय बैठक में अधिकारियों के द्वारा इस आश्रय स्थल के लिए 0.24 हे0 नेपियर घास एवं 0.60 हे0 बरसीम की बुआई का विवरण दिया गया है। चारा उगाने पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टॉक पंजिका में भी केवल भूसा की आमद एवं खपत अंकित है। गोवंशो के सामने चरनी मे भी मात्र भूसा (हरा चारा नहीं) रखा गया था, जिसे वे खा रहे थे।
8. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 02 गोपालक (श्री दिर्विजय सिंह व श्री राम सिंह) कार्यरत है, जिनको प्रतिमाह रू0 6000/– वेतन के रूप में दिया जाता है। अवगत कराया गया कि गोवंशों को सप्ताह में एक बार स्नान कराया जाता है।

9. गोवंश–आश्रय–स्थल में कुछ गोवंशों का स्वास्थ्य अच्छा था, तो कुछ बहुत कमजोर लग रहे थे (संलग्नक–08)। जब तक कमजोर गोवंशों को अलग से खिलाने की व्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक उनके स्वास्थ्य में सुधार संभव नहीं है, क्योंकि मजबूत गोवंश आगे बढ़कर अपने आवश्यकता भर पूरा चारा खा लेते हैं। उनके खाने के बाद ही बचा हुआ आहार कमजोर गोवंशों को मिलता है। पर्याप्त आहार के अभाव में कमजोर गोवंश दिन–प्रतिदिन कमजोर होते चले जाते हैं। उल्लेखनीय है कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल पर आहार के रूप में केवल 4 किग्रा0 भूसा प्रति गोवंश को दिया जाता है, जो अपर्याप्त है। गोवंश के स्वास्थ्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें चराने के लिए दिन में बाहर भेजा जाता है। हालांकि गोवंश के स्वास्थ्य की दृष्टि से यह व्यवस्था ठीक लगती है, परन्तु इससे इस योजना को चलाने का जो उद्देश्य है, वह विफल होता दिखता है, क्योंकि अभी भी ग्रामीण यह शिकायत करते हैं कि छुट्टे गोवंश फसलों को बर्बाद कर रहे हैं।

10. निरीक्षण पंजिका (संलग्नक–09) में दिनांक 21.08.2021 से आगे की निरीक्षण आख्यायें अंकित हैं, जो काफी सूक्ष्म हैं। निरीक्षण पंजिका में दि0–26.04.2023 को पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा 75 गोवंशों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना दर्शाया गया है, जबकि इस तिथि को गोवंश उपस्थिति पंजिका में 77 गोवंशों का होना दर्ज है। इस पंजिका में दिनांक 15.07.2023 को एक बीमार गोवंश का उपचार किया जाना अंकित है, जबकि उपचार पंजिका में इस तिथि को कोई भी उपचार किया जाना अंकित नहीं है। निरीक्षण पंजिका में इस निरीक्षण आख्या के बाद की गई प्रविष्टियाँ, तिथियों के क्रम में न होकर अस्त व्यस्त तरीके से दर्ज की गई है, जो यह स्पष्ट करता है कि यह पंजिका जल्दी–जल्दी में निरीक्षण के पूर्व दिखाने के लिए तैयार की गयी हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण एवं उनके दिशा निर्देश ग्राम–प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी एवं गोपालकों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। अतः गोवंश–आश्रय–स्थल पर निरीक्षण पुस्तिका रखी जानी चाहिए एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाना चाहिए कि वे अपने निरीक्षण के उपरान्त तथ्यात्मक

मंतव्य/सुझाव निरीक्षण पुस्तिका में अवश्य अंकित करें। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा यह भी देखा जाना चाहिए कि पूर्व में अन्य निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा जो सुझाव दिये गए है, उनका पालन हो रहा है या नहीं।

11. निरीक्षण के समय प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के सुसंगत पृष्ठों की फोटो ली गयी थी। निरीक्षण टिप्पणी तैयार करते समय उनमें से कुछ फोटो स्पष्ट नहीं थे। उनकी फोटो पुनः जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त की गयी। अतः इन अभिलेखों में निरीक्षण की तिथि के बाद की प्रविष्टियां भी अंकित हैं।

12. **निष्कर्ष**– इस आश्रय स्थल की स्थिति पर्यावरण की दृष्टि से काफी चिन्ताजनक है। परिसर के किनारे कीचड़युक्त जलजमाव से निजात पाने, दूषित जल, मूत्र तथा गोबर के निकासी एवं निस्तारण वैज्ञानिक ढ़ंग से किए जाने की आवश्यकता है। अभिलेखों की कूटरचना यह दर्शाती है कि आश्रय–स्थल का प्रबन्धन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। ग्राम विकास एवं पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी अपने दायित्वों का सही ढ़ंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

(अनन्त कुमार सिंह)
सदस्य, ओवरसाइट कमेटी, (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

संलग्नक–01(क)

संलग्नक–01(ख)

संलग्नक–02

संलग्नक–03 (क)

संलग्नक–03 (ख)

संलग्नक–03(ग)

संलग्नक–04 (गोवंश गणना पंजिका)

माह अप्रैल वर्ष 2023

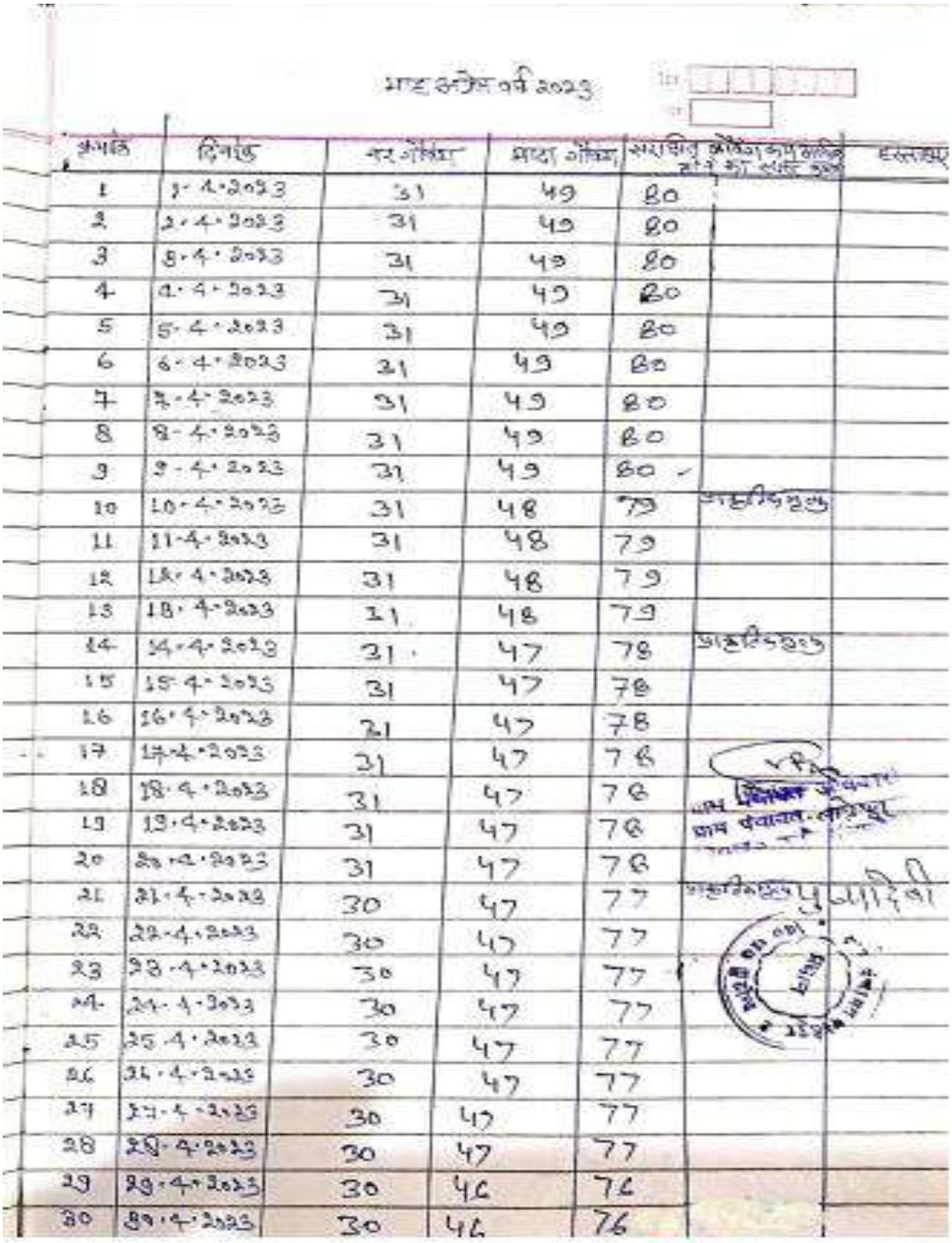

क्रमांक	दिनांक	नर गोवंश	मादा गोवंश	संरक्षित [illegible]	[illegible]	हस्ताक्षर
1	1-4-2023	31	49	80		
2	2-4-2023	31	49	80		
3	3-4-2023	31	49	80		
4	4-4-2023	31	49	80		
5	5-4-2023	31	49	80		
6	6-4-2023	31	49	80		
7	7-4-2023	31	49	80		
8	8-4-2023	31	49	80		
9	9-4-2023	31	49	80		
10	10-4-2023	31	48	79	[illegible]	
11	11-4-2023	31	48	79		
12	12-4-2023	31	48	79		
13	13-4-2023	31	48	79		
14	14-4-2023	31	47	78	[illegible]	
15	15-4-2023	31	47	78		
16	16-4-2023	31	47	78		
17	17-4-2023	31	47	78		
18	18-4-2023	31	47	78	ग्राम [illegible]	
19	19-4-2023	31	47	78	ग्राम पंचायत [illegible]	
20	20-4-2023	31	47	78		
21	21-4-2023	30	47	77	[illegible]	
22	22-4-2023	30	47	77		
23	23-4-2023	30	47	77		
24	24-4-2023	30	47	77		
25	25-4-2023	30	47	77		
26	26-4-2023	30	47	77		
27	27-4-2023	30	47	77		
28	28-4-2023	30	47	77		
29	29-4-2023	30	46	76		
30	30-4-2023	30	46	76		

Scanned with OKEN

संलग्नक–05 (टैगिंग पंजिका)

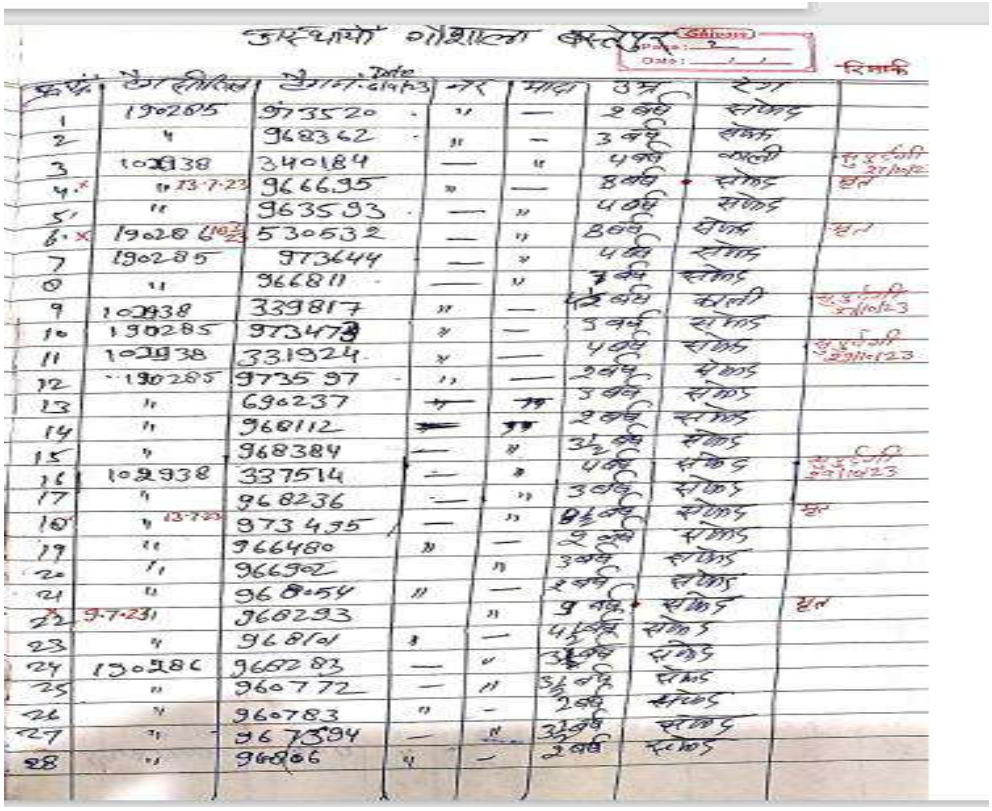

जरथायों गोशाला कस्तूरपुर

Page: 2

क्र.सं.	टैग सीरियल	टैग नं. Date 6/4/23	नर	मादा	उम्र	रंग	रिमार्क
1	190285	973520	"	—	2 वर्ष	सफेद	
2	"	968362	"	—	3 वर्ष	सफेद	
3	102938	340184	—	"	4 वर्ष	काली	सुपुर्दगी 27/10/23
4 x	" 13.7.23	966695	"	—	8 वर्ष	सफेद	मृत
5	"	963593	—	"	4 वर्ष	सफेद	
6 x	190286 6/10/23	530632	—	"	8 वर्ष	सफेद	मृत
7	190285	973644	—	"	4 वर्ष	सफेद	
8	"	966811	—	"	7 वर्ष	सफेद	
9	102938	339817	"	—	12 वर्ष	काली	सुपुर्दगी 27/10/23
10	190285	973473	"	—	5 वर्ष	सफेद	
11	102938	331924	"	—	4 वर्ष	सफेद	सुपुर्दगी 29/10/23
12	190285	973597	"	—	2 वर्ष	सफेद	
13	"	690237	"	"	5 वर्ष	सफेद	
14	"	968112	—	"	2 वर्ष	सफेद	
15	"	968384	—	"	3½ वर्ष	सफेद	
16	102938	337514	—	"	4 वर्ष	सफेद	सुपुर्दगी 29/10/23
17	"	968236	—	"	3 वर्ष	सफेद	
18	" 13.7.23	973435	—	"	8½ वर्ष	सफेद	मृत
19	"	966480	"	—	2 वर्ष	सफेद	
20	"	966902		"	3 वर्ष	सफेद	
21	"	968054	"	—	2 वर्ष	सफेद	
22 x	9.7.23	968293		"	9 वर्ष	सफेद	मृत
23	"	968101	"	—	4½ वर्ष	सफेद	
24	190286	966283	—	"	3½ वर्ष	सफेद	
25	"	960772	—	"	3½ वर्ष	सफेद	
26	"	960783	"	—	2 वर्ष	सफेद	
27	"	967594	—	"	3½ वर्ष	सफेद	
28	"	968066	"	—	2 वर्ष	सफेद	

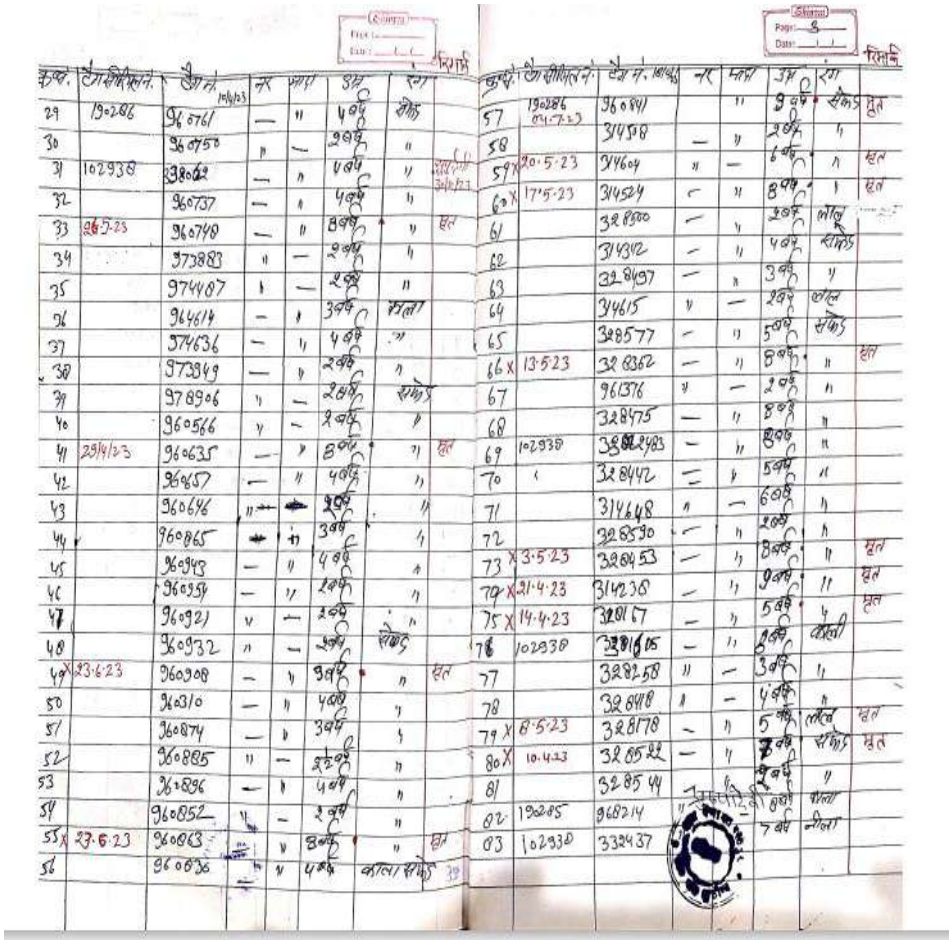

क्र.सं.	टैग सीरियल नं.	टैग नं. 10/4/23	नर	मादा	उम्र	रंग	रिमार्क
29	190286	960761	—	"	4 वर्ष	सफेद	
30		960750	"	—	2 वर्ष	"	
31	102938	338062	—	"	4 वर्ष	"	सुपुर्दगी 30/10/23
32		960737	—	"	4 वर्ष	"	
33	26.5.23	960748	—	"	8 वर्ष	"	मृत
34		973883	"	—	2 वर्ष	"	
35		974407	"	—	2 वर्ष	"	
36		964614	—	"	3 वर्ष	काला	
37		974636	—	"	4 वर्ष	"	
38		973949	—	"	2 वर्ष	"	
39		978906	"	—	2 वर्ष	सफेद	
40		960566	"	—	2 वर्ष	"	
41	29/4/23	960635	—	"	8 वर्ष	"	मृत
42		96857	—	"	4 वर्ष	"	
43		960646	"	—	2 वर्ष	"	
44		960865	—	"	3 वर्ष	"	
45		960943	—	"	4 वर्ष	"	
46		960954	—	"	2 वर्ष	"	
47		960921	"	—	2 वर्ष	"	
48		960932	"	—	3 वर्ष	सफेद	
49 x	23.6.23	960908	—	"	9 वर्ष	"	मृत
50		960310	—	"	4 वर्ष	"	
51		960874	—	"	3 वर्ष	"	
52		960885	"	—	2½ वर्ष	"	
53		960896	—	"	4 वर्ष	"	
54		960852	"	—	2 वर्ष	"	
55 x	23.6.23	960863		"	8 वर्ष	"	मृत
56		960836	"	"	4 वर्ष	काला/सफेद	

Page: 3

क्र.सं.	टैग सीरियल नं.	टैग नं. 10/4/23	नर	मादा	उम्र	रंग	रिमार्क
57	190286 04.7.23	960841		"	9 वर्ष	सफेद	मृत
58		314508	—	"	2 वर्ष	"	
59 x	20.5.23	314604	"	—	6 वर्ष	"	मृत
60 x	17.5.23	314524	—	"	8 वर्ष	"	मृत
61		328500	—	"	2 वर्ष	लाल	
62		314342	—	"	4 वर्ष	सफेद	
63		328497	—	"	3 वर्ष	"	
64		314615	"	—	2 वर्ष	लाल	
65		328577	—	"	5 वर्ष	सफेद	
66 x	13.5.23	328362	—	"	8 वर्ष	"	मृत
67		961376	"	—	2 वर्ष	"	
68		328475	—	"	8 वर्ष	"	
69	102938	328483	—	"	8 वर्ष	"	
70	"	328442	—	"	5 वर्ष	"	
71		314648	"	—	6 वर्ष	"	
72		328590	—	"	2 वर्ष	"	
73 x	3.5.23	328453	—	"	8 वर्ष	"	मृत
74 x	21.4.23	314236	—	"	9 वर्ष	"	मृत
75 x	14.4.23	328167	—	"	5 वर्ष	"	मृत
76	102938	328605	—	"	8 वर्ष	काली	
77		328258	"	—	3 वर्ष	"	
78		328418	"	—	4 वर्ष	"	
79 x	8.5.23	328178	—	"	5 वर्ष	लाल	मृत
80 x	10.4.23	328522	—	"	7 वर्ष	सफेद	मृत
81		328544		"	7 वर्ष	"	
82	190285	968214	"	—	8 वर्ष	पीला	
83	102938	332437			7 वर्ष	नीला	

अध्यक्ष (हस्ताक्षर) [मुहर]

संलग्नक–06 (चिकित्सा पंजिका)

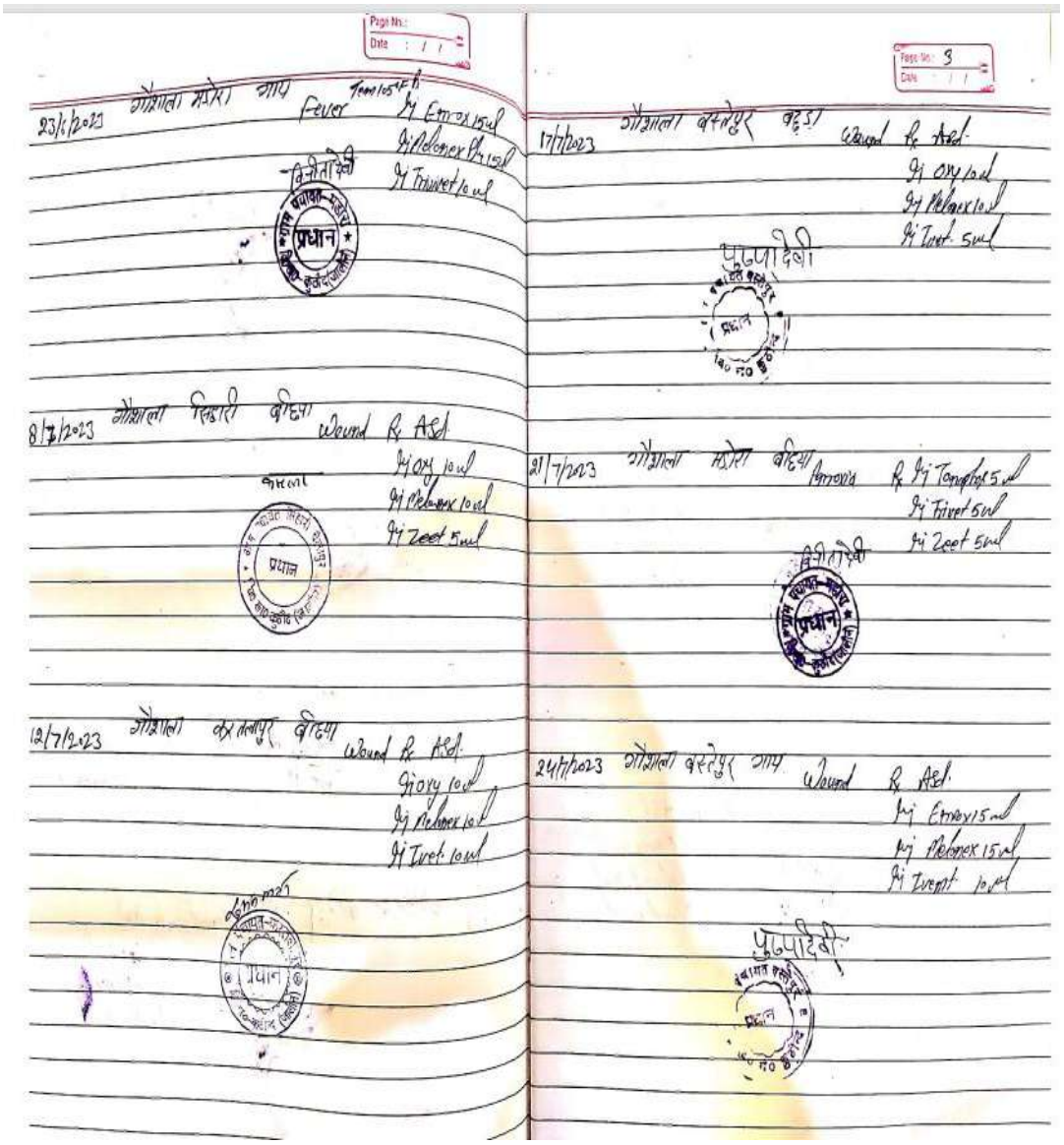

संलग्नक–07 (भूसा स्टॉक पंजिका)

माह अप्रैल-2023

क्रमांक	दिनांक	प्राप्ति कु०	कुल स्टॉक	खर्च कु०	अवशेष कु०	हस्ताक्षर
1	01-04-23	10.10	98.60	3.20 कु	95.4	
2	02-04-23			3.20	92.2	
3	3-04-23			3.20	89.0	
4	4-4-23			3.20	85.8	
5	5-4-23			3.20	82.6	
6	6-4-23			3.20	79.4	
7	7-4-23			3.20	76.2	
8	8-4-23			3.20	73.0	
9	9-4-23			3.20	69.8	
10	10-4-23			3.16	66.64	
11	11-4-23			3.16	63.48	
12	12-4-23			3.16	60.32	
13	13-4-23			3.16	57.16	
14	14-4-23			3.12	54.04	पुष्पा देवी
15	15-4-23			3.12	50.92	
16	16-4-23			3.12	47.8	
17	17-4-23			3.12	44.68	
18	18-4-23			3.12	41.56	
19	19-4-23			3.12	38.44	
20	20-4-23			3.12	35.32	
21	21-4-23			3.08	32.24	
22	22-4-23			3.08	29.16	
23	23-4-23			3.08	26.08	
24	24-4-23			3.08	23.0	
25	25-4-23			3.08	19.92	
26	26-4-23			3.08	16.84	
27	27-4-23			3.08	13.76	
28	28-4-23			3.08	10.68	
29	29-4-23			3.04	7.64	
30	30-4-23			3.04	4.6	

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक–08

<u>संलग्नक–09 (निरीक्षण पंजिका)</u>

(07)

आज दिनांक 26/4/2023 को बस्तेपुर गौशाला का निरीक्षण कर लगभग 75 गोवंश का स्वास्थ्य परीक्षण किया। गौशाला में भूसा के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था उत्तम मिली एवं गोवंश का स्वास्थ्य अच्छा पाया गया एवं पशु रोग की व्यवस्था अच्छी मिली।

Ravi Tiwari 26.4.23
Dr Ravi Kumar Tiwari
पशु चिकित्साधिकारी
ब्लाक–कुदरा (?)

आज दिनांक 19.06.2023 को निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल बस्तेपुर का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के समय गौशाला में कुल 69 गोवंश संरक्षित पाये गए। मौके पर केयर टेकर उपस्थित मिले। गौशाला में भूसे की पर्याप्त मात्रा 136 कुन्तल पाई गयी। गौशाला को तेज गर्मी से बचाव हेतु एवं शुद्ध पानी पीने/पिलाने हेतु ग्राम पंचायत सचिव को निर्देशित किया गया।

19/06/2023
BDO

आज दिनांक 20.06.2023 को बस्तेपुर का निरीक्षण एवं समस्त गोवंशों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। एक बीमार गोवंश का इलाज किया गया गौशाला में पानी एवं भूसे की व्यवस्था पर्याप्त पाई गई।

Ravi Tiwari 20.06.2023

आज दिनांक 18/7/2023 को गौशाला का निरीक्षण किया एक बीमार गोवंश का प्राथमिक उपचार किया। लगभग 63 गोवंश उपस्थित मिले।

BDO

आज दिनांक 18/9/23 को गौशाला का निरीक्षण किया जिसमें लगभग 62 गोवंश उपस्थित मिले।

BDO

आज दिनांक 5/7/23 को गौशाला का निरीक्षण किया 65 गोवंश संरक्षित मिले सफाई हेतु निर्देशित किया गया। पानी की हौज सफाई हेतु केयरटेकर को निर्देशित किया गया।

Ravi Tiwari 5.7.23
V.O. Kuthond

आज दिनांक 3/8/2023 को सभी गोवंशों का स्वास्थ्य परीक्षण किया व केयरटेकरों को सफाई हेतु निर्देशित किया।

Ravi Tiwari 3.8.2023
V.O. Kuthond

<u>निरीक्षण आख्या</u>

आज दिनांक 21.08.2024 को मेरे द्वारा अस्थाई गौशाला बस्तेपुर का निरीक्षण किया गया और अस्वस्थ पशुओं का इलाज किया गया। उक्त गौशाला में 45 गौवंश उपस्थित पाये गये।

Singh
A.S.O Kuthond
21.08.24

<u>निरीक्षण आख्या</u>

आज दिनांक 24.9.24 को मेरे द्वारा गौशाला बस्तेपुर का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें गौवंश की पशु संख्या पायी गयी।

उक्त गौवंश स्वस्थ एवं भरण पोषण हेतु पर्याप्त व्यवस्था पायी गयी है।

A.S.O Kuthond

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-27

ग्राम पंचायत–रामहेतपुरा, विकास खण्ड–माधौगढ़, जनपद-जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक-25.09.2023 को ओवरसाइट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा जनपद-जालौन, विकासखण्ड-माधौगढ़ के ग्राम पंचायत-रामहेतपुरा में स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित है–

1–श्री रमेश चन्द्र शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी, माधौगढ़
2– डॉ0 अखिलेश कुमार सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
3– श्री दिनेश कुमार यादव, उपायुक्त (एन0आर0एल0एम0)
4– श्री अरूण कुमार, ए0एस0ओ0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
5– डॉ0 डी0सी0 भास्कर, पशु चिकित्सा अधिकारी, रामहेतपुरा
6– श्री इन्द्रपाल सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, रामहेतपुरा
7– श्री विनोद कुमार, ग्राम प्रधान, रामहेतपुरा
8– श्री सन्तोष, गोपालक
9– श्री दिनेश, गोपालक

1. यह गोवंश–आश्रय–स्थल वर्ष 2019 से संचालित होना सूचित किया गया। इसे स्थापित करने के लिये भूमि पट्टे पर ली गयी है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 01 बीघा होना बताया गया है। यह गोवंश–आश्रय–स्थल चारों ओर से तारों से घेरा गया है तथा मुख्य द्वार पर गेट लगा हुआ है। पूरे परिसर में कच्चा फर्श है, जिस पर अत्यधिक गोबरयुक्त जलभराव तथा जमाव है, जिससे गोवंशो द्वारा बडी ही मुश्किलों से आवागमन किया जा रहा है, जो निंदनीय व सोचनीय है। ऐसा प्रतीत होता है कि निरीक्षण की सूचना प्राप्त होने पर परिसर की साफ–सफाई का प्रयत्न किया गया है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल के आसपास आबादी/विद्यालय/अस्पताल/अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नही है। वर्तमान में 02 गोपालक कार्यरत है, जिनका वेतन रू0 6000/– प्रतिमाह है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 11 नर, 37 मादा व 07 बछड़े/बछिया, कुल 55 गोवंश अभिलेखों में दर्ज हैं। कोई भी गोवंश स्वयंसेवी गोपालकों को पशुपालन हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है। सूचित किया गया कि इस वर्ष किसी भी गोवंश की मृत्यु नही हुई है, जिसके सन्दर्भ मे ग्राम विकास अधिकारी द्वारा गोवंश पंजिका व मृत्यु पंजिका प्रस्तुत नही की गयी, जिससे गोवंश की मृत्यु के न होने की सत्यता की पुष्टि की जा सके।
2. पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टैगिंग पंजिका में दिनांक–25.11.2022 को केवल 40 गोवंशो की टैगिंग किया जाना वर्णित है, परन्तु मौके पर 03–04 गोवंशों पर ही टैगिंग पायी गयी तथा अन्य किसी गोवंश में न तो टैगिंग और न ही कान में छेद पाया गया। टैगिंग पंजिका पिछले 04 वर्षो से तैयार की जा रही है, जो अधूरी व त्रुटिपूर्ण है, जिसका पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका। इस पंजिका में समस्त प्रविष्टियां एक ही हस्तलिपि में है तथा इसमें पशु चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह पंजिका तथ्यों को देखें बिना तथा निरीक्षण से तत्काल पूर्व तैयार की गयी है। टीकाकरण पंजिका के अनुसार, दिनांक-21.05.2023 को एच0एस0 टीकाकरण व दिनांक-18.09.2023 को एल0एस0डी0 टीकाकरण किया गया है। टैगिंग पंजिका व टीकाकरण पंजिका पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा मानकों के अनुसार तैयार की जानी चाहिए जिसमे गोवंशों का उपचार एवं टीकाकरण सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियां नियमानुसार हो।
3. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में मात्र एक टिन–शेड (12.19 मी0 X 8.22 मी0) बना हैं, जिसमे पडंजा बिछा है, जो गोवंशों के लिए अपर्याप्त है। टिन–शेड के बीचो–बीच एक चरनी (9.14 मी0 X 1.21 मी0) स्थित है, जिससे गोवंशो द्वारा दोनो तरफ से आसानी से चारा खाया जा सकता है, परन्तु अत्यधिक गोबरयुक्त जलभराव की समस्या होने के कारण गोवंशो का चरनी के एक से दूसरी तरफ जाना बहुत बडी चुनौती है। दूसरी चरनी (1.52 मी0 X 0.91 मी0) भूसा घर से सटी हुई बनी है तथा ऊपर से खुली है, जिसे बछड़ों के लिए उपयुक्त बताया गया। बीमार, आशक्त एवं विकलांग गोवंशो के लिए अलग से कक्ष की कोई व्यवस्था नहीं है। टिन–शेड के बगल में न तो मूत्र व अपशिष्ट जल निकासी और न ही सोकपिट की व्यवस्था पायी गयी । ऐसा प्रतीत होता है कि निरीक्षण की सूचना पर जल्दीबाजी में सफाई कराई जा रही है। यदि

टिन–शेड के किनारे गोबर, मूत्र एवं अपशिष्ट जल का व्यवस्थित ढंग से निस्तारित किया जाये, तो इसका प्रदूषणकारी प्रभाव कम होगा।

4. गोवंश के पेयजल आपूर्ति के लिये एक सबमर्सिबिल पम्प तथा 02 पक्की हौज (4.57 मी0 X 1.52 मी0 व 1.52 मी0 X 0.91 मी0) है, जो अत्यधिक काईयुक्त है। जल के निस्तारण के लिये कोई नाली नहीं बनी है, जिससे जलभराव व जल प्रदषूण की समस्या लगातार बनी हुई है। गोवंश को नहलाने के सम्बन्ध में कोई सूचना नही दी गयी ।
5. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में कम्पोस्ट पिट नही बना हुआ है, जिससे पूरे परिसर मे गोबर भरा व फैला पाया गया, कोई कम्पोस्टिंग, वर्मीकम्पोस्टिंग, बायोगैस संयंत्र तथा गोबर एवं मूत्र के अन्य उपयोग की कोई व्यवस्था नही है, जैसा कि शासनादेश दिनांक-02.01.2019 में निर्देशित किया गया है। इस गोवंश आश्रय स्थल की आय वृद्वि के लिए गोबर एवं कम्पोस्टिंग के लिये गडढ़े बनाकर उसमें गोबर एवं मूत्र व अपशिष्ट जल की नाली जोड़कर कम्पोस्ट खाद तैयार की जा सकती है, जिससे तैयार खाद की ग्राह्यता स्थानीय लोगों में अधिक होगी। किन्तु इस दिशा में कोई प्रयास भी नही किया गया है।
6. बताया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में सभी संसाधनों का उपयोग करते हुये पशुओं का भरण-पोषण किया जाता है, परन्तु निरीक्षण के समय अधिकांश गोवंश अस्वस्थ तथा कुछ काफी दुर्बल दिखे। दो बछडे एवं एक गाय बहुत ही कमजोर पाये गये, जो चलने में असमर्थ है। जिससे यह स्वतः ही परिलक्षित है कि गोवंशों की देख–रेख, आहार व अन्य व्यवस्थाओ में घोर लापरवाही की गई है, जो अत्यंत सोचनीय है। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि बछडा बहुत बीमार है तथा उसे उचित औषधि दी जा रही है । चरनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सूखा भूसा, जो हरा चारा रहित है, कुछ समय पूर्व ही डाला गया है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में एक भूसा भण्डारण कक्ष (15.24 मी0 X 4.57 मी0) है, जो अत्यन्त अव्यवस्थित है, जिसमें गोवशों की संख्या के अनुसार भूसा की मात्रा बहुत ही कम पायी गयी। भूसा पंजिका भी प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे गोवंशो की सही स्थिति का पता लगाया जा सके। बताया गया कि हरे चारे का क्रय 'शिवा ट्रेडर्स' के द्वारा तथा ग्राम प्रधान की भूमि से पूर्ण किया जाता है। पूर्व में इस गोवंश–आश्रय–स्थल के निकट नैपियर घास की बुआई किया जाना बताया गया, परन्तु निरीक्षण के समय आसपास कहीं भी नैपियर घास नहीं पायी गयी। गोवंश–आश्रय–स्थल पर चारा काटने की मशीन व ढुलाई के लिए ठेले की व्यवस्था उपलब्ध नहीं पायी गई।
7. लेखा पंजिका, खाताबही पंजिका, सुपुर्दगीकरण पंजिका तथा पंचनामा पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि समस्त पंजिकायें ग्राम प्रधान द्वारा रखी गयी है, जो नियम के विरूद्व है। उपरोक्त पंजिकाओं में प्रविष्टियां नियमानुसार उचित प्रारूप में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे सत्यता की पुष्टि की जा सके।
8. संबंधित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा पूर्व में इस गोवंश आश्रय स्थल का निरीक्षण किया गया था। परन्तु इस संदर्भ में कोई भी निरीक्षण पंजिका प्रस्तुत नही की गई, जिससे सत्यता का पता लगाया जा सके। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान अपना मन्तव्य स्पष्ट एवं लिखित रूप से पंजिका में अंकित करना आवश्यक है तथा दिये गये निर्देशो का पालन करवाना भी सुनिश्चित करना चाहिए, अन्यथा निरीक्षण का आशय ही विफल हो जायेगा ।
9. निरीक्षण के समय उक्त परिसर के अन्दर मात्र 01 पौधा लगा पाया गया। यद्यपि इस गोवंश आश्रय स्थल में वृक्षारोपण हेतु उचित स्थान उपलब्ध है, जहॉ पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्षारोपण के लिए कोई प्रयास नही किया गया है, जिससे गोवंशों को गर्मी व धूप से बचाया जा सकता हो। खण्ड विकास अधिकारी तथा ग्राम विकास अधिकारी से अपेक्षा है कि जलभराव की समस्या को दूर करके परिसर की स्थिति को सुधारा जाये तथा किनारे–किनारे वृक्षारोपण किया जाये, जो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अनुकूल है। परिसर में रोशनी की कोई व्यवस्था नही है।
10. अंततः कमेटी के विचार में इस गोवंश–आश्रय–स्थल का रखरखाव व प्रबन्धन बहुत ही अव्यवस्थित व असंतोषजनक है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है।

(एस0वी0एस0 राठौर)
अध्यक्ष, ओवरसाइट कमेटी(एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

ग्राम पंचायत–रामहेतपुरा, विकासखण्ड–माधौगढ़, जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल

ग्राम पंचायत–चितौरा, विकासखण्ड–माधौगढ, जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक–25.09.2023 को ओवरसाइट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा जनपद-जालौन विकासखण्ड-माधौगढ़ के ग्राम पंचायत-चितौरा में स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित है–

1–श्री रमेश चन्द्र शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी, माधौगढ़
2–डॉ0 अखिलेश कुमार सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
3–श्री दिनेश कुमार यादव, उपायुक्त (एन0आर0एल0एम0)
4–श्री अरूण कुमार, ए0एस0ओ0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
5–डॉ0 डी0 सी0 भास्कर, पशु चिकित्सा अधिकारी, चितौरा
6–श्री इन्द्रपाल सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, चितौरा
7–श्रीमती ज्ञानवती, ग्राम प्रधान, चितौरा
8–श्री राजा भईया, गोपालक
9–श्री सचिन, गोपालक

1. यह गोवंश–आश्रय–स्थल वर्ष 2019 से संचालित होना सूचित किया गया। इसे स्थापित करने के लिये ग्राम पंचायत से भूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 02 बीघा है। यह गोवंश–आश्रय–स्थल चारों ओर से तारों से घिरा है तथा मुख्य द्वार पर गेट लगा हुआ है। वर्तमान में इस गोवंश में 02 गोपालक कार्यरत है, जिनका वेतन रू0 6000/–प्रतिमाह है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल के बगल में पंचायत घर, पास में तालाब व विद्यालय स्थित है, परन्तु आस–पास अस्पताल/अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नहीं है। परिसर के अन्दर अत्यधिक गोबरयुक्त जलभराव व जमाव है जिससे गोवंशो का आवागमन बाधित है जो निन्दनीय व सोचनीय है। बताया गया कि वर्तमान में इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 08 नर, 37 मादा व 13 बछड़े/बछिया, कुल 55 गोवंश अभिलेखों में दर्ज हैं, परन्तु निरीक्षण के समय मात्र 30 गोवंश ही इस गोवंश–आश्रय–स्थल पर पाये गये। कोई भी गोवंश स्वयंसेवी गोपालकों को पशुपालन हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है। बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में किसी भी गोवंश की मृत्यु नहीं हुई है। किन्तु पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा सूचित गया कि उन्हे किसी गोवंश की मृत्यु की सूचना नही है। ग्रामवासियो द्वारा बताया गया कि निरीक्षण की सूचना मिलते ही गोवंशो को गॉव से पकड़कर लाया गया है जो कि अत्यन्त निन्दनीय है। गोवंशों की संख्या कम होने का कोई भी स्पष्टीकरण नही दिया जा सका ।
2. पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टैगिंग पंजिका में विगत वर्ष 2022 में गोवंशों की टैगिंग होना दर्ज पाया गया। वर्तमान वर्ष में किये गये टैगिंग की कोई प्रविष्टि नही पायी गई तथा तात्कालिक गणना के अनुसार, मात्र 03–04 गोवंशों पर ही टैगिंग पायी गयी तथा अन्य किसी गोवंश में न तो टैगिंग और न ही कान में छेद पाया गया। उपस्थित सहायकों द्वारा बताया गया कि पशु चिकित्सा अधिकारी को कई बार टैगिंग करने के लिए सूचना दी गयी, परन्तु वह कभी टैगिंग के लिये नहीं आये। प्रस्तुत टैगिंग पंजिका में टैगिंग का दिनांक उल्लिखित नही है तथा दर्ज की गयी समस्त प्रविष्टियां एक ही हस्तलिपि में है, जो अधूरी, त्रुटिपूर्ण व हस्ताक्षर विहीन है, जबकि बताया गया कि यह पंजिका पिछले 04 वर्षो से तैयार की जा रही है। जिससे प्रतीत होता है कि यह पंजिका तथ्यों को देखें बिना तथा निरीक्षण से तत्काल पूर्व तैयार की गयी है, जिसका सम्बन्धित पशु चिकित्सा अधिकारी कोई उचित उत्तर नही दे पाये। टीकाकरण पंजिका के अनुसार, दिनांक-23.06.2023 को एच0एस0 टीकाकरण, दिनांक-15.08.2023 को डी–वार्मिंग व दिनांक-17.09.2023 को एल0एस0डी0 टीकाकरण का होना बताया गया है। टीकाकरण पंजिका पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा मानकों के अनुसार तैयार की जानी चाहिए, जिसमे गोवंशो का उपचार एवं टीकाकरण सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियां नियमानुसार हो। गोवंशों की संख्या को देखते हुए यह स्थान अपर्याप्त है।
3. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में एक टिन–शेड (12.19 मी0 X 8.22 मी0) हैं, जिसमे पडंजा बिछा है। सर्दी व गर्मी के मौसम से बचाव के लिए टिन–शेड को तीन तरफ से टिन की चादरों से घेरा गया है। इस परिसर में 02 चरनी (प्रत्येक 9.14 मी0 X 1.21 मी0), एक चरनी टिन–शेड के बीचो–बीच तथा दूसरी चरनी खुले मैदान में स्थित है, जिससे गोवंशों द्वारा दोनो तरफ से चारा खाया जा सकता है। टिन–शेड तथा परिसर की साफ सफाई अच्छी नहीं है तथा गोबरयुक्त जलभराव है, जिससे गोवंशों का चरनी के एक से दूसरी तरफ जाने की घोर समस्या है। बीमार, आशक्त एवं विकलांग गोवंश के लिए अलग से

कक्ष की कोई व्यवस्था नहीं है। टिन–शेड के बगल में मूत्र एवं अपशिष्ट जल निकासी के लिए कोई नाली नही बनी है, जिससे जलभराव की समस्या निरंतर बनी हुई है। यदि गोबर एवं मूत्र का व्यवस्थित ढंग से निस्तारण किया जाये, तो इसका प्रदूषणकारी प्रभाव कम होगा।

4. गोवंश के पेयजल आपूर्ति के लिये सरकारी नल पर एक सबमर्सिबिल पम्प लगा हुआ है तथा एक पक्की हौज (4.57 मी0 X 1.52 मी0) बनी हुई है, जिसे तत्काल ही साफ किया गया है, जिसमे जल नही भरा है। परिसर में गोवंश को नहलाने की कोई सूचना नही दी गयी। परिसर मे जल के निस्तारण के लिये कोई नाली व सोकपिट नही बनी है, जिससे जलभराव व जल प्रदषूण की समस्या लगातार बनी हुई है।
5. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में एक कम्पोस्ट पिट (4.57 मी0 X 1.21 मी0) है, जिससे पूरे परिसर में गोबर फैला हुआ है। बताया गया कि पिछले कुछ समय से गोबर खुले में एकत्र किया जा रहा है। परिसर में कोई कम्पोस्टिंग, वर्मीकम्पोस्टिंग, बायोगैस संयत्र एवं गोबर के रख–रखाव की कोई अन्य व्यवस्था उपलब्ध नही है, जैसा कि शासनादेश दिनांक–02.01.2019 में निर्देशित किया गया है। सूचित किया गया कि शीघ्र ही कम्पोस्ट पिट का निर्माण किया जायेगा। कम्पोस्टिंग के लिये गड्ढे बनाकर उसमें गोबर एवं मूत्र की नाली जोड़कर कम्पोस्ट खाद तैयार की जा सकती है, जिससे तैयार खाद की ग्राह्यता स्थानीय लोगो में अधिक होगी। किन्तु इस दिशा में कोई भी प्रयास नही किया गया है।
6. बताया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में सभी संसाधनों का उपयोग करते हुये पशुओं का भरण–पोषण किया जाता है, परन्तु निरीक्षण के समय अधिकांश गोवंश अस्वस्थ तथा दुर्बल दिखे। मौके पर कुछ गोवंशो का स्वास्थ्य इतना खराब है कि वह उठकर चल भी नही पा रहे है, जिससे यह स्वतः ही परिलक्षित होता है कि गोवंशो की देख–रेख, आहार व अन्य व्यवस्थाओं में पूर्णतया लापरवाही की गयी है, जो अत्यन्त सोचनीय है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में कोई भूसा भण्डारण कक्ष नही पाया गया, परन्तु एक अन्य जगह 70–80 कुंतल भूसे का होना बताया गया, जिसे जलभराव की समस्या के कारण देख पाना असम्भव है। बताया गया कि भूसे का क्रय शिवा ट्रेडर्स के द्वारा रू0 825/– प्रति कुंतल की दर से किया जाता है तथा हरे चारे की पूर्ति ग्राम प्रधान की निजी भूमि में बुआई कराई जाती है।
7. निरीक्षण के समय यह पाया गया कि ग्राम विकास अधिकारी द्वारा गोवंश पंजिका व भूसा पंजिका सम्मिलित रूप से बनायी गयी है। इन पंजिकाओं का रखरखाव वर्ष 2021 से किया जा रहा है, जिसके अनुसार दिनांक-25.09.2023 को सभी 58 गोवंशो को 2.90 कुंतल भूसा/हरा चारा खिलाया गया है तथा लगभग 14.86 कुंतल भूसा शेष पाया गया। नैपियर घास की बुआई के विषय में कोई चर्चा नही की गयी और न ही निरीक्षण के समय आस–पास कहीं भी नैपियर घास पायी गयी। गोवंश–आश्रय–स्थल पर चारा काटने की मशीन का होना बताया गया, परन्तु मौके पर चारा काटने की मशीन तथा ढुलाई के लिए ठेले आदि की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं पाई गई।
8. लेखा पंजिका, निरीक्षण पंजिका तथा सुपुर्दगीकरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी। ग्राम विकास अधिकारी ने सूचित किया कि ग्रांट प्राप्त होने की कोई पंजिका नही बनायी गई है। पुरानी कैश बुक पंजिका प्रस्तुत की गयी, जिसमें अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 29.04.2022 की है। खण्ड विकास अधिकारी ने सूचित किया कि ग्राम विकास अधिकारी उसके निर्देशों को पालन नही करते है। उपरोक्त पंजिकाओं में प्रविष्टियां नियमानुसार उचित प्रारूप में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। निरीक्षण पंजिका गोवंश–आश्रय–स्थल पर कार्यरत गोपालकों के लिए मार्गदर्शक सिद्व हो सकती है। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उनके द्वारा जो सुझाव दिये गये है कि उनका पालन हो रहा है या नहीं। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान अपना मन्तव्य स्पष्ट एवं लिखित रूप से पंजिका में अंकित करना आवश्यक है एवं भविष्य में उनका पालन भी सुनिश्चित करें, अन्यथा निरीक्षण का आशय ही विफल हो जायेगा।
9. निरीक्षण के समय उक्त परिसर मे मात्र 04 ट्री–गार्ड लगे पाये गये। यद्यपि इस गोवंश– आश्रय–स्थल में अधिक वृक्षारोपण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्षारोपण की दिशा में कोई रूचि नही ली गई है। अपेक्षा है कि जलभराव की समस्या को दूर करके परिसर की स्थिति की सुधारा जाना चाहिए जाये तथा परिसर के किनारे–किनारे वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, जो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से उपयोगी होगा। परिसर में रोशनी की कोई व्यवस्था नही पाई गयी।
10. अंततः कमेटी के विचार में इस गोवंश–आश्रय–स्थल का रख–रखाव व प्रबन्धन बहुत ही अव्यवस्थित व असंतोषजनक है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है।

(एस0वी0एस0 राठौर)
अध्यक्ष, ओवरसाइट कमेटी (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

ग्राम पंचायत–चितौरा, विकासखण्ड–माधौगढ़, जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल

Annexure-29

ग्राम पंचायत–कुरसेंड़ा, विकास खण्ड–माधौगढ़, जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक–25.09.2023 को ओवरसाइट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा जनपद–जालौन, विकासखण्ड–माधौगढ़ के ग्राम पंचायत–कुरसेड़ा में स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित है–

1– श्री रमेश चन्द्र शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी, माधौगढ़
2– श्री इन्द्रपाल सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, कुरसेड़ा
3– डॉ0 अखिलेश कुमार सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
4– श्री दिनेश कुमार यादव, उपायुक्त (एन0आर0एल0एम0)
5– श्री अरूण कुमार, ए0एस0ओ0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
6– डॉ0 सन्तोष राजपाल, पशु चिकित्सा अधिकारी, कुरसेंड़ा
7– श्री कमलेश कुमार, ग्राम प्रधान–कुरसेड़ा
8– श्री राजा, गोपालक
9– श्री सचिन, गोपालक
10– श्री कर्म, गोपालक

1. यह गोवंश–आश्रय–स्थल वर्ष 2021 से संचालित होना सूचित किया गया। इसे स्थापित करने के लिये ग्राम पंचायत से भूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1.5 बीघा है। यह परिसर चारों ओर से लोहे के कटीले तारों से घिरा है, जो कि शासनादेश द्वारा निषिद्ध है तथा मुख्य द्वार पर गेट लगा हुआ है। परिसर के अंदर एक तरफ जलभराव तथा दूसरी तरफ गोबर का जमाव पाया गया, जिससे गोवंशो द्वारा बड़ी ही मुश्किलों से आवागमन किया जा रहा है, जो सोचनीय है। वर्तमान में इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 03 गोपालक कार्यरत है, जिनका वेतन रू0 6000/– प्रतिमाह है। यह गोवंश–आश्रय–स्थल गांव के पास, परंतु इसके आस–पास विद्यालय/अस्पताल/अन्य कोई गोवंश–आश्रय–स्थल नहीं है। वर्तमान में इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 11 नर, 38 मादा, व 09 बछड़े/बछिया, कुल 58 गोवंश अभिलेखों में दर्ज हैं। निरीक्षण के समय बताया गया कि 14 गोवंश स्वयंसेवी गोपालकों को पशुपालन हेतु उपलब्ध कराये गये है। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत गोवंश पंजिका का रखरखाव माह अप्रैल, 2023 से किया जा रहा है। इसमें दर्ज मात्र 121 गोवंशों के सापेक्ष 58 गोवंशों की प्रविष्टि का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इस पंजिका मे प्रविष्टियाँ अधूरी व त्रुटिपूर्ण पाई गई है। बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में 02 गोवंशों की मृत्यु दिनांक–01.01.2023 व 14.02.2023 को हुई है, परन्तु इस संदर्भ में कोई पंचनामा प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल पर 121 गोवंशों की टैगिंग होना बताया गया, जबकि तात्कालिक गणना के अनुसार, मात्र 03 या 04 गोवंशों पर ही टैगिंग पायी गयी और न तो किसी गोवंश के कान में छेद पाया गया। जबकि टैगिंग पंजिका में दिनांक–04.01.2022 को 76 गोवंशों की टैगिंग का होना दर्शाया गया है। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत गोवंश पंजिका में मात्र 58 गोवंशों का अभिलेखों में दर्ज होना पाया गया, जबकि पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा 121 गोवंशो की टैगिग पंजिका में दर्ज की गई है। इससे प्रतीत होता है कि दोनो पंजिकाओं में दर्ज की गयी प्रविष्टियों में घोर असमानता है। ये पंजिकाये तथ्यों को देखें बिना तथा निरीक्षण से तत्काल पूर्व तैयार की गयी है, जो कि अभिलेखो को अविश्वसनीय बनाता है। टैगिंग पंजिका में समस्त प्रविष्टियां एक ही हस्तलिपि में हैं, जिसमें पशु चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है। जबकि यह बताया गया कि उपरोक्त पंजिकाओ का रख–रखाव पिछले 02 वर्षों से किया जा रहा है। अवगत कराया गया कि टीकाकरण पंजिका का रख–रखाव वर्ष 2021 से किया जा रहा है, जिसके अनुसार दिनांक–23.09.2023 को सभी गोवंशो की एल0एस0डी0 टीकाकरण होना बताया गया है। परिसर में प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध नहीं है। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपरोक्त पंजिकायें मानकों के अनुसार गोवंश का उपचार एवं टीकाकरण किया जाये, जिससे उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर न हो।

3. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 02 टिन–शेड (प्रत्येक 12.19 मी0 × 8.22 मी0) हैं, जिनमे एक टिन–शेड मे गोबर की मोटी परत जमी हुई है तथा दूसरा निर्माणाधीन है। सर्दी व गर्मी के मौसम से बचाव के लिए टिन–शेड को तीन तरफ से टिन की चादरों से घेरा गया है। गोवंशों के खाने के लिये टिन–शेड के बीचो–बीच दो चरनी (प्रत्येक 9.14 मी0 × 1.21 मी0), एक निर्मित व एक निर्माणाधीन है, जिसमें गोवंशों द्वारा दोनों तरफ से चारा खाया जा सकता है। बीमार, आशक्त एवं विकलांग गोवंश के लिए अलग से कक्ष की कोई व्यवस्था नहीं उपलब्ध है। टिन–शेड के बगल में मूत्र व अपशिष्ट जल निकासी के लिए कोई नाली नही बनी है, जिससे जलभराव की समस्या निरंतर बनी हुई है। टिन–शेड तथा परिसर की साफ सफाई अच्छी नहीं है तथा गोबर युक्त जलभराव है, जिससे गोवंशों को अत्यन्त गंदे वातावरण में रहना पड़ रहा है। टिन–शेड तथा परिसर की साफ–सफाई में अत्यंत सुधार की आवश्यकता है।
4. गोवंशों के पेयजल आपूर्ति के लिये एक सबमर्सिबिल पम्प, एक हैन्डपम्प तथा एक पक्की हौज (4.57 मी0 × 0.91 मी0) बनी हुई है, जो काईयुक्त है। जल के निस्तारण के लिये कोई नाली नहीं बनी है, जिससे जलभराव व जल प्रदषूण की समस्या लगातार बनी हुई है। यदि गोबर, मूत्र एवं अपशिष्ट जल का व्यवस्थित ढंग से निस्तारण किया जाये, तो इसका प्रदूषणकारी प्रभाव कम होगा। सूचित किया गया कि गोवंशों को 10–15 दिनों के अन्तराल पर नहलाया जाता है।
5. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में एक कम्पोस्ट पिट (4.57 मी0 × 1.21 मी0) है, तथा पूरे परिसर में गोबर फैला हुआ है। सूचित किया गया कि शीघ्र ही कम्पोस्ट पिट का निर्माण किया जायेगा। गोवंश–आश्रय–स्थल के आय की वृद्धि के लिए कम्पोस्टिंग, वर्मीकम्पोस्टिंग, बायोगैस संयंत्र तथा गोबर एवं मूत्र के अन्य उपयोग की कोई व्यवस्था नही है, जैसा कि शासनादेश दिनांक–02.01.2019 में निर्देशित किया गया है। कम्पोस्टिंग के लिये गड्ढे बनाकर गोबर, मूत्र एवं अपशिष्ट जल की नाली उससे जोड़कर कम्पोट खाद तैयार की जा सकती है, जिससे तैयार खाद की ग्राह्यता स्थानीय लोगों में अधिक होगी। इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।
6. बताया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में सभी संसाधनों का उपयोग करते हुये गोवंशों का भरण–पोषण किया जाता है। परन्तु निरीक्षण के समय अधिकांश गोवंश अस्वस्थ्य दिखे, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें समुचित आहार नहीं दिया जा रहा है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में एक भूसा भण्डारण कक्ष (7.62 मी0 × 3.65 मी0) है, जो अव्यवस्थित है, जिसके आगे अत्यधिक जलभराव तथा छत से जल का रिसाव होना बताया गया, जिससे उपलब्ध भूसे की मात्रा को भूसा भंडारण कक्ष में नहीं देखा जा सकता है। भूसे के सम्बन्ध में ग्रामवासी श्री अर्जुन सिंह सेंगर व अन्य गांव के लोगों द्वारा शिकायत की गई कि भूसा प्रधान जी के घर, जो गोवंश–आश्रय–स्थल से लगभग 300 मी0 दूर है, से आता है, जिसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब है। तत्काल ग्राम प्रधान के घर पर जाकर भूसे की जांच की गयी तो पाया गया कि निरीक्षण की पूर्व सूचना पर ट्रैक्टर द्वारा जल्दबाजी में भूसे को भरकर पहुँचाया गया है। यह पाया गया कि जिस स्थान पर भूसा भण्डारित किया गया है, वहाँ जलभराव और खराब भूसा खुले में आशिक रुप से प्लास्टिक की पन्नी से ढका पाया गया। बताया गया कि भूसे का क्रय 'शिवा ट्रेडर्स', के द्वारा रू0 825/– प्रति कुंतल की दर से किया जाता है तथा नैपियर घास/हरे–चारे की पूर्ति ग्राम प्रधान की निजी भूमि से की जाती है, परन्तु आस–पास कहीं भी नैपियर घास नहीं पायी गयी। निरीक्षण के समय गौरक्षा समिति के सदस्य भी उपस्थित है। ग्रामवासियों के अनुसार ये आज पहली बार इस गोवंश–आश्रय–स्थल में आए है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में चारा काटने की मशीन की व्यवस्था नहीं है, परंतु मौके पर ढुलाई के लिए ठेले आदि की व्यवस्था पाई गई।
7. भूसा पंजिका, लेखा पंजिका, निरीक्षण पंजिका, खाताबही पंजिका व सुपुर्दगीकरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उपरोक्त पंजिकाओं में प्रविष्टियां नियमानुसार उचित प्रारूप में किया जाना चाहिए। निरीक्षण पंजिका गोवंश–आश्रय–स्थल पर कार्यरत गोपालको के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा इस गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण नहीं किया गया है। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा अपना मन्तव्य स्पष्ट एवं लिखित रूप से पंजिका में अंकित करना आवश्यक हैं तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि जो सुझाव दिये गये हैं उनका पालन हो रहा है कि नहीं, अन्यथा निरीक्षण का आशय ही विफल हो जायेगा।

8. उक्त परिसर के अन्दर मात्र 01 ट्री–गार्ड लगा पाया गया, जिसमें पौधा नहीं लगा है। यद्यपि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में वृक्षारोपण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। खण्ड विकास अधिकारी तथा ग्राम विकास अधिकारी से अपेक्षा है कि जलभराव की समस्या को दूर करके परिसर की स्थिति में सुधार किया जाये। परिसर के किनारे–किनारे वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, जो गोवंशों को धूप से बचाव के लिए व पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से उपयोगी होगा। परिसर में रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं पाई गई।

9. अन्ततः कमेटी के विचार में इस गोवंश–आश्रय–स्थल का रखरखाव व प्रबन्धन बहुत ही अव्यवस्थित व असंतोषजनक है, जिसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है।

(एस0वी0एस0 राठौर)
अध्यक्ष, ओवरसाइट कमेटी (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

ग्राम पंचायत–कुरसेंड़ा, विकासखण्ड–गोविन्दगढ़, जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल

ग्राम पंचायत–कुरसेंड़ा, विकासखण्ड–गोविन्दनगढ़, जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल

Annexure-30

ग्राम पंचायत–पड़कुलां, विकास खण्ड–माधौगढ, जनपद-जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल की निरीक्षण आख्या

दिनांक-25.09.2023 को ओवरसाइट कमेटी, एन0जी0टी0 द्वारा जनपद-जालौन, विकासखण्ड-माधौगढ़ के ग्राम पंचायत-पड़कुलां में स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित है–

1– श्री रमेश चन्द्र शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी, माधौगढ़
2– श्री महावीर सरन गुप्ता, जिला विकास अधिकारी, जालौन
3–डॉ0 अखिलेश कुमार सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
4–डॉ0 सन्तोष राजपाल, पशु चिकित्सा अधिकारी, पड़कुला
5–श्री दिनेश कुमार यादव, उपायुक्त (एन0आर0एल0एम0)
6–श्री अरूण कुमार, ए0एस0ओ0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
7–श्री सुमित कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, पड़कुला
8–श्री उपेन्द्र कुमार, प्रतिनिधि ग्राम प्रधान (प्रधान के देवर)
(श्रीमती मधु देवी ग्राम प्रधान, पड़कुला)
9– श्री कोमल सिंह, गोपालक
10– श्री चेतराम, गोपालक

1. यह गोवंश–आश्रय–स्थल वर्ष 2020 से संचालित होना सूचित किया गया। इसे स्थापित करने के लिय ग्राम पंचायत से भूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 01 बीघा है। यह परिसर एक तरफ दीवार से तथा एक तरफ से तारों से घिरा है तथा मुख्य द्वार पर गेट लगा हुआ है। परिसर के अंदर एक तरफ जलभराव तथा दूसरी तरफ गोबर का जमाव पाया गया। गोवंशो के घुटने तक कीचड़/गोबरयुक्त जलभराव पाया गया, जिससे गोवंशो द्वारा बड़ी की मुश्किलो से परिसर में आवागमन किया जा रहा है, जो निन्दनीय व सोचनीय है। वर्तमान में इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 02 गोपालक कार्यरत है, जिनका वेतन रू0 6000/– प्रतिमाह है। इस गोवंश आश्रय स्थल के पास एक प्राथमिक विद्यालय है परन्तु आसपास अन्य कोई आबादी/अस्पताल/कोई अन्य गोवंश–आश्रय–स्थल नहीं है। निरीक्षण के समय एकत्रित ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि निरीक्षण की सूचना मिलते ही गोवंशो को गॉव से पकड़कर लाया गया है, जो निन्दनीय है। वर्तमान में इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 02 नर, 40 मादा, 13 बछडे व 15 बछिया, कुल 70 गोवंश अभिलेखों में दर्ज हैं। कोई भी गोवंश स्वयंसेवी गोपालको को पशुपालन हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये है। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत गोवंश पंजिका का रखरखाव माह अप्रैल, 2023 से किया जा रहा है। जिसमें दिनांक-24.09.2023 को सभी 70 गोवंशों का संरक्षित होना पाया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में 02 गोवंशो की मृत्यु हुई है, परन्तु उनका पंचनामा प्रस्तुत नही किया गया।
2. पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल पर 74 गोवंशों की टैगिंग की गयी, परन्तु तात्कालिक गणना के अनुसार, 07–08 गोवंशों की ही टैगिंग पायी गयी तथा अन्य किसी गोवंश में न तो टैगिंग और न ही कान में छेद पाया गया। यह तथ्य ग्रामवासियों के आरोपो को सही मानने हेतु पर्याप्त आधार है । मौके पर टैगिंग पंजिका प्रस्तुत नही की गई, इससे प्रतीत होता है कि टैगिंग पंजिका आज तक बनाई ही नही गयी है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल मे कोई प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध नहीं है। टीकाकरण पंजिका के अनुसार, दिनांक-05.04.2023 को समस्त गोवंशो की डी–वार्मिंग, दिनांक-08.07.2023 को एच0एस0 टीकाकरण तथा दिनांक-23.09.2023 को एल0एस0डी0 का होना बताया

गया है। बीमार गोवंश के उपचार विवरण में दिनांक-21.08.2023 की प्रविष्टि अंकित पायी गयी। संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपरोक्त पंजिकाएं मानको के अनुसार गोवंश का उपचार एवं टीकाकरण करें, जिससे उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर न हो।

3. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 01 पडंजायुक्त टिन–शेड (12.19 मी0 X 4.57 मी0) हैं, जो गोवंशों के लिए अपर्याप्त है। पडंजा पर गोबर की मोटी परत जमी हुई है। सर्दी व गर्मी के मौसम से बचाव के लिए कोई व्यवस्था नही पायी गयी। गोवंशों के खाने के लिये टिन–शेड के बीचो–बीच एक चरनी (10.66 मी0 X 1.06 मी0) स्थित है, जिसमे गोवंशो द्वारा दोनो तरफ से चारा खाया जा सकता है। जलभराव व गोबर की समस्या होने के कारण गोवशो का चरनी के एक से दूसरी तरफ जाना कष्टप्रद है। बीमार, आशक्त एवं विकलांग गोवश के लिए अलग से कक्ष आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। टिन–शेड के बगल में मूत्र व अपशिष्ट जल निकासी के लिए नाली नही बनी है, जिससे जलभराव की समस्या निरंतर बनी हुई है। टिन–शेड तथा परिसर की साफ सफाई अच्छी नहीं है, क्योकि पूरे परिसर में गोबरयुक्त जलभराव है। इसकी साफ-सफाई में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है। यदि गोबर, मूत्र एवं अपशिष्ट जल का व्यवस्थित ढंग से निस्तारित किया जाये तो इसका प्रदूषणकारी प्रभाव कम होगा।

4. गोवंशों के पेयजल आपूर्ति के लिये एक सबमर्सिबिल पम्प लगा हुआ है तथा एक पक्की हौज (2.43 मी0 X 0.91 मी0) बनी हुई है, जिसमे काई जमी हुई है। मूत्र एवं अपशिष्ट जल के निस्तारण के लिये कोई नाली या सोकपिट नही बनी है, जिससे जलभराव व जल प्रदूषण की समस्या लगातार बनी रहती है। गोपालको द्वारा बताया कि गोवंशों को 01 माह के अन्तराल पर नहलाया जाता है।

5. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में 02 कम्पोस्ट पिट (प्रत्येक 1.52 मी0 X 1.21 मी0) बनी है, दोनों मे पुराना सूखा गोबर पड़ा हुआ है। ताजा गोबर पूरे परिसर मे फैला हुआ है। परिसर में कोई कम्पोस्टिंग, वर्मीकम्पोस्टिंग, बायोगैस संयंत्र तथा गोबर एवं मूत्र के अन्य उपयोग की कोई व्यवस्था नही है जैसा कि शासनादेश दिनांक-02.01.2019 में निर्देशित किया गया है। गोवंश–आश्रय–स्थल की आय वृद्वि के लिए गड्ढे बनाकर गोबर एवं मूत्र की नाली उससे जोड़कर कम्पोस्ट खाद तैयार की जा सकती है, जिससे तैयार खाद की ग्राह्यता स्थानीय लोगों में अधिक होगी। किन्तु इस दिशा में कोई प्रयास भी नही किया गया है।

6. बताया गया कि इस गोवंश–आश्रय–स्थल में सभी संसाधनों का उपयोग करते हुये पशुओं का भरण-पोषण किया जाता है, परन्तु निरीक्षण के समय अधिकांश गोवंश अस्वस्थ दिखे, जिन्हे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें समुचित आहार नहीं दिया जा रहा है। इस गोवंश–आश्रय–स्थल में एक भूसा भण्डारण कक्ष (9.14 मी0 X 7.62 मी0) है, जो अव्यवस्थित है। बताया गया कि ग्रामवासियो द्वारा समय–समय पर भूसे का दान किया जाता है, किन्तु इसका उल्लेख किसी पंजिका में दर्ज नही किया गया है। बताया गया कि भूसा भण्डारण कक्ष में 50 कुंतल भूसा उपलब्ध है, लेकिन भौतिक सत्यापन में केवल 15 से 20 कुंतल भूसा ही उपलब्ध पाया गया। भूसे का क्रय शिवा ट्रेडर्स के द्वारा रू0 825/– प्रति कुंतल की दर से किया जाता है तथा हरे–चारे की पूर्ति ग्राम पंचायत की भूमि से की जाती है। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत भूसा पंजिका का रख–रखाव माह नवंबर, 2022 से किया जा रहा है, जिसमें उल्लिखित दिनांक-25.09.2023, के अनुसार, प्रतिदिन सभी 70 गोवंशों को 2.62 कुंतल भूसा खिलाया जाता है। बताया गया कि नैपियर घास की बुआई के लिए खेत किसी अन्य ग्रामवासी से लिया गया है, जिस पर इस गोवंश–आश्रय–स्थल के गोपालकों द्वारा बुआई की जाती है। किन्तु निरीक्षण के समय हरा चारा चरनी में नही पाया गया।

7. लेखा पंजिका, खाताबही पंजिका कैश बुक पंजिका तथा सुपुर्दगीकरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी। निरीक्षण के समय गोवंश पंजिका, टैगिंग पंजिका, गोवंश पंजिका चिकित्सा पंजिका, चिकित्सा पंजिका, भूसा पंजिका व निरीक्षण पंजिका प्रस्तुत की गई, जिसके रख–रखाव को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये पंजिकाये निरीक्षण सूचना से तत्काल पूर्व मे बनाई गई है, जो अधूरी व त्रुटिपूर्ण है, जिसके संदर्भ में ग्राम विकास अधिकारी व पशु चिकित्सा अधिकारी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए । उपरोक्त पंजिकाओं में प्रविष्टियां नियमानुसार उचित प्रारूप में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए ।

8. निरीक्षण पंजिका के अनुसार, इस गोवंश–आश्रय–स्थल का 03 बार निरीक्षण किया गया है (निरीक्षण के दिनांक अस्पष्ट है) तथा उचित सुझाव दिए गए है। बताया गया कि खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस

गोवंश–आश्रय–स्थल का निरीक्षण कभी नही किया गया। निरीक्षण पंजिका गोवंश–आश्रय–स्थल पर कार्यरत गोपालको के लिए मार्गदर्शक सिद्व हो सकती है। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उनके द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं कि उनका पालन हो रहा है या नहीं। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान अपना मन्तव्य स्पष्ट एवं लिखित रूप से पंजिका में अंकित करना आवश्यक है, अन्यथा निरीक्षण का आशय ही विफल हो जायेगा।

9. इस गोवंश–आश्रय–स्थल में वृक्षारोपण हेतु स्थान उपलब्ध है, किन्तु उक्त परिसर के अन्दर कोई वृक्षारोपण नहीं पाया गया। परिसर में उचित संख्या में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए एवं जलभराव की समस्या को दूर करके परिसर की स्थिति की सुधारा जाना चाहिए, जो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से उपयोगी होगा । परिसर में रोशनी की कोई व्यवस्था नही पायी गई ।
10. अन्ततः कमेटी के विचार में इस गोवंश–आश्रय–स्थल का रखरखाव बहुत ही अव्यवस्थित व असंतोषजनक है, जिसमें सुधार की अति आवश्यकता है।

(एस0वी0एस0 राठौर)
अध्यक्ष, ओवरसाइट कमेटी (एन0जी0टी0)
उत्तर प्रदेश

ग्राम पंचायत–पड़कुलां, विकासखण्ड–माधौगढ़, जनपद–जालौन स्थित अस्थायी गोवंश–आश्रय–स्थल